सप्तम माला खंड 1 अंक 1

बुधवार, 16 दिसम्बर 1981

25 अग्रहायण 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

सातवाँ सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 18, बुधवार, 16 दिसम्बर, 1981/25 अग्रहायण, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—22
तारांकित प्रश्न संख्या : 352, 355 से 358, 362 और 365	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	22—212
*तारांकित प्रश्न संख्या : 351, 353, 354, 361, 363 और 366 से 370	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3955 से 3982, 3984 से 3997, 3999 से 4046, 4048 से 4080, 4082 से 4122, 4124 से 4138, 4140 से 4174 और 4177 से 4189	
अतारांकित प्रश्न संख्या 1372 दिनांक 25 फरवरी, 1981 में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	206—212
सदस्यों की गिरफ्तार (श्री सत्यनारायण जटिया)	212—216
सभा पटल पर रखे गये पत्र	217—220
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति अध्ययन दौरों सम्बन्धी प्रतिवेदन	220
राज्य सभा से संदेश	220—221
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति तैंतीसवां प्रतिवेदन	221

* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

नियम 377 के अधीन मामले 221—228

(एक) गोरखपुर जिले के बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए राहत उपाय

श्री महावीर प्रसाद 221

(दो) निकल और कोबाल्ट खनिजों का पता लगाने और उनको आर्थिक उपयोग के लिये निकालने सम्बन्धी प्रौद्योगिकी

श्री के० पी० सिंह देव 222

(तीन) बन्देल-हावड़ा सेक्शन पर प्रस्तावित रेल लाइन का यातायात सर्वेक्षण

प्रो० रूपचन्द पाल 223

(चार) भारतीय उर्वरक निगम के तालचेर एकक में हुई हानियां

श्री अर्जुन सेठी 225

(पांच) सूत तथा रसायनों के मूल्यों में हो रही वृद्धि के कारण उत्तर प्रदेश के बुनकरों की समस्याएं

श्री हरिकेश बहादुर 226

(छः) दामोदर नदी के पानी का प्रदूषित होने का समाचार

श्री राम विलास पासवान 226

(सात) इजरायल द्वारा गोलान हाइट्स का अपने राज्य में कथित मिलाया जाना

श्री अटल बिहारी वाजपेयी 227

(आठ) तमिलनाडु में कच्चे रेशम के धागे का मूल्य नियंत्रित करने की आवश्यकता

श्री सी० पलानी अप्पन 227

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1979-80 तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1981-82 228—293

श्री ई० बालानन्दन 231

श्री राम प्यारे पनिका 237

श्री भेरावदन के० गधावी 241

श्री छोटे सिंह यादव 244

श्री संतोष मोहन देव 247

श्री टी० नागरत्नम 250

श्री गिरधारी लाल व्यास 253

श्री सूरज भान 257

श्री पी० नामग्याल 261

श्री टी० आर० शमन्ना 265

श्री जी० एल० डोगरा 267

श्री झारखंडे राय 271

श्री मूलचन्द डागा 275

श्री टी० एस० नेगी 278

श्री के० टी० कोसलराम 281

श्री डी० पी० यादव 282

श्री चन्द्रजीत यादव 285

श्री आर० वेंकटरामन 288

विनियोग (संख्या 6) विधेयक 293—294

पुरःस्थापित और विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री आर० वेंकटरामन 293

खण्ड 2, 3 तथा 1

पास करने के लिए प्रस्ताव

श्री आर० वेंकटरामन 294

विनियोग (संख्या 7) विधेयक 294—298

पुरःस्थापित और विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री आर० वेंकटरामन 294

श्री रामावतार शास्त्री 295

श्री सुधीर गिरि 296

खण्ड 2, 3 तथा 1 296—297

पास करने के लिये प्रस्ताव

श्री आर० वेंकटरामन 298

सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई 298

श्री विश्वनाथ शर्मा 298

आधे घंटे की चर्चा 298—310

कोयले सम्बन्धी व्यवस्था की पुनरीक्षा

श्री बी० वी० देसाई 299

श्री विक्रम महाजन 302

श्री रामावतार शास्त्री 306

श्री रामविलास पासवान 307

कार्य मंत्रणा समिति 310

चौबीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा

बुधवार, 16 दिसम्बर, 1981/25 अग्रहायण, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तिहाड़ जेल दिल्ली से अपराधियों का निकल भागना

352. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय के समाचारों की जानकारी है कि दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल से कुछ अपराधी जाली दस्तावेज दिखाकर निकल भागे थे; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1979 से जाली न्यायालय आदेशों/अन्य दस्तावेजों पर रिहा होने/रिहा होने के प्रयास करने के आठ मामले उनके ध्यान में आये हैं। इन मामलों में 11 व्यक्ति अंतर्ग्रस्त हैं। इनमें से केवल 5 व्यक्ति रिहा होने में सफल हुए। शेष 6 व्यक्तियों के प्रयास समय पर पता लगने पर विफल हो गये। जो पांच व्यक्ति रिहा हो गये थे उनमें से चार को पकड़ा जा चुका है। इन घटनाओं की जांच-पड़ताल के बाद जेल के वारण्ट कार्यालय में ड्यूटियों के दत्तकार्य में और हैड वार्डरों/वार्डरों की ड्यूटियों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय और जिला तथा सत्र न्यायाधीश, दिल्ली ने जाली दस्तावेजों के आधार पर रिहाई के मामलों को रोकने के उद्देश्य से उनके अधीन कार्यरत न्यायालयों को उपयुक्त अनुदेश दिए हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, मैंने विवरण पढ़ा है। सोलह पंक्तियों के इस विवरण को मंत्री महोदय पूरी सभा की जानकारी के लिए पढ़कर सुना सकते थे। किन्तु संभवतः उन्होंने इस पूरी घटना की गम्भीरता को कम करने का ध्यानपूर्वक प्रयत्न किया है।

पूरे विवरण को पढ़ने के पश्चात् एक बात स्पष्ट होती है। जब जाली दस्तावेजों का उपयोग करके अथवा अन्य तरीकों से जेल से भागने का प्रयत्न किया जा रहा है तो सरकार को सभी प्रकार के एहतियाती उपाय करने चाहिए। इस विवरण से एक यह प्रश्न उठता है। यह बात सरकार के ध्यान में दिसम्बर, 1979 को आई। इस तिथि से पूर्व बहुत से लोग विभिन्न प्रकार के उपायों से जेल से भाग गए होंगे। अपराध के तरीकों को देखिए। यह भी बहुत महत्त्वपूर्ण बात है। वे व्यक्ति कौन हैं जो जेलों से भाग चुके हैं अथवा जिन्होंने जेलों से भागने का प्रयत्न किया है तथा उसमें किस प्रकार के अपराधी ग्रस्त हैं। यह भी बहुत महत्त्वपूर्ण बात है।

मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। विवरण में कहा गया है कि जांच की गई थी। यह जांच किसने की थी ? और उसमें क्या निष्कर्ष निकले थे अथवा क्या सिफारिशें की गई थीं ? उनमें से सरकार ने कौन-सी सिफारिशें स्वीकार की थीं ? पूरी घटना में उच्च न्यायालय की सील का उपयोग किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं अपना प्रश्न पूछ रहा हूं। (क), (ख), (ग) जो मेरे प्रश्न के भाग हैं। (**व्यवधान**) मैं जानता हूं कि इसका सम्बन्ध संघ राज्य क्षेत्र से है और मैं भी संघ राज्य क्षेत्र से ही सम्बन्ध रखता हूं। मेरा मुद्दा यह है कि जाली दस्तावेज पर उच्च न्यायालय की सील लगायी गयी थी। अतः प्रश्न यह उठता है कि उच्च न्यायालय के कुछ अधिकारियों की साठगांठ के बिना इन सीलों का उपयोग नहीं किया जा सकता। महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालयों को कुछ एहतियात बरतने के लिए आदेश जारी किए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आदेश जारी किए गए हैं जिससे कि न्यायालयों की सीलों का दुरुपयोग न किया जा सके।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, मेरे विचार से जिस प्रकार प्रश्न बनाया गया है उसका उत्तर देने में सम्पूर्ण प्रश्न काल समाप्त हो जायेगा। तथापि मैं यथासम्भव जानकारी देकर मैं माननीय सदस्य को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। महोदय, अभी तक पांच अपराधी भागे हैं और चार को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी एक को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। महोदय माननीय सदस्य ब्यौरा जानना चाहते थे।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मंत्री महोदय केवल नाम और अपराध ही बता दें।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जी हां, मैं वह बताता हूं।

नाम	अपराध जिसके लिए दोष सिद्ध हुए	ब्यौरा
1	2	3
1. नईमुल्ला खा	302 भा० दं० सं०	1-11-79 को भागा और 4-1-80 को पुनः गिरफ्तार किया गया।

1	3	4
2. हरबीर सिंह	302 भा० दं० सं०	21-1-1981 को भाग गया और अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया।
3. राजिन्दर इलियास विजय पुत्र पूरनचंद		जाली रिलीज आर्डर जेल अधिकारी (केन्द्रीय जेल सिदार) द्वारा क्रियान्वित नहीं किए गए।
4. जय सिंह पुत्र बुद्ध सिंह		जाली रिहाई आदेश जेल प्राधिकारी (केन्द्रीय कारागार, तिहाड़) द्वारा लागू नहीं किया गया।
5. शकील पुत्र	457/380, 554/380, 380/47, 25 आर्मी एक्ट	उसने भगाने का प्रयत्न किया।
6. देविन्दर पुत्र सदाराम	302/120-ख	19-12-80 को भाग गया और 2-2-81 को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया।
7. सोहन लाल पुत्र मदन लाल	454/380/457 आर्मी एक्ट	10-9-81 को भागा और उसी दिन फिर गिरफ्तार कर लिया गया।
8. नूर मोहम्मद पुत्र अब्दुल हसन	394/426	भागने का प्रयत्न किया।

अध्यक्ष महोदय : यह बड़ा लम्बा उत्तर है। आप इसे सभा पटल पर रख दीजिए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : तीन और भी हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : मंत्री महोदय यह बता दें कि जांच किसने की थी ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : दिल्ली पुलिस ने जांच की।

वह यह जानना चाहते थे कि दिल्ली प्रशासन ने क्या कदम उठाये हैं। तिहाड़ जेल को प्राप्त हुई रिहाई आदेशों का विवरण पुनः जांच के लिए दूसरे दिन मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है जिससे कि यदि वह जाली हो तो उसकी पकड़ हो जाए।

संख्या दो—पहले रिहाई आदेश न्यायालय प्राप्त करते थे और अब जेल कर्मचारी रिहाई आदेश तीस हजारी न्यायालय के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय से प्राप्त करते हैं। शाहदरा और नई दिल्ली स्थित न्यायालयों से सम्बन्धित रिहाई आदेश जेल वाहन का पुलिस संरक्षक अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय से प्राप्त करते हैं।

संख्या तीन—वारन्ट कक्ष में किसी भी दोषसिद्ध कैदी से लिपिकीय कार्य नहीं कराया जाता है। इससे पहले अपराधियों से क्लर्क के बतौर वारन्ट कक्ष में कार्य लिया जाता था। वे फार्मों और अन्य कागजातों में हेरा-फेरी किया करते थे और वैध प्रलेखों के साथ झूठे प्रलेख मिला देते और छुटकारा पाने की चेष्टा करते थे। अब वारन्ट कक्ष में किसी भी दोषसिद्ध कैदी से लिपिकीय कार्य नहीं लिया जाता।

संख्या चार—जब किसी दोषसिद्ध कैदी का स्थानान्तरण किसी अन्य जेल में किया जाता है; और उसके आने की तीन दिन से पहले प्राप्त नहीं होती तो जेल को तार द्वारा संदेश भेजा जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि ऐसा दोषसिद्ध कैदी रास्ते में ही होता है और जेल से कोई सूचना नहीं मिल पाती है। अब सूचना तीन दिन के अन्दर पाने के लिए संदेश तार द्वारा भेज दिया जाता है।

संख्या पांच—मुख्य वार्डेन और अन्य वार्डेनों की ड्यूटी जल्दी-जल्दी बदल दी जाती है जिससे कि वे दोषसिद्ध कैदियों और विचाराधीन कैदियों से सांठगांठ न कर लें और निहित स्वार्थ न बना लें। इससे पहले चूंकि उन्हें अधिक समय के लिए तैनात किया जाता था जिससे वे दोषसिद्ध कैदियों से घुल-मिल जाते थे और सब प्रकार के काम करते थे। अब मुख्य वार्डेन और अन्य वार्डेनों की ड्यूटियां बार-बार बदल दी जाती हैं। जेल प्राधिकारियों ने ये सब कदम उठाये हैं।

इसके बाद उन्होंने पूछा था कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या अनुदेश जारी किए हैं। महोदय, वे बहुत विस्तार में हैं। चूंकि मुझसे पूछा गया था, इसलिए मैंने उन्हें पढ़ दिया है। (**व्यवधान**) इसीलिए मैंने आरम्भ में ही आपसे कहा था कि उनका उत्तर देने के लिए मुझे प्रश्न-काल का पूरा समय लग जायेगा। महोदय, दिल्ली उच्च न्यायालय और जिला और सत्र न्यायाधीश ने जो आदेश जारी किये हैं उनके बारे में दिल्ली·····

अध्यक्ष महोदय : बेहतर होगा कि उसे आप सभा पटल पर रख दें।

श्री योगेन्द्र मकवाना : ठीक है महोदय, मैं उसे सभा पटल पर रख दूंगा।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है·····

डा० कर्ण सिंह : मैं इसी से सम्बन्धित एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री मनोरंजन भक्त : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न एक सारगर्भित प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्री ने तिहाड़ जेल का दौरा किया है और क्या उन्हें वहां शराब प्राप्त हुई

थी और वहां उन्होंने शराब का उपभोग होते देखा था ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : वास्तव में इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कोई सीधा संबंध नहीं है। तथापि मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि इसके लिये जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कारवाई की गई है। और जहाँ तक शराब की बात है, वहाँ शराब नहीं मिली थी। किन्तु ऐसा आरोप लगाया गया था। अन्तोगत्वा जाँच करने पर पता चला कि किसी दोषसिद्ध कैदी ने किसी दवा का सेवन किया था।

डा० कर्ण सिंह : तिहाड़ जेल में जो स्थिति है वह केवल इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि देश में, विशेषकर जेलों की स्थिति अच्छी नहीं है। पहला प्रश्न (जिसके प्रश्नकर्ता उपस्थित नहीं थे) बाल अपराधियों और महिला अपराधियों से संबंधित है। उनके लिये किया गया प्रबंध बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है।

अब, क्या माननीय मंत्री सदन को यह बताने की कृपा करेंगे कि उस उच्च शक्ति प्राप्त आयोग या समिति की क्या प्रगति है जो जेल सुधारों के बारे में विस्तारपूर्वक विचार कर रही है।

उनकी रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जायेगी ? क्या उसके बाद सरकार देश की सम्पूर्ण जेल व्यवस्था के संबंध में मूलभूत परिवर्तन करने के लिए वास्तव में तेजी से कोई कार्य करेगी ? श्रीमान् जी, प्रत्येक दिन समाचार पत्र जेलों से संबंधित विशेष कर महिलाओं और बच्चों के प्रति वहां किये जा रहे व्यवहार के बारे में, बड़ी ही हृदय विदारक घटनाओं से भरे होते हैं। इसलिये सरकार की उनके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, न्यायाधीश मुल्ला की अध्यक्षता में जेल समिति की नियुक्ति की गई थी। तिहाड़ जेल के संबंध में उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उस पर कार्यवाही की जा रही है। नये जेलों का निर्माण किया जा रहा है जिससे कि विचाराधीन कैदियों को अलग रखा जा सके।

डा० कर्ण सिंह : तिहाड़ जेल अथवा सम्पूर्ण देश की जेल की व्यवस्था के बारे में।

श्री योगेन्द्र मकवाना : एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जो तिहाड़ जेल से संबंधित है। सम्पूर्ण देश की जेल की व्यवस्था के संबंध में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी। उस पर विचार किये जाने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

पालेकर पंचाट

355. **श्री बापूसाहिब परुलेकर :** क्या **श्रम** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बहुत से समाचार पत्रों ने पत्रकारों तथा गैर-पत्रकारों के लिए पालेकर पंचाट अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है ?

(ख) यदि हां, तो ऐसे समाचार-पत्रों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन समाचार पत्रों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ समाचार प्रतिष्ठानों ने श्रमजीवी पत्रकारों और गैर श्रमजीवी समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए पालेकर अधिकरणों के सिफारिशों के बारे में सरकार के आदेशों को लागू नहीं किया है।

(ख) : उपलब्ध सूचना का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3120/81]

(ग) राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अधिकरणों की सिफारिशों के बारे में आदेश को लागू करने के लिए उचित सरकारे हैं। राज्य सरकारों /संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा को शर्तें) और प्रकीर्ण उपवन्ध अधिनियम 1955 के अधीन उन समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्यवाही करे जो इस आदेश को कार्यान्वित नहीं करते।

एक माननीय सदस्य : नेशनल हेरल्ड का क्या हुआ ?

श्री बापू साहेब परुलेकर : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसीलिए उन्होंने इस प्रश्न को गृहीत किया है।

श्री बापू साहेब परुलेकर : इस विवरण से यह पता चलता है कि देश के 10 राज्यों में समाचारपत्र उद्योग नहीं है। एक राज्य के लिए यह कानून लागू नहीं होता है। दो राज्यों जम्मू एवं कश्मीर तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह से जानकारी उपलब्ध नहीं है। जहां तक त्रिपुरा का संवंध है, विवरण से पता चलता है कि वहां इस कानून को बिल्कुल लागू ही नहीं किया है और 17 राज्यों में से विवरण में यह बताया गया है कि 224 प्रतिष्ठानों ने इस विशेष पंचाट को लागू करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। कर्नाटक की संख्या सबसे अधिक है जो 57 है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नम्बर आता है जिसकी संख्या 44 है। इस विवरण में इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि कितने समाचार-पत्रों ने इस पंचाट को आंशिक रूप से लागू किया है, सम्भवत: इसके कारणों का माननीय मंत्री जी को भली प्रकार पता होगा। यदि उनकी संख्या भी दी जाती है तो इसका हिसाब मेरे विचार से 600 अथवा 700 से अधिक बैठ सकता

है। उत्तर में यह बताया गया है कि इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को ही प्राधिकार प्राप्त हैं। जहां तक दिल्ली का सम्बंध है विवरण से पता चलता है कि 17 समाचार पत्र ऐसे हैं जिन्होंने अब तक इस पंचनिर्णय को कार्यान्वित नहीं किया है। अतएव, मैं यह जानना चाहूंगा कि (क) दिल्ली के उन लगभग 17 समाचार पत्रों के बारे में क्या सरकार कार्रवाई करने का विचार रखती है जिन्होंने समिति की इस विशेष सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया है? उसके बारे में क्या कार्रवाई की गई थी? यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई थी तो क्यों और अब सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का विचार है? मेरे प्रश्न का (ख) भाग यह है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम का प्रवर्तन, जिसकी वजह से पालेकर पंच निर्णय के आधार पर और छंटनी हुई है, एक लाभदायक हथियार साबित हुआ है क्योंकि अधिकांश छंटनी फरवरी, 1980 के बजाए अगस्त, 1980 से पहले की गई थी, जोकि विभिन्न यूनियनों की मांग थी और अब तक इस प्रकार छंटनी किए गए व्यक्तियों के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा): महोदय, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से पहले ही अनुरोध कर चुकी है···

एक माननीय सदस्य: दिल्ली के बारे में क्या समाचार है?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा: क्या नेशनल हेराल्ड के बारे? मैं कह सकती हूं कि नेशनल हेराल्ड ने इसको कार्यान्वित किया है और दूसरों के बारे में यदि मेरे ध्यान में कोई विशेष शिकायत लाई जाती है तो मैं उनके स्वयं के तन्त्र के माध्यम से उन्हें कार्यान्वित कराने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा केन्द्रशासित प्रदेश से अनुरोध करूंगी। मैं सोचती हूं कि वे सम्बन्धित समाचार-पत्र से बकाया धनराशि को वसूल करने के लिए समाहर्ता को आदेश दे सकते हैं। राज्य सरकार मामले को राज्य के औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेज सकती है अथवा दण्डात्मक कार्रवाई कर सकती है। अथवा राज्य सरकार उन प्रतिष्ठिानों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई कर सकती है जिन्होंने पालेकर निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया है।

श्री बापू साहब परुलेकर: उसी विशेष तारीख को कर्मचारियों की छँटनी किए जाने से सम्बन्धित मेरे प्रश्न के भाग (ख) का क्या जवाब है? वह मेरा विशिष्ट प्रश्न था।··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यदि आप एक पूरक प्रश्न पूछते हैं, तो उसका पूर्ण जवाब दिया जा सकता है। यदि आप प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं तो मन्त्री महोदय कुछ भी नहीं बता पायेंगे। अब दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री बापू साहेब परुलेकर: जिस तारीख से यह निर्णय पास हुआ था उसी तारीख से सभी समाचार पत्रों ने अपनी विज्ञापन की दरों तथा चन्दे की दरों में बढ़ोत्तरी कर दी है। कुछ समाचार पत्रों में नियमित संवाददाताओं को सेवाओं से मुक्त करके प्रोफेसरों, लेक्चरारों तथा अन्य व्यक्तियों

को अंश-कालिक आधार पर नियुक्त करने की एक प्रथा-सी बन गई है। ऐसे कुछ समाचार-पत्र मौजूद हैं। उदाहरण के रूप में, नागपुर के नवभारत के पास अंग्रेजी दैनिक के मुख्यालय के अपने कर्मचारियों में पूरे समय के लिए केवल एक रिपोर्टर है। सम्पादक को तो केवल नाममात्र का दर्जा दिया गया है और सारा समाचार पत्र अंशकालिक कर्मचारियों की सहायता से चलाया जा रहा है। अतएव मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या सरकार इस प्रथा की जांच करते समय इस समाचार पत्र को दैनिक समचार पत्र का दर्जा देने से इन्कार कर देगी और ऐसे समाचार पत्रों को अखबारी कागज देना भी बन्द कर देगी जो पर्याप्त रिपोर्टरों, उप-सम्पादकों आदि के बिना चलाए जा रहे हैं ताकि इस निर्णय को उपयुक्त रूप से लागू किया जा सके।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : अब जबकि इस बात को सरकार के ध्यान में ला दिया गया है, मैं इस मामले की जांच करूंगी और इस बारे में कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को लिखूंगी।

श्री ईरा अनबारासु : तमिलनाडु में भी एक ऐसी साप्ताहिक पत्रिका है ···**

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, यह प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है। इसके लिए अनुमति नहीं दी जाती है। (**व्यवधान**)**

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, उनकी टिप्पणियों को सभा की कार्रवाई में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी हां, आप मेरी टिप्पणियों को सभा की कार्रवाई में शामिल नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, कार्रवाई में शामिल नहीं किया जाता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा,—वह श्रम मन्त्री भी हैं—क्या उन्हें जानकारी है कि इण्डियन एक्सप्रेस ने पालेकर पंचाट को लागू किया है और पालेकर पंचाट को लागू करने के बाद, इण्डियन एक्सप्रेस, बम्बई, को श्रम संगठनों के नाम पर गुण्डागर्दी का सामना करना पड़ रहा है। क्या वह श्रम मन्त्री के रूप में उन समाचार पत्रों को संरक्षण देंगी जिन्होंने पालेकर पंचाट को लागू किया है और यह देखेंगी कि यह समाचार पत्र गुण्डागर्दी और श्रम संघटनों के कारण बन्द न हो जाए।···(**व्यवधान**)

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : माननीय सदस्य मुझे पत्र लिख सकते हैं और मेरे कार्यालय में आकर इस मामले पर विचार-विमर्श कर सकते हैं···(**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्यों, यदि मुझे आपके कार्यालय में जाना पड़े, तो संसद सदस्य होने का मुझे क्या लाभ हुआ ?···(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एक स्पष्ट प्रश्न किया गया है और हम एक स्पष्ट उत्तर चाहते हैं। हमारे लिए उनके कार्यालय में जाना अनिवार्य नहीं है···(**व्यवधान**)

** कार्यवाही-वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : गहोदय, वे गुण्डागर्दी का सहारा ले रहे हैं जिससे कि इण्डियन एक्सप्रेस जैसा एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र बन्द हो जाए । (**व्यवधान**)

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : महोदय, सरकार का कर्त्तव्य अपने सभी कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करना है, परन्तु ऐसा प्रत्येक मामले के गुण-दोष पर निर्भर करता है । (**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, श्रम मन्त्रालय के मन्त्रिमण्डल-स्तर में मन्त्री कहां है ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं, जैसाकि उन्होंने कहा है कि अधिकांश क्रियान्वयन राज्य सरकारों के आदेश पर निर्भर करता है, क्या पालेकर पंचाट लागू करने में राज्य सरकारें गम्भीरता से कार्यवाही कर रही हैं, क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर यह स्मरण करवाया है कि अधिकांश राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में पालेकर पंचाट के क्रियान्वयन में सहायता नहीं कर रही हैं ? और यदि हां, तो हम यह जानना चाहेंगे कि क्या पालेकर पंचाट लागू करने के बारे में राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार के स्मरण पत्रों पर कार्यवाही की है ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : जी, हां श्रम मंत्री ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा था और ऐसा ही हमारे विभाग द्वारा भी लिखा गया था। और मेरी अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति इस प्रश्न से निपटने के लिए गठित की गई है और 15-9-1981 को सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे उन प्रतिष्ठानों के विरुद्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू करें जिन्होंने अभी तक इस आदेश को लागू नहीं किया है । अधिकांश राज्यों ने इस पर कार्यवाही शुरू कर दी है और इस सम्बन्ध में कुछ राज्यों सरकारों ने जो कदम उठाए हैं उसकी एक सूची मेरे पास है ।

बर्नब्रेथवेट जेसप कंस्ट्रक्शन कम्पनी विक्टोरिया वर्क्स को बन्द करने का प्रस्ताव

356. **श्री चित्त बसु** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बर्न-ब्रेथवेट-जेसप कंस्ट्रक्शन कम्पनी के विक्टोरिया वर्क्स को बंद करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कंसर्न के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) बी० बी० जे० कंस्ट्रक्शन कम्पनी को हो रही भारी हानियों को ध्यान में रखते हुए इसके कार्यों को पुनर्गठित करने

का प्रस्ताव विचाराधीन है जिसमें इसके अलाभकारी विक्टोरिया कारखाने को बन्द करना भी शामिल है।

श्री चित्त बसु : माननीय मंत्रीजी के उत्तर से यह स्पष्ट है कि सरकार बर्न-ब्रेथवेट—जैसोप कंसट्रक्शन कम्पनी के विक्टोरिया यूनिट को बन्द करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने इस बात पर विचार किया है कि इस यूनिट को बन्द किए जाने के इस प्रस्ताव से बड़ी संख्या में कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे और इस प्रकार बेरोजगार हुए कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : महोदय सर्वप्रथम माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि यह सम्पूर्ण मामला विचाराधीन है और गत वर्षों से इस विशिष्ट यूनिट को लगातार हो रही अत्यधिक हानि पर भी विचार किया जा रहा है। 1968 में हानि 20.83 लाख रुपये की थी, जो 31-3-1981 को बढ़कर 4.53 करोड़ रुपये हो गई। 1978-79 वर्ष में यह हानि 44.33 लाख रुपये की थी; 1979-80 में यह हानि 4500 लाख रुपये की थी; 1980-81 में ये हानि 83.00 लाख रुपये की थी। माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि सम्पूर्ण यूनिट को पुनः सजीव करने की इस प्रक्रिया को श्रमिकों के हितों की रक्षा में जारी रखा गया है। मुख्य मामला यह था। परन्तु माननीय सदस्य इस बात को भी समझेंगे कि हमें रुग्ण एककों और मृत एककों में भेद भी करना चाहिए और एक बार किसी विशिष्ट एकक के भविष्य का निर्णय हो जाने के पश्चात् श्रमिकों के हितों को सदैव ध्यान में रखा जाएगा।

श्री चित्त बसु : महोदय, क्या मैं यह भी पूछ सकता हूं कि क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य मंत्री ने हाल ही में उद्योग मन्त्री से बातचीत की थी और उनसे श्रमिकों के रोजगार सम्बन्धी हितों के संरक्षण के उपाय और तरीके निकालने का अनुरोध किया था। क्या इस सम्बन्ध में मैं यह जान सकता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किए गए उस विशिष्ट प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या निश्चित प्रतिक्रिया है ?

श्री चरणजीत चानना : जी हां, इस विशिष्ट मामले पर पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने उद्योग मंत्री से 11 नवंबर, 1981 को नियमित रूप से बुलाई गई बैठक में विचार-विमर्श किया था। इस सम्बन्ध में यह बात और है कि अक्टूबर, 1980 से मुख्य मन्त्री द्वारा जब भी यह मामला उठाया गया, तो वास्तव में मेरा पहला सुझाव यह होता था : 'यदि उनका विचार यह है कि यह लाभकारी इकाई है, तो पश्चिम बंगाल सरकार इसको अपने हाथ में ले सकती है।' एक बार फिर 11 नवम्बर की बैठक में उद्योग मन्त्री ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री को इस इकाई का अधिग्रहण करने का सुझाव दिया था। लेकिन मुख्य मन्त्री समय चाहते थे और वे इस मामले की एक बार पुनः जांच करना चाहते थे। लेकिन अब जो निर्णय लिया गया है, वह यह है कि ऐसे कार्यकारी-दल का गठन किया गया है, जिसने उद्योग मन्त्रालय के वित्तीय सलाहकार-व-अतिरिक्त सचिव ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी के चेयरमैन और पश्चिम बंगाल सरकार में रुग्ण उद्योग विभाग के सचिव सम्मिलित हैं।

इस प्रकार पश्चिम बंगाल सरकार को पूरी स्थिति की जानकारी है और वह सारे मामले का अध्ययन कर रही है और इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस पूरी इकाई का पुनरुद्धार किया जा सकता है या नहीं; अथवा यदि इसे बन्द किया जाता है, तो इसके क्या नतीजे होंगे और इससे श्रमिकों के होने वाले नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है।

श्री सन्तोष मोहन देव : कुछ राज्यों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, मजदूर यूनियनों का खास तौर से सी० पी० आई० (एम०) के नेतृत्व वाली यूनियनों का एक काम यह भी रहा है कि उद्योग को रुग्ण किया जाए और फिर भी यह मांग की जाए कि सरकार को इसका राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए ; इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानकारी प्राप्त कर सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल में उद्योगों का अधिग्रहण करने के बाद राज्य सरकार से और पश्चिम बंगाल की यूनियनों से कितना मिला है ? यदि कोई सहयोग नहीं मिला है तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री चरणजीत चानना : इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से यह पूछा गया है कि वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं।

श्री एम० एम० लारेन्स : क्या सरकार की नीति यह है कि सरकार के अधीन ये संस्थाएं, और कम्पनियां केवल लाभ में ही चलें; और यदि ऐसा सम्भव नहीं है, तो उन्हें बन्द कर दिया जाए ?

श्री चरणजीत चानना : यह सरकार की औद्योगिक नीति का एक हिस्सा है। सरकार का यही प्रयास रहता है और उसकी यह ड्यूटी भी है कि वह रुग्ण इकाइयों को लाभकारी इकाई बनाना सुनिश्चित करे। रुग्ण एककों को ठीक भी किया जाता है। लेकिन सरकार की नीति यह भी है कि वह रुग्ण इकाइयों के नाम से निष्प्राण इकाइयों को उसी स्थिति में न रहने दे और न ही उन्हें पुन;-र्जीवित करने का प्रयास करे क्योंकि उनको पुनः चालू किया जाना सम्भव नहीं होता चूंकि शव तो शव ही होता है।

झारखंड राज्य की मांग

357. **श्री ए० के० राय**
श्री आर० एन० राकेश } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 31 अक्तूबर, 1981 को रांची (बिहार) में झारखंड राज्य की मांग करते हुए किए गए प्रदर्शन की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत तथ्य क्या है;

(ग) क्या इस बारे में प्रधान मन्त्री और दक्षिण छोटानागरपुर के आयुक्त को एक ज्ञापन-प्रस्तुत किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इस ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या उन्हें झारखंड की मांग का रूप धारण करने वाली छोटानागपुर के लोगों को सामान्य रूप से और आदिवासियों की विशेष रूप से वास्तविक शिकायतों की जानकारी है; और

(च) यदि हां, तो उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) बताया जाता है कि झारखंड पार्टी (होरो ग्रुप) ने 31 अक्तूबर 1981 को रांची में एक जुलूस निकालकर और एक आम सभा आयोजित करके 'झारखण्ड मांग दिवस'—एक वार्षिक समारोह किया था। इस सभा में बिहार पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश और उड़ीसा के जनजातीय जिलों को मिलाकर एक अलग झारखंड राज्य बनाने के लिए पार्टी की मांग को दोहराया था।

(ग) बताया जाता है कि पांच सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल ने दक्षिणी छोटानागपुर डिवीजन के आयुक्त को, रांची में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जो प्रधान मन्त्री को सम्बोधित था और उसमें अलग झारखंड राज्य की मांग की गई थी। यह ज्ञापन प्रधान मन्त्री कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) किसी विशेष राज्य अथवा क्षेत्र में आर्थिक असंतुलन को निसन्देह नियोजन के माध्यम से दूर किया जा सकता है और एक अलग राज्य बनाना इस समस्या का कोई हल नहीं है। भारत सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकारें छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजाति के लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास करने के प्रयास कर रही है। जनजातीय उप योजना नीति जो लागू की गई है राज्य योजना, केन्द्रीय क्षेत्र योजना और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं से ऐसे निर्धारित क्षेत्रों को धन दिये जाने को सुनिश्चित करती है जहां अनुसूचित जनजातियां बहुसंख्या में हैं। ये क्षेत्र सामान्यतः जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं विकास योजनाएं जनजाति समुदायों को विशेष रूप से ध्यान रखकर और शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे संरचनात्मक विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास पर बल देकर बनाई जाती है।

श्री ए० के० राय : यह अच्छा है कि कम से कम झारखंड सभापटल पर तो विद्यमान है। इस मामले का सम्बन्ध बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश

के कुछ भागों से मिलकर बने मध्य भारत के आदिवासियों की आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है। मध्य भारत में आदिवासी सबसे अधिक संख्या में रहते हैं। आदिवासियों में अशांति के मामले संसद में प्रायः उठते रहते हैं और झारखण्ड राज्य की मांग खालिस्तान की मांग जैसी कोई नई मांग तो है नहीं। 'साइमन-कमीशन' के सामने आदिवासियों ने झारखंड राज्य की मांग रखी थी। वर्ष 1954 में भी उन्होंने इस मामले को उठाया था और आज भी वे इस मामले को उठा रहे हैं (**व्यवधान**) अधीर न होइये।

आदिवासी समस्या को हल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका विलय का पूंजीवादी तरीका है। दूसरा तरीका उन्हें अपने बारे में स्वयं निर्णय करने और अपनी बात स्वयं कहने का अधिकार देना है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं विस्तार नहीं चाहता; सरल और संक्षिप्त प्रश्न पूछिए।

श्री ए० के० राय : मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार इनमें से कौन सा तरीका अपनाना चाहती है। विलय का तरीका, जिसका मतलब आदिवासियों का सफाया हो जाना होगा, या अपने बारे में स्वयं निर्णय लेने का और उन्हें स्वायत्तता देने का तरीका, ताकि वे स्वयं को मुक्त कर सकें।

श्री योगेन्द्र मकवाना : इस मामले पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने निर्णय ले लिया था, और इस पर पुनः विचार करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री ए० के० राय : राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ नए आदिवासी राज्यों का गठन हुआ है। मैं यह जानना चाहूंगा कि यह भेद-भाव किसलिए है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के आदिवासियों के लिए कोई एक मानदण्ड और मध्य भारत के लोगों के लिए दूसरा मानदंड अपनाया जाता है। इसको दृष्टि में रखते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार खालिस्तान और असम जैसे मामलों पर सरकार अन्य सभी दलों के साथ विचार-विमर्श कर रही है, तो, इसी प्रकार क्या सरकार का विचार स्थिति पर काबू रखने और मध्य भारत के आदिवासियों के उफनते असन्तोष का हल ढूंढ़ने के लिए सदन के आदिवासी सांसदों से विचार-विमर्श करने का है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : आदिवासियों से उनके विकास के बारे में निश्चित रूप से विचार विमर्श किया जा रहा है। नए राज्य का गठन समस्या का हल नहीं है। इस समस्या का वास्तविक हल यह है कि आदिवासियों के विकास के लिए प्लान-योजनाओं हेतु और अधिक धनराशि का आबंटन किया जाए और उनके विकास सम्बन्धी पहलुओं के बारे में आदिवासी-सांसदों से विचार-विमर्श किया जाए।

माननीय सदस्य की जानकारी के लिए और पूरे सदन की जानकारी के लिए मैं यहां विशेष रूप से यह बताना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए पांचवी योजना में 917 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई थी और छठी योजना अवधि के दौरान इसी मद के लिए लगभग

4,500 करोड़ रुपये से लेकर 5,000 करोड़ रुपये तक की धनराशि के आबंटित किए जाने की आशा है ।

अब हमने यह धनराशि 900 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपये कर दी है । आदिवासियों के विकास के लिए हमने यह सही कदम उठाया है। अतः सरकार के विचार में एक अलग-राज्य बना देने से समस्या का समाधान नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : श्री राकेश ।

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं भी कुछ कहना चाहती हूं। माननीय सदस्य ने यह दर्शाया है कि बिहार में रहने वाले आदिवासियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है । ऐसा नहीं है। हम आदिवासियों का कल्याण करना चाहते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अलग राज्य बनाना एक बिल्कुल भिन्न समस्या है । वे राज्य इसलिए नहीं बनाये गए थे कि वहां आदिवासी लोग रहते हैं । कुछ अन्य समस्याएं भी थीं जिनका समाधान करना जरूरी था। यह संयोग की बात है कि वहां लोगों में अधिकतर आदिवासी हैं । दोनों बातों का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री राकेश ।

श्री आर० एन० राकेश : अध्यक्ष जी, आजादी के अब तक के इतिहास में हमने यह देखा है कि जमींदारों की जमींदारी गई, तो उनको बौंड दिए गए और राजा महाराजाओं के राज्य गए, तो उनको प्रिवी-पर्स दिए गए लेकिन इन आदिवासियों के जंगल ले लिए गए, तो उनको कुछ भी नहीं मिला । मैं पूछना चाहता हूं कि जनवरी 1980 से लेकर मार्च 1981 तक सरकार ने उन लोगों के लिए, जिन्होंने 31 अक्तूबर को झारखंड स्टेट की मांग करने के लिए सम्मेलन किया था, क्या किया है और उन ट्राइबल्स के बीच में कितना खर्च सरकार ने किया है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि औसतन प्रति व्यक्ति सरकार ने उनके विकास के लिए और उनके सामाजिक उत्थान के लिए कितना खर्च किया है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने पूरे प्लान का एमाउन्ट बताया है और उसका ब्रेकअप अभी मेरे पास नहीं है। सवाल झारखण्ड स्टेट के बारे में था और जो फीगर मेरे पास थी वह मैंने दे दी है ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष जी, अभी बताया गया कि छोटा नागपुर के ट्राइबल एरियाज के विकास पर प्लान में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान प्रश्न के (ङ) भाग की तरफ दिलाना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि क्या छोटा नागपुर के आदिवासियों की सही समस्याओं की जानकारी उनको है ? किस तरह से उनका शोषण होता है । बड़ी-बड़ी योजनाएं वहां चलती हैं और बिहार तो क्या सारे भारत की मिनरल वैल्थ वहां है और बहुत ज्यादा मिनरल वैल्थ वहां है । फिर भी वहां के आदिवासियों की जो हालत हो रही है, क्या उसकी जानकारी आपको है ? इतने बड़े खर्च का प्रावधान तो आपने किया लेकिन उससे उन आदि

वासियों को कितना लाभ मिलता है। वहां का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। वहां जो उन लोगों की जमीन ली जाती है और उस जमीन के बदले जो मुआवजा उनको मिलता है, वह मुआवजा पुरानी दर के आधार पर दिया जाता है। होना तो यह चाहिए था कि उनकी जमीनें लीजिएगा या उनके साधनों का उपयोग कीजिएगा, उनकी जगह पर उन्हें जीविका के आल्टरनेटिव साधन उपलब्ध कराएं। क्या आप ये उपलब्ध कराएंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : इस मामले में गवर्नमेंट की पालिसी बहुत क्लीयर है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हुए कहा था कि जहां-जहां ट्राइबल लोगों की जमीन किसी प्रोजेक्ट के लिए ली जाती है वहां-वहां के ट्राइबल लोगों को सही जगह देनी चाहिए और उन्हें अच्छी तरह से बसाया जाना चाहिए। इससे आगे जाकर भी उन्होंने कहा है कि जो इस प्रकार के प्रोजेक्ट बनते हैं उनमें ट्राइबल लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए।

जहां तक छोटा नागपुर की समस्याधों के बारे में पूछा गया कि उनकी मेन प्राब्लम क्या है, उनकी मुझे जानकारी है।

श्री शिवप्रसाद साहू : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे बीच में हमारी प्रधान मन्त्री जी और गृह राज्य मत्री श्री मकवाना साहब ने जवाब दिये कि दिन-प्रतिदिन हमारी लायक सरकार आदिवासियों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रही है और उनके विकास के लिए बराबर धन ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रही है इससे बड़ी खुशी हुई। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि जो रुपया आप वहां के विकास के लिए खर्च करने के लिए देते हैं, लेकिन वह रुपया वहां के अधिकारीगण सही ढंग से खर्च नहीं करते हैं उसक बारे में सरकार क्या उपाय करने जा रही है ?

दूसरी चीज मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके इतना रुपया खर्च करने के बावजूद रांची जिले के छोटानागपुर क्षेत्र के लोग वहां से भाग रहे हैं, अगर उनका विकास होता तो उनके वहां से भागने की नौबत नहीं आती, इसलिए क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि जो रुपया वहां के विकास के लिए खर्च किया जाए वह ठीक ढंग से खर्च हो ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह सवाल तो नहीं उठता है कि ट्राइबल लोगों के लिए जो अलोटमेंट होता है उसका सही ढंग से और सही जगह पर उपयोग नहीं किया जाता। यह इसलिए नहीं उठता कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इसके लिए एक मोनेटरिंग सेल बनाया है जो इस बात को देखता है और यहां से मोनेटरिंग करता है। हमने राज्य सरकारों को भी कहा है कि स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी मोनेटरिंग सेल बनाये जायें। इसके अलावा ट्राइबल एरियाज में आफिसर नियुक्त करने के लिए हमने परसोनल पोलसी भी तय की है।

जहां तक माइग्रेशन का सवाल है, हमें उसकी पूरी चिंता है। अभी-अभी हमने ट्राइबल माइग्रेशन पर सेमिनार किया था जिसमें सभी पार्टियों के, कम्युनिस्ट पार्टी के, वोलेन्ट्री एजेन्सीज के लोगों ने भाग लिया था। उसमें इस पर डिस्कशन हुआ था और डिस्कशन के बाद जो सजेशन

सामने आये वे हमने लेबर मिनिस्ट्री और अपने दूसरे सम्बन्धित डिपार्टमेंट्स को भेजे। हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी वे भेजे हैं।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह जो मामला झारखंड राज्य का है, वह इसलिये है कि आप बिहार, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों को देखिये कि वे कितने बड़े-बड़े राज्य है। इतने बड़े राज्य होने से झारखंड जैसी मांग हमेशा होती रहेगी और इतने बड़े बड़े राज्यों में आदिवासियों की उपेक्षा होती रहेगी । इसलिये हमारी मान्यता है कि छोटे छोटे राज्य होने चाहिए । क्या सरकार की बिहार उत्तरप्रदेश,मध्यप्रदेश जैसे बड़े-बड़े राज्यों को छोटे-छोटे राज्यों में बांटने की कोई योजना है ? अगर है तो क्या है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : हमने माननीय सदस्य के सुझाव को नोट कर लिया है (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : सुझाव क्या है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : राज्यों के पुनर्गठन का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे सामने नहीं है और न ही इस मामले पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री बी० एन० सिंह : क्या सरकार का ध्यान एक सप्ताह पहले 'दी स्टेस्टमैंन' के प्रथम पृष्ट पर प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सिंहभौम जिले में कोल्हन में लोग अलग राष्ट्र चाहते हैं और कुछ माननीय संसद सदस्य आदिवासियों को विद्रोह के लिए भड़का रहे हैं। इस अंदोलन को दबाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है। मुझे डर है कि कही छोटा नागपुर में असम जैसी समस्या न खड़ी हो जाए।

कुछ माननीय सदस्य : उन संसद सदस्यों के नाम क्या हैं ?

श्री बी० एन० सिंह : यदि आप चाहते हैं तो मैं नाम बता सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। (**व्यवधान**)

डां सुब्रह्मण्यम स्वामी : रिकार्ड में से असम का नाम निकाल दिया जाय क्योंकि वहां पृथकतावादी आंदोलन नहीं है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य ठीक कहते हैं। (**व्यवधान**)

धर्म और शांति संबंधी दूसरा एशियाई सम्मेलन

358. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नवम्बर, 1981 में दिल्ली में हुए धर्म और शांति संबंधी दूसरे एशियाई सम्मेलन में की गई चर्चा और उसके संकल्पों की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां, श्रीमान। सरकार को इस बात को जानकारी है कि दिल्ली में ऐसा सम्मेलन हुआ था।

(ख) चूंकि सम्मेलन सरकारी तौर पर प्रायोजित नहीं किया गया था, इसलिए उसमें की गई चर्चा और उसके संकल्पों के ब्यौरे सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो प्रस्ताव पास हुए, उनकी जानकारी नहीं है। न्यूज-आयटम्स की जानकारी है। क्या इस बारे में इंटेलीजेंस ने कोई रिपोर्ट दी है या नहीं ?

श्री योगेन्द्र मकवाणा : मैंने कहा है कि यह प्राइवेट कान्फ्रेंस थी और इंटेलीजेंस की रिपोर्ट वहां पर आती है जहां पर एंटी नेशनल बातें डिस्कस की जाती और जहां पर एक्शन लेना होता है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि इंटेलीजेंस ने कोई रिपोर्ट दी है या नहीं दी है और वे कौन-सी गाइड लाइंस हैं जिनमें इंटेलीजेंस रिपोर्ट देती है।

अध्यक्ष महोदय : बता दिया है।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : मैंने बताया है कि हर मामले में रिपोर्ट नहीं दी जाती है।

खनन क्षेत्रों में ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु विनियम

362. **श्री चिंतामणि जेना**
प्रो० अजीत कुमार मेहता } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिवासी और ठेका श्रमिकों को दुर्दशा के सम्बन्ध में भारी गुल-गपाड़े के बावजूद अधिकांश राज्यों ने केन्द्र सरकार (गृह मंत्रालय) के उन प्रारूप विनियमों को स्वीकार नहीं किया है जिनमें औद्योगिक और खनन क्षेत्रों में ठेकेदारों के पंजीकरण और श्रमिकों की स्थितियों में सुधार की व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) यह सच नहीं है कि राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में संविधान की पांचवीं अनुसूची के उपबंध के अधीन प्रख्यापित किए

जाने वाले औद्योगिक विनियम और सम्बद्ध कार्यकलापों के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित प्रारूप विनियम राज्यों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों ने सूचित किया है कि वे प्रारूप विनियम को जनजातीय सलाहकार परिषद् के समक्ष रख रहे हैं।

कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य अभी प्रारूप विनियम पर विचार कर रहे हैं।

कर्नाटक राज्य सरकार विनियम को अपनाना आवश्यक नहीं समझती है क्योंकि उनके यहां अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार का विचार है कि क्योंकि राज्य में विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में श्रमिकों के शोषण की कोई समस्या नहीं है इसलिए विनियम को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री चिंतामणि जेना : यह एक छोटा सा वक्तव्य है और इसे सदन में पढ़कर सुनाया जाना चाहिए। तथापि, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विनियम का मसौदा विभिन्न राज्य सरकारों को कब भेजा गया था। क्या वे इसे स्वीकार करने के लिए विचार कर रहे हैं ? क्या अपना निर्णय भेजने के लिए उन्हें कोई समय सीमा बताई गई है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे अपना निर्णय यथा-संभव शीघ्र भेजें। परन्तु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

श्री चिंतामणि जेना : गृह मंत्रालय द्वारा इस विनियम का मसौदा तैयार करने के पश्चात उन कितने ठेकेदारों को पंजीकृत किया गया है जो औद्योगिक तथा खान क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और निर्धन आदिवासी श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं ? कृपया राज्यवार आंकड़े बतायें।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह श्रम मंत्रालय से संबंधित है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : उत्तर को सुनकर एक शेर याद आता है :

बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल के
जो काटा तो कतराय खून निकला।

अध्यक्ष महोदय : चीरा।

प्रो० मधु दंडवते : सवाल पूछो शेर किसका है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : जवाब में कहा गया है कि यह सच नहीं है कि प्रारूप को राज्यों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन जवाब में यह नहीं बताया गया है कि किस-किस राज्य ने इसको स्वीकार किया है और किस-किस राज्य ने इसको अस्वीकार किया है। अभी तक

इस पर विचार ही हो रहा है। बहुत शोर हुआ था कि बंधुआ मजदूरों की प्रथा भारत में समाप्त होगी.....

श्री आर० एन० राकेश : ये सब बंधुआ मजदूर तो हैं आपके सामने बैठे हुए (**इन्टरप्शंज**)

प्रो० अजित कुमार मेहता : जिन राज्यों पर जनसंख्या का भार अधिक है वहां के मजदूर उन राज्यों में पलायन करते हैं जहां बड़ी-बड़ी परियोजनाएं चल रही होती हैं, जहां काम-धंधों के अवसर अधिक होते हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा आदि राज्यों में ये लोग जाते हैं। आपने अपने उत्तर में कहा है :

> "हिमाचल प्रदेश सरकार का विचार है कि क्योंकि राज्य में विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में श्रमिकों के शोषण की कोई समस्या नहीं है इसलिए विनियम को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

हिमाचल जैसे राज्यों ने जिन्होंने इसकी आवश्यकता नहीं समझी है और जहां पर बाहर से काफी बड़ी संख्या में मजदूर मजदूरी करने जाते हैं ताकि उनको कुछ मजदूरी मिल जाये और जिनका कभी कर्ज नहीं पटता है और जिनको जबर्दस्ती बांध कर रखा जाता है, उन्हें छुड़ा लाने का कोई उपाय किया जाएगा और इन राज्यों को क्या इस प्रकार के निर्देश दिए जाएंगे कि वे इसको स्वीकार करें।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह रेजोल्यूशन बेसिकली शैड्यूल्ड एरियाज के लिए है। जो शैड्यूल्ड एरियाज नहीं है वहां पर इस रेजोल्यूशन से कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि वे इसे एडाप्ट नहीं कर सकते हैं। यह जरूर हो सकता है कि जो वहां मजदूर आते हैं, उनकी मजदूरी आदि को रेग्युलेट करने के लिए कुछ नियम बनाए जायें और वह लेबर मिनिस्ट्री का काम है।

इस सम्बन्ध में मैं लेबर मिनिस्ट्री को लिखूंगा कि जो शैड्यूल्ड एरियाज नहीं हैं वहां भी इसको रेग्युलेट करने के लिए कुछ नियम बनाए जाएं।

प्रो० एन० जी० रंगा : आदिवासी क्षेत्रों में अधिकतर असन्तोष ठेकेदारों की उच्छृंखलता तथा मक्कारी के कारण व्याप्त हैं। बहुत लम्बे समय से इन ठेकेदारों की उच्छृंखलता को रोकने की मांग की जाती रही है और इतनी अवधि के बाद अन्ततः हमने एक मसौदा विनियमन का स्वरूप लिया है। इसलिए, क्या मैं सरकार से अनुरोध कर सकता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि हम विनियमन की स्वीकृति तथा क्रियान्विति पूरी तरह राज्यों की मनमर्जी पर ही न छोड़ दी जाए? स्वयं केन्द्र सरकार को ही पर्यवेक्षण तथा मानीटियरिंग के लिए कोई विशेष तन्त्र बनाकर कोई निश्चित क्या सक्रिय कदम उठाने चाहिए ताकि इन ठेकेदारों पर, इनकी गतिविधियों पर उसको नियंत्रण तथा नियमन प्रभावी किया जा सके और इन आदिवासी लोगों को उनकी मक्कारी से भली-प्रकार रक्षित किया जा सके।

श्री योगेन्द्र मकवाना : एक अंतर्राज्यीय श्रमिक अधिनियम है जो अप्रवासी श्रमिकों की

सेवा शर्तों को विनियमित करता है। परन्तु, जहां तक इस संकल्प का सम्बन्ध है, जैसाकि मैंने कहा, यह आदिवासी क्षेत्रों से सम्बन्धित है। अन्य राज्यों में, जहां अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, उनके बारे में मैं श्रम मंत्रालय को लिखूंगा ताकि वह उन राज्यों में जहां आदिवासी क्षेत्र नहीं हैं, सेवा श्रमिकों की सेवा शर्तों को विनियमित कर सकें।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय क्षेत्र में अधिकांश खानें, अर्थात् कोयले की तथा अन्य खानें और अनुसूचित जातियां एवं आदिवासी जातियां केन्द्रीय विषय हैं। प्रधानमंत्री यहां बैठी हैं। क्या मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या सरकारी क्षेत्र की खानों के बारे में सरकार उन कोयला क्षेत्रों में ठेका श्रम व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कोई व्यापक विधेयक ला रही है जहां आदिवासियों तथा अनुसूचित जातियों के श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : श्रीमन्, यह प्रश्न श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित है। मैंने माननीय सदस्य का सुझाव नोट कर लिया है और मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रधानमन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : महोदय, इस समय तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। कुछ ठेकेदारों द्वारा शोषण किया जा रहा है। परन्तु यह भी तो देखना है कि इसके लिए जो भी विधेयक लाया जाए वह ठीक से कार्य करे।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : श्रीमन्, हमें प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये ठेकेदार आदिवासी लोगों का शोषण कर रहे हैं। बहुत वर्षों से इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा इण्डियन नेशनल लेबर फेडरेशन सरकार से कहते आ रहे हैं कि कम से कम इन आदिवासी लोगों तथा ग्रामीण श्रमिकों का ठेकेदारों द्वारा शोषण तो रोका ही जाना चाहिए और हमें यह जानकर प्रसन्नता है कि राज्यों के मध्य श्रमिकों के विनियमन के लिए अंतर्राज्यीय अप्रवासी श्रम विनियम तैयार किए गए हैं। परन्तु हमारा अनुभव कहता है कि जहां तक कर्मचारी वर्ग का संबंध है, तथा जहां तक ग्रामीण श्रमिकों का संबंध है, राज्य सरकारों द्वारा ये विनियमन कार्यान्वित नहीं किए जा रहे हैं और इसीलिए गृह मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को मान लिया है तथा कहा है कि केन्द्र सरकार इस शोषण को समाप्त करने को आतुर है, परन्तु राज्य सरकारें इन विनियमनों को कार्यान्वित नहीं कर रही हैं। अतः गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री के कथन को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्या कदम उठाने जा रहे हैं जिससे कि आदिवासी लोगों का शोषण न हो सके?

श्री योगेन्द्र मकवाना : इसे रोकने के लिए एकतंत्र है और यह हमारा दायित्व है, तथा श्रम मंत्रालय भी इस पर निगाह रखे हुए है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 363—श्री समर मुखर्जी अनुपस्थित। प्रश्न संख्या 365—श्रीमती जयन्त पटनायक।

एक माननीय सदस्य : बांग्ला देश से आने वालों के बारे में प्रश्न संख्या 364 का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : वह 23 तारीख तक के लिए स्थगित हो गया है।

लघु उद्योगों को सहायता देने के लिए विशेष केन्द्र

365. **श्रीमती जयन्ती पटनायक**
श्री जय नारायण रोट } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने लघु उद्योगों को सहायता देने के लिए विशेष केन्द्र बनाने का निर्णय किया है जिससे वे अपनी प्रौद्योगिकी को अद्यतन कर सकें;

(ख) यदि हां, तो वे विभिन्न लघु उद्योग क्या हैं जिन्हें विशेष केन्द्रों से सहायता देने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी;

(ग) क्या ऐसे विशेष केन्द्र प्रत्येक राज्य में खोले जायेंगे और जिला स्तर पर इनकी शाखाएं होंगी; और

(घ) उपर्युक्त प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित हो जायेगा।

उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं। किन्तु कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के भाग (क) के बारे में मन्त्री महोदय ने कहा है कि छोटे पैमाने के उद्योगों को अपनी औद्योगिकी को अद्यतन करने के लिए सहायता देने हेतु, विशेष केन्द्र खोलने का ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं। क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकती हूं कि क्या सरकार ने उड़ीसा जैसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में लघु उद्योगों को अपनी प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने हेतु, कोई विशेष केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई अध्ययन दल गठित किया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : श्रीमन् लघु उद्योगों के विकास आयुक्त कार्यालय ने देश भर में विशेषत: प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने के संबंध में उद्योगों की रुग्णता के कारणों का पता लगाने हेतु पहले ही से एक सर्वेक्षण आरम्भ कर रखा है। उड़ीसा उसमें शामिल है। उसके पश्चात् ही हम प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने के लिए विशेष केन्द्रों की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : विशेष केन्द्रों से ऐसी सहायता प्राप्त करने सम्बन्धी नियम अथवा पात्रता मानदण्ड क्या हैं ।

श्री चरणजीत चानना : श्रीमन्, यह तो प्रस्तावों के प्राप्त होने पर, अध्ययन करने पर तथा प्रस्तावों पर अंतिम रूप में निर्णय होने पर निश्चित किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राज्यों में बाल-अपराधियों के लिए "बोर्स्टल" स्कूल

*351. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी**
श्री वृद्धिचन्द्र जैन } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गलियों में भीख मांगने के आरोप में पकड़े गए बाल-अपराधियों के मामलों की जांच होने में बहुत समय लग जाता है और वे जेलों में पड़े रहते हैं; और बहुत बार तो पेशेवर अपराधियों के साथ उतनी लम्बी अवधि तक रहते हैं जितनी अवधि का कारावास तो उन्हें अपराधी सिद्ध होने पर भी नहीं मिलता;

(ख) क्या इन बाल-अपराधियों को जेल भेज दिया जाता है और सुधार के लिए "बोस्टल" स्कूलों में नहीं भेजा जाता;

(ग) प्रत्येक राज्य में कितने बोस्टल स्कूल हैं;

(घ) क्या देश में बाल-अपराधियों की संख्या को देखते हुए इन स्कूलों की संख्या पर्याप्त है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इन स्कूलों की संख्या में काफी वृद्धि करने का है तथा यह सुनिश्चय करने का है कि बाल-अपराधियों को अधिकतया केवल सुधार स्कूलों में भेजा जाए और उन्हें जेलों में पेशेवर अपराधियों के साथ न रहने और काम न करने दिया जाए; और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) देश में 15 से 21 वर्ष (16 से 21 वर्ष के बीच जहां बाल अधिनियम लागू हैं) के बीच के आयु के बाल-अपराधियों को नजरबंदी, हिरासत और उपचार के लिए 10 बोर्स्टल स्कूल हैं। इनमें दो आन्ध्र प्रदेश में और एक-

एक बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब तथा तमिलनाडु में हैं। पुरुषों की अवस्था में 16 वर्ष और महिलाओं की अवस्था में 18 वर्ष तक की आयु के अपचारी बच्चों को उनके विरुद्ध जांच पड़ताल करने तक ओबजरवेशन होम्स में रखा जाता है और उसके पश्चात् विशेष स्कूलों में रखा जाता है न कि जेलों में जैसा कि बाल अधिनियमों में कहा गया है। उन अपराधियों के अतिरिक्त जिनको बोर्स्टल स्कूलों, आबजरवेशन होम्स अथवा विशेष स्कूलों में भेजना आवश्यक है, अन्य अपराधी जेलों में भेजे जाते हैं, जहां उन्हें वयस्कों से अलग रखना आवश्यक है। फिर भी, रसोई, स्नानगृह जैसी अलग जेल सेवाओं की कमी के कारण कुछ जेलों में बच्चों का वयस्कों के साथ मिलना जुलना हो सकता है।

2. "जेल" राज्य का विषय है इसलिए जेलों का प्रशासन और रख-रखाव राज्य-सरकारों का उत्तरदायित्व है। अपराधियों के सुधार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार राज्यों को सलाह और सहायता देती है। उन्होंने जेलों में बच्चों के लिए अलग से प्रभावशाली प्रबंध करने और बोर्स्टल स्कूलों को सुविधा बढ़ाने की सलाह उनको दी है ताकि ये अपराधी उस सुविधा के अभाव से जेलों में न भेजे जाएं।

3. विचारण में विलम्ब के सम्बन्ध में राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को दिए गए सुझावों में विचारणाधीनों के मामलों का पुनरीक्षण करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर पुनरीक्षण समिति स्थापित करना, गरीब और असहाय कैदियों को कानूनी सहायता देने के लिए अंशकालीन अथवा पूर्णकालीन कानूनी अधिकारी नियुक्त करना, केन्द्रीय सहायता से अतिरिक्त दीवानी और फौजदारी अदालतें स्थापित करना आदि शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल में बी० एच० ई० एल० की यूनिट

*353. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर पश्चिम बंगाल में बी० एच० ई० एल० की यूनिट स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) बी० एच० ई० एल० का चालू पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल में किसी एकक के स्थापित करने का कोई विचार नहीं हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केकड़ी जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करना

*354. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में केकड़ी जाति की अनुसूचित

जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजातियों की सूची में केकड़ी समुदाय को शामिल करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस समय केकड़ी जाति महाराष्ट्र राज्य के अकोला, अमरावती, बांदरा, बुलडाना, नागपुर, वर्धा और यावातमाल जिलों और राजूरा तहसील के अतिरिक्त चन्द्रपुर जिले में अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध हैं। क्षेत्र प्रतिबन्द को हटाने के लिए भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ताकि केकड़ी समुदाय के व्यक्ति समस्त महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में लाभ प्राप्त कर सकें।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की वर्तमान सूचियों में संसोधन करने के लिए संसद द्वारा विधायन की आवश्यकता है। उपर्युक्त अभ्यावेदन और सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित अन्य सिफारिशों, सुझावों और अभ्यावेदनों पर भारत के महापंजीकार और महाराष्ट्र सहित संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करके अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के प्रस्तावित विस्तृत संशोधन के सन्दर्भ में विधिवत् विचार किया जा रहा है।

राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट

*361. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने नवम्बर, 1981 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ, राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले ओवर ड्राफ्ट और राज्यों के वित्तीय संसाधनों की बिगड़ती स्थिति के प्रश्न पर कई बार विचार विमर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों के साथ ऐसा विचार विमर्श किया गया ;और

(ग) क्या इस चर्चा के परिणामस्वरूप ऐसा कोई तरीका निकाला जा सका जिससे राज्यों की संसाधन संबंधी स्थिति को खतरे में डाले बिना ओवर ड्राफ्ट कम हो जाएंगे ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। नवम्बर 1981 में केरल के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब और मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों तथा जम्मू और कश्मीर और नागालैंड के मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था; इन राज्यों के 1981-82 के वार्षिक योजना के लिए अपने संसाधनों में अन्तर रहा था। सम्बन्धित राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे चालू वर्ष में योजना व्यय को उपलब्ध संसाधनों के भीतर बनाए रखने के लिए प्रभावी उपाय करें जिससे कि उन्हें वर्ष के अन्त में रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष के लिए सहारा लेना न पड़े।

(ग) राज्यों द्वारा चालू वर्ष के बाकी भाग में किए जाने वाले सहमत उपायों के परिणामों को इस समय बताना कठिन है।

पश्चिम बंगाल के कुटीर और लघु उद्योग मंत्री का अभ्यावेदन

*363. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पश्चिमी बंगाल सरकार के कुटीर और लघु उद्योग मंत्री से दिनांक 31 अगस्त 1981 और 10 अगस्त, 1981 का कोई पत्र या अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इन पत्रों पर कोई कार्यवाही की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) सरकार को पश्चिम बंगाल के कुटीर तथा लघु कुटीर उद्योग मंत्री से टेलीप्रिन्टर संदेश 31 अगस्त, 1981 को तथा पत्र 10 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ।

(ख) से (घ) दोनों का सविवरण उत्तर भेज दिया गया है।

पहाड़ी आदिवासी क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाना

*366. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों को आर्थिक एवं औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र घोषित करने का है जिनमें आदिवासी रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या मेलघाट क्षेत्र में काफी अधिक आदिवासी जनसंख्या को देखते हुए सरकार का विचार महाराष्ट्र के अमरावती जिले को औद्योगिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने का है ;

(ग) क्या उक्त क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करते समय इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जायेगा कि वहां पर अभी तक किसी उद्योग की स्थापना नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (घ) पहाड़ी क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम पहले से मौजूद हैं। पिछड़े क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित

राष्ट्रीय समिति की औद्योगिक प्रकीर्णन सम्बन्धी रिपोर्ट पर सरकार के राय कायम कर लेने के बाद ही नए क्षेत्रों/जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र घोषित करने के मामले में विचार किया जा सकता है। इस रिपोर्ट पर इस समय सरकार विचार कर रही है।

प्रयुक्त ईंधन को रिप्रोसेस करना

*367. **श्री चिरंजी लाल शर्मा**
श्री कमल नाथ } : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूक्लीय पावर रिएक्टरों में प्रयुक्त ईंधन से पुनः उपयोग में लाने योग्य ईंधन निकालने हेतु "रिप्रोसेसिंग" संयंत्रों की एक श्रृंखला बनाने का प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है; और

(ख) उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) तारापुर तथा राजस्थान के विद्युत रिएक्टरों से प्राप्त भुक्तशेष ईंधन को पुनः संसाधित करने के लिए पहला वाणिज्यिक स्तर का संयंत्र तारापुर में स्थापित किया जा चुका है। मद्रास के निकट कलपाक्कम में एक और संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव है। अन्य संयंत्रों की स्थापना के बारे में विचार, यह ध्यान रखते हुए किया जायेगा कि प्रस्तावित तथा भविष्य में स्थापित किए जाने वाले परमाणु बिजलीघर कहां लगाए जाते हैं, उनके आकार क्या हैं तथा उनका निर्माण किस क्रम से किया जाता है।

सीमेंट का उत्पादन और सप्लाई

*368. **श्री स्कारिया थामस** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीमेंट के निर्माण की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ;

(ख) देश में सीमेंट का वास्तविक उत्पादन और मांग कितनी है ; और

(ग) पिछले वर्ष के दौरान केरल राज्य द्वारा कितनी मात्रा में सीमेंट की मांग की गई और उस राज्य को कितनी मात्रा में सीमेंट की सप्लाई की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) और (ख) आशा है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक सीमेंट उद्योग की कुल अधिष्ठापित क्षमता 457 लाख टन हो जाएगी जिस में 370 लाख टन से अधिक सीमेंट का उत्पादन हो सकेगा। सीमेंट उद्योग सम्बन्धी कार्य दल द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सीमेंट की मांग 380 लाख मी० टन होगी।

(ग) राज्य/संघशासित क्षेत्र अपनी मांग को नियमित आधार पर नहीं भेजते हैं। उन्हें पिछली खपत और सीमेंट की समग्र उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक तिमाही में सीमेंट का आवंटन

किया जाता है। वर्ष 1980 के दौरान केरल को 9,83,700 मी० टन सीमेंट का निर्धारण किया गया था जिसमें से 9,41,000 मी० टन सीमेंट का प्रेषण किया गया।

रुग्ण एककों को पुनः चलाने के लिए राज्य व्यापार निगम की योजना

*369. **श्री सुबोध सेन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात के लिए सप्लाई आधार को मजबूत तथा विस्तृत बनाने के लिये राज्य व्यापार निगम मूलतः निर्यात क्षमता वाले कुछ रुग्ण एककों के पुनरीक्षण की योजना बना रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उन रुग्ण एककों के नाम तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) और (ख) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड ने नेशनल टैनरी कम्पनी, कलकत्ता, जिसके पास निर्यात की जाने वाली बढ़िया किस्म की वस्तुओं का उत्पादन करने की आवश्यक क्षमता मौजूद है, के पुनर्स्थापन के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। निगम भैंस का मांस तैयार करने तथा इसका निर्यात करने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग के स्वामित्व वाले टूंडला स्थित मांस संयंत्र को पुनः कार्यशील बनाने-सम्बन्धी प्रस्तावों पर भी विचार कर रहा है।

कासरगोड में इस्पात संयंत्र की स्थापना

*370. **श्री एम० रामन्ना राय** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों में इस्पात की मांग पूरी करने के लिए वे कासरगोड में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे ; और

(ख) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कासरगोड में इस्पात्त संयंत्र स्थापित करने के लिए केरल में बिजली और कुद्रेमुख में लौह अयस्क काफी मात्रा में उपलब्ध है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना में कासरगोड में इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। योजना में नई परियोजनाओं को शामिल करने पर योजना आयोग में प्रशासनिक मंत्रालयों से प्राप्त अच्छी तरह से तैयार किए गए प्रस्तावों के आधार पर ही विचार किया जाता है। आयोग को कासरगोड में इस्पात संयंत्र के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

नेपाली भाषा-भाषियों की जनसंख्या

3955. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में नेपाली भाषा-भाषियों की जनसंख्या कितनी है ; और

(ख) क्या साहित्य अकादमी द्वारा नेपाली भाषा मान्यता प्राप्त है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1981 की जनगणना में एकत्र किए गए आंकड़ों को चरणों में सारणीबद्ध किया जा रहा है । यह सूचना इस सारणीकरण के पश्चात उपलब्ध होगी जिसमें कुछ समय लगेगा । फिर भी, 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में गोरखाली/नेपाली भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 1,119,835 थी ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत आयोग द्वारा नई तकनीकों का प्रदर्शन

3956. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत आयोग (सी० ए० एस० ई०) में विकसित की गई प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन और वाणिज्यिकीकरण पर विशेष बल दे रहा है जिससे 'रिन्यूऐबल' ऊर्जा का व्यापक उपयोग हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है ।

विवरण

1. सरकार द्वारा विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए नवीन और नवीकरणीय स्रोतों को काम में लाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है । सरकार का नव ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम के अन्तर्गत सौर ऊर्जा, जीव भार, पवन ऊर्जा आदि जैसे नव ऊर्जा स्रोतों के उपयोगीकरण से संबंधित अनुसंधान, डिजाइन, विकास और प्रदर्शन संबंधी गतिविधियां आती हैं । इस व्यापक आधार वाले एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत, अनुसंधान संस्थाओं, उद्योगों, उपभोक्ता और विस्तार अभिकरणों द्वारा भाग लिए जाने की अपेक्षा की जाती है । इस क्षेत्र में पहले ही काफी विशेष योग्यता का विकास किया जा चुका है और विभिन्न प्रणालियों, युक्तियों (तंत्रों) और उत्पादों का विकास किया गया है । सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग की धाराओं पर एक ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग की स्थापना की है ताकि इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सके और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में सु-समन्वित उपागम की व्यवस्था की जा सके ।

2. पिछले दो वर्षों के दौरान, सरकार ने इस कार्यक्रम में और अधिक उपक्रम किए हैं और विकास और क्षेत्रीय प्रतिष्ठापन की गति को उल्लेखनीय रूप से तीव्रता प्रदान की है ।

3. सौर तापीय प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में गतिविधियों के अन्तर्गत ऐसे अनुप्रयोग आते हैं यथा जल और स्थान तापन, प्रशीतन और वातानुकूल, फसल शुष्कन, विलवणीकरण, पम्पन, विकेन्द्रीकृत विद्युत उत्पादन आदि। प्रदर्शन जल तापन प्रणालियां, एक होटल, बेकरी, अस्पताल, कपड़ा मिल, डेयरी आदि में प्रतिष्ठापित की जा चुकी हैं और इस समय इन्हें विभिन्न स्थानों में, जिनमें एक आसवनशाला और एक इलेक्ट्रानिकी फैक्टरी भी शामिल है, में भी प्रतिष्ठापित किया जा रहा है। प्रदर्शन रोकड़ फसल शुष्कक विभिन्न स्थानों में प्रतिष्ठापित की जा चुकी हैं और इस समय तम्बाकू को सुखाने के लिए शुष्ककों की प्रतिष्ठापना का विस्तार किया जा रहा है। एक सौर तापीय ऊर्जा (एस० टी० ई० सी०) की स्थापना को हाथ में लिया जा रहा है ताकि बड़े पैमाने पर आदि प्रारूपों के विकास, जानकारी और उत्पादों के मूल्यांकन प्रदर्शन, वाणिज्यीकरण दो हाथ में लिया जा सके।

4. सौर प्रकाश वोल्टीय प्रोद्योगिकियों के क्षेत्र में, सरकार द्वारा सिलिकान सौर सैलों के उत्पादन के लिए आरम्भ किए गए कार्यक्रम को पूर्ण रूप से समर्थन प्रदान किया जा रहा है और उसका विस्तार किया जा रहा है। संविरचना के पैमाने को बढ़ाने और सौर सैलों की प्रक्रिया प्रोद्योगियों और कुशलताओं में सुधार लाने के लिए अधिक बल दे रहा है और साथ ही कम लागत की सौर ग्रेड सिलिकान सामग्री के विकास और स्वदेश में ही उत्पादन पर अधिक बल दे रहा है। एक पूर्व वाणिज्यिक प्रायोगिक संयंत्र (एन० ए० एस० पी० ई० डी०) परियोजना को आरम्भ किया गया है ताकि 1985 तक एक मैगावाट स्तर तक सिलिकान प्रकाश वोल्टीय सैलों के उत्पादन को बढ़ाया जा सके और उनका व्यापक पैमाने पर क्षेत्रीय स्तर का प्रदर्शन किया जा सके। सूक्ष्म सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति के लिए कई स्थानों पर प्रदर्शन प्रकाश बोल्टीय पम्पों की प्रतिष्ठापना की गई है। प्रकाश वोल्टीय मोड्यूलों के उपयोग का. सामुदायिक प्रकाश व्यवस्था से संबंधित परियोजनाओं में, गांवों में सामुदायिक रेडियो और दूरदर्शन में, जहाजरानी के लिए रेडियो बीकन यन्त्रों में और दूरस्थ क्षेत्रों, संचार उपकरण में प्रदर्शन किया जा रहा है।

5. जीव भार उत्पादन, रूपान्तरण और उपयोगीकरण के क्षेत्र में अधिक बल सामुदायिक आकार के जैव गैस संयंत्रों के प्रतिष्ठान और प्रदर्शन और निवेश के रूप में गोबर के अतिरिक्त जल कुमुदिनी, कचरा, वनस्पति अपशिष्टों और कृषि अवशेष जैसे अन्य प्रकार के ठोस अपशिष्टों/सामग्रियों के उपयोग पर बल दिया जा रहा है। देश में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन सामुदायिक संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है और वे खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए गैस के अतिरिक्त प्रेरक शक्ति और बिजली प्रदान करेंगे और साथ ही कार्बनिक खाद भी। देश में दो जैव भार अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। कुछ मध्यम और बड़े शहरों में भी बड़े सीवेज गैस संयंत्रों के निर्माण को हाथ में लिया गया है।

6. विभिन्न प्रकार की पवन चक्कियों के लिए एक व्यापक क्षेत्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम को आरम्भ किया गया हैं ताकि इनके बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाने के लिए अनुभव प्राप्त किया जा सके। देश में विभिन्न स्थानों पर पाल टाइप पवन चक्कियों और भोर भवन चक्कियों के आदि प्रारूपों की प्रतिष्ठापना की जा रही है। एक पवन ऊर्जा केन्द्र की स्थापना की जा रही है ताकि वे

पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए और इस क्षेत्र में कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र बिन्दुओं के रूप में कार्य कर सकें। एन० ए० एल० बंगलौर में एक और पवन ऊर्जा केन्द्र की स्थापना की जा रही है। एक ऊर्ध्वाधर अक्षीय पवन जनित्र का विकास किया जा चुका है जिसका मूल्यांकन एवं परीक्षण किया जा रहा है।

7. ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा भण्डारन के बारे में और भू तापीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, लघु जल प्रौद्योगिकियों आदि जैसी अन्य अनवीकरणीय ऊर्जाओं को इसमें शामिल करके इस कार्यक्रम का विस्तार भी किया जा रहा है। रुड़की विश्वविद्यालय में एक लघु जल प्रौद्योगिकीय केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

8. छठी पंचवर्षीय योजना में सरकार पहले से ही विकास की गई प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और वाणिज्यीकरण पर विशेष बल दे रही है। जिससे कि देश में नवीकरणीय ऊर्जाओं का व्यापकतर उपयोग किया जा सके। प्रस्ताव है कि योजना के दौरान देश के प्रत्येक जिले में एक ऐसे प्रायोगिक प्रदर्शन यूनिट की स्थापना की जाये जो कि नवीकरणीय ऊर्जा युक्तियों और प्रणालियों पर आधारित हो।

9. वित्तीय और संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहनों को आरम्भ किया जा रहा है ताकि नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण के तीव्र वाणिज्यीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। जिन प्रोत्साहनों की पहले से ही घोषणा की जा चुकी है उनमें व्यापार या व्यवसाय में नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण या विनिर्माण या उपयोग करने के लिए प्रतिष्ठापित मशीनरी या संयंत्र पर अधिक मूल्य ह्रास छूट, उत्पादन शुल्क से उन्मुक्ति, और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोक्ताओं को जैव गैस संयंत्रों, सौर कुकरों, जल पम्पन युक्तियों आदि पर रियायतें शामिल हैं। वित्तीय संस्थाओं ने संस्थागत उधार की उन्हीं शर्तों पर मानना स्वीकार कर लिया है जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिये दिए गए उधारों पर लागू होती है, जिससे कि विनिर्माताओं और उपयोक्ता दोनों के लिए उपयुक्त शर्तों पर ऋणों की व्यवस्था की जा सकेगी। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे विक्रीकर, चुंगी आदि जैसे उपकर में उन्मुक्ति प्रदान करें। अनेक राज्यों में पहले से ही इन छूटों की घोषणा की हुई है।

10. नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से सम्बद्ध सभी मामलों पर परामर्श देने के लिए एक सलाहाकार समिति मौजूद है और विशेषज्ञों, उपयोक्ताओं और उद्योगों के प्रतिनिधियों की अन्य समितियां और पैनल हैं जोकि विशिष्ट क्षेत्रों में सहायता करते हैं।

जेलों में बन्दी अवयस्क लड़के/लड़कियां

3957. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बन्दी अवयस्क लड़के और लड़कियों के बारे में गत तीन वर्षों के राज्यवार आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 नवम्बर, 1981 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में पृष्ठ 12 पर "चाइल्ड कविक्टस इन जेल्स वरी चीफ जस्टिस" (जेलों में बाल अपराधियों के मामले में मुख्य न्यायाधीश की चिन्ता) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अपेक्षित सूचना की प्रतीक्षा है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) भारत सरकार का यह दृष्टिकोण है कि बाल अपराधियों को जेलों में व्यस्कों के साथ रखना अवांछनीय है और प्रभावकारी पृथकीकरण की आवश्यकता है। तदनुसार राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है।

इटली की ओलीवेट्टी के सहयोग से इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर का उत्पादन

3958. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड के विचाराधीन इटली की ओलीवेट्टी के सहयोग से इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर के उत्पादन का प्रस्ताव है;

(ख) टेलीप्रिंटर परियोजना का पूंजीगत परिव्यय क्या होगा तथा पूरी धनराशि को किस प्रकार जुटाये जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार को अभी तक किसी देश से इसके संयंत्र के लिए इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी खरीदने हेतु कोई बोली मिली है; और

(घ) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा उनकी बोली का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क)जी नहीं।

(ख) इलेक्ट्रानिक दूरमुद्रक (टेलीप्रिंटर) परियोजना पर होने वाला पांच करोड़ रुपये का व्यय अंशत: विश्व बैंक के अनुदान से और शेष व्यय संचार मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) जिन कम्पनियों ने प्रस्ताव भेजे हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं :—

(i) पश्चिम जर्मनी की मेसर्स सीमेन्स कम्पनी

(ii) इटली की मेसर्स ओलीवेट्टी

(iii) फ्रांस की मेसर्स सागेम

(iv) संयुक्त राज्य अमरीका की मेसर्स एक्सटेल

(v) स्वीडन की मेसर्स फिलिप्स

इन प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

सौर उर्जा की लागत

3959. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रयोग से यह ज्ञात हुआ है कि सौर ऊर्जा परम्परागत ऊर्जा से अधिक महंगी है;

(ख) यदि हां, तो हमारे देश में इस समय सौर ऊर्जा का कितना उपयोग किया जा रहा है तथा क्या प्रयोगों से सन्तोषजनक स्थिति प्राप्त हो रही है; और

(ग) ऊर्जा सम्बन्धी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस स्रोत के उपयोग की सम्भावनाएं और क्षमताएं क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) आज अधिकांश सौर युक्तियों की प्रारंभिक लागत परंपरागतगत ईंधनों पर आधारित युक्तियों की लागत की अपेक्षा अधिक है। बहरहाल, सौर युक्तियों में परिचालन लागतें नगण्य हैं जबकि परम्परागत युक्तियों में ये पर्याप्त हैं। सामूहिक रूप से आर्थिक तुलना से पता चलता है कि कुछ सौर युक्तियां देश के विभिन्न क्षेत्रों में परम्परागत विकल्पों के साथ आर्थिक प्रतियोगिता की देहली पर हैं। इन्हें बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और क्षेत्रीय परीक्षणों के लिए हाथ में लिया जा रहा है। ऐसी युक्तियों में सौर जल तापक, सौर शुष्कक/काष्ठ शोषण संयंत्र, और आसवन भट्टियां, सौर शीत संग्रहागार सन्यन्त्र, सौर प्रकाश वोल्टीय पम्प आदि है। अब तक प्राप्त किए गए परिणाम संतोषजनक हैं। इन प्रदर्शन योजनाओं से पता चला है कि सौर युक्तियां, घरेलू, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में मौजूदा स्रोतों की प्रतिपूर्ति करने में सक्षम हैं। दो दर्जन से अधिक विनिर्माताओं ने सौर तापीय युक्तियों का विनिर्माण करना आरम्भ कर दिया है। यह आशा की जाती है कि प्रौद्योगिकी संशोधनों और उत्पादन की मात्रा में वृद्धि से लागतें कम हो जाएंगी और सौर ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों को अधिकाधिक प्रतिपूरित कर पाएगी।

बिहार काटन मिल्स, फुलवारी, शरीफ, बिहार में तालाबन्दी

3960 **श्री रामावतर शास्त्री** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में पटना के निकट फुलवारी शारीफ में बिहार काटन मिल्स लिमिटेड में 24 जुलाई, 1981 से तालाबन्दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस तालाबन्दी के परिणाम स्वरूप 6000 श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मिल को चालू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है और इसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

सरकारी और गैर सरकारी संयुक्त क्षेत्र में बड़े, मध्यम और छोटे उद्योगों की संख्या

3961. **श्री मुन्दर शर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में इस समय पंजीकृत बड़े, मध्यम और छोटे उद्योगों की राज्यवार संख्या कितनी है और उनमें से कितने-कितने उद्योग सरकारी, गैर-सरकारी और संयुक्त क्षेत्रों में हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : देश में आज तक स्थापित किए गए लघु, मझोले और बड़े उद्योगों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु, सांख्यिकीय संगठन द्वारा किए जाने वाले वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण की परिसीमा के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों के आंकड़े दिए होते हैं। यह एक प्रकाशित प्रलेख है।

केरल में सीमेंट के कोटे में कमी

3962. **श्री ई० के० इम्बीचीबावा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष 1981 के दौरान केरल राज्य के सीमेंट के कोटे में कमी कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) 1981 के दौरान केरल राज्य के सीमेंट के मूल आंबंटन में कमी नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

धूम्रहीन समाधान चूल के बारे में अभ्यावेदन

3963. **श्री चतुर्भुज**
श्री आर० के० महालगी } : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को श्री पी० वी० मोरे, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) की ओर से उसके धूम्रहीन समाधान चूल के आविष्कार (स्मोकलैस समाधान चूल) के बारे में दिनांक 6 जनवरी, 1981 और 21 अगस्त, 1981 के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके आविष्कार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) आविष्कार दावे के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और जैसे ही यह उपलब्ध होगी, इसे सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।

कुशल/अकुशल आदिवासी श्रमिकों की संख्या

3964. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने राज्यों से यह अनुरोध किया है कि वे अब तक अनुमानित विभिन्न श्रेणियों के कुशल और अकुशल आदिवासी श्रमिकों के बारे में आंकड़े प्रस्तुत करें;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तथा श्रेणीवार आदिवासी श्रमिकों की संख्या क्या है;

(ग) आदिवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए राज्यवार अब तक बनाए गए अधिनियम, विनियम तथा कानून क्या है तथा वहां आदिवासी श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए क्या केन्द्रीय कानून लागू है;

(घ) देश में इस समय विद्यमान राज्य तथा केन्द्रीय कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र तथा सम्बद्ध राज्यों में कौन-कौन-सी एजेंसियां हैं; और

(ङ) इस बारे में क्या सफलता मिली है तथा सरकार के विचाराधीन राज्य और केन्द्रीय कानूनों में क्या संशोधन करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

मारे गए पुलिस कर्मचारी

3965. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार कुल कितने पुलिस कर्मचारी मुठभेड़ में मारे गए और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

दहेज के कारण मृत्यु

3966. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981 के दौरान आज तक दहेज न देने के कारण कुल कितनी मौतें हुई; और

(ख) उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन अपराधों से सम्बन्धित कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं। दहेज के कारण मौतों की कुल संख्या के सम्बन्ध में अखिल भारतीय आधार पर आंकड़े संकलित नही किए जाते, क्योंकि यह राज्य का विषय है।

असम में पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

3967. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम के पर्वतीय जिलों में आधुनिक सड़क व्यवस्था न होने के कारण वहां आर्थिक प्रगति की गति धीमी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या असम के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार के विचाराधीन कोई योजना है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) असम के पहाड़ी जिलों अर्थात् कर्बी आंगलांग और उत्तरी कछार पहाड़ियों में मौजूदा सड़क व्यवस्था इन जिलों की अर्थ-व्यवस्था की तीव्र वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। इस बात को छठी पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया है और राज्य क्षेत्रक के अन्तर्गत परिव्यय आवंटित करते समय इस बात को प्राथमिकता दी गई है। इन दो जिलों के विकास के लिए छठी योजना में विशेष केन्द्रीय सहायता की भी व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भी पहाड़ी क्षेत्रों के इन दो जिलों में सड़कों के विकास के लिए प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा आर्थिक महत्त्व की सड़कों को उत्तर-पूर्वी परिषद् की योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

बिड़ला, थापर और सिंघानिया गृहों को लाइसेंस देना

3968. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिड़ला, थापर और सिंघानिया गृहों को उनकी वर्तमान यूनिटों के विस्तार तथा नई यूनिटें स्थापित करने के लिए चालू वर्ष में 1 अप्रैल, 1981 से 31 अक्तूबर, 1981 तक जारी किए गए आशयपत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों का ब्योरा क्या है;

(ख) उसमें कितना पूंजीगत परिव्यय होगा तथा इसके लिए यदि कोई विदेशी सहयोग और तकनीकी जानकारी आयातित की जायेगी तो वह क्या है; और

(ग) गैर-सरकारी टाइकूनों के हाथों में आर्थिक शक्ति और भी एकत्र करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) बिड़ला, थापर और सिंघानियां को 1 अप्रैल, 1981 से 31 अक्तूबर, 1981 तक एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार तथा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत उपक्रमों को निम्नलिखित आशयपत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे :—

प्रतिष्ठान का नाम	जारी किए गए आशय-पत्रों की संख्या	जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या
बिरला	6	7
थापर	3	3
जे० के० सिंघानियां	6	3

(ख) किसी भी औद्योगिक स्वीकृति के कार्यान्वित करने में सामान्यत: 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं। इसलिए उसमें लगने वाली वास्तविक पूंजी परियोजना के कार्यान्वित किए जाने के बाद ही पता लग सकेगी। इस बारे में विदेशी सहयोग तथा जानकारी की अनुमति प्रत्येक औद्योगिक परियोजना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विद्यमान राष्ट्रीय नीति के अनुसार ही दी जाती है।

(ग) एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार वाली कम्पनियों से प्राप्त आशय-पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंसों के सभी आवेदन-पत्रों पर विद्यमान औद्योगिक नीति के ढांचे के अन्तर्गत विचार किया जाता है। आशय-पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों के सभी आवेदन-पत्रों को जारी करने से पहले उन पर विशेष रूप से एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार की दृष्टि से स्वीकृति दी जाती है।

टायरों का मूल्य

3969. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी लाइट वाहनों (ट्रक) और कार के प्रत्येक टायर का मूल्य 1977-78, 1979-80 और 1980-81 में कितना-कितना था; और

(ख) प्रत्येक टायर के मामले में वृद्धि दर क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) और (ख) टायर और ट्यूबों के वर्ष 1977 से 1981 की अवधि के थोक-मूल्य सूचकांक पर आधारित एक विवरण लोकसभा में दिनांक 9-12-81 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 2891 के उत्तर में पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए छठी योजना में वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए अध्ययन दल

3970. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र की छठी योजना में वित्त व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उस दल के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) प्रस्तावित दल के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) योजना आयोग ने छठी पंचवर्षीय योजना में निजी निगमित क्षेत्रक की वित्त-व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल गठित किया है।

(ख) और (ग) इस अध्ययन दल के गठन और विचारार्थ विषयों की अधिसूचना की प्रति सभा पटल पर प्रस्तुत है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3121/81]

सीमेंट संयंत्रों की उत्पादन क्षमता

3971. **श्री मोहन लाल पटेल**
श्री डी० पी० जदेजा } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में चल रहे सीमेंट संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या है;

(ग) प्रत्येक सीमेंट संयंत्र का वास्तविक वार्षिक उत्पादन क्या है;

(घ) क्या निकट भविष्य में सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के विद्यमान सीमेंट संयंत्रों की लाइसेंस प्राप्त क्षमता तथा 1980 में प्राप्त उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण (विवरण-1) संलग्न है।

(घ) तथा (ङ) सरकारी क्षेत्र के सीमेंट संयंत्रों को दिए गए आशयपत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे को बताने वाला विवरण (विवरण-2) संलग्न है।

विवरण-1

सरकारी क्षेत्र के विद्यमान सीमेंट संयंत्र, उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता और 1980 में प्राप्त उत्पादन को बताने वाला विवरण।

संयंत्र का नाम	लाइसेंस प्राप्त क्षमता (लाख मी० टन)	(लाख टन) 1980 में उत्पादन
1	2	3
1. सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, बोकाजन, आसाम।	2.00	1.29
2. —वही—कुरकुन्ता, कर्नाटक।	2.00	2.10
3. —वही—मांढर, मध्य प्रदेश।	3.80	2.87
4. —वही—राजबन, हिमाचल प्रदेश।	2.00	1.14
5. —वही—अकलतरा, मध्य प्रदेश।	4.00	8.14
6. —वही—नीमच, मध्य प्रदेश।	4.00	8.22
7. हीरा सीमेंट, बारगढ़, उड़ीसा।	4.00	4.00
8. मामलूचेरा सीमेंट, मेघालय।	2.84	0.61

1	2	3
9. तमिलनाडु सीमेंट अंलगुलम, तमिलनाडु ।	4.00	3.09
10. तमिलनाडु सीमेंट, अरियालूर, तमिलनाडु ।	5.00	2.18
11. यू० पी० स्टेट सीमेंट कारपोरेशन, चुर्क, यू० पी०	4.75	2.67
12. —वही—डल्ला, यू० पी०	4.32	2.18
13. विश्वेशवरैया आयरन एण्ड स्टील, भद्रावती, कर्नाटक ।	1.00	0.75

विवरण-2

सरकारी क्षेत्र के सीमेंट संयंत्रों को दिए गए आशय पत्रों/औद्योगिक लाईसेंसों का ब्यौरा बताने वाला विवरण ।

क्रम सं०	पार्टी का नाम	स्थान	राज्य	वार्षिक क्षमता (लाख मी० टन में)
1	2	3	4	5
	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	आदिलाबाद	आन्ध्र प्रदेश	4.00 औ. ला.
2.	—वही—	तेन्दूर	—वही—	10.00 आ. प.
3.	—वही—	दिल्ली भटिंडा	दिल्ली पंजाब	5.00) आ. प. 5.00)
4.	—वही—	राजबन (प. वि.)	हिमाचल प्रदेश	2 00 आ. पा.
5.	—वही—	अकलतरा (प. वि.)	मध्य प्रदेश	5.00 आ. प.
6.	—वही—	येरगुन्तला (प. वि.)	आन्ध्र प्रदेश	11.20 आ. प.

1	2	3	4	5
7.	सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	कुरकुन्ता (प. वि.)	कर्नाटक	6.50 आ. प.
8.	मै० जे. एण्ड के. मिनरल्स लि०	बशोली	जे. एण्ड के.	2.00 आ. प.
9.	—वही—	खू	—वही—	2.00 आ. ला.
10.	यू. पी. स्टेट सीमेंट कार०	डल्ला	यू. पी.	8.00 औ. ला.*
11.	—वही—	चुनार	यू. पी.	8.40 औ. ला.
12.	—वही—	बारूबाला जिला देहरादून	यू. पी.	4.00 आ. प.
13.	—वही—	देहरानी	यू. पी.	0.66 आ. प.
14.	मेघालय इंडस्ट्रियल डेवलप कार०	गारोहिल्स	मेघालय	4.00 औ. ला.
15.	—वही—	लुमसौंग	—वही—	2.00 आ. प.
16.	केरल इंड. कार. लि०	पालघाट	केरल	4.20 औ. ला.
17.	दामोदर सीमेंट एण्ड स्लैग लि० कलकत्ता	मधुकुन्डा	प. बंगाल	2.60 औ. ला.**
18.	राजस्थान स्टेट इंड. एण्ड मिनरल डेवलपमेंट कार० लि०	कोटपुतली	राजस्थान	0.66 आ. प.
19.	—वही—	एलरोड अखरा	—वही—	0.66 आ. प.
20.	—वही—	बेलारी	—वही—	0.66 आ. प.
21.	—वही—	जैतारन	—वही—	0.66 आ. प.

1	2	3	4	5
22	राजस्थान स्टेट इंड एंड मिनरल डेवल्पमेंट कार० लि०	नीम का थाना	राजस्थान	0.66 आ. प.
23.	—वही—	गोतम	—वही —	0.66 आ. प.***
24.	इंड. डेवलपमेंट कार. आफ उड़ीसा लि०	बारगड़	उड़ीसा	1 30 आ. प. (प. वि.)
25.	—वही—	कुतरा कुइंगसेरा	—वही —	0.65 आ. प.
26.	कर्नाटक स्टेट आ. ई. डी. सी.	चित्रपुर	कर्नाटक	4.00 आ. प.
27.	हिन्दुस्तान स्टील लि०	चिलहटी	मध्य प्रदेश	21.40 आ. प.
28.	गुजरात आई डी.सी. लि०	वेरावल	गुजरात	10.00 आ. प.
29.	गढ़वाल मंडल विकास निगम	पुरकुलगांव जिला देहरादून	यू. पी.	0.60 आ, प.
30.	विश्वेश्वरैया आइरन एंड स्टील लि०	भद्रावती	कर्नाटक	3.80 आ.प. (एक्स)
31.	हरियाणा आ.ई.डी.सी	शेरला	हरियाणा	0.66 आ. प.
				योग : 124.93

* केवल क्लींकर, क्षमता को नहीं जोड़ा जायेगा।

** सुयुक्त क्षेत्र कंपनी।

*** सफेद सीमेंट।

औरंगाबाद छावनी बोर्ड तथा उस क्षेत्र के लोगों की मांग

3,72. **श्री आर० के० महालगी :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औरंगाबाद छावनी बोर्ड (महाराष्ट्र) तथा उस छावनी क्षेत्र की

जनता ने पानी की सप्लाई ट्रांसफार्मर (1000/440) नालियों की मरम्मत सड़कों, हरिजनों क्वार्टरों आदि के निर्माण के बारे में उनके मंत्रालय के विभिन्न स्तर के अधिकारियों से मांग की है;

(ख) यदि हां, तो ये मांगे कब से अनिर्णीत पड़ी हैं;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां। इस सम्बन्ध में औरंगाबाद छावनी बोर्ड से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं !

(ख) पानी सप्लाई योजना का प्रस्ताव मई, 1980 में ट्रांसफार्मर के लिए अप्रैल, 1980 में और नालियों की मरम्मत तथा उनमें सुधार, सड़कों तथा फर्नीचर और क्वार्टरों के निर्माण के बारे में प्रस्ताव फरवरी 1979 में प्राप्त हुए हैं।

(ग) तथा (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

औरंगाबाद छावनी बोर्ड को निम्नलिखित योजनाओं के लिए विशेष सहायता अनुदान दिए गए हैं।

क्रम संख्या	योजना का नाम	मंजूरी का वर्ष	रकम (लाख रुपयों में)
1.	पानी की सप्लाई में सुधार करना	सितम्बर 1970	8.41
2.	—यथोपरि—	मार्च 1979	2 00
3.	बोर्ड की अपनी पानी सप्लाई योजना	मार्च 1981	7.60
4.	—यथोपरि—	जून 1981	0·54
5.	नालियों में सुधार	अगस्त 1979	0.50
6.	सड़कों का निर्माण	जनवरी 1980	0.50
7.	हरिजन क्वार्टरों का निर्माण	अक्तूबर 1980	0.50

धन की कमी तथा अन्य छावनी बोर्डों की भी इसी तरह की मांग होने के कारण ट्रांसफार्मर स्थापित करना सम्भव नहीं हो सका है।

भारत का दौरा करने वाले विदेशी

3973. **श्री एन० ई० होरो :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में जुलाई, 1981 तक, देशवार, कितने विदेशियों ने भारत का दौरा किया और;

(ख) इसी अवधि में वर्ष-वार तथा देशवार, कितने विदेशियों को भारत छोड़कर जाने को कहा गया ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1979 के दौरान भारत में आये विदेशियों की संख्या 23 जुलाई, 1980 के अतरांकित प्रश्न सं० 5254 के उत्तर में दी गयी थी। वर्ष 1980 और 1981 (30-6-81 तक) की सूचना अनुलग्नक में दी गयी है। [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 3122/81]

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु के लिए सीमेंट के कोटे में वृद्धि

3974. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वित्त वर्षों के दौरान तमिलनाडु को कुल कितनी सीमेंट का कोटा आवंटित किया गया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : विगत तीन वित्तीय वर्षों में ततिलनाडु को किया गया सीमेंट का कुल आबंटन निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	आबंटित मात्रा (1000 मी० टनों में)
1978-79	1385.1
1979-80	156.12
1980-81	1586.3

कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में गिरावट

3975. **श्री के० मालन्ना :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में अलग-अलग, उत्पादन में कोई गिरावट आई है;

(ख) क्या बिजली, कोयला तथा रेल-परिवहन की कमी के कारण गत दो वर्षों के दौरान कुल राष्ट्रीय उत्पादन में गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी और इस गिरावट को रोकने तथा इन क्षेत्रों को कोयले तथा बिजली की पर्याप्त सप्लाई करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) चालू वर्ष में सम्भावित कृषि उत्पादन के बारे में इतनी जल्दी निश्चित अनुमान लगाना संभव नहीं है। अप्रैल-सितम्बर, 1981 की अवधि में औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन के स्तर की तुलना में 10.0 प्रतिशत की संवृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वर्ष 1979-80 में 4.5 प्रतिशत की कमी हुई, किन्तु ऐसा अनुमान है कि वर्ष 1980-81 में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विद्युत, कोयला और रेल परिवहन की बाध्यकारिताएं उन उपादानों में से हैं जिससे वर्ष 1979-80 में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कमी हुई। इनमें वर्ष 1980-81 में काफी सुधार हुआ।

सरकार द्वारा आधारित संरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करने के लिए जो महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं उनमें ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रक के लिए योजना परिव्ययों को पर्याप्त रूप से बढ़ाना, महत्वपूर्ण बाधाओं पर काबू पाने के लिए सकेन्द्रित प्रयत्न करना तथा इन क्षेत्रकों में उन्नत प्रचालनात्मक दक्षता और क्षमता का अधिक उपयोग करना शामिल है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की कियान्विति के लिए उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

3376. **श्री के० प्रधानी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों को, विशेषतया उड़ीसा को चालू वित वर्ष के दौरान, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए कोई विशेष तरह की केन्द्रीय सहायता देने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष तरह की केन्द्रीय सहायता के संबंध में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की क्रियान्विति पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस मामले में राज्य सरकार के विचारों का पता लगाया गया है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं का एक अभिन्न परन्तु अलग भाग है। इस कार्यक्रम के लिए रखे गए परिव्ययों की पूरी वित्त-व्यवस्था संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के भीतर की जाती है। इस प्रयोजन के लिए किसी विशेष केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

महिलाओं में उद्यमियता का विकास

3977. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं में उद्यमियता को विकसित तथा प्रोत्साहन करने तथा महिला-उद्यमियों को ऋण-प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कोई नीति तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) महिला उद्यमिता का विकास करने और उसे प्रोत्साहन देने सम्बन्धी किसी भी अलग नीति का विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि सरकार की नीति सदैव से ही महिला उद्यमियों सहित सभी तरह की उद्यमिता को प्रोत्साहित करने तथा उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने की रही है।

भारी वाहनों के निर्माण के लिए हंगरी द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकी की पेशकश

3980. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी देश में भारी वाहनों तथा एक्सलों के निर्माण के लिए हमारे देश को नवीनतम प्रौद्योगिकी की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) मै० किर्लोस्कर क्यूमिस लि० ने हंगरी के मै० राबा की तकनीकी सहायता से भारी गाड़ियों का निर्माण करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस दिए जाने के लिए एक आवेदन पत्र सरकार को प्रस्तुत किया है।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है।

हिमाचल प्रदेश में तीन वर्षों में औद्योगिक एककों की स्थापना

3979. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्त वर्ष में औद्योगिक-एककों की स्थापना के लिए कोई नए लाइसेंस दिए गए हैं;

(क) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) तब से अब तक स्थापित किए गए एककों/कारखानों के नाम क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) जी हां, ।

(ख) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1978 से 1981 (अक्तूबर तक) के बीच हिमाचल प्रदेश को जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा देने वाला विवरण ।

क्रम सं०	पार्टी का नाम व स्थान	निर्मित की जाने वाली वस्तु व क्षमता	टिप्पणी
1.	मै० हिमाचल वूल प्रोसेज लि०, शिमला (सोलन-हिमाचल प्रदेश)	ऊनी धागा =2800 ऊनी तकुए	—
2.	मै० गैम्रील इण्डिया लि०, बम्बई (परवानू, हिमाचल प्रदेश)	द्विधातु पत्तियां 800 मी० ट० द्विधातु बीयरिंग =60 लाख नग	कार्यान्वित
3.	मै० विटरोक एलेक्ट्रोनिक्स लि०, नई दिल्ली (सोलन-हिमाचल प्रदेश)	धातु फिल्म रोधक =200 लाख नग	कार्यान्वित
4.	मै० पुरोलेटर इण्डिया लि०, नई दिल्ली (सोलन-हिमाचल प्रदेश)	बैट्री सैपरेटर्स (कागज वाले) =100 लाख नग	
5.	युनाइटेड डायमंड्स लि० चंडीगढ़ (तहसील कसौली,	घड़ी के ज्यूल्स (जैसे तेल रिसेस ज्यूल्स, रिंग मूल्य,	

1	2	3	4
	जिला सोलन हिमाचल प्रदेश)	एण्ड स्टोन/बंधी ज्यूल्स बैलेंस स्टाफ ज्यूल्स और पैलेटल ज्यूल्स)	
6.	मैं० वर्धमान प्लाइबोर्ड इण्डस्ट्रीज लि०, बम्बई (पाओंटा साहेब, सिरमूर, हिमाचल प्रदेश)	फाइबर हार्ड बोर्ड =45000 मी० टन	
7.	दि एसोसिएटिड सीमेंट कं०लि०, बम्बई, (गोगल, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश)	पोर्टलेंड सीमेंट =4,00,000 मी० टन (चालू) =560,000 मी० टन (विस्तारोपरान्त)	
8.	मैं० पेपर मशीन वायर इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० कलकत्ता (सोलन-हिमाचल प्रदेश)	विशिष्ट कागज जैसे : 1 (कैपेसिटर/कंडेंसेर टीशू =1000 मी० टन आदि	

वर्ष 1980 से अब तक पकड़े गये विदेशी मत्स्य ट्रालर

3980. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मत्स्य ट्रालर भारत की समुद्री सीमा में कार्यरत हैं :

(ख) यदि हां, तो उसकी संख्या कितनी है और वर्ष 1980 के दौरान तथा इस वर्ष अक्तूबर तक ऐसे कितने ट्रालर पकड़े गये ; और

(ग) उनके विरुद्ध भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जनवरी 1980 से अक्तूबर 1981 तक हमारी समुद्री सीमाओं में थाईलैंड और ताइवान के मछली पकड़ने वाले कुल 10 ट्रालरों को पकड़ा गया है।

(ग) इनमें से तीन को जो 1980 में पकड़े गये थे, तत्कालीन कार्य प्रणाली के अनुसार कर्मी दल के सदस्यों को कड़ी चेतावनी देने से बाद छोड़ दिया गया था। शेष सात ट्रालरों के खिलाफ जो 1981 में पकड़े गए थे, कानून के अनुसार मुकद्दमा चलाया गया है। एक मामले में न्यायालय के आदेश के अनुसार ट्रालर को जब्त कर लिया गया है। शेष छः मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

मैसर्स टाटा कैमिक्स मीठापुर, गुजरात की ओर कर्मचारी राज्य बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

3981. **श्री निहाल सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स टाटा कैमिकल्स मीठापुर, गुजरात में मासिक तथा दैनिक मजूरी के आधार पर कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) इस कम्पनी की ओर गत तीन वर्षों के दौरान, कर्मचारी राज्य बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि की कितनी-कितनी राशि बकाया है तथा इसे वसूल करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस प्रतिष्ठान में 6718 कर्मचारी काम कर रहे हैं। मासिक और दैनिक मजदूरी पर नियोजित कर्मचारियों का रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है।

(ख) इस प्रतिष्ठान को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 (1) (क) के अधीन छूट प्राप्त है। इसने पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने न्यासी बोर्ड को 155.39 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित की है और कोई राशि बकाया नहीं है। कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में बीड़ी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी

3982. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, विदर्भ तथा बम्बई क्षेत्रों से आए बीड़ी-श्रमिकों के लिए विभिन्न न्यूनतम मजूरी दरें निश्चित की है ;

(ख) क्या उक्त नीति से श्रमिकों तथा उत्पादकों में असंतोष पैदा हुआ है ;

(ग) उत्पादकों द्वारा कारखानों को बन्द करने की घोषणा से कितने श्रमिकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा ; और

(घ) एक समान मजूरी नीति निर्धारित करने तथा कारखानों को बन्द होने से रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अगस्त, 1981 में अधिसूचित बीड़ी उद्योग में न्यूनतम मजदूरी दरों के शंशोधन के बारे में प्रस्तावों के प्रारूप में राज्य को चार जोनों में बांटा गया था । राज्य सलाहकार बोर्ड ने, जिसने इन प्रस्तावों पर विचार किया, केवल दो जोनों की सिफारिश की है। राज्य सरकार ने संशोधित न्यूनतम मजदूरी दरों को अभी अन्तिम रूप से अधिसूचित नहीं किया है।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश में स्वीपर-कप-मैसेंजरों को भविष्य निधि अंशदान लाभ न दिया जाना

3984. **श्री सुधीर गिरि** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण बैंक के मध्य प्रदेश एककों में स्वीपर-कम-मैसेंजरों को भविष्य निधि अंशदान के लाभ नहीं दिए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उक्त लाभ मध्य प्रदेश क्षेत्र में भी दिये जाने वाले हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

विकलांग व्यक्तियों की रियायतें

3985. : **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्पादों को अथवा दुकानदारों को ऐसे कोई निर्देश दिये हैं कि वे विकलांग व्यक्तियों को औजार खरीदने में कोई रियायतें दें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) और (ख) उद्योग मन्त्रालय ने इस प्रकार के कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

रुग्ण एकक तथा उनमें निर्देशित पूंजी

3986. **श्री आर० आर० भोले** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1981 को देश में रुग्ण एककों की राज्यवार संख्या कितनी थी;

(ख) इन एककों के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों ने कितनी राशि ऋण के रूप में रखी थी ;

(ग) उनकी इस औद्योगिक रुग्णता के क्या कारण रहे हैं और उनको स्वस्थ करने हेतु कितनी राशि की जरूरत है; और

(घ) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां ऐसी रुग्णता बहुत होती है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क), (ख) और (घ) रुग्ण एककों के बारे में आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई परिभाषा के अनुसार इकठ्ठे किये जाते हैं। 1 करोड़ रू० या अधिक के बैंक ऋण का लाभ उठाने वाले एककों के 31.3.1980 तक के अद्यतन राज्यवार आंकड़े उपलब्ध हैं। विभिन्न राज्यों में 31.3.1980 को ऐसे रुग्ण एककों की संख्या तथा उन पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बकाया अग्रिम राशि निम्नलिखित है :—

राज्य	एककों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रू०)
प० बंगाल	96	307.32
महाराष्ट्र	77	267.28
कर्नाटक	16	70.49
गुजरात	36	94.09
तामिलनाडु	32	164.74
आंध्र प्रदेश	15	36.27
बिहार	12	37.37
हरियाणा	6	9.72
राजस्थान	4	17.45
मध्य प्रदेश	16	25.05

1	2	3
उड़ीसा	3	18.20
उत्तर प्रदेश	49	116.02
केरल	12	33.88
आसाम	2	2.41
दिल्ली	2	10.64
पांडिचेरी	1	1.99
गोआ	3	6.03
योग :	382	1220.93

(ग) बैंकों के अनुभव के अनुसार, प्रबन्ध अकुशलता (कुप्रबन्ध, निधियों को परावर्तन आदि सहित) दोषपूर्ण प्रारम्भिक आयोजन, तकनीकी खामियां श्रमिक अशान्ति, बाजार की मन्दी बिजली की कटौती तथा कच्चे माल की कमी उद्योग में रूग्णता आ जाने के कुछ प्रमुख कारण हैं।

कीनिया में कार्यरत भारतीय

39.87 **श्रीमती संयोगिता राने** : क्या श्रम मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) कोनिया में तकनीशियनों, दस्तकारों तथा श्रमिकों के रूप में कितने भारतीय काम कर रहे हैं तथा क्या यह सच है कि वहां कार्यरत भारतीयों का शोषण किया जा रहा है और इन्हें रविवारों, सार्वजनिक छुट्टियों और यहां तक कि शनिवारों को दोपहर बाद भी बिना कोई मुआवजा दिये काम करने को बाध्य किया जाता है ;

(ख) कीनिया में भारतीय कर्मचारियों की मानवीय दशा एंवम् उनके शोषण के बारे में भारत सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ;

(ग) क्या कीनिया सरकार ने इस मामले में कोई सहयोग देने की घोषणा की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) : नैरोबी में भारतीय

मिशन में पंजीकरण के अनुसार कीनिया में काम कर रहे तकनीशियनों और दस्तकारों की संख्या क्रमशः 637 और 126 है। कीनिया में कोई मजदूर नियोजित नहीं हैं। भारतीय श्रमिकों के शोषणा और दुर्व्यवहार के कुछ मामले भारतीय मिशनों के ध्यान में आए हैं।

(ख) भारतीय श्रमिकों के शोषण तथा दुर्व्यवहार की शिकायतों की भारतीय मिशन द्वारा जांच की जाती है जो इन शिकायतों को शान्तिपूर्वक ढ़ग से दूर करने के लिए प्रयास करते हैं।

(ग) और (घ) इस संबंध में कीनिया प्राधिकारी सामान्यतः सहायक और सहयोगी रहे हैं। कीनिया के विनियमों में मध्यस्थता, पंच-फैसला और औद्योगिक न्यायालय में अपील करने की व्यवस्था है। कीनिया का श्रम मन्त्रालय और मैनेजमैंट स्टाफ एशोशियन तथा अन्य सदृश संगठन भी सौहार्दपूर्ण समझौता कराने में मदद करते हैं।

मैसर्स एम्पर एन्टर प्रइजिस बम्बई के निदेशक अधिकारी की गिरफ्तारी

3988. **श्री सुबोध सेन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स एम्पर एन्टर प्राइजिस वम्बई के किसी निदेशक/अधिकारी को भारतीय श्रमिकों के एक विदेशी नियोक्ता से भारतीय मुद्रा में 15,000 रुपये वसूल करने की बजाए विदेशी मुद्रा में 15,000 रुपये वसूल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; यदि नहीं तो क्या ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी

3989. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि श्रमिकों के लिए क्या न्यूनतम मजूरी निश्चित की गई है और समूचे देश में तथा बिहार राज्य में जिलावार उसकी क्रियान्विति सम्बन्धी स्थिति क्या है; और

(ख) काम के चयन की स्वतन्त्र तथा न्यूनतम मजदूरी की अदायगी को सुनिश्चित करने हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामदुलारी सिन्हा) : (क) उपलब्ध नवीनतम सूचना के

अनुसार कृषि में रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें, जो विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित की गई हैं, सम्बन्धी विवरण अनुबन्ध—1 में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3123/81]

कृषि में न्यूनतम मजदूरी दरों के कार्यान्वयन का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है, सर्वेक्षण के परिणाम प्राप्त होने हैं।

(ख) कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों के प्रभाव प्रवर्तन हेतु किए गए उपायों, जैसा कि सम्बन्धित सरकारों द्वारा सूचित किया गया है, सम्बन्धी विवरण अनुबन्ध—2 में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3123/81]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में परिवीक्षाधीन अवधि में कमी करना

3990. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय कार्यालय के कुछ सुपरिटेंडेटों को तदर्थ सेवा की अवधि को देखते हुए परिवीक्षा अवधि में छः मास से एक वर्ष तक की आदेशतः कमी का लाभ नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) दो अधीक्षकों के मामले में, वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार परिवीक्षावधि की गणना के लिए तदर्थ-सेवा के लाभ की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि विभागीय पदोन्नति समिति ने कर्मचारियों के सेवा-रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए उसकी सिफारिश नहीं की थी।

सरकारी कार्यालयों में गैर-कर्मचारियों को प्रवेश-पत्र

3991. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सरकारी कार्यालयों में जहां प्रवेश, प्रवेश-पत्र दिखाकर हो सकता है, गैर-कर्मचारी व्यक्तियों को स्थायी प्रवेश-पत्र जारी करने की कोई प्रणाली है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उन गैर-कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें वर्ष 1981 के दौरान स्थायी प्रवेश-पत्र जारी किए गए हैं;

(घ) इसके लिए कितने लोगों ने आवेदन किया था; और

(ङ) उन्हें प्रवेश-पत्र देने तथा अन्य को न देने के कारण क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) से (ङ) : प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में पन-बिजली परियोजनाओं को सीमेंट की सप्लाई

3992. **श्री ए० ए० रहीम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केरल में गत दो कार्य ऋतुओं के दौरान पन-बिजली परियोजनाओं को क्रियान्विति हेतु सीमेंट की सप्लाई दोष पूर्ण रही है जिसके कारण निर्माण की गति पर कुप्रभाव पड़ा है; और

(ख) क्या सरकार ने केरल की पन-बिजली परियोजनाओं को समय तथा लागत में वृद्धि को बचाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सीमेंट सप्लाई करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) देश में सीमेंट की आम कमी के बावजूद, बिजली और सिंचाई के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए सीमेंट का पूर्व-आरक्षण करने की प्रणाली चालू है । विद्युत परियोजनाओं की सीमेंट की आवश्यकता का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा आकलन किया जाता है और हर तिमाही में सिंचाई और बिजली क्षेत्र के लिए नियत की गई कुल मात्रा में से प्राधिकरण द्वारा सिफारिश की गई पूरी मात्रा का आबंटन कर दिया जाता है । इसके अलावा सीमेंट कारखानों को सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर सीमेंट की आपूर्ति करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं ।

रेफ्रीजरेटरों का भारी स्टाक

3993. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें विभिन्न निर्माताओं के पास उनकी फैक्टरी में तथा देश में वितरकों और व्यापारियों के यहां पड़े 80,000 देशी रेफ्रीजरेटरों के वर्तमान स्टाक की जानकारी है और पहले कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी;

(ख) क्या ये स्टाक काफी बड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो रेफ्रीजरेटर उद्योग को उसका रेफ्रीजरेटरों का वर्तमान स्टाक बिकवाने तथा इस उद्योग का राष्ट्रीय विकास के हित में अपेक्षित विकास स्तर तक विकास करने के लिए सरकार तत्काल सहायता देने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) और (ख) जी हां, रेफ्रीजरेटर उत्पादकों ने सूचना दी कि लगभग 60,000 से 6[illegible],000 रेफ्रीजरेटरों का भण्डार इकट्ठा हो गया है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में बताए गए भण्डार की अपेक्षा अधिक है।

(ग) संचित भण्डार को बेचने सम्बन्धी विपणन नीति का निर्धारण करना पूरी तरह उद्योग का काम है। उद्योग द्वारा अपने विकास के बारे में दिए गए सुझावों को सरकार सदैव प्राप्त करती है।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को सीमा सुरक्षा बल में प्रतिनियुक्तियों पर जाना

3994. **श्री विश्वनाथ शर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय पुलिस सेवा के कुल कितने अधिकारी सीमा सुरक्षा बल में प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(ख) सीमा सुरक्षा बल में डी० आई० जी० और कमाण्डेन्ट के कितने पद हैं और उनमें से कितने पदों पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी नियुक्त हैं और कितने पदों पर सीमा सुरक्षा बल संवर्ग के हैं;

(ग) क्या सीमा सुरक्षा बल में सेना/भारतीय पुलिस सेवा के प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों को हटाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 29 पद।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) सीमा सुरक्षा बल के कार्य के स्वरूप और उनकी ड्यूटियों को ध्यान में रखते हुए बल में वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति के लिए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और सेना के अधिकारियों का मिश्रण अनिवार्य समझा जाता है।

क्रम सं०	पदनाम	पदों की कुल सं०	पदों पर आसीन	
			भा० पु० से० के अधिकारी	सी० सु० बल के अधिकारी
1.	उप महानिरीक्षक	28	17	3
2.	कमाण्डेट	127	3	113

बदरपुर खान में एक श्रमिक की मृत्यु

3995. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 दिसम्बर, 1981 के इण्डियन एक्सप्रेस में "येट अनोदर डेथ इन माइन कोलटैस" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो निरन्तर उपेक्षा तथा दिए गए आश्वासनों को क्रियान्वित न किए जाने के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा की गई जांच के अनुसार, 29-11-1981 को दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम की मण्डी स्टोन क्वारी में पत्थर निकालते समय लगभग 2 मीटर लम्बी, 3.6 मीटर ऊंची तथा 0.5 मीटर मोटी दीवार गिर गई, जिससे एक श्रमिक की मृत्यु हो गई। खान अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अनुसार यह क्वारी खान नहीं है।

जहां तक दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम की खानों में खान अधिनियम, 1952 के सुरक्षा उपबंधों को लागू करने का सम्बन्ध है, खान सुरक्षा महानिदेशालय ने अधिनियम की धारा 22 के अधीन खान में कार्य को रोकने के लिए निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं। उन्होंने निगम की खानों में विभिन्न दुर्घटनाओं तथा निषेधाज्ञा आदेशों का उल्लंघन करके व्यक्तियों को नियोजित करने के लिए प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध न्यायालयों में मामले दायर किए हैं। इसके अतिरिक्त खान सुरक्षा महानिदेशालय ने समय-समय पर निगम को चेतावनी पत्र भी जारी किए हैं। यह मामला दिल्ली प्रशासन के ध्यान में भी लाया गया है।

सदर बाजार, दिल्ली छावनी में गलत पतों पर बिजली के कनेक्शन

3996. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि एम० ई० एस० द्वारा सदर बाजार, दिल्ली छावनी में समुचित जांच किए बिना गलत पतों पर बिजली के कनैक्शन दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली पुलिस को टेरीकाट वर्दियों की सप्लाई

3997. **श्री राम जेठमलानी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार महीनों के दौरान पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में से प्रत्येक में पुलिस को कितनी टेरीकाट की वर्दियां जारी की गई और दिल्ली पुलिस को कितनी वर्दियां दी गईं;

(ख) क्या दिल्ली पुलिस तथा अन्य राज्यों की पुलिस के बीच कोई भेद है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वर्दी दिए जाने की अवधिकाल को कब समान बनाया जाएगा;

(घ) गृह मन्त्रालय के दिनांक 25 मई, 1981 के दिल्ली प्रशासन के नाम पत्र के अन्तर्गत दिल्ली पुलिस को पिछली बार टेरीकाट की वर्दियां कब जारी की गयी थीं; और

(ङ) यदि वर्दियां जारी नहीं की गई हैं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

टाटा और अशोक लेलैण्ड का विदेशी सहयोग

3999. **श्री आर० मुथुकुमारन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाटा और अशोक लेलैण्ड ने भारी वाहनों के उत्पादन के लिए विदेशी सहयोग हेतु करार कब और किसके साथ किए हैं तथा उसका निवेश सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान कितना लाभ हुआ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले पांच वर्ष की अवधि के भीतर इसके प्रत्येक चैसिस के लागत मूल्य में लगभग एक लाख रु० की वृद्धि हुई है;

(घ) क्या चैसिस तथा उनके अन्य पुर्जों के मूल्यों में अंधाधुंध वृद्धि को रोकने के लिए सरकार का प्रस्ताव है; और

(ङ) टायरों तथा ऐसे अन्य उत्पादों के मूल्य पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) मै० टेल्को ने आरम्भ में संघीय जर्मन गणराज्य के मे० डेमलर बेंज से तकनीकी सहयोग प्राप्त किया था जिन्होंने टेल्को की

इक्विटी में 31 मार्च, 1981 तक 31,50,88,700 रु० की कुल चुकता पूंजी में लगभग 31.5% पूंजी निवेश भी किया है।

मे० अशोक लेलैंड ने इंगलैण्ड के अपने प्रमुखों से तकनीकी सहयोग प्राप्त किया था जिन्होंने कम्पनी की 16.51 करोड़ रु० की कुल चुकता पूंजी में लगभग 50.61% का पूंजी निवेश किया है।

(ख) कम्पनियों द्वारा बताए गए कर पूर्व कमाये हुए शुद्ध लाभ का विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण

टेल्को	(लाख रु० में)
1975-76	855
1976-77	1056
1977-78	1044
1978-79	1514
1979-80	1762
1980-81	2437
अशोक लेलैण्ड	
1975-76 (15 मास)	1396
1977	1237
1978	1528
1979	1334
1980	1265

(ग), (घ) तथा (ङ) निर्माताओं ने बताया है कि अन्तर्वस्तुओं के मूल्य तथा उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण समय-समय पर वाणिज्यिक गाड़ियों के मूल्यों में वृद्धि की गई है। सरकार ने मोटर गाड़ी क्षेत्र में निर्माताओं को मूल्य उचित स्तर पर रखने की जरूरत पर बल दिया है। औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो से वाणिज्यिक गाड़ियों सहित कुछ मोटर गाड़ी वस्तुओं के मूल्य ढांचे की जांच करने के लिए कहा गया है।

सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की पुनरीक्षा

4000. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की कभी पुनरीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसका मूल्यांकन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) यह समझा जाता है कि रक्षा मन्त्रालय आज कल सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के संवर्ग की पुनरीक्षा के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

बिहार में आई० ए० एस० अधिकारियों के आरोप

40001. **श्री ई० बालानन्दन**
श्री सूरज भान
श्री अटल बिहारी वाजपेयी
श्री आर० के० महालगी
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री
श्री चित्त बसु
} : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान बिहार में राजनीतिक हस्तक्षेप के बारे में आई० ए० एस० अधिकारियों के आरोपों की ओर दिलाया गया है : और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्यविभाग में राज्यमन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) तथा (ख) बिहार सरकार के कार्यों से संबंधित सेवारत किसी भी आई० ए० एस० अधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार का ध्यान राजनीतिक हस्तक्षेप के किसी विशिष्ट मामले की ओर नहीं दिलाया गया है।

पी० ओ० एल० प्रयोगशालाओं की स्थापना

4002. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैट्रोलियम, तेल तथा चिकनाई वाली मदों के लिए रखा उत्पादन विभाग के निरीक्षण निदेशालय (भण्डार) के अन्तर्गत नूनमती, बरौनी और बड़ौदा में पी० ओ० एल० प्रयोगशालाओं की स्थापना रक्षा आवश्यकताओं हेतु आवश्यक थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन प्रयोगशालाओं में बहुत ही कम कर्मचारी हैं और इनमें से किसी भी प्रयोगशाला में काफी लम्बे समय से कोई वैज्ञानिक अधिकारी नहीं है, यद्यपि सरकारी तौर पर मंजूरी दी गई है और विशेषकर बरौनी में केवल एक ही लिपिक प्रयोगशाला की देखभाल कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो प्रयोगशालाओं को समुचित ढंग से सुसज्जित करने में कितना समय लगेगा ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बड़ौदा और नूनमती स्थित प्रयोगशालाओं में पर्याप्त संख्या में वैज्ञानिक कर्मचारी हैं। काम के भार को देखते हुए जब भी इन प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक कर्मचारियों/अफसरों की जरूरत होती है, उनकी नियुक्ति कर दी जाती है।

सी० आई० डी० रिपोर्टों के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया जाना

4103. **श्री नीरेन घोष** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपराधिक जांच विभाग की रिपोर्टों के आधार पर आई० ए० एस० सहित अन्य पदों के उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग की नौकरियों के अयोग्य ठहराया जाता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन नियमों और विनियमों के अन्तर्गत किया जाता है;

(ग) क्या राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनहर्ता प्राप्त युवाओं को केन्द्रीय सिविल सेवाओं की नौकरियों में भेजा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) और (ख) सरकार किसी व्यक्ति को नियुक्त करने से पूर्व, जिला प्राधिकारियों के माध्यम से उक्त व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन कराती है और यदि आवश्यक होता है तो सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का मूल्यांकन किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से

कराती है। सरकार इस बात के लिए पूर्णतः सक्षम है कि वह लोगों को सरकार के अधीन किसी नौकरी का उत्तरदायित्व सौंपने से पूर्व उनकी योग्यता और उपयुक्तता के सम्बन्ध में निर्णय कर ले।

(ग) और (घ) चूंकि केन्द्रीय सिविल सेवाओं में नौकरी दिलाने से राज्य लोक सेवा आयोगों का सम्बन्ध नहीं है, इसलिए उनकी उपेक्षा करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

वैगनों के उत्पादन में वृद्धि

4004. **श्री भीखा भाई** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980-81 की तुलना में इस वर्ष रेलवे वैगनों के उत्पादन में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे वैगनों के इस 50 प्रतिशत वृद्धि के उत्पादन का भुगतान इनके निर्माताओं को समय पर किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो बढ़े हुए उत्पादन का लक्ष्य रखते हुए रेलवे बजट में प्रावधान न किए जाने के क्या कारण है;

(घ) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा खरीदे गये रेल वैगनों का भुगतान न किए जाने के कारण क्या इसके निर्माताओं को भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) क्या रेलवे वैगन निर्माता अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण तालाबन्दी करने तथा जबरन छुट्टी करने पर बाध्य हो जाएंगे और अपने कर्मचारियों को अदायगी नहीं करेंगे और क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां। यह 1980-81 की तदनुरूपी अवधि के उत्पादन की तुलना में 1-4-81 से 30-11-81 तक के उत्पादन पर आधारित है।

(ख) से (घ) वैगनों के बढ़े हुए उत्पादन को ध्यान में रखकर 1981-82 के रेलवे बजट में धन का प्रावधान किया गया है। भुगतान में देरी के कारण हाल ही में कुछ शिकायतें मिली थीं। इसका पता लगा लिया गया है और रेलवे द्वारा उचित सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रो० मिन्हास द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की आलोचना

4005. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, में अखिल भारतीय प्रशिक्षण सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर प्रो०

मिन्हास द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के विरुद्ध उठाये गए मुद्दों तथा आलोचना पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार किन-किन प्रस्तावों तथा उपायों पर विचार कर रही है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० वी० चव्हाण) : (क) और (ख) प्रो० मिन्हास ने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की कार्यप्रणाली तथा सरकार द्वारा निर्णय लेने के सम्पूर्ण रीति की कुछ आलोचना की थी। आलोचना के विषय सामान्य प्रकृति के थे और भविष्य में संगठन के कार्यचालन में ध्यान में रखे जाएंगे।

इन्दु फोटोग्राफिक सामग्री के आवंटन में भेदभाव

4006. **श्री आनन्द पाठक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्दु फोटोग्राफिक सामग्री के आवंटन के बारे में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स द्वारा ईस्ट इण्डिया फोटोग्राफिक ट्रेडर्स एसोसिएशन लि० के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एच० पी० एफ०) आल इण्डिया फैडरेशन आफ फोटोग्राफिक ट्रेडर्स एसोसिएशन, जो शीर्षस्थ निकाय है, से सम्बद्ध एसोसिएशन के माध्यम से व्यावसायिक फोटोग्राफरों को डीलरों के शुद्ध मूल्यों पर कुछ मात्रा में एमेच्युर रोल फिल्म और फोटोग्राफिक पेपर का संभरण करता है। चूंकि ईस्ट इण्डिया फोटाग्राफिक ट्रेडर्स एसोसिएशन लिमिटेड इस शीर्षस्थ निकाय से सम्बद्ध नहीं है अत: हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स द्वारा इस एसोसिएशन के साथ कोई भेदभाव किए जाने का प्रश्न ही नहीं है। अतएव भेदभाव दूर करने के लिए कोई कदम उठाने का प्रश्न ही नही उठता।

कामकाजी महिलाओं की संख्या में कमी

4007. **श्रीमती माधुरी सिंह**
श्रीमती संयोगिता राणे } : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगीकरण तथा शहरीकरण के बावजूद कामकाजी महिलाओं की संख्या में कमी होती जा रही है,

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में रोजगार में महिलाओं की संख्या में भी कमी हुई है, और

(ग) विभिन्न सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात क्या है, महिलाओं के रोजगार की प्रतिशतता बढ़ाने हेतु कौन-कौन से प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 1978 से 1980 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में पुरुष और महिला श्रमिकों का अनुपात क्रमशः 9.2 : 9 8, 89.9, 10.1 और 90.4 : 9.6 समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 लागू किया गया, जिसके अधीन विभिन्न क्षेत्रों में महिला रोजगार की वृद्धि के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति स्थापित की गई है। ऐसी सांविधिक समितियां 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं।

भारतीय शिक्षा सेवा का गठन

4008. **के० बी० चौधरी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा की भांति भारतीय शिक्षा सेवा का भी गठन करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय पूंजी राजसहायता योजना (सेंट्रल केपिटल्स सबसिडी स्कीम) के अन्तर्गत बांदा जिला

4009. **श्री रामनाथ दूबे** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के बांदा जिले को केन्द्रीय पूंजी राज सहायता योजना के अन्तर्गत लाने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो कब तक, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) पिछड़े क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति द्वारा औद्योगिक प्रकीर्णन से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार के विचार कर लेने के बाद ही औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों/क्षेत्रों की वर्तमान सूची के आशोधन के बारे में कोई राय कायम की जा सकती है।

नकली शराब के शिकार

4010. **श्री नरसिंह मकवाना**
श्री नवल किशोर शर्मा
श्री जर्नादन पुजारी } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान नकली शराब तथा लट्ठा (बांस की शराब) से मरने वाले तथा अंधे होने वाले लोगों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसे रोकने के लिए कोई कदम उठाने का है और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों को क्या अनुदेश दिए गए हैं और क्या वे इनका पालन कर रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) : शराब से सम्बन्धित अपराध भारतीय दंड संहिता, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के आबकारी और नशाबंदी कानूनों के अधीन नियमित किए जाते हैं। शराब से हुई मौतों के बारे में अखिल भारतीय आधार पर कोई आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं क्योंकि यह राज्य का विषय है। नशीली शराब का उत्पादन, निर्माण, इसको रखना, लाना, ले जाना, क्रय और विक्रय राज्य सरकारों और संघ-शासित क्षेत्र प्रशासनों के क्षेत्राधिकार में आता है। जहरीली शराब के उत्पादन, बिक्री आदि को रोकने के उपाय राज्य सरकारों और संघ-शासि क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कानून के अनुसार किए जाते हैं।

स्थायी अध्यापकों की सेवाओं को केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में स्थानांतरित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना

4011. **श्री भीखाभाई** ; क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने अपने कुछ स्थायी अध्यापकों के केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत रोजगार हेतु आवेदन पत्र प्रेषित करते समय केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत नये पद को सम्भालने से पूर्व राज्य सरकार की सेवा से त्याग पत्र देने जैसी शर्तें लगाया जाना, वेतन संरक्षण, पेंशन/ग्रेच्युटी तथा ऐसे अन्य लाभों के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारियों की सेवाओं के केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में स्थानान्तरण संबंधी नियमों का उल्लंघन नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) : भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होते।

इसलिए, राजस्थान सरकार अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों को शासित करने वाले किसी भी नियम को निर्धारित करने के लिए सक्षम है जिनमें केन्द्र सरकार के अधीन किसी पद के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के आवेदन-पत्रों को अग्रेषित करना भी शामिल है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जनसंख्या संबंधी अस्थायी और अन्तिम आंकड़ों के बीच अन्तर

4012. **श्री गदाधर साहा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के जनगणना निदेशकों ने भारत की जनगणना 1981 सीरिज-9 के पृष्ठ 25 पैरा 3 पर विचार प्रकट किए हैं कि जनसंख्या संबन्धी अस्थायी और अन्तिम आंकड़ों के बीच कोई भारी अन्तर नहीं होगा;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान। जनगणना कार्यों के केवल चार राज्य निदेशकों ने अपनी रिपोर्टों (पत्र-1, 1981-अस्थायी जनसंख्या योग) में कहा है कि अस्थायी तथा अन्तिम जनसंख्या आंकड़ों के बीच कोई भारी अन्तर नहीं होगा। या मामूली अथवा कुछ परिवर्तन होगा।

(ख) संबंधित राज्य हैं — हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान।

(ग) 1981 के पत्र-1 और अखिल भारतीय खंड में अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खंडों में उसके पत्र में दिए गए अस्थायी जनसंख्या योग बिलकुल अस्थायी समझे जाएं। जो आंकड़े प्रत्येक अनुसूची की विस्तृत संवीक्षा के बाद प्रकाशित किए जाते हैं, उन्हीं को सरकार द्वारा मान्यता दी जाती है।

मध्य प्रदेश में सीमेंट कारखानों की स्थापना

4013. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के पांच जनजातीय जिलों में चूना पत्थर के बड़े भण्डारों का पता चला है।

(ख) क्या वहां सीमेंट संयंत्र स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) मध्य प्रदेश में चूना पत्थरों के निक्षेपों से सम्बन्धित आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार का भूतत्व और खनन विभाग तथा भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण भूतत्वीय विदोहन के कार्य में लगे हुए हैं ताकि राज्य में सीमेंट बनाने योग्य चूना-पत्थर के निक्षेपों का पता लगाया जा सके। किन्तु इसका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

विवरण

	जिले का नाम	भंडार (दस लाख मी० टन)		
		मापित	सूचित	अनुसूचित
1.	बस्तर	114.0	24.0	1200.0
2.	धार	1.4	—	—
3.	जबलपुर	—	—	289.79
4.	सतना	76.0	41.4	39.0
5.	रीवा	—	37.1	—
6.	दमोह	64.31	—	375.0
7.	मंदसौर	192.75	—	23.76
8.	मुरैना	8.32	—	80.84
9.	बिलासपुर	237.0	—	—
10.	दुर्ग	18.25	—	2.10
11.	रायपुर	62.27	—	—
12.	रायगढ़	41.40	23.13	—
13.	होशंगाबाद	—	39.45	—

"एनकेशमेंट आफ लीव में बी अलाउड" शीर्षक समाचार

4014. **श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 नवम्बर, 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "एनकेशमेंट आफ लीव में बी अलाउड" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) छुट्टी के बदले नकद धनराशि देने के मामले को महंगाई भत्ते से जोड़ने और इस मामले पर अलग विचार न करने के क्या कारण हैं;

(ग) चर्चा के लिए काफी मुद्दे होने के बावजूद संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद की बैठक न बुलाने के क्या कारण हैं और यह कब बुलाई जा रही है; और

(घ) कर्मचारियों की स्थिति को सुधारने हेतु यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके हितों पर उचित रूप से विचार किया जाएगा, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ;

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) कर्मचारी पक्ष की अनेक मांगे संयुक्त परामर्श तंत्र (जे० सी० एम०) की राष्ट्रीय परिषद में विचारार्थ पड़ी हुई हैं। किन्तु, विभिन्न मांगों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, यद्यपि प्रत्येक मांग का सामान्य उद्देश्य कर्मचारियों के लिए अधिक लाभों की मांग करना है। यद्यपि उसी बैठक में कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करना संभव है फिर भी हर मांग पर सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से विचार करना और उस पर निर्णय लेना होता है ।

(ग) परिषद का कार्य संचालन न केवल परिषद की औपचारिक बैठक में ही बल्कि परिषद द्वारा गठित विभिन्न समितियों में भी किया जाता है। इन समितियों की बैठक समय-समय पर होती रही है। कर्मचारियों के साथ संयुक्त परामर्श करना एक निरन्तर प्रक्रिया है तथा परिषद में कर्मचारी पक्ष द्वारा रखी गई विभिन्न बड़ी मांगों पर भी सरकारी पक्ष तथा कर्मचारी पक्ष के बीच औपचारिक बातचीत होती रही है। परिषद की बैठक बुलाने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने की आशा है।

(घ) सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के हितों पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है तथा उनकी दशा में सुधार लाने के लिए समय-समय पर कदम उठाए जाते हैं।

राज्य की उद्योग यूनिटों को अपनी आवश्यक सामग्री केवल बिहार राज्य से ही खरीदने के निदेश

1015. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने राज्य की उद्योग यूनिटों को निदेश दिया है कि वे अपनी आवश्यकता का सामान केवल बिहार राज्य से ही खरीदें; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) बिहार के स्टोर खरीद

अधिमान नियम 1975 में प्रावधान है कि वस्तुओं की खरीद राज्य में स्थिति एककों से ही की जाए जब तक कि कीमत और गुणवत्ता के कारण राज्य से बाहर जाना आवश्यक न हो जाए।

(ख) यह कदम बिहार के उद्योगों के संवर्धन के लिए उठाया गया है जिसमें विशेष बल लघु उद्योगों पर है।

आंध्र प्रदेश को सीमेंट का अतिरिक्त कोटा

4016. **श्री पी० रामगोपाल नायडू** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस वर्ष सीमेंट का अतिरिक्त कोटा मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 198। में आन्ध्र प्रदेश के लिए 2,24,000 मी० टन अतिरिक्त सीमेंट का आबंटन किया गया है।

दूरदर्शन के पुर्जों तथा पिक्चर ट्यूब के मूल्यों में वृद्धि

4017. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष के शुरू में बजट में दी गई रियायतों के बावजूद दूरदर्शन के पुर्जों के निर्माताओं, जिसमें सरकारी क्षेत्र का उपक्रम भारत इलेक्ट्रानिक भी शामिल है, ने दूरदर्शन के पुर्जों तथा पिक्चर ट्यूब के मूल्यों में हाल ही में वृद्धि की है ;

(ख) क्या दूरदर्शन के पुर्जों में की गई इस वृद्धि के परिणामस्वरूप बाजार में दूरदर्शन के मूल्यों में भी वृद्धि की जाएगी ?

(ग) यदि हां, तो दूरदर्शन के पुर्जों तथा पिक्चर ट्यूबों के मूल्यों में वृद्धि के कारण तथा औचित्य क्या हैं तथा निर्माताओं द्वारा की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इलेक्ट्रानिक संघटकों के विनिर्माताओं से इस आशय के ब्यौरे प्राप्त किए जा रहे हैं कि मूल्य-वृद्धि के कारण क्या हैं और उनका औचित्य कहां तक है तथा उनके विवरण क्या हैं।

सिंगल लेंस रिफलेक्ट कैमरे का निर्माण

4018. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इन्स्ट्रूमेंट लिमिटेड ने 1979 तक बाजार में "सिंगल लेंस रिफ्लेक्ट कैमरे" उपलब्ध कराने की योजनाएं बनाई थीं ;

(ख) यदि नहीं, तो इस योजना में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि उक्त कैमरा बन गया है तो 1979, 1980 और 1981 (अक्तूबर के अन्त तक) में कितने कैमरे बनाए गए तथा उनका मूल्य क्या है और किस एजेंसी के माध्यम से इनका जनता में वितरण किया जाता है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरण जीतचानना) : (क) नेशनल 35 एम० एम० सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा बाजार में 1979 में ही आ गया था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) वर्ष 1979 में 100, 1980 में एक भी नहीं, तथा वर्ष 1981 में 194 सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरों का उत्पादन किया गया । कैमरे का कारखाना बाह्य मूल्य (केन्द्रीय उत्पादन कर, बिक्री कर आदि रहित) 3307 रु० है । उनका वितरण कंपनी द्वारा अपने क्षेत्रीय बिक्री कार्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है ।

ले० कर्नलों तथा मेजरों की सेवा निवृत्ति

4019. **श्री के० ए० राजन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1978 में कितने ले० कर्नल और मेजर सेवा निवृत्त हुए ;

(ख) क्या सभी सेवानिवृत्तियां सामान्य रूप से नियमानुसार हुई ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) फरवरी 1878 में थल सेना सेवा से लेफ्टि. कर्नल रैंक के 22 अफसर और मेजर रैंक के 8 अफसर सेवा निवृत्त हुए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। सभी सेवा निवृत्तियां सांविधिक प्रावधानों के अनुसार हुई हैं। 19 लेफ्टि. कर्नल तथा 5 मेजर सामान्य अधिवर्षता की आयु हो जाने पर सेवा निवृत्त हुए हैं। तीन लेफ्टि. कर्नल थल सेना अधिनियम की धारा 22 के अनुसार अपनी इच्छा से समय पूर्व सेवा निवृत्त हुए हैं। दो मेजरों को निर्धारित समय के भीतर अनिवार्य परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाने के कारण थलसेना नियम 13-ए के साथ पठित थलसेना अधिनियम 19 के अन्तर्गत अनिवार्यरूप से सेवा निवृत्त

किया गया । एक मेजर को अकुशल होने के कारण थलसेना नियम 15 के साथ पठित थलसेना अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया ।

बी० ई० एल० बंगलौर में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की कल्याण संस्था

4020. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड, बंगलौर में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की कितनी कल्याण संस्थाएं हैं और वे कब शुरू हुई थीं; और

(ख) क्या वे मान्यता प्राप्त हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर में केवल एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याणकारी संस्था है । यह संस्था 1972-73 में शुरू की गई थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर की यह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याणकारी संस्था, मजदूर संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है । इसलिए इसे औपचारिक मान्यता देने का प्रश्न नहीं उठता ।

जम्मू और कश्मीर में शरणार्थी परिवार

4021. **श्री सूरजभान**
श्री ए० के० शेजवलवर
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान से जम्मू और कश्मीर में आए शरणार्थी परिवारों की संख्या कितनी है और वे कितने समय से वहीं रह रहे हैं ;

(ख) क्या उन्हें वहां मत देने, कार्य करने और सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकार है, और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि 1973-74 में जम्मू और कश्मीर सरकार ने इन शरणार्थियों को सम्पत्ति का अधिकार देने के लिए एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया था ; और

(घ) इन शरणार्थियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) ऐसे शरणार्थी परिवारों के सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार भारतीय नागरिक होने के कारण इन व्यक्तियों को संसदीय चुनावों में मत देने और केन्द्रीय सरकार के अधीन रोजगार प्राप्त करने के अधिकार हैं। परन्तु चूंकि वे जम्मू और कश्मीर राज्य संविधान में यथा परिभाषित राज्य के "स्थाई निवासी" नहीं हैं इसलिए वे विधाधानसभा चुनावों में मतदान करने, रजय सरकार के अधीन रोजगार प्राप्त करने और राज्य में अचल सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। यह प्रतिबंध उन सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है जो जम्मू और कश्मीर के "स्थाई निवासी" नहीं हैं।

(ग) वांछित सूचना राज्य सरकार से मालूम की जा रही है।

(घ) इन व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान खोजने के प्रयत्न राज्य सरकार से परामर्श करके किए जा रहे हैं।

सशस्त्र सेनाओं के लिए 'ए' टाईप कम्बलों की सप्लाई

4022. **श्री आर० आर० भोले** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए 'ए' टाइप कम्बलों की सप्लाई उसी आधार पर निर्धारित की है जिस आधार पर टाइप 40-एस की सप्लाई की जाती है ;

(ख) क्या सरकार को शोडी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन की ओर से यह शिकायत मिली है कि 'ए' टाईप कम्बलों के निर्माणकताओं ने इन कम्बलों में 32 एस और 36 एस किस्म के बीच की काफी घटिया किस्म की ऊन सप्लाई की है ;

(ग) क्या सरकार यह जानने के लिए कि क्या इन कम्बलों में वास्तव में 40 एस किस्म की ऊन इस्तेमाल हुई है, विभिन्न कैन्टिनों और डिपुओं में पड़े कम्बलों के भंडार की प्रयोगशालाओं में जांच कराएगी ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। शोडी मैनूफैक्चरर्स एसोसिएशन ने एक शिकायत भेजी थी जिसमें यह आरोप था कि टाइप 'ए' (शुद्ध ऊन) के कम्बलों में घटिया किस्म की ऊन थी, अर्थात 32 एस से 36 एस की ऊन थी।

(ग) और (घ) शिकायत मिलने पर स्वीकृत टाइप 'ए' के कम्बलों के नमूने डिपुओं से मंगाए गए और रक्षा प्रयोगशालाओं में उनका परीक्षण किया गया परन्तु ये कम्बल टाइप 'ए' के कम्बलों के निर्धारित मान के अनुरूप पाये गये।

भर्ती एजेंटों द्वारा विदेशों में श्रमिकों को उचित मेहनताने की अदायगी न करना

4023. **श्री लक्ष्मण मलिक**
श्री के० लकप्पा } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भर्ती प्राधिकारियों द्वारा बाहर के कुछ देशों में प्रवासी श्रमिकों के कुछ वर्गों को उचित मेहनताने की अदायगी न करने के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशों में भेजे जाने वाले श्रमिकों की भर्ती सम्बन्धी सभी मामलों को निपटाने के लिए एक ओवरसीज मैनपावर कारपोरेशन गठित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव को चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले लागू किए जाने की संभावना है ; और

(घ) इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) विदेशी नियोजकों के विरुद्ध भारतीय प्रवासी श्रमिकों को उचित मजदूरी-दरों की अदायगी न करने के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(ख) इस समय नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की क्षमता का उपयोग

4024. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रमों का अप्रैल, अक्तूबर, 1981 की अवधि के दौरान क्षमता उपयोग कितना है ;

(ख) इनमें से कितने उपक्रमों के द्वारा वर्ष 1981-82 में अपनी निर्धारित पूरी क्षमता का उपयोग किए जाने की संभावना है ; और

(ग) कुछ उपक्रमों द्वारा क्षमता का कम उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं और सरकार ने उनकी क्षमता उपयोग में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के 35 उपक्रम हैं जिसमें 30 उत्पादन करने वाले एकक हैं, 4 संवर्धनात्मक एकक हैं तथा 1 निर्माणाधीन है। उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के 30 एककों का अप्रैल से

अक्तूबर, 1981 के दौरान क्षमता का उपयोग दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ख) उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के 15 उपक्रम हैं जिनसे उपलब्ध क्षमता का पूरा उपयोग करने की आशा की जाती है।

(ग) कुछ एककों द्वारा क्षमता का कम उपयोग किए जाने के कारण कच्चे माल विशेषतः इस्पात कार्यकारी पूंजी की कमी का होना, कड़ी प्रतिस्पर्धा का होना, उत्पादन में असंतुलन होना, पुरानी तथा अप्रचलित मशीनों का होना तथा ब्याज का भारी बोझ होना है।

एककों के कार्य संचालन में सुधार करने के लिए जिन उपायों पर विचार किया जा रहा है उनमें अच्छी प्रबन्ध व्यवस्था तथा उत्पादन योजना, संयंत्रों तथा मशीनों का आधुनिकीकरण करना, डीजल से चलने वाले सैटों का लगाना, ऋणों को इक्विटी में बदलने सहित पूंजी की पुनः संरचना करना, कच्चे माल जैसे इस्पात के आवंटन में वृद्धि करना, गहन मानिटरिंग तथा समन्वयन रखना तथा उत्पादिता को माल डिब्बों के साथ सम्बद्ध रखना आदि उपाय शामिल हैं।

विवरण

औद्योगिक विकास विभाग

क्रम सं०	उपक्रम का नाम	अप्रैल-अक्टूबर, 1981 तक क्षमता के उपयोग का प्रतिशत
1.	एन्ड्रयू व्यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड	88.64
2.	भारत औषधालिमक ग्लास लिमिटेड	50.39
3.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड	88.87
4.	साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड	115.96
5.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	85.44
6.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड	89.38
7.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यू० कम्पनी लि०	102.08
8.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	111.23
9.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	100.64
10.	नेपा मिल्स	104.32

1	2	3
11.	टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड	75.77
12.	नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	84.61 *
13.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	127.55 **

* वास्तविक उत्पादन के रूप में ।

** अक्टूबर, 1980 से सितम्बर, 1981 तक क्योंकि हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड का लेखा वर्ष 1 अक्टूबर से 30 सितम्बर तक होता है ।

भारी उद्योग विभाग

क्रम सं०	उपक्रम का नाम	* अप्रैल-अक्टूबर, 1981 तक क्षमता के उपयोग का प्रतिशत
1.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	87
2.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड	107
3.	हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड	77
4.	बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड	112
5.	जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड	97
6.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०	84
7.	भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड	107
8.	ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड	63
9.	रिचार्डसन एण्ड कुडास लिमिटेड	83
10.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	57

* क्षमता का उपयोग 1981-82 में लगाये गए उत्पादन लक्ष्य के सन्दर्भ में है। उत्पाद में गुणन होने से उत्पादन की प्रत्येक वस्तु की संस्थापित क्षमता का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

1	2	3
11.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	62
12.	स्कूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड	74
13.	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड	94
14.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लिमिटेड	96
15.	भारत वैगन एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड	95
16.	लगन जूट कम्पनी लिमिटेड	111
17.	भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनीकल इन्जीनियरिंग लिमिटेड कलकत्ता।	उ० न०

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत माइक्रोब

4025. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने इस संबंध में कोई अनुसंधान किया है कि माइक्रोब बिजली का वैकल्पिक स्रोत हो सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) माइक्रोब को ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत बनाने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी एन० सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) सरकार ने पहले से ही ऐसे सूक्ष्मजीवी पादप सामग्रियों को उत्पन्न करने के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया है जिन्हें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के रूप में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कार्यक्रमों का प्रायोजन इंडियन इन्टीट्यूट आफ़ टैक्नालोजी दिल्ली, महाराष्ट्र एसोसिएशन फार दि, कल्टीवेशन आफ साइंस, पुणे ; भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, नेशनल एन्वायरन्मेन्टल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, नागपुर आदि में किया गया है।

कम्पनियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान जमा न करना

4026. **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत अधिक कम्पनियां श्रमिकों और कर्मचारियों के अंशदान को भविष्य निधि में जमा करने में असफल रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) और (ख) 31.3.1981 को एक लाख तथा उससे अधिक रुपये की भविष्य निधि देय राशियों का भुगतान न करने वाले (जिसमें भविष्य निधि अंशदान, प्रशासनिक प्रभार और दांडिक हर्जाने आदि शामिल हैं) छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण अनुबंध में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 3124/81]

(ग) वसूली प्रमाणपत्रों को जारी करने के अतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अधीन अभियोजन चलाने और भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन शिकायतें दायर करने, अधिनियम में संशोधन करने के कतिपय प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है, ताकि इसे अधिक कारगर बनाया जा सके।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समिति की सिफारिश

4027. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह**
श्री माधव राव सिंधिया } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारित करने के तरीके पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने 1980 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की सीरीज निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट की प्रतियां संदर्भ के लिए संसद की लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं।

(ग) समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

23 11.1981 : को नई दिल्ली में श्रमिकों की रैली

4028. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूल्यों के वृद्धि तथा ट्रेड यूनियन के अधिकारों पर चोट करने के विरोध में ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय आंदोलन समिति के तत्वाधान में देश के चारों कोनों से आए हुए लाखों श्रमिकों ने 23.11.1981 को काफी बड़ा प्रदर्शन किया ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस प्रकार आयोजित रैली में कोई प्रस्ताव पारित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) : इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मती राम दुलारी सिन्हा) (क) : जी, हां। आठ ट्रेड यूनियनों ने 23 नवम्बर, 1981 को दिल्ली में श्रमिकों की रैली का आयोजन किया।

(ख) : जी, हां। सरकार का ध्यान सामूहिक रैली में पास किए गए प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है।

(ग) : प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती मूल्यों पर अनिवार्य वस्तुओं की बिक्री, कृषि उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य, कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम निर्वाह मजदूरी तथा जाब सुरक्षा की गारंटी सम्बन्धी विधान, औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी तथा अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1981 को रद्द करने की मांग की गई थी।

(घ) : सरकार मूल्य स्थिति पर विशेष रूप से अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों के सम्बन्ध में कड़ी और लगातार नज़र रख रही है। इसने मूल्यों को कम करने के लिए मुद्रा स्फीति विरोधी अनेक ठोस उपाय किए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अर्थव्यवस्था का स्थायी रूप बनाया गया है और इसे सरल तथा सुदृढ़ बनाया जा रहा है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे जमाखोरों, चोरबाजारियों तथा अन्य समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए वर्तमान कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करें। इन उपायों और अन्य उपायों के फलस्वरूप मूल्य स्थिति में प्रर्याप्त सुधार हुआ है। सितम्बर, 1978, सितम्बर, 1979 और सितम्बर, 1980 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि क्रमशः 35.7 प्रतिशत, 25.6 प्रतिशत और 13.4 प्रतिशत थी।

सरकार की यह स्वीकृत नीति है कि किसानों को कृषि उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त हो, जिनमें न केवल उत्पादन की लागत शामिल हो, बल्कि उत्पादन को बढ़ाने के समुचित प्रोत्साहन भी हो। 1981-82 की खरीफ फसलों के लिए पिछले वर्ष की इन फसलों की तुलना में वसूली /न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है।

श्रम मन्त्रालय में, कृषि श्रमिकों सम्बन्धी केन्द्रीय विधान बनाने का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी की आदयगी और

उनके रोजगार की सुरक्षा की परिकल्पना की गई है । ग्रामीण श्रमिकों द्वारा सहकारी समितियां, मजदूर संघ या अन्य प्रकार के संगठन बनाने की योजना तैयार की गई है। इस प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति स्थापित की गई है कि क्या सभी रोजगारों के लिए "सामान्य न्यूनतम मजदूरी" की व्यवस्था करने हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में समुचित संशोधन किया जाना चाहिए।

अनिवार्य सेवा सुरक्षा अधिनियम एक समर्थकारी उपाय है। हड़तालों तालाबन्दियों और जबरन छुट्टियों को रोकने सम्बन्धी अधिनियम के उपबंधों का सहारा केवल उग्र परिस्थितियों और लोक हित में किया जाता है। यह अधिनियम सामूहिक सौदाकारी, समझौता, वार्ता या न्यायनिर्णयन के मामले में श्रमिकों के उन कानूनी अधिकारों को समाप्त नहीं करता, जो उन्हें वर्तमान श्रम कानूनों के अधीन पहले से उपलब्ध हैं।

तमिलनाडु में दो और परमाणु बिजलीघर स्थापित करना

4029. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलपाक्कम तमिलनाडु में मद्रास परमाणु बिजली योजना और रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र की तीसरी तथा चौथी यूनिटें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो दो और यूनिटें स्थापित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार तमिलनाडु में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखकर वहां दो और परमाणु बिजली परियोजना यूनिटें स्थापित करने पर विचार करेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

(ख) देश में नए परमाणु बिजलीघर लगाने के लिए उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी विद्युत क्षेत्रों में स्थलों का चुनाव करने हेतु सरकार ने एक समिति नियुक्त की है। इस प्रश्न पर समिति की रिपोर्ट पेश हो जाने के बाद विचार किया जायेगा।

पालेकर पंचाट

4030. **श्री जगपाल सिंह**
श्री वापू साहेब परुलेकर
श्री जनार्दन पुजारी
प्रो० रूप चन्द पाल } : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की कितनी समाचार एजेन्सियों तथा दैनिक पत्रों ने पालेकर पंचाट लागू कर दिया है;

(ख) इनमें से उन समाचार एजेंसियों तथा दैनिक पत्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने पालेकर समिति द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमानों के अनुसार वेतन की बकाया धनराशि की अदायगी कर दी है; और

(ग) उन नियोक्ताओं के नाम क्या हैं जिन्होंने कर्मचारियों को देय बकाया राशि की अदायगी के अनुसार उसके वेतन को अदायगी किए बिना अपने कर्मचारियों को रसीद पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया है।

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, 15 दैनिक पत्रों और दो समाचार एजेंसियों ने पालेकर अधिकरण की सिफारिशों के बारे में सरकार के आदेशों को लागू किया है जिसमें से दो ने कातिब जैसे कर्मचारियों के कुछ वर्गों के बारे में आदेशों को लागू नहीं किया है।

(ख) 12 दैनिक पत्रों ने पालेकर अधिकरण द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमानों के अनुसार बकायाराशि का भुगतान कर दिया है। एक प्रतिष्ठान ने बकाया राशि का 50 प्रतिशत भुगतान कर दिया है।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें उन समाचार पत्र प्रतिष्ठानों/समाचार एजेंसियों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों को देय बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है।

विवरण

समाचार पत्र प्रतिष्ठानों/समाचार एजेंसियों के नाम दर्शाने वाला विवरण जिन्होंने अपने कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है।

क्रमांक	समाचार पत्र प्रतिष्ठान/ समाचार एजेन्सी का नाम	टिप्पणी
1	2	3
1.	यूनाइटिड न्यूज आफ इण्डिया	31-11-1981 तक भुगतान करने का वायदा किया।
2.	दैनिक प्रताप	—यथोक्त—
3.	वीर अर्जुन	—यथोक्त—
4.	प्रैस ट्रस्ट आफ इण्डिया	—यथोक्त—

1	2	3
5.	दैनिक दावत	8.10.1981 तक 50 प्रतिशत बकाया राशि देने और 30-11-1981 तक बाकी 50 प्रतिशत का भुगतान करने का वायदा किया।
6.	मेन स्ट्रीम	1-10-1981 तक भुगतान करने का वायदा किया।
7.	समाचार भारती	31-1-1982 तक भुगतान करने का वायदा किया।
8.	हिंदुस्तान समाचार कोआपरेटिव सोसाइटी लिमि०	1-10-1981 पंचाट को लागू करने का निर्णय किया लेकिन प्रबन्ध तन्त्र ने स्टाफ से अनुरोध किया है कि वे मजदूरी और महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई राशि और बकाया राशि को तब तक जमा रखें जब तक सोसाइटी की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं हो जाता।
9.	सूर्य इण्डिया	अधिकरण द्वारा सिफारिश की गई मजदूरी और महंगाई भत्ते से अधिक मजदूरी और मंहगाई भत्ते का भुगतान कर रहे हैं।
10.	शमा ग्रुप मैगजीन	करार के अनुसार मजदूरी दी जा रही है। इस मामले पर दिल्ली प्रशासन विचार कर रहा है।
11.	बेनिट कोल्मैन एण्ड कंपनी लि०	मामला विचाराधीन है। सूचित किया गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बढ़ी हुई राशि का 50 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है।
12.	दिल्ली प्रैस पत्र प्रकाशन (प्रा०) लिमि०	प्रबन्धतन्त्र का यह दावा है कि यह आदेश उनके प्रतिष्ठान को लागू नहीं होता है। इस मामले पर दिल्ली प्रशासन विचार कर रहा है।
13.	चित्रा साप्ताहिक	सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

केन्द्रीय कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति में सामान उपलब्ध न होना

4031. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड से यह आशा की जाती है कि इसकी शाखाओं के स्टोरों और गोदामों में एक के लिए पर्याप्त स्टाक रखा जाए परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है जिससे उपभोक्ताओं को परिहार्य असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और व्यापारियों को शोषण करने का अवसर मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस सकारात्मक और प्रभावशाली कदम उठाए जा रहे हैं कि ब्रांच स्टोरों में सभी चीजें सदैव उपलब्ध रहेंगी और चीजों को खरीद न कर पाने या गोदामों के एस० एस० के समिति के या अन्य अधिकारियों के छुट्टी पर चले जाने के कारण सप्लाई में बाधा नहीं पड़ेगी।

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान। समिति को लम्बी सूची वाली वस्तुओं (और जिससे उन पर ब्याज का भारी बोझ होता है) और तुरन्त बिकने वाली वस्तुओं के बीच संतुलन रखना पड़ता है। इसलिए कुछ वस्तुएं केवल 15 दिन अथवा लगभग इतनी ही अवधि के लिए भण्डारण की जाती हैं और जैसे ही माल समाप्त होता है तो उनकी प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। लगभग 80 से 90 प्रतिशत सामान को इसकी प्राप्ति की तारीख से एक सप्ताह के भीतर खुदरा दुकानों को भेज दिया जाता है। बाकी सामान को गोदामों में रखा जाता है ताकि ब्रांचों की मांग होने पर उन्हें बाद में दिया जा सके। यह प्रणाली उन समितियों के लिए और भी अधिक आवश्यक है जहां पूंजी अपर्याप्त हो। समिति में लगभग 700 प्रकार की वस्तुएं बेची जाती हैं और गैर उपलब्धता; परिवहन की रुकावट आदि के कारण एक-दो प्रकार का स्टाक समाप्त हो जाना अपरिहार्य है। फिर भी, उपभोक्ताओं को अत्यधिक कठिनाई अथवा असुविधा की कोई रिपोर्ट प्रबन्धकर्ताओं की जानकारी में नहीं आई है।

(ख) ब्रांचों में सभी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समिति द्वारा पर्याप्त क्रियात्मक कदम उठाए गए हैं और ड्यूटी से किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति का इन प्रक्रियाओं पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लाइसेंस देने की आसान प्रक्रिया

4032. श्री रणजीत सिंह
श्री रामस्वरूप राम } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया को आसान बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले एककों सहित सभी एककों के लिए स्वीकृति देने सम्बन्धी लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाया गया है। किन्तु, पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के प्रस्तावों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

वाणिज्यिक तथा शांतिपूर्ण उपयोग के लिए परमाणु ऊर्जा

4033. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्यिक तथा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग की दिशा में क्या प्रगति हुई, और

(ख) अमरीका द्वारा परमाणु ऊर्जा के सम्बन्ध में असहयोग के बाद हमारे देश की स्थिति क्या होगी ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) वाणिज्यिक स्तर पर तथा शान्तिमय प्रयोजनों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली पैदा करने के अलावा फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टरों, कृषि, आयुर्विज्ञान तथा उद्योगों में करने की दिशा में काफी प्रगति की गई है। प्रगति के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं।

I. विद्युत

परमाणु ऊर्जा को बिजली पैदा करने के काम में लाया गया है। परमाणु बिजली घरों की वर्तमान स्थापित क्षमता 860 मेगावाट है।

II. कृषि

(i) विभिन्न प्रकार की रेशे वाली फसलों, अनाजों, दालों आदि के नए उत्परिवर्ती तैयार करना।

(ii) विकिरण की विधियों से कुछ जातियों के नाशक जीवों का बंध्यीकरण।

III. आयुर्विज्ञान

(i) निदान और चिकित्सा की ऐसी विशेष विधियां, जिनमें रेडियो आइसोटोप काम में आते हैं।

(ii) डाक्टरी कामकाज में काम आने वाले सामान को विकिरण की सहायता से रोगाणु-रहित बनाना।

IV. उद्योग

(i) उद्योगों में रेडियो आइसोटोपों का उपयोग।

(ii) निरीक्षण की विधियां तथा विकिरण पर आधारित अन्य प्रक्रियाएं।

(ख) तारापुर परमाणु बिजली घर के ईंधन के सम्बन्ध में 1963 में हुए सहकार करार पर अमरीका के साथ हाल ही में हुई वार्ता के परिणाम चाहे जो भी रहें, भारत सरकार तारापुर परमाणु बिजलीघर को चालू रखने की स्थिति में है।

दिल्ली में बटालियनों, ग्रुप सैन्टरों तथा केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल में कांसटेबलों की भर्ती

4034. **श्री जैनुल बशर :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1 जुलाई 1981 से 30 सितम्बर 1981 तक की अवधि में विभिन्न बटालियनों, ग्रुप सैन्टरों तथा केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल में प्रतिदिन कितने नए कांस्टेबलों की अलग-अलग भर्ती की गई,

(ख) क्या इन भर्तियों के लिए समाचार पत्रों तथा रोजगार समाचार में विज्ञापन दिये गए थे,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं,

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ङ) इन भर्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या क्या थी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में भर्ती, उम्मीदवार की कई औपचारिकताएं जैसे शारीरिक स्वस्थता परीक्षा, डाक्टरी परीक्षा, चरित्र सत्यापन इत्यादि के पूरी होने के बाद की जाती है। यह एक लम्बी प्रक्रिया है जिसमें कई दिन लगते हैं। तथापि 1 जुलाई से 30 सितम्बर, 1981 तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में भर्ती किए गए कांस्टेबलों की कुल संख्या इस प्रकार है।

(1) दिल्ली में बटालियनों समेत विभिन्न बटालियनों में 657 कांस्टेबल, और

(2) ग्रुप सेंटर दिल्ली समेत विभिन्न ग्रुप सेंटरों में 296 कांस्टेबल।

(ख) से (घ) जब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक ही उप महानिरीक्षक के अधीन 30 से

अधिक रिक्तियां भरी गई थीं, तो रोजगार कार्यालय आकाशवाणी तथा अन्य जन प्रचार माध्यमों की सहायता से भर्ती करने के लिए उप महानिरीक्षक ने भर्ती करने वाले दल नियुक्त किये थे।

(ङ) (1) अनुसूचित जातियां— 12 प्रतिशत (लगभग)

(2) अनुसूचित जनजातियां— 3 प्रतिशत (लगभग)

जनगणना निदेशालय, दिल्ली के कर्मचारियों को वेतन

4035. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनगणना निदेशालय, दिल्ली द्वारा अपने कर्मचारियों को अदा किया जा रहा समेकित वेतन, जिस पर कोई मंहगाई भत्ता अथवा अन्य कोई भत्ता नहीं दिया जा रहा, तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप हैं;

(ख) क्या सरकार अपने कर्मचारियों को इस प्रकार के वेतन दिये जाने को उचित समझती है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो जनगणना कर्मचारियों की होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) 1981 की जनगणना के दौरान किये गये प्राथमिक जनगणना आंकडों के मैनुअल सारणीकरण के लिए सरकार ने तीन श्रेणी के कर्मचारियों अर्थात सुपरवाईजर्स, चैकर्स और टेबुलेटर्स/कोडर्स की नियुक्तियां इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि ये अल्प अवधि के लिए हैं, की नियुक्ति का अनुमोदन किया है। समेकित वेतन पिछली जनगणना में समान श्रेणी के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत किये गये समेकित वेतन को ध्यान में रखकर और पिछले दशक के दौरान रहन-सहन के खर्च में वृद्धि के लिए उचित भत्ता देकर निर्धारित किया गया था। तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशें कर्मचारियों की इन श्रेणियों के वेतन पर लागू नहीं होती थीं।

इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों को पिछड़े जिलों में स्थापना किया जाना

4036. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रानिक्स व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम ने पिछड़े जिलों में इलेक्ट्रानिक उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को सुविधाएं देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ उत्पादों के गांवों में आसानी से उपयोग में लाये जाने की संभावना है,

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इलेक्ट्रानिक्स निगम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, और

(घ) यदि हां, तो उनको अन्तिम निर्णय कब तक बताया जायेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) तथा (घ) : इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम (ई० टी० टी० डी० सी०) अपनी सेवाएं एक परामर्शदाता के रूप में पेश करता है । उनके लिए सरकार से विशेष अनुमति लेना ज़रूरी नहीं है ।

जापानी कम्पनी टोयोटा के सहयोग से हल्के वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण

4037. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय कम्पनी द्वारा जापानी टोयोटा कम्पनी के सहयोग के साथ भारत में हल्के वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण किया जायेगा,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) इस पर कितना पूंजी परिव्यय अपेक्षित है, उत्पादन क्षमता क्या होगी और प्रत्येक वाहन की अनुमानित लागत क्या होगी, और

(घ) ये वाहन कब तक सड़क पर चलने लगेंगे ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत ज्ञानना) : (क) हल्की वाणिज्यिक गाड़ियों के निर्माण हेतु जापान के टोयोटा के साथ तकनीकी सहयोग के लिए सरकार को कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) (ग) तथा (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारतीय श्रम सम्मेलन बुलाया जाना

4038. **श्री चित्त महाटा**
श्री पीयूष तिरकी } : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में भारतीय श्रम सम्मेलन बुलाने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो कब और सम्मेलन में किन बातों पर विचार किया जाएगा, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और पिछला सम्मेलन कब हुआ था ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) सरकार निकट भविष्य में भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित करने के निर्णय पर सक्रिय विचार कर रही है। इसके पश्चात कार्यसूची तैयार की जाएगी।

(ग) पिछली बार, भारतीय श्रम सम्मेलन अक्तूबर, 1971 में बुलाया गया था।

हिन्दी अधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति

40.9. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के उन विभागों के नाम क्या हैं जहां केन्द्रीय सरकार की तरह हिन्दी अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है और ऐसे कौन से विभाग हैं जिनमें अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं की गई है,

(ख) क्या गृह मन्त्रालय, भारत सरकार (राजभाषा विभाग) ने अपने परिपत्र दिनांक 27 अप्रैल, 1981 में हिन्दी अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों की व्यवस्था के लिए आदेश दिया है और यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है,

(ग) क्या उक्त परिपत्र, जिसमें इन पदों की व्यवस्था करने का आदेश है, दिल्ली प्रशासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था,

(घ) क्या दिल्ली प्रशासन के कुछ विभागों में बजट-प्राक्कलनों में हिन्दी अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के पदों की व्यवस्था की गई है, और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति

4040. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपने सेवा काल में कम से कम तीन पदोन्नतियां मिलनी चाहिए,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है, और

(ग) मन्त्रालय ने इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्रवाई की है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी में परिवर्तन एवं विकास

4041. **श्री पी० नामग्याल** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में उत्पादित इलेक्ट्रानिक्स का अधिकतर सामान प्रौद्योगिकी की दृष्टि से पुराना होता है, घटिया किस्म का होता है और आयातित सामान की तुलना में अधिक कीमत का होता है,

(ख) क्या यह भी सच है कि चीन द्वारा इलेक्ट्रानिक विस्तार/जानकारी के क्षेत्र में जापान के साथ सहयोग किए जाने की सम्भावना है जिसका विदेशी बाजारों में भारत के इलेक्ट्रानिक्स उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा,

(ग) यदि उपरोक्त भागों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो केन्द्र सरकार द्वारा विदेशी बाजार में अच्छे ढंग से मुकाबले के लिए इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी का विस्तार करने/सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जाने हैं, और

(घ) क्या सरकार वर्तमान इलेक्ट्रानिक नीति को बदलने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो किस दिशा में ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) देश में बनाये जाने वाले अधिकांश इलेक्ट्रानिक उपस्करों तथा संघटक पुर्जों का निर्माण औद्योगिक दृष्टि से समुन्नत देशों द्वारा भी किया जा रहा है । उद्योग के कुछ क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाने, गुणवत्ता तथा ऊंचे मूल्यों से सम्बन्धित समस्याएं अवश्य विद्यमान हैं ।

(ख) जापान के सहयोग से चीन द्वारा अपने इलेक्ट्रानिकी उद्योग का विस्तार करने के प्रयास के बारे में प्रायः उल्लेख किया जाता है ।

(ग, तथा (घ) सरकार हमारे इलेक्ट्रानिकी उद्योग के स्वरूप में परिवर्तन करने के बारे में विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है ताकि संघटक पुर्जों और उपभोक्ता वस्तुओं जैसी मदों का नवीनतम प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जा सके । इससे गुणवत्ता की किस्म में सुधार होगा और मूल्यों में गिरावट आएगी तथा इसके फलस्वरूप विश्व बाजार में हमारी प्रतिस्पर्धा की स्थिति में मजबूती आएगी ।

इलेक्ट्रानिकी विभाग देश के विभिन्न भागों में परीक्षण तथा विकास-केन्द्र और क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित कर रहा है । ऐसा अनिवार्यतः लघु तथा मझोले उद्योग क्षेत्र के

विनिर्माताओं को अपने उत्पादों के गुणवत्ता ग्रेड को बढ़ाने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। गुणवत्ता तथा प्रौद्योगिकीय आधार में सुधार लाने के लिए अनुसंधान तथा विकास कार्य पर भी काफी जोर दिया जा रहा है।

वर्ष 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना में वार्षिक 23 प्रतिशत की मिश्र योग की दर से इलेक्ट्रानिकी उद्योग के विकास का लक्ष्य रखा गया है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्यात-संवर्द्धन, आयात-प्रतिस्थापन, संघटक पुर्जों के बड़ी मात्रा में उत्पादन और जनशक्ति के विकास पर ध्यान दिया जाएगा।

"फेरा" कम्पनियों को लाइसेंस दिया जाना

48-2 : **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) उन विदेशी गैर--सरकारी कम्पनियों को, जिन्होंने "फेरा" के अन्तर्गत अपनी साम्य पूंजी को कम कर दिया है, कितने औद्योगिक लाइसेंस तथा आशय पत्र जारी किए गए हैं ;

(ख) इन औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है और उनमें से कौन-कौन से पूरी तरह कार्यान्वित कर दिए गए हैं ?

(ग) इन भारतीयकरण की गई कम्पनियों के जो औद्योगिक लाइसेंस कार्यान्वित किये गये हैं उनसे सैक्टरवार आज कितने प्रतिशत उत्पादन प्राप्त होता है ; और

(घ) क्या भारतीयकरण की गई इन कम्पनियों को वे सभी सुविधाएं दी जा रही हैं, जो पूर्णरूपेण भारतीय कम्पनियों को दी जाती हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डॉ० चरणजीत चानना) : (क) से (ग) कम्पनी कार्य विभाग द्वारा रखी गई विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियों की सूची में सम्मिलित विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियों को वर्ष 1980 से 1981 (अक्तूबर, 1981 तक) के दौरान 43 आशयपत्र और 15 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे। औद्योगिक स्वीकृति मिलने के बाद उसके कार्यान्वित होने में आमतौर से 3 से 4 वर्ष का समय लग जाया करता है, अतः वर्ष 1980 से 1981 (अक्तूबर, 1981 तक) के दौरान मंजूर किए गए आशयपत्र और औद्योगिक लाइसेंस कार्यान्वयन की विभिन्न स्थिति में होंगे। भारतीय कंपनियों के अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। सभी आशयपत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मन्थली न्यूज लेटर" में प्रकाशित किया जाता है। इसे प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(घ) भारतीय कृत कंपनियों को पूर्ण रूपेण भारतीय कंपनियों के समान मानी गयी है।

वर्धा का प्रथम "गांधीवादी जिला" के रूप में विकास

4043 **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्धा का देश के प्रथम "गांधीवादी जिला" के रूप में विकास करने का निर्णय किया है और परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए डा० एम० एस० स्वामीनाथन्, सदस्य योजना आयोग को नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की विशेषताएं क्या हैं ;

(ग) परियोजना को किस एजेंसी/एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा ;

(घ) आवर्ती तथा अनावर्ती लागत कितनी होगी, और

(ङ) परियोजना को किस अवधि के दौरान पूरी तरह से कर्यान्वित किया जायेगा ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (घ) सरकार ने गांधीवादी सिद्धान्तों के आधार पर वर्धा जिले के विकास के लिए योजना तैयार करने के लिए केन्द्रीय योजना मंत्री श्री एस० बी० चव्हाण की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की है। इस समिति ने दिनांक 17.10.1981 को हुई अपनी पहली बैठक में यह निर्णय किया कि ऐसी योजना तैयार करने के लिए एक उप-दल गठित किया जाए। योजना आयोग के सदस्य डा० एम० एस० स्वामीनाथन की कार्यकारी अध्यक्षता में एक उप-दल गठित किया गया है। वर्धा जिले के लिए योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए कार्यवाई की दिशा पर विचार विमर्श करने के लिए इस उप-दल की पहली बैठक दि० 23.12.1981 को होगी।

(ङ) इस कार्यकारी दल की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिए जाने से पहले, इस योजना की विषय-वस्तु और अवधि को बताना संभव नहीं है।

समुद्री संसाधनों का उपयोग

4044 **श्री राम सिंह यादव**
श्री माधव राव सिंधिया
श्री पी० राज गोपाल नायडू } : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्र तल खाद्य, खनिजों तथा ऊर्जा की दृष्टि से विपुल भंडार हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार समुद्र-तल की विपुलता के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : समुद्र में खाद्य, खनिजों और ऊर्जा के विपुल

भंडार हैं। समुद्री तल से खनिजों का तथा गहराई में पाए जाने वाले कई प्रकार के समुद्री जीव-जन्तुओं का उपयोग करना सम्भव है।

(ख) और (ग) सरकार ने महासागर विकास विभाग नामक एक अलग विभाग की स्थापना की है जो इस समय समुद्री तल से विपुल भंडारों का उपयोग करने के लिये अपेक्षित प्रौद्योगिकी को निर्धारित करने के कार्य में संलग्न है। इस प्रकिया के आधार पर समुचित कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाएंगे।

उड़ीसा में उपग्रह केन्द्र की स्थापना किया जाना

4045. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बालासोर के निकट 500 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर एक उपग्रह केन्द्र की स्थापना की जा रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या स्थापना स्थल का चुनाव कर लिया गया है, और

(ग) क्या इस परियोजना के अधीन आने वाले गांवों से लोगों को उठाया जायेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री पी० एन० सिंह) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारत की जनसंख्या के आंकड़े

4046. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के शहरों तथा कस्बों की जनसंख्या के आंकड़े तब तक सरकारी रूप से प्रकाशित नहीं किए जाएंगे जब तक कि आसाम के आंकड़े न एकत्र किए जाएं, और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लाभ के लिए आसाम के आंकड़ों की प्रतीक्षा किए बिना शेष आंकड़ों को सरकारी तौर पर प्रकाशित करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान। सरकार भारत के शहरों और कस्बों की जनसंख्या के अन्तिम आंकड़ों को सरकारी तौर पर प्रकाशित करने के लिए असम के आंकड़ों की प्रतीक्षा नहीं करेगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में मध्यम तथा बड़े उद्योगों को जारी किए गए आशय पत्र

4048. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापना हेतु विभिन्न मध्यम तथा बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए कितने आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं,

(ख) प्रत्येक आशय पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन उद्योगों की अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० चरनजीत चानना) : (क) मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए जनवरी-अक्तूबर 1981 के बीच 28 आशय पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे।

(ख) सभी आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उनके "मंथली न्यूज लेटर" में प्रकाशित किये जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) साधारणतया किसी औद्योगिक एकक के फलीभूत होने में 3 से 4 वर्ष का समय लगता है। चालू वर्ष के दौरान दी गई औद्योगिक स्वीकृतियों की प्रगति के विषय में इतनी जल्दी कुछ कह सकना समय पूर्व होगा।

अखिल भारतीय इंजीनियरिंग और चिकित्सा सेवाएं

4049- **श्री ओस्कर फर्नान्डीज :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा का गठन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० बेंकट सुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राज्य सरकारों के साथ अनौपचारिक विचार-विमर्श चल रहा है तथा उनके विचार प्राप्त होते ही अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा।

भारत हैवी प्लेट तथा वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पद एवं भरे गये पद

4050. **श्रीमंगल राम प्रेमी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हेवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम में 1 अप्रैल, 1981 के दिन कर्मचारियों की, काडर-वार तथा ग्रेड-वार स्वीकृत संख्या तथा काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ख) काडर-वार तथा ग्रेड-वार कितने पद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे और उनमें कितने भरे गए;

(ग) वित्त/लेखा विभाग की 1 अप्रैल, 1981 के दिन कर्मचारियों की काडर-वार तथा ग्रेड-वार स्वीकृत संख्या तथा काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी थी; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार को अनुसूचित जाति उत्थान यूनियन, विशाखापत्तनम द्वारा प्रबन्धकों को भारत हेवी प्लेट एण्ड वैसल्स लि० में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए संकल्पों को अनुचित रूप से कार्यान्वित करने के बारे में दिये गये अभ्यावेदन और प्रबन्धकों द्वारा उस पर की गई कार्रवाई अथवा की जाने वाली कार्रवाई का पता है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और शीघ्र ही भेज दी जायेगी।

विधवाओं को मानवीय आधार पर नौकरी देना

4051. **श्री केशवराव पारधी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौकरी के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारी की विधवा सहित उसके निकट सम्बन्धियों को मानवीय आधार पर नौकरी देना केन्द्र सरकार की स्वीकृत नीति है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली पुलिस द्वारा मृतक पुलिस कर्मियों की विधवाओं को उपरोक्त सुविधाएँ दी जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो पुलिस कर्मियों की विधवाओं को मानवीय आधार पर रोजगार देने के लिए कितने मामले पुलिस आयुक्त, दिल्ली के पास 6 मास से अधिक समय से लम्बित हैं और उस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) ऐसे आठ मामले हैं जो छः महीने से अधिक लम्बित हैं। इन मामलों में प्रशासनिक कारणों से दिल्ली पुलिस में रोजगार नहीं दिये जा सके। दिल्ली प्रशासन के अन्य विभागों में उनको रोजगार देने की सम्भावना का पता लगाया जा रहा है।

तमिलनाडु के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास

4052. **श्री एन० डेनिस**: क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के कुछ और स्थानों को औद्योगिक विकास के लिए सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र के रूप में लेने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार को राज्य के किसी अन्य भाग से अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें काफी समय से अपने पिछड़ेपन का उल्लेख किया गया है और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिए अनुरोध किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे अभ्यावेदन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं और सरकार ने वहां पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना): (क) से (ग) : तमिलनाडु में कुछ क्षेत्रों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किए जाने के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुरोधों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । कुछ क्षेत्रों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करने सम्बन्धी विद्यमान नीति इस मन्त्रालय द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों, गण्यमान्य व्यक्तियों और राज्य सरकार को उचित रूप में स्पष्ट कर दी गई है । योजना आयोग द्वारा श्री बी० शिवारामन की अध्यक्षता में गठित पिछड़े क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति (एन० सी० डी० बी० ए०) ने औद्योगिक छितराव पर अपनी रिपोर्ट अक्तूबर 1980 में प्रस्तुत कर दी है । प्रतिवेदन की सिफारिशों की योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों, संघशासित प्रशासनों, सम्बद्ध केन्द्रीय मन्त्रालयों और वित्तीय संस्थानों के परामर्श से जांच की जा रही है । औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों की विद्यमान सूची और वित्तीय प्रोत्साहनों में कोई भी परिवर्तन करना इस उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर करेगा ।

तमिलनाडु में कुछ जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुरोधों को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	अनुरोध किससे प्राप्त हुआ	प्रकरण का विषय
1	2	3
1	श्री एस० ए० दोराई सेवष्टियन संसद सदस्य (लोक सभा)	त्रिचूर जिले में मनाप्पाली ताल्लुक और कुलीतलाई ताल्लुक को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करने के लिए माननीय सदस्य से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था ।

1	2	3
2	श्री एम० एस० सेलवाराजन, तिरुनवेली जिला।	तूतीकोरीन, तिरुनेवली जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित करने के लिए अनुरोध।
3.	श्री एस० पी० वेल त्रिरुचिरापल्ली जिला।	त्रिरुचिरापल्ली जिले में पेरम्बालूर ताल्लुक को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करने के लिए।
4.	श्री एम० एस० रामास्वामी, महासचिव, नाडार महाजन संगम, मदुराई।	तिरुनवेल्ली जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करना।
5.	श्री ए० एन० वेल्लू, संसद मदस्य तथा श्री ए० रामास्वामी प्रेस रिपोर्टर।	उत्तर आरकोट जिले में आरकोट ताल्लुक को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करना।
6.	श्री एन० डेनिस, संसद सदस्य।	कन्या कुमारी जिले में रबर पर आधारित और टिटेनियम डाई आक्साइड उद्योगों की स्थापना करना तथा इसे केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के लिए पात्र औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करना।
7.	पब्लिक एण्ड विलेज टाउन पंचायत, परनामालूर ताल्लुक और शिवकाशी मास्टर प्रिंटर्स एसोसिएशन से प्राप्त अभ्यावेदन।	वेदासन्दूर, अरनी, पोलूर तालुकों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करना।
8.	श्री थिरुनवुक्कारासू, उद्योग मंत्री तमिलनाडु सरकार।	विभिन्न जिलों में 24 ताल्लुकों को केन्द्रीय निवेश योजना के लिए पात्र औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करने के बारे में अनुरोध।
9.	श्री एस० साठियानारायणन, महासचिव, धरमपुरी जिला, कांग्रेस (आई०)।	केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के लिए पात्र धरमपुरी जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करना।
10.	मैं० श्री शक्ति इण्डस्ट्रियल स्टेट, तिरुवन्नामाली।	उत्तर आरकोट जिले में तिरुवन्नामाली को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करना।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित हिन्दी अधिकारियों के पद

4053. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन सालों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों के लिये 1100-1600 रु० के वेतनमान में कितने हिन्दी अधिकारियों के पदों को विज्ञापित किया; और

(क) कितने आवेदन पत्र आवश्यक अर्हता पूरी करते थे और परीक्षा साक्षात्कार के लिए सभी आवेदकों को न बुलाने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० बेंकट सुब्बय्या) : (क) संघलोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा रेल मन्त्रालय में हिन्दी अधिकारियों के 15 पदों के लिए केवल 7-11-1981 को एक विज्ञापन जारी किया गया था ।

(ख) चूंकि विदेशों, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप-समूह, लक्षद्वीप, उत्तर पूर्वी क्षेत्र आदि से उम्मीदवारों से आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अन्तिम तारीख अर्थात 21-12-1981 अभी समाप्त नहीं हुई है, इसलिये इस स्थिति में प्रश्न ही नहीं उठता ।

सेवानिवृत्त सैनिकों को आवासीय सुविधाएं

4054. **श्री एन० सुन्दरराजन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है कि वह सेवानिवृत्त सैनिकों को आवासीय सुविधाएं देने के बारे में राज्य सरकारों को निर्देश देगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) : सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिक कार्मिकों के हित में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि सेवारत/सेवानिवृत्त सैनिक कार्मिकों के लिए मकान और प्लाट आरक्षित करने पर विचार करें । उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि सेवारत/सेवानिवृत्त सैनिक कार्मिकों की सहकारी हाउसिंग सोसायटियों को रियायती दरों पर भूमि देने के प्रश्न पर भी विचार करें ।

वायुसेना के हवाई जहाज का आग से नष्ट होना

4055. **श्री नन्द किशोर शर्मा**
श्री केशव राव पारधी } : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर 1981 में वायुसेना का एक हवाई जहाज उड़ान भरने के बाद आग लगने से नष्ट हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या आग लगने के कारणों की जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में रिपोर्ट कब तक मिल जायेगी ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) नवम्बर 1981 में एक सैनिक विमान उड़ान भरने के तुरन्त बाद गिर कर नष्ट हो गया था।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है।

(ग) यह बताना सम्भव नहीं है कि जांच कब तक पूरी होगी।

बोकारों में एक धातुमल (स्लेग) सीमेंट फैक्ट्री का लगाया जाना

4056. **श्री रुद्र प्रताप बांडगी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र से निकले धातुमल पर आधारित सीमेंट फैक्ट्री लगाने के बारे में निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह फैक्ट्री कब तक लगायी जायेगी और क्या यह भवनाथपुर (जिला पलामू) में लगायी जायेगी या बोकारों में ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) बोकारो स्लैग पर आधारित, उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम के दो सीमेंट संयंत्रों और मै० कल्याणपुर लाइम एण्ड सीमेंट वर्क्स की स्थापना की जा चुकी है। एक अन्य आवेदन, जिसमें जदुनाथपुर (जिला रोहतासपुर) मेंक्लिंकराइजेशन और भवनाथपुर (जिला पालामाऊ) में पिसाई और पैकिंग करने की परिकल्पना की गई है, पर कार्यवाई की जा रही है। इस स्तर पर यह बता पाना कठिन है कि संयंत्र किस समय तक स्थापित हो जायेगा।

तमिलनाडु में केमिकल (माइक्रो) इलेक्ट्रोनिक फैक्ट्रियों की स्थापना करना

4057. **श्री सी० चिन्नस्वामी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र से तमिलनाडु में केमिकल माइक्रो इलेक्ट्रोनिक फैक्ट्रियों की स्थापना करने के बारे में अनुरोध किया है क्योंकि उन्हें तमिलनाडु इलेक्ट्रोनिक फैक्ट्री द्वारा निर्मित इलेक्ट्रोनिक उपकरणों की सप्लाई करने के बारे में आर्डर मिल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिक तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) (क) : जी, नहीं।

(ख) : यह प्रश्न ही नहीं उठता।

आयुध कारखानों के पेन्शनप्राप्त कर्मचारियों को लेखा सुविधायें

4058. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ईशापुर आयुध कारखाना मजदूर यूनियन, गोपालपाड़ा पश्चिम बंगाल की ओर से आयुध कारखानों के पेंशनप्राप्त कर्मचारियों को लेखा सुविधाओं के बारे में 12 मई, 1981 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आयुध कारखानों के पेंशन प्राप्त कर्मचारियों को लेखा सुविधाएं बढ़ाये जाने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) यूनियन की यह शिकायत थी कि ईशापुर में इलाहाबाद बैंक और स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाएं उन स्थानीय रक्षा कर्मचारियों को पेंशन खाते खोलने की सुविधा देने के लिए इन्कार कर रही हैं, जो अभी सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

(ग) इस बारे में सम्बन्धित शाखा प्रबन्धकों को लिखा गया था। उन्होंने इस आरोप का खंडन किया है और इस बात की पुष्टि की है कि ये सुविधाएं दी जा रही हैं।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के फील्ड अधिकारियों द्वारा किया गया मूल्यांकन अध्ययन

4059. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980 और 1981 के दौरान कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के फील्ड अधिकारियों ने श्रीनगर, शिमला, लुधियाना, रोहतक, जोधपुर, मेरठ और रायपुर में कार्यक्रमों के मूल्यांकन के बारे में अध्ययन किया; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980 और 1981 के दौरान इस बारे में किस प्रकार का अध्ययन किया और क्षेत्रीय कार्य में कितने जन दिवस लगे और यदि किसी प्रकार का अध्ययन नहीं किया गया तो उपयुक्त समय के दौरान फील्ड कर्मचारी किस काम पर लगाए गए ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) इस अवधि में किए गए अध्ययनों की सूची नीचे दी गई है :—

(1) नलकूप सिंचाई और भौमजल विकास के कार्यक्रम का अध्ययन

(2) तिलहन विकास कार्यक्रम का अध्ययन

(3) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

(4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम

(5) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(6) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में रियायती वित्त और अन्य प्रोत्साहनों का अध्ययन

(7) प्रशिक्षण और मुलाकात प्रणाली

(8) सामुदायिक पोलिटेकनिकों का कार्यक्रम

(9) ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कामगारों के लिए आवास स्थलों और आवास निर्माण की व्यवस्था

(10) बंधुआ मजदूरों के पुनः स्थापन से सम्बन्धित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का अध्ययन

(11) अंत्योदय कार्यक्रम का अध्ययन ।

उपर्युक्त अध्ययनों से संबंधित क्षेत्र कार्य पर कुल 1016 कार्य-दिवस लगाए गए । इसके अलावा क्षेत्रीय कर्मचारीगण सम्बन्धित अध्ययनों के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त वित्तीय स्तर के आंकड़ों/सूचना को अद्यतन करने के काम में लगे रहे ।

राज्य लाटरी चलाने वाले राज्य

4060. **श्री अनादि चरण दास** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य लाटरियां चलाने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि लाटरी के टिकटों की बिक्री से प्राप्त लाभ की धनराशि को राज्यों में कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने पर खर्च किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान राज्य में कल्याणकारी कार्यक्रम पर उन्होंने कितनी धनराशि खर्च की; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आटोमोबाइल स्कूटरों पर नियन्त्रण

4061. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी चेतावनी के बावजूद आटोमोबाइल स्कूटरों के मूल्यों पर नियन्त्रण नहीं किया गया,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा शुरू किये जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है जिसके बारे में उन्होंने 18 अक्तूबर के अखबारों में संकेत किया था;

(ग) क्या सरकार मोपेड जैसे आटो साइकिलों के मूल्यों में हो रही तीव्र वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए भी विचार कर रही है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) सरकार ने मूल्यों को उपयुक्त स्तरों पर नियन्त्रित करने की आवश्यकता के बारे में निर्माताओं पर बल दिया है। स्कूटरों के सम्बन्ध में, सरकारी क्षेत्र में एककों के होने से इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

सिंगरौली तापीय विद्युत संयन्त्र के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन की सहायता

4062. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरौली तापीय विद्युत संयंत्र के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से अल्यूमिनियम कन्डक्टर के लिए मिली सहायता का 30 करोड़ रुपये का आर्डर गैर भारतीय फर्मों को मिल गया है,

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत की केबल और कंडक्टर उद्योग वर्तमान समय में केवल 20 प्रतिशत क्षमता का उपयोग कर रहा है और अल्यूमिनियम का बहुत बड़ा स्टाक सरकार की केनालाइजिंग एजेंसी, खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास पड़ा है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि यदि अल्यूमिनियम के उत्पादकों के लिए सरकारी सहायता की घोषणा समय पर की जाती तो वे प्रतिस्पर्धा करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों से मुकाबला कर सकते थे और सिंगरौली तापीय विद्युत संयंत्र का अपेक्षित आर्डर उन्हें मिल सकता था ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा सिंगरौली परियोजना के द्वितीय चरण के लिए कंडक्टरों की आपूर्ति करने हेतु मांगे गए अन्तर्राष्ट्रीय टेंडरों के अंतर्गत प्राप्त दरों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ख) तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूची पर ए० ए० सी०/ए० सी० एस० आर० कंडक्टरों का उत्पादन कर रहे एककों की उपयोग क्षमता वर्ष 1980-81 में 55.8 प्रतिशत तथा अप्रैल, 1981 से सितम्बर, 1981 की अवधि में लगभग 50 प्रतिशत रही है। एल्यूमिनियम का भण्डार

(एम० एम० टी० सी०) खनिज एवं धातु व्यापार निगम के पास है किन्तु आयात को, जो देशी उत्पादन पर निर्भर करता है, एल्यूमिनियम नियन्त्रक द्वारा विनियमित किया जाता है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

न्यूनतम मजदूरी के बारे में अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा की बैठक

4063. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1981 में राजगिरी बिहार में अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा (आल इण्डिया एग्रीकल्चरल लेबर फेडरेशन) का एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्मेलन में खेत मजदूरों के लिए स्वीकृत न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी प्रस्ताव को लागू करेगी;

(ग) क्या सरकार ने करोड़ों खेत मजदूरों की मजदूरी आवासीय, सामाजिक अत्याचार, पीने के पानी, साल भर काम करने की समस्याओं को हल करने के बारे में कोई योजना तैयार की है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि भारतीय खेत मजदूर यूनियन का पांचवां सम्मेलन 16 से 19 अक्तूबर, 1981 तक राजगिरी में हुआ था।

(ख) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) : कृषि श्रमिकों के बारे में केन्द्रीय विधान के प्रस्ताव पर एक कार्यकारी दल विचार कर रहा है।

1 अप्रैल, 1980 से बहुराष्ट्रीय और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार के अंतर्गत आने वाली कम्पनियों का विस्तार

4064. **श्री के० राममूर्ति** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1980 से अब तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को कितने औद्योगिक लाइसेंस तथा विस्तार हेतु लाइसेंस दिये गये हैं, और

(ख) इन लाइसेंसों का मूल्य क्या है और इन कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन पंजीकृत उपक्रमों और विदेशी कम्पनियों की भारतीय

सहायक कम्पनियों को 1-4-1980 से 31-10-1981 के बीच दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या निम्नलिखित है :—

	प्रकार					
	नये उपक्रम	नई वस्तु	उल्लेखनीय विस्तार	नई वस्तु/उल्लेखनीय विस्तार	व्यापार जारी रखने के लिए	योग
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार उपक्रम	6	35	61	1	10	113
विदेशी कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियां	—	7	6	—	1	14

(ख) औद्योगिक लाइसेंस क्षमता के आधार पर जारी किए जाते हैं, मूल्य के आधार पर नहीं। पार्टियों के नाम आदि सहित सभी औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित "मंथली न्यूज लेटर" में दिये जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

राज्यों के आंतरिक स्रोतों के लक्ष्य

065. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने वर्ष 1980-81 और 1981-82 के योजना परिव्यय को पूरा करने के लिए अपने आंतरिक स्रोतों को बढ़ाने के अपने निर्धारित लक्ष्यों को अब तक पूरा कर लिया है,

(ख) यदि हां, तो राज्यवार निर्धारित लक्ष्य और लक्ष्य पूर्ति का ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या इस क्षेत्र में हुई कमी वर्ष 1980-81 और 1981-82 में तत्सम्बन्धी राज्यवार योजना परिव्यय में बाधक बनी ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) 1980-81 और 1981-82 के लिए राज्यों के अपने संसाधनों के वार्षिक योजना सम्बन्धी अनुमानों का एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। इन वर्षों के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा जुटाई गई वास्तविक धनराशि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 198 -82 के लिए वास्तविक धनराशि के आंकड़े इस समय बताना कठिन है क्योंकि यह वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है।

विवरण

1980-81 और 1981-82 की वार्षिक योजना के लिए राज्यों के अपने संसाधनों का अंशदान

(करोड़ रुपये)

राज्य	198.-81 की वार्षिक योजना (अनुमान)	1981-82 की वार्षिक योजना (अनुमान)
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	300.00	354.93
2. असम	62.80	50.90
3. बिहार	233.23	307.72
4. गुजरात	418.49	522.35
5. हरियाणा	199.06	244.05
6. हिमाचल प्रदेश	12.77	20.26
7. जम्मू और कश्मीर	(—) 5.89	(—) 17.50
8. कर्नाटक	281.01	310.08
9. केरल	190.25	162.65
10. मध्य प्रदेश	354.70	445.93
11. मणिपुर	5.10	(—) 0.27
12. मेघालय	8.71	8.95
13. महाराष्ट्र	693.70	902.10
14. नागालैंड	(—) 1.06	(—) 2.20
15. उड़ीसा	105.06	137.19
16. पंजाब	237.76	277.34
17. राजस्थान	194.04	216.40

1	2	3
18. सिक्किम	0.85	0.96
19. तमिलनाडु	269.12	385.84
20. त्रिपुरा	7.46	6.52
21. उत्तर प्रदेश	540.10	628.87
22. पश्चिम बंगाल	432.65	497.55
जोड़ :	4540.70*	5460.42*

* (उत्तर-पूर्वी परिषद की स्कीमों के लिए अनुमोदित 10 करोड़ रु० का जीवन बीमा निगम का ऋण शामिल नहीं है जिसके लिए राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

बीड़ी उद्योग के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार

4066. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग को भी शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार बीड़ी उद्योग को भी इसमें शामिल करने पर विचार कर रही है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) बीड़ी बनाने वाले सभी प्रतिष्ठान, जो बिजली का प्रयोग करते हैं तथा 10 या अधिक व्यक्ति नियोजित करते हैं और वे प्रतिष्ठान, जो बिजली का प्रयोग नहीं करते तथा 30 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करते हैं तथा उन क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू है, इस समय इस योजना के अन्तर्गत आते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को बिजली का प्रयोग न करने वाले उन बीड़ी प्रतिष्ठानों पर लागू करने के लिए सिद्धांत रूप से स्वीकृति दे दी है, जिसमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं और उन क्षेत्रों में स्थित हैं जहां यह योजना पहले से ही लागू है बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा आवश्यक चिकित्सा प्रबन्ध किए जाए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ब्लैक एण्ड व्हाइट टेलीविजनों का उत्पादन

4067. **श्री बी० एस० विजय राघवन**
श्री बी० वी० देसाई } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक्स विभाग का 1500 रुपये की कीमत पर ब्लैक एण्ड व्हाइट टेलिविजन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्यमन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) : विशिष्ट रूप से 1500 रुपए की लागत पर श्याम और श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूर दर्शन सेटों के निर्माण के बारे में, सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रेजर ब्लेडों का निर्माण

4068. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के एकक को इंगलैंड की विलकिन्सन स्वोर्ड के साथ रेजर ब्लेडों के निर्माण के लिए विदेशी तकनीकी सहयोग की मंजूरी दे दी है; यदि हां, तो सहयोग की शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार इसी प्रकार के ब्लेडों के लिए एक निजी पार्टी के साथ आर्थिक सहयोग पर विचार कर रही है जिसका निर्माण करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र विचार कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के एककों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उनके हितों की सुरक्षा के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) कर्नाटक स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० द्वारा एशियन केबल्स कारपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर चलायी जाने वाली संयुक्त क्षेत्र की एक परियोजना के रूप में मैसर्स कर्नाटक ब्लेड्स लिमिटेड (अब बिल्टेक इण्डिया लिमिटेड) को सेफ्टी रेजर ब्लेड़ों के उत्पादन के लिए एक नया एकक स्थापित करने हेतु जनवरी, 1980 में एक औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किया गया है। इस प्रयोजन के लिए एक मुश्त भुगतान और राय्लटी पर मैसर्स विल्किसन स्वोर्ड लि०, इंगलैण्ड के साथ विदेशी तकनीकी सहयोग करने के लिए भी स्वीकृति दे दी गई है।

(ख) स्टेनलैस स्टील रेजर ब्लेडों के लिए अलवर (राजस्थान) में एक नये एकक के हेतु औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति के लिए और तकनीकी तथा वित्तीय भागीदारी सहित विदेशी सहयोग के लिए निजी क्षेत्र की एक पार्टी के एक मिले-जुले आवेदन पर विचार किया जा रहा है तथा इस मामले में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रम मन्त्रालय में हिन्दी कर्मचारी

4069. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्प्रवासी मजदूरों की काम की शर्तों को नियमित करने हेतु सरकार भाषा अधिनियम को लागू करने के लिए हिन्दी के कर्मचारियों (हिन्दी अधिकारी इत्यादि) के लिए प्रावधान बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है;

(ख) तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार कानून लागू करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों को नियुक्त करेगी ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) श्रम मन्त्रालय के अन्दर एक डिवीजन गठित किया जा रहा है जो विदेशों में नौकरी के लिए भारतीय श्रमिकों प्रवास को विनियमित करेगा। चूंकि प्रस्तावित डिवीजन मन्त्रालय के काम कर रहा होगा, इसलिये डिवीजन के लिये पृथक हिन्दी स्टाफ की व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता। मंत्रालय का हिन्दी एकक इस डिवीजन के हिन्दी कार्य तथा हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में अनिवार्य/सांविधिक आवश्यकताओं को देखेगा। यदि आवश्यक हुआ, तो हिन्दी एकक के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के प्रश्न पर कार्यभार के आधार पर उपयुक्त समय पर विचार किया जायेगा।

केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

4070. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) श्रेणी I, श्रेणी II, श्रेणी III और श्रेणी IV श्रेणी में उनकी संख्या कितनी है,

(ग) प्रत्येक श्रेणी में उनकी प्रतिशतता क्या है, और

(घ) क्या सरकार आरक्षित कोटे को निर्धारित समय में पूरा करने के लिये समय सीमा कार्यक्रम तैयार कर रही है और आरक्षित कोटा किस वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), (ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जब तक, सरकार के विचार में, सार्वजनिक नेताओं/पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो जाता तब तक समय-समय पर होने वाली रिक्तियों में उनके लिये आरक्षण जारी रखने के लिये सरकार बचनबद्ध है।

विवरण

1-1-1980 को भारत सरकार के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

समूह (श्रेणी)	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	प्रतिशतता	अनुसूचित जन-जातियां	प्रतिशतता
क (श्रेणी I)	47,937	2,375	4.95	506	1.06
ख (श्रेणी II)	59,161	5,055	8.54	763	1.29
ग (श्रेणी III)	17,52,230	2,35,555	13.44	55,334	3.16
घ (श्रेणी IV) सफाई वालों को छोड़कर)	12,72,397	2,47,607	19.46	68,401	5.38
कुल :	31,31,725	4,90,592	15.67	1,25,004	3.99

मध्य प्रदेश क्षेत्र के कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कर्मचारियों की समस्याएं

4071. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश क्षेत्र के कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कर्मचारियों यूनियन द्वारा इन्दौर में 5 अगस्त 1981 को स्वीकृति प्रस्ताव की तरफ आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं के हल करने के बारे में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है, और

(ख) यदि हां, तो इन समस्याओं को शीघ्र हल करने के लिये क्या कार्रवाही की गई है?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रस्ताव फर्नीचर की सप्लाई और मध्य प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय और स्थानीय कार्यालयों में रिक्त पदों को भरने से सम्बन्धित है। उपलब्ध सूचना के अनुसार सभी स्टाफ सदस्यों के लिए आवश्यक फर्नीचर दिया जा चुका है। खाली पदों को भी भर दिया गया है लेकिन उच्च श्रेणी लिपिकों और अवर श्रेणी लिपिकों के कुछ पदों को नहीं भरा गया है तथा जैसे ही उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध हो जाएंगे, इन्हें यथा शीघ्र भर दिया जायेगा।

पानी की दरों में संशोधन

4072. **श्री बीर भद्र सिंह** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग उसी स्तर वित्तीय स्रोतों को एकत्र करने के लिये पानी की दरों में वृद्धि करने के पक्ष में है जिस स्तर के लिये सातवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने निम्नलिखित सिफारिश की है :— "सिचाई से होने वाली सकल प्राप्तियां इस समय इतनी अपर्याप्त हैं कि अधिकतर राज्यों में उनसे कार्यचालन व्यय भी पूरा नहीं होता। राज्य सरकारों के लिये यह जरूरी होगा कि वे जल दरों को संशोधित करें ताकि सातवें वित्त आयोग द्वारा जितने लाभ की सिफारिश की गई है वह प्राप्त हो सके।" सातवें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की है कि पानी की दरों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियों से न केवल कार्यकारी व्यय की पूर्ति होनी चाहिये बल्कि उनसे वर्ष 1978-79 के अन्त में राज्यों द्वारा लगाई गई कुल पूंजी पर एक प्रतिशत के ब्याज के रूप में प्रति लाभ भी प्राप्त होना चाहिये। इस वित्त आयोग ने यह माना है कि एक प्रतिशत के इस प्रतिलाभ की प्राप्ति वर्ष 1979-80 में 0.2 प्रतिशत से शुरू होगी और इस अवधि में हर वर्ष 0.2 प्रतिशत बढ़ती जायेगी।

पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के जल के उपयोग के लिये तकनीकी समिति गठित

4073. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के जल के उपयोग के बारे में अध्ययन करने के लिए योजना आयोग द्वारा तकनीकी समिति कब गठित की गई थी और उस तकनीकी समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ?

(ख) क्या उक्त समिति ने योजना आयोग को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) योजना आयोग ने अरब सागर में गिरने वाली नदियों के जल संसाधनों और उनके उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति दि० 25-2-1978 को गठित की थी। इस समिति की सदस्यता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अरब सागर में गिरने वाली नदियों के जल संसाधनों और उनके उपयोग के मूल्यांकन के लिए समिति का गठन

1. श्री सी० वी० गोले, सदस्य (ज० सं०), केन्द्रीय जल आयोग —अध्यक्ष
2. श्री वी० आर०देउसकर, महाराष्ट्र सरकार के सचिव, सिचाई और ऊर्जा विभाग, बंबई। —सदस्य

3.	श्री जे० त्रिपाठी, परामर्शदाता सिंचाई, भुवनेश्वर।	—सदस्य
4.	भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग का एक प्रतिनिधि	—सदस्य
5.	कर्नाटक सरकार का एक प्रतिनिधि	—सदस्य
6.	तमिलनाडु सरकार का एक प्रतिनिधि	—सदस्य
7.	केरल सरकार का एक प्रतिनिधि	—सदस्य
8.	प्रो० सतीश चन्द्र, रुड़की विश्वविद्यालय	—सदस्य
9.	प्रो० सुभाष चन्द्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	—सदस्य
10.	भारतीय मौसम विभाग का एक प्रतिनिधि, पुणे	—सदस्य
11.	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि	—सदस्य
12.	श्री के० एस०एस० मूर्ति, मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।	—सदस्य--सचिव

"सरपराइज विजिट बाई मिनिस्टर टु ई० एस० आई० हास्पिटल" शीर्षक से समाचार

4074. **श्री शिवशरण बर्मा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 सितम्बर, 1981 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "सरपराइज विजिट बाई मिनिस्टर टू ई० एस० आई० होस्पिटल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिंहा) (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम विभिन्न शिकायतों और दौरे के दौरान नोट की गई त्रुटियों के सम्बन्ध में आवश्यक उपचारी कार्यवाही कर रहा है।

कागज प्रौद्योगिकी का आयात

4075. **श्री राजेश पाइलट :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे द्वारा कितने प्रकार के कागज का आयात किया जा रहा है उनकी किस्म, मात्रा और मूल्य का ब्यौरा क्या है,

(ख) इन तथा अन्य बढ़िया और विशेष प्रकार के कागजों के लिए स्वदेशी जानकारी विकसित करने अथवा प्रौद्योगिकी का आयात करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार को ऐसे विशेष प्रकार के कागजों के लिए जानकारी मशीनरी और विशेषज्ञता का आयात करने हेतु पुराने या नये निर्माताओं से प्रस्ताव मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने तथा सहायता दिये जाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) 1979-80 में आयात किए गए मुख्य किस्मों के कागज और उनका मूल्य तथा मात्रा नीचे दी गई है :—

कागज की किस्म	मात्रा (मी० टन)	मूल्य (लाख रुपयों में)
अखबारी कागज	2,94,479	11,059
लिखाई और छपाई का कागज	34,897	1,967
औद्योगिक तथा स्पैशियलिटी कागज	15,261	1,947

(ख) से (घ) अखबारी कागज, और लिखाई तथा छपाई के कागज, जिनका आयात देशी उत्पादन के पूरक के रूप में था, के अलावा, मुख्यत: स्पैशियलिटी कागजों का आयात किया जाता है जिसके लिये देश में लाभप्रद क्षमता स्थापित करने हेतु सामान्यत: पर्याप्त मांग नहीं है। किन्तु इलैक्ट्रीकल ग्रेड के इन्सुलेशन पेपरों और बोर्ड सिगरेट टिशू एक्सटेन्शीवल सैंक क्राफ्ट पेपर आदि जैसे कुछ किस्म के स्पेशियलिटी पेपरों का उत्पादन करने के लिये उपस्करों के आयात तथा विदेशी सहयोग के लिये अनेक स्वीकृतियां दी गई हैं।

ट्रक-चैसिसों के वितरण का कार्य करने वाली कम्पनियां

4076. **श्री हरिहर सोरन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों अथवा संगठनों के नाम क्या हैं जो भिन्न-भिन्न राज्यों में ट्रक चैसियों के वितरण का कार्य कर रहे हैं;

(ख) उस कम्पनी का नाम क्या है जो टेल्को, जमशेदपुर, बिहार की ओर से उड़ीसा को ट्रक चैसिस वितरित करने का कार्य करते हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा के उन ग्राहकों, जिन्होंने आर्डर बुक करा दिया और आवश्यक राशि जमा करा दी और जो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, को वह कम्पनी ट्रक-चैसिस सप्लाई करने में भारी लापरवाही और विलम्ब कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उड़ीसा के ग्राहकों को ट्रक चैसिस शीघ्र सप्लाई करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में दो प्रमुख कम्पनियों अर्थात् मे० अशोक लेलैण्ड तथा टेल्को के विक्रेताओं के नाम को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) जैसा कि कम्पनी ने बताया है, मांग सप्लाई से काफी अधिक है जिसके परिणामस्वरूप प्रतीक्षा समय काफी अधिक है। सरकार तथा निर्माताओं ने और अधिक उत्पादन के लिए दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक कई उपाय किये हैं। इसके परिणामस्वरूप वाणिज्यिक गाड़ियों का उत्पादन 1979-80 में 57,000 से बढ़कर 1980-81 के 72,000 हो गया। चालू वर्ष में वाणिज्यिक गाड़ियों का उत्पादन 1,00,000 से भी अधिक होने की संभावना है। मे० अशोक लेलैण्ड तथा टेल्को दोनों ने ही इस अवधि में अपने उत्पादन में काफी वृद्धि की है और अब उनकी गाड़ियों की उपलब्धता बेहतर है।

विवरण

मे० अशोक लेलैण्ड लि० मद्रास

1. **केरल**

   टी० वी० सुन्दरम आयंगर एण्ड सन्स

2. **तमिलनाडु**

   (1) टी० वी सुन्दरम आयंगर एन्ड संस
   (2) सुन्दरम मोटर्स

3. **पांडिचेरी**

   टी० वी० सुन्दरम आयंगर एण्ड संस

4. **कर्नाटक**

   सुन्दरम मोटर्स

5. **आन्ध्र प्रदेश**

   आटोमोटिव मैन्युफेक्चरर्स

6. **महाराष्ट्र**

   (1) आटोमोटिव मैन्युफेक्चरर्स लि०.
   (2) राजेश मोटर्स

7. गुजरात

आटोमोटिव मेन्युफेक्चरर्स लि०

8. गोवा

एजेनिया एण्ड स्क्वेयरा

9. मध्य प्रदेश

फेयरडील मारवाड़ गैरेजिज

10. राजस्थान

राजेश मोटर्स

11. उत्तर प्रदेश

(1) आनन्द मोटर्स एजेंसीज
(2) लक्ष्मी मोटर कम्पनी
(3) आटो जनरल फाइनेंस
(4) यमुना सिंडिकेट

12. हरियाणा

(1) यमुना सिंडिकेट
(2) दिल्ली आटोमोबाइल्स प्यारेलाल

13. दिल्ली

प्यारे लाल एण्ड संस
मोटर जनरल फाइनेंस

14. चंडीगढ़

दिल्ली आटोमोबाइल्स

15. जम्मू तथा कश्मीर

दिल्ली आटोमोबाइल्स

16. पंजाब

साधू शाह कपूर

17. हिमाचल प्रदेश

दिल्ली आटोमोबाइल्स

18. बिहार

चन्द मल एण्ड संस

19. पश्चिम बंगाल

(1) एसोशियेटिड इण्डियन ऐन्टर प्राइजिज
(2) जी० एन० बी० मोटर्स

20. आसाम

वाल्फोर्ड ट्रांसपोर्ट

21. उड़ीसा

(1) जगन्नाथ मोटर्स प्रा० लि०
(2) आटो डिस्ट्रिब्यूटर्स

2. टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कं० लि०, बम्बई

1. जम्मू तथा कश्मीर

(1) फेयरडील मोटर्स, श्रीनगर (मेन)
(2) नेशनल गैरेज, जम्मू (मेन)

2. पंजाब

(1) पी० एस० जैन मोटर्स जालन्धर (मेन)
(2) इन्द्रा आटो सेल्स, पटियाला (मेन)
(3) राज मोटर्स, मलौठ (मेन)
(4) पंजाब मोटर्स कुराली जिला रोपड़ (मेन)

3. हरियाणा

(1) मैट्रो मोटर्स, अम्बाला कैंट (मेन)
(2) सुरजीत एण्ड सुरेन्द्र इन्वेस्टमेंट प्रा० लि०, यमुना नगर, जगाधरी (मेन)

4. चंडीगढ़

(1) पास्को मोटर्स (मेन)

5. हिमाचल प्रदेश

(1) सिकन्द एण्ड कम्पनी, सोलन (मेन)

6. दिल्ली

सुप्रीम मोटर्स (मेन)

7. उत्तर प्रदेश

(1) अशोक आटो सेल्स, आगरा (मेन)

(2) कर्मशियल आटो सेल्स प्रा० लि०, इलाहाबाद (मेन)

(3) कर्मशियल मोटर्स, देहरादून (मेन)

(4) प्रयाग उद्योग प्रा० लि०, फैजाबाद (मेन)

(5) कुमाऊं सैल्स एण्ड सर्विस प्रा० लि०, बरेली (मेन)

(6) दि कमर्शियल मोटर्स लि०, कोट द्वारी, (गढ़वाल) (मेन)

(7) कैलाश मोटर्स, कानपुर (मेन)

(8) मोटर सेल्स लि०, लखनऊ (मेन)

(9) बहादुर मोटर्स, मेरठ (मेन)

(10) वाराणसी आटो सेल्स प्रा० लि०, वाराणसी (मेन)

8. पश्चिम बंगाल

(1) फ्रेंच मोटर कार कं० लि०, कलकत्ता (मेन)

(2) भंडारी सेल्स कारपोरेशन, खड़गपुर (मेन)

(3) बेहानी ब्रादर्स, मालदा (सब डीलर)

9. आसाम तथा मेघालय

(1) फ्रेंच मोटर कार कं० लि०, गोहाटी (मेन)

(2) हिम्मतसिंहका आटो इंटरप्राइजेज, तेजपुर (मेन)

(3) जसराज जीवनराम प्रा० लि०, जोरहाट (सब डीलर)

10. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह

(1) अण्डमान मोटर्स प्रा० लि०, पोर्ट ब्लेयर (मेन)

11. अरुणाचल प्रदेश

(1) हिम्मतसिंहका आटो इन्टरप्राइजेज,

(2) बेन्दर देव (सब डीलर)

12. त्रिपुरा, मणिपुर, नागा लैंड तथा मिजोरम

(1) सुराणा मोटर्स प्रा० लि०, अगरतला (मेन)

(2) पाछुंगा एण्ड संस, आईजोल (मिजोरम) (सब-डीलर)

13. बिहार

(1) जे० एम० ए० स्टोर्स, बोकारो (मेन)

(2) मिथिला मोटर्स प्रा० लि०, मुजफ्फरपुर (मेन)

(3) रश्मि आटो मोबाइल्स, गया (मेन)

(4) तिवारी बिहार एण्ड कं० लि०, जमशेदपुर (मेन)

(5) भारत मोटर्स, धनबाद (सब-डीलर)

(6) आर० ए० हिम्मतसिंहका एण्ड कं० जिला संथाल परगना (सब-डीलर)

14. उड़ीसा

(1) उत्कल आटोमोबाइल्स लि०, राऊरकेला (मेन)

(2) गंगा ट्रेडर्स एण्ड इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, रायगढ़ (मेन)

15. सिक्किम

(1) देनजांग आटोमोबाइल्स प्रा० लि० (मेन)

16. भूटान

(1) आटोमोबाइल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ भूटान (मेन)

17. नेपाल

(1) काठमांडू आटोमोबाइल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा० लि०, काठमांडू

18. राजस्थान

(1) स्टैण्डर्ड मोटर्स, बीकानेर (मेन)

(2) यूनाइटेड मोटर्स आफ राजस्थान, जयपुर (मेन)

(3) संघी ब्रादर्स, जोधपुर (मेन)

(4) पुष्पा मोटर्स, कोटा (मेन)

(5) यूनियन मोटर्स, श्रीगंगानगर (मेन)

(6) इण्डिया मोटर्स प्रा० लि०, अजमेर (सब-डीलर)

19. मध्य प्रदेश

(1) भोपाल मोटर्स प्रा० लि०, भोपाल (मेन)

(2) एसोसियेशन आटोमोबाइल्स, ग्वालियर (मेन)

(3) संघी ब्रादर्स (इन्दौर) लि०, इन्दौर (मेन)

(4) कमर्शियल आटोमोबाइल्स, जबलपुर (मेन)

(5) भिलाई मोटर्स रायपुर (मेन)

20. गोवा

नारोनिवा दामोदर नायक, मजगांव

21. महाराष्ट्र

(1) सतीश मोटर्स प्रा० लि०, औरंगाबाद (मेन)

(2) सुन्दर आटोमोबाइल्स, अकोला (सब-डीलर)

(3) यूनाइटेड मोटर्स (आई) लि०, बम्बई

(4) उज्जवल आटोमोबाइल्स, धुलिया (मेन)

(5) इंडिया आटोमोबाइल्स, कोल्हापुर (मेन)

(6) जेयका आटोमोबाइल्स प्रा० लि०, नागपुर (मेन)

(7) बाफना मोटर्स नंडेड (मेन)

(8) स्टर्लिंग मोटर्स, नासिक (मेन)

(9) आटोमोटिव सर्विसेज, पूणे (मेन)

22. गुजरात

(1) लखिया ब्रादर्स, अहमदाबाद (मेन)

(2) कार्गो मोटर्स, गांधीधाम (कच्छ) (मेन)

(3) वी० बी० पाटेल एण्ड कं० नडियाड (मेन)

(4) वैस्टर्न मोटर्स, राजकोट (मेन)

(5) श्री लक्ष्मी मोटर्स प्रा० लि०, सूरत (मेन)

(6) विमल मोटर, भावनगर (सब-डीलर)

23. आन्ध्र प्रदेश

(1) मदुरै मोटर्स, हैदराबाद (मेन)

(2) श्री रामदास मोटर ट्रांसपोर्ट लि०, काकीनाडा (मेन)

(3) एम० जी० ब्रादर्स कुरनूल (मेन)

(4) बी० शेषगिरी राव एण्ड संस, विजयवाड़ा (मेन)

24. कर्नाटक

(1) वेब्स सेल्स एण्ड सर्विस प्रा० लि०, बंगलौर (मेन)

(2) वेब्स एग्रीकल्चरल एण्ड आटो इंडस्ट्रीज़ हुसन (सब-डीलर)

(3) पेटसंस एजेंसीज़, बेलगांव (मेन)

(4) एम० जी० आटोमोबाइल्स, वेलारी, (मेन)

(5) एस० पी० मोटर्स, हुबली (मेन)

(6) अरविन्द मोटर्स मंगलौर (मेन)

(7) बी० पी० आटोमोबाइल्स, टुम्कुर (मेन)

25. तमिलनाडु

(1) दि गाऊंडर एण्ड कं०, कोयम्बतूर (मेन)

(2) वी० एस० टी० प्रा० लि०, मद्रास (मेन)

(3) पांडयान आटोमोबाइल्स प्रा० लि०, मदुरै (मेन)

26. केरल

(1) शक्ति आटोमोबाइल्स, कालीकट (मेन)

(2) दि मोटर एण्ड जनरल फाइनेंस लि०, कोचीन।

पाकिस्तान के "इलेक्ट्रानिक वारफेयर बिग्रेड

4077. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पाकिस्तान ने तीन से पांच बटालियनों के "इलेक्ट्रानिक वारफेयर बिग्रेड" बनाये हैं;

(ख) क्या सरकार को पाकिस्तान से खतरे की भी जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और क्या स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पाकिस्तान द्वारा इलेक्ट्रानिक वारफेयर ब्रिग्रेड स्थापित किये जाने के समाचार सरकार ने देखें हैं।

(ख) और (ग) सरकार उन सभी गतिविधियों पर बराबर नजर रखती है जिनका हमारी

सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और पूरी रक्षा तैयारियां बनाये रखने के लिए वह पर्याप्त उपाय करती रहती है।

संयुक्त सचिवों और उनसे ऊपर के पदों का आई० ए० एस० तथा अन्य सम्बद्ध केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं से भरा जाना

4078. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "सीनियर स्टाफिंग स्कीम" के अन्तर्गत संयुक्त सचिवों तथा उनसे ऊपर के पदों को आई० ए० एस०, सम्बद्ध सेवाओं, अन्य अंशदायी केन्द्रीय सेवाओं और केन्द्रीय सचिवालय सेवा से भरने के लिए नियम, मानदण्ड अर्हताएं क्या हैं तथा प्रक्रिया का अन्य ब्यौरा क्या है;

(ख) रोजगार समिति के गत 10 वर्षों में कौन-कौन सदस्य रहे और पदोन्नत किए गए आई० ए० एस० तथा अन्य सेवाओं के पदाधिकारियों का अनुपात कितना रहा;

(ग) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा का कोई अधिकारी अथवा आई० ए० एस० के अलावा अन्य सेवाओं के अनेक अधिकारी हैं, गत दस वर्षों में कार्मिक विभाग में संस्थापना अधिकारी (एस्टेबलिशमेंट आफिसर) के रूप में नियुक्त किये गये थे, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नियमित रिक्त पदों पर केन्द्रीय सचिवालय के पात्र अधिकारियों की पदोन्नति तथा संयुक्त सचिवों और उनसे ऊपर के रिक्त पदों पर पदोन्नति के मामले में आई० ए० एस० तथा अन्य अंशदायी सेवाओं के बीच असमानता दूर करने के लिए प्रक्रिया में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) केन्द्र में वरिष्ठ स्टाफिंग योजना के अन्तर्गत आने वाले भारत सरकार के स्थापना अधिकारी सहित संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पद कार्यविधि प्रतिनियुक्ति के आधार पर अखिल भारतीय और केन्द्रीय संगठित समूह "क" सेवाओं के उपलब्ध अधिकारियों में से उनकी सापेक्ष उपयुक्तता के सन्दर्भ में भरे जाते हैं जिसमें प्रत्येक पद की विशिष्ट आवश्यकता और वरण-क्षेत्र के भीतर अधिकारियों की अर्हताओं तथा उनके अनुभव को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) पिछले दस वर्षों के दौरान स्थापना अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा से ही लिए गए हैं। उनका चयन उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुसार ही किया गया है।

(घ) चूंकि नियुक्ति उत्तर के उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित वरिष्ठ स्टाफिंग योजना के अनुसार की जाती है, इसलिए असमानता का प्रश्न ही नहीं उठता है।

1971 से 1981 तक वरिष्ठ चयन बोर्ड का गठन

1971 और 1972

1. मन्त्रिमण्डल सचिव —अध्यक्ष (पदेन)

2. सचिव (कार्मिक)
3. गृह सचिव —सदस्य (पदेन)
4. प्रधान मन्त्री के सचिव

5. श्री आर० सी० दत्त०, आई० सी० एस० (पश्चिम बंगाल : 36)
6. सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय —सदस्य
7. श्री पी० गोविन्दन नायर, आई० सी० एस० (तमिलनाडु 37) वित्त सचिव 1 जून, 197। में वित्त सचिव, श्री बी० डी० पांडे ने श्री नायर का स्थान लिया।

1973

1. मंत्रिमण्डल सचिव —अध्यक्ष (पदेन)

2. प्रधान मन्त्री के प्रधान सचिव
3. गृह सचिव —सदस्य (पदेन)
4. सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

5. श्री के० बी० लाल, आई० सी० एस० (मध्य प्रदेश : 37) प्रधान सचिव रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय में सचिव, श्री के० बी० लाल के सेवानिवृत्त हो जाने पर, दिसम्बर, 1973 के अन्त तक सचिव, रक्षा मंत्रालय (श्री गोविन्द नारायण, आई० सी० एस० (उत्तर प्रदेश : 39) एस० एस० बी० के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। —सदस्य
6. श्री एम० आर० यार्दी (एम० एच० : 40) सचिव, वित्त मन्त्रालय

1974

1. मंत्रिमण्डल सचिव —अध्यक्ष (पदेन)

2. सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
3. गृह सचिव —सदस्य (पदेन)
4. प्रधानमन्त्री के सचिव

5. श्री गोविन्द नारायण, आई० सी० एस० (उ० प्र० : 39) सचिव, रक्षा मंत्रालय
6. श्री एन० वी० शिनोई, टी० ई० एस० सचिव, संचार मंत्रालय

—सदस्य

1975

1. मंत्रिमण्डल सचिव — अध्यक्ष (पदेन)
2. सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
3. गृह सचिव
4. प्रधानमन्त्री के सचिव

—सदस्य (पदेन)

5. श्री ए० एन० बनर्जी, आई० ए० एस० (पश्चिम बंगाल : 42) सचिव, निर्माण तथा आवास मंत्रालय
6. श्री संतोष सोंधी, आई० एस० पी० सचिव, भारी उद्योग विभाग

—सदस्य

1976

1. मंत्रिमण्डल सचिव — अध्यक्ष (पदेन)
2. सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
3. गृह सचिव
4. प्रधानमन्त्री के सचिव

—सदस्य (पदेन)

5. श्री डी० आर० कोहली, आई० सी० एस० (ए० एस० : 42) सचिव, रक्षा मंत्रालय
6. श्री एस० एम० अग्रवाल, टी० ई० एस० सचिव, संचार मंत्रालय

—सदस्य

1977

1. मंत्रिमण्डल सचिव — अध्यक्ष (पदेन)
2. सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
3. गृह सचिव
4. प्रधानमन्त्री के सचिव

—सदस्य (पदेन)

5. श्री डी० आर० कोहली आई० सी० एस० (ए० एस० : 42) सचिव, रक्षा मंत्रालय
6. श्री एस० एम० अग्रवाल, टी० ई० एस० सचिव, संचार मंत्रालय

—सदस्य

1978

1. मंत्रिमण्डल सचिव	—अध्यक्ष (पदेन)
2. सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	—सदस्य (पदेन)
3. स्थापना अधिकारी	—सदस्य सचिव (पदेन) इससे पूर्व स्थापना अधिकारी एस० एस० बी० के सचिव थे।

1979

1. मंत्रिमण्डल सचिव	—अध्यक्ष (पदेन)
2. सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	—सदस्य (पदेन)
3. श्री जे० ए० दवे, आई० ए० एस० (उड़ीसा : 46) सचिव, रक्षा मंत्रालय	—सदस्य
4. श्री एस० एस० मराठे, आई० ई० एस० सचिव, औद्योगिक विकास विभाग	—सदस्य
5. स्थापना अधिकारी	—सदस्य सचिव (पदेन)

1980 तथा 1981

1. मंत्रिमण्डल सचिव	—सदस्य सचिव (पदेन)
2. सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	—सदस्य (पदेन)
3. श्री वी० बी० ईश्वरन, आई० ए० एस० (गुजरात : 50) सचिव, व्यय विभाग 4. श्री डी० वी० कपूर (अनुबन्ध पर) सचिव, भारी उद्योग विभाग	—सदस्य
5. स्थापना अधिकारी	—सदस्य सचिव (पदेन)

दुबई स्थित जनशक्ति भर्ती एजेन्सी

4079. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुबई स्थित जेन शक्ति भर्ती एजेन्सी प्रधान मन्त्री के संरक्षण/प्रशंसा प्राप्त होने का दावा किया है;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित एजेंसी का नाम क्या हैं; और

(ग) प्रधान मन्त्री के नाम का दुरुपयोग करने के कारण इस एजेंसी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) मैसर्स इन्टरनेशनल रिक्रूटमेंट सर्विसेज मेनपावर सेन्टर, दुबई ।

(ग) दुबई में भारतीय मिशन द्वारा कम्पनी को यह सलाह दी गई है कि वह भारतीय श्रमिकों की भर्ती के लिए मिशन के साथ तब तक कोई सम्पर्क न करें जब तक कि वे यू० ए० ई० संघीय श्रम न्यायालय के अनुसार श्रमिकों की भर्ती के लिए यू० ए० ई० लाइसेंस प्रदान न कर दे । भारतीय मिशन ने यह सिफारिश की है कि कम्पनी के प्रबंध-निदेशक तथा उनके सहयोगियों को भारत में प्रवेश हेतु काली सूची में रखा जाए ।

राज्यों की सीमेंट की मांग और उनकी सप्लाई

4080. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सीमेंट की राज्यवार आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान उनकी आवश्यकता की तुलना में प्रत्येक राज्य को कितनी मात्रा में सीमेंट सप्लाई किया गया;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि उड़ीसा राज्य तथा सरकारी क्षेत्रों में विकास कार्यों में उड़ीसा को अपर्याप्त सीमेंट सप्लाई के कारण बहुत अधिक बाधा पड़ी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) राज्य की प्रत्येक तिमाही की सीमेंट की कितनी मांग थी और 1980-81 के दौरान इसे तिमाही-वार कितनी मात्रा में सप्लाई की गई ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) और (ङ) केन्द्र सरकार ने ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया है । किन्तु उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में बताया है कि उनकी सीमेंट सम्बन्धी आवश्यकता 2.5 लाख मी० टन प्रति तिमाही होगी । वर्ष 1980 और 1981 में उड़ीसा राज्य को किया गया सीमेंट का तिमाहीवार आवंटन तथा प्रेषण (हजार मी० टनों में) निम्न प्रकार है :—

अवधि	आवंटन	प्रेषण
पहली तिमाही 1980	133.4	107.4
दूसरी तिमाही 1980	94.2	130.4

1	2	3
तीसरी तिमाही 1980	81.4	56.2
चौथी तिमाही 1980	122.9	72.6
पहली तिमाही 1981	121 7	79.7
दूसरी तिमाही 1981	96.4	70.7
तीसरी तिमाही 1981	31.4	92.7
चौथी तिमाही 1981	108.9	28.4
	(केवल के अक्तूबर महीने के लिए)	

(ख) वर्ष 1979 और 1980 में राज्यों को किए गये सीमेंट के राज्यवार आबंटन और प्रेषण को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) उड़ीसा सहित देश में सीमेंट की सामन्यतः कमी है। इस हद तक यह संभव है कि उड़ीसा राज्य में कुछ विकास संबंधी निर्माण कार्यों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

विवरण

वर्ष 1979 और 1980 में राज्यवार आवंटन तथा प्रेषण दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	क्षेत्र/राज्य	(आंकड़े 000 मी० टनों में)			
		1979		1980	
		आवंटन	प्रेषण	आवंटन	प्रेषण
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
1.	हरियाणा	689.5	580.4	619.5	430.0
2.	राजस्थान	629.3	607.9	571.7	501.0
3.	उत्तर प्रदेश	2238.5	1789.3	1952.3	1439.6
4.	हिमाचल प्रदेश	135.3	95.3	1:8 0	91.4
5.	जम्मू और कश्मीर	196.0	142.9	184.4	140.4
6.	पंजाब	985.1	720.4	911.2	523 8

1	2	3	4	5	6
7.	चंडीगढ़	84.9	79.2	83.6	72.6
8.	दिल्ली	536.5	449.6	527.2	429.5
दक्षिणी क्षेत्र					
9.	आन्ध्र प्रदेश	1533.5	1549.5	1550.5	1539.1
10.	तमिलनाडु	1523.8	1372.1	1529.9	1489.2
11.	कर्नाटक	1232.1	1009.7	1025.7	949.9
12.	केरल	886.9	777.7	983.7	941.0
13.	पाँडिचेरी	43.0	35.9	45.0	54.1
14	अंडमान निकोबार	12.9	7.6	18.3	13.1
15.	लक्षदीप	6.7	3.0	7.6	2.3
पूर्वी क्षेत्र					
16.	असम	253.5	155.1	219.0	169.9
17.	बिहार	1109.1	815.3	914.6	819.6
18.	उड़ीसा	394.1	345.1	431.9	366.6
19.	पश्चिमी बंगाल	1419.6	1106 4	1195.6	1051.4
20.	मणिपुर	43.0	30.9	46.5	21.2
21.	नागालैण्ड	43.0	34.4	46.5	35.9
22.	अरुणाचल प्रदेश	45.0	23.3	52.0	17.3
23.	त्रिपुरा	43.0	24.0	49.0	18.1
24.	मेघालय	64.5	38.9	66.0	44.6
25.	सिक्किम	43.0	18.8	44.6	32.4
26.	मिजोरम	25.8	8.4	26.4	6.2

1	2	3	4	5	6
पश्चिमी क्षेत्र					
27.	गुजरात	1692.5	1464.1	1539.3	1431.6
28.	मध्य प्रदेश	784.1	714.5	746.1	662.3
29.	महाराष्ट्र	2213.5	1777.4	2108.9	1800.2
30.	गोवा, दमन द्वीव	127.3	73.3	120.2	115.8
31.	दादरा नगर हवेली	10.9	9.0	11.6	5.4

बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए अंशदान में वृद्धि हेतु उड़ीसा सरकार का अनुरोध

4082. **श्री के० पी० सिंह देव :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि वह बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गई योजनाओं के लिए अपना अंशदान दुगना करे;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केंद्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य की व्यवसायिक योजनाएं आरम्भ करने में सहायता करने का है ताकि मुक्त किये गये श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार मिल सके, और

(घ) क्या इन श्रमिकों को उड़ीसा में केन्द्र द्वारा संचालित सरकारी परियोजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार प्रदान किया जाएगा ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा चलाई जा रही वर्तमान योजना के लिए केन्द्रीय सहायता की दर बढ़ाने हेतु आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त अन्य प्रस्ताव पर योजना आयोग के साथ परामर्श करके विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया कि फिलहाल इस सम्बन्ध में यथापूर्व स्थिति को बनाये रखा जाए। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे समाज के कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए इस योजना का अन्य विभिन्न केन्द्रीय/राज्य योजनाओं के साथ समन्वय करे तथा ऐसी योजनाएं तैयार करे जिनमे मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों का अधिक स्थायी आधार पर पुनर्वास सुनिश्चित हो ताकि वे फिर बंधुआ श्रमिक न बन जाएं।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, तात्कालिक पुनर्वास के लिए सभी

संभव उपायों का पता लगाने के अपने प्रयासों में, भारत सरकार ने मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों में, जो उनके अधीन हैं, ग्रुप "ग" और "घ" में उन उपयुक्त पदों की भर्ती के लिए 40 वर्ष तक आयु-छूट की सुविधा प्रदान की है और रोजगार कार्यालयों ने उन्हें अग्रता— III सुविधा प्रदान की जिनके लिए भर्ती रोजगार कार्यालय द्वारा या अन्यथा की जाती है।

साइमन्स के साथ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के करार

4083. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० ने पश्चिम जर्मनी साइमन्स ए० जी० के साथ तकनीकी सहयोग के लिए उत्पादनवार एक दर्जन से अधिक करार किए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या साइमन्स अपनी भारतीय सहायक कम्पनी के माध्यम से विद्युत परिषद उपकरण का निर्माण करेगी, और

(घ) यदि हां, तो इन व्यवस्थाओं का तथा प्रौद्योगिकी और तकनीकी के आदान-प्रदान का मुख्य ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। बी० एच० ई० एल० ने तकनीकी सहयोग के लिए पश्चिम जर्मनी की मेसर्स सीमेन्स ए० जी० के साथ केवल 5 करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें हाई स्पीड इण्डस्ट्रियल ड्राइव टर्बाइनें पावर सेमी-कंडक्टर कंम्पोनेन्ट, थाइरिस्टर कन्वर्टर्स, एस० एफ०-6 और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और बिजली की मोटरें जैसी वस्तुएं शामिल हैं।

बी० एच० ई० एल० ने तकनीकी सहयोग हेतु मे० सीमेन्स ए० जी० की सहायक कम्पनी मेसर्स के डब्ल्यू० यू० ए० जी, पश्चिम जर्मनी के साथ 3 और करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। के० डब्लू० यू० के साथ करारों में बड़े वाष्प टर्बाइन जनरेटर और वाष्प संतह कन्डेन्सर जैसी वस्तुएं शामिल हैं।

ग) कम्पनी ने बताया है कि विद्युत पारेषण उपकरणों के निर्माण के लिए इस समय उनकी कोई योजनाएं नहीं हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र की विभिन्न परियोजनायें चालू करने में बिलम्ब

4084. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के सदस्य ने सरकारी उद्यमों के सम्बन्ध में "प्रोजेक्ट मैनेजमेंट

कंस्ट्रक्शन" शीर्षक से हुए तीन दिवसीय सेमीनार का उद्घाटन करते हुए देश में सरकारी क्षेत्र की विभिन्न परियोजनायें चालू करने में हुए उस असामान्य विलम्ब के लिए प्रोजेक्ट मैनेजरों की प्रताड़ना की थी जिसके परिणामस्वरूप उनकी लागत में भारी वृद्धि हुई तथा राष्ट्रीय राजकोष को भारी हानि हुई,

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के अधीन इनमें से कौन-सी परियोजनायें हैं और उनकी वर्तमान लागत सम्बद्ध परियोजना के मूल विचार के समय की अनुमानित लागत से कितनी अधिक है, और

(ग) लागत में वृद्धि को रोकने और परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण (विवरण-1) संलग्न है।

(ग) एक विवरण (विवरण-2) संलग्न है।

विवरण 1

उद्योग मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों की ऐसी योजनाओं (प्रायोजनाओं) की जिनको पूरे होने में देरी पूर्वानुमानित है व उनकी बढ़ी हुई स्वीकृत लागत को बताने वाला विवरण : –

क्रमांक	उपक्रम/योजना का नाम		मूल लागत रु० करोड़ों में	वर्तमान पूर्वानुमानित लागत
I.	**हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि०**	**रु० करोड़ों में**		
1.	केरला न्यूजप्रिंट प्राजेक्ट	वही	39.08	151.90
2.	नागालैन्ड पल्प	वही	19.75	83.73
3.	नोगांव प्रोजेक्ट एण्ड पेपर कम्पनी	वही	114.25	22.44
4.	कंचार प्रोजेक्ट	वही	114.00	226.32
II.	**भारत हेवी इलैक्ट्रीकल लि०**	**रुपये लाखों में**		
1.	बाउल मिल्स, हैदराबाद	1820	1858	2038
2.	स्टान्पिग सुविधाऐं बढ़ाना	वही	377	410
3.	हाइड्रो जेनेरेटर उपकरण की क्षमता बढ़ाना	वही	641	705

1	2	3	4	5
4.	संयंत्र सर्विसेज का बढ़ाना व सुधार	रु० लाख में	77	82
III.	**रिचार्डसन एण्ड क्रूडास लिमिटेड**			
1.	ट्रान्समीसियन लाइन टावर्स प्रो०	वही	250	255
IV.	**तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट लिमिटेड**			
1.	विस्तार कार्यक्रम और नए एकक का स्थानान्तरण	वही	104	159

विवरण-2

समय और लागत की बढ़ोत्तरी को हटाने के लिए अन्य बातों के साथ ये कदम भी उठाये गये हैं :—

1. उपक्रमों और मंत्रालय द्वारा बड़ी पूंजीगत योजनाओं के मोनीटर करने की प्रणाली का सुदृढ़ बनाया जाना ।

2. दुर्लभ निविष्टियों की प्राप्ति में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सहायता ।

3. जहां उसकी आवश्यकता हो वहां सरकारी अभिकरणों के द्वारा शीघ्र अनापत्ति का व समय पर धनराशि का दिया जाना

4. शीघ्र कार्य निष्पादन के लिए निर्माण कार्यक्रम को तेज करने, विभिन्न आवश्यक अवस्थापना उत्पादों की उपलब्धता को सम्बद्ध करके प्रायोजनाओं को मोनीटर करके उनमें शीघ्रता लाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

बजाज ग्रुप का विस्तार कार्यक्रम

4085. **श्री रघुनन्दन भाटिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजाज ग्रुप विस्तार कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आरंभ कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है और इस पर कितना पूंजीगत परिव्यय होगा ; और

(ग) इसमें कितना विदेशी सहयोग तथा प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़ेगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) मे० बजाज आटो लिमिटेड पुणे ने स्कूटरों तथा तिपहियों के निर्माण, की अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता

का प्रर्याप्त विस्तार 1,60,000 नग से बढ़ाकर 4,60,000 नग प्रतिवर्ष तक करने के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। इस विस्तार में 99 करोड़ रू० के पूंजी निवेश की परिकल्पना की गई है।

(ग) किसी विदेशी सहयोग अथवा प्रौद्योगिकी की आयात की परिकल्पना नहीं की गई है।

विदेशी निवेश के लिये क्षेत्र

4 86. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या उन क्षेत्रों को परिभाषित कर दिया गया है जिनमें मशीनरी, टूल्स रसायन उत्पादनों और कम्पोनेंट ग्रुपों सहित बहुत बड़ी संख्या में उद्योगों में विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी हेतु संबंध ट्राई--अप स्थापित किए जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अपराध के मामले

4087. **श्री समर मुखर्जी**
श्री बाला साहिब विखे पाटिल } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अक्तूबर, 1981 तक के अपराध के कुल कितने मामले हुए ;

(ख) उनका राज्यवार और शीर्षक-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में ये आंकड़े कितने न्यूनाधिक हैं ; और

(घ) स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) चूंकि अपराध राज्य का विषय है अतः अखिल भारतीय आधार पर सम्पूर्ण रूप से अपराध के मामलों की कुल संख्या के तुलनात्मक आंकड़ों के सम्बंध में कोई सामग्री संकलित नहीं की जाती है। फिर भी अपराध स्थिति का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है और इस सम्बन्ध में आवश्यकता होने पर उपयुक्त कारवाई की जाती है।

नागालैंड कागज मिल्स के पूरा होने में विलम्ब

4088. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैंड कागज मिल का निर्माण और उसे उत्पादन के लिए चालू करने में विलम्ब के लिए कौन-कौन सी बातें पहलू और कारण जिम्मेदार हैं ;

(ख) इसकी अनुमानित लागत क्या है, क्या समय निर्धारित किया गया था और बाद में कितनी लागत आयी और कितना समय बढ़ाया गया ;

(ग) क्या, जब नागालैंड में कागज संयंत्र आरंभ किया गया था तो आदिवासियों की ओर से कोई विरोध किया गया था;

(घ) यदि हां, तो उस राज्य के आदिवासियों की वास्तिक मागें पूरी करने के लिए भारत सरकार ने क्या उपाय किये हैं; और

(ङ) कागज संयंत्र को उत्पादन के लिए चालू करने हेतु भारत सरकार और नागालैंड ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) निम्नलिखित कारणों से परियोजना को नियत समय पर पूरा नहीं किया जा सकता है ?

(1) परियोजना के लिये नियुक्त किया गया टर्न—की परामर्शदाता अपना कार्य नियत समय पर नहीं कर सका था, अत: एक नए परामर्शदाता की नियुक्ति करनी पड़ी।

(2) दुर्लभ उपकरणों की आपूर्ति करने में बिक्रेता की ओर से हुआ विलम्ब।

(3) जनशक्ति गतिशील बनाने तथा अन्य निविष्टियों को जुटाने में कठिनाई तथा अवस्थापना सुविधाओं की कमी व स्थापना स्थल संबंधी अन्य परेशानियां।

(4) परियोजना स्थल पर प्रशिक्षित और अनुभवी कार्मिकों की कमी।

(ख) (1) परियोजना की (1972 में स्वीकृत) मूल लागत — 19.75 करोड़ रुपये
चालू होने की वास्तविक तिथि — दिसम्बर, 1977

(2) वर्तमान अनुमानित लागत आरंभ होने की — 83.73 करोड़ रुपये
चालू होने की वर्तमान प्रत्याशित तिथि — मार्च, 1982

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) परियोजना स्थल पर प्रबंध को प्रभावी बनाने हेतु नागालैंड प्रोजेक्ट के संगठनात्मक ढांचे को पुनर्गठित किया जा रहा है व उसे सुदृढ बनाया जा रहा है।

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू करना

4089. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना में देश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाएं और कार्यक्रम लागू कर दिए गये हैं;

(ख) छठी योजना की वार्षिक योजनाओं में राज्यवार आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में कौन-कौन सी योजनाएं और कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं;

(ग) योजना आयोग ने आदिवासी क्षेत्रों के लिये योजनाओं और कार्यक्रमों की स्वीकृति के लिये क्या-क्या सिद्धांत और विचार अपनाये हैं तथा किन-किन राज्यों को अपने-अपने आदिवासी क्षेत्रों के लिये केन्द्र से पृथक-पृथक धनराशि प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि राज्यों या केन्द्र द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के लिये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पृथक रूप से नहीं बनाये गये हैं तो आदिवासी उपयोजना का विचार और नीति सिद्धांत रूप में कैसे स्वीकार और अंगीकार किया गया है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों सहित देश भर में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके संघटक कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

1. प्रारम्भिक शिक्षा
2. प्रौढ़ शिक्षा
3. ग्रामीण स्वास्थ्य
4. ग्रामीण जलपूर्ति
5. ग्रामीण सड़कें
6. ग्रामीण विद्युतीकरण
7. ग्रामीण भूमिहीनों के लिए आवास
8. गन्दी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार
9. पोषाहार

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो मानक अपनाए गये हैं वे निम्नलिखित दो मानकों को छोड़ कर देश भर के लिये एक जैसे हैं।

1. मैदानी भागों में 5,000 की जनसंख्या के लिए तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 3,000 की जनसंख्या के लिये एक उप केन्द्र की स्थापना; और
2. मैदानी भागों में 30,000 जनसंख्या के लिये तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 20,000 की जनसंख्या के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं में शामिल किये गये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की वित्त व्यवस्था सम्बन्धित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र करते हैं। प्रारम्भिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा ग्रामीण स्वास्थ्य और ग्रामीण जलपूर्ति के कार्यक्रमों की अनुपूर्ति केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों से की जाती है।

(घ) जनजातीय उप-योजना की नीति पांचवीं योजना में शुरू की गई थी और उसे परिवारोन्मुख कार्यक्रमों पर अधिक जोर देते हुए छठी योजना में जारी रखा जा रहा है। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना की रिपोर्टें इस कार्यनीति का आधार हैं और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इसका एक अभिन्न भाग है।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनों की संख्या

4090. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) ने अब तक कुल कितने प्रतिवेदन प्रकाशित किये हैं;

(ख) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने आदिवासी क्षेत्रों, आदिवासी विकास अथवा आदिवासी जनसंख्या से सम्बन्धित कितने प्रतिवेदन प्रकाशित किये हैं;

(ग) क्या राज्य मूल्यांकन संगठन ने अपने कार्यकरण के प्रारम्भ से अब तक आदिवासी विकास के लिये प्रतिवेदन प्रकाशित किये हैं;

(घ) यदि हां, तो इन प्रतिवेदनों में आदिवासियों के विशेष सन्दर्भ में राज्यवार, किन-किन विषयों का चयन किया गया है, अध्ययन किया गया है और समाधान की सिफारिश की गई है; और

(ङ) इसके लिये वार्षिक योजनाओं तथा छठी योजना अवधि के दौरान आदिवासी क्षेत्रों, आदिवासी विकास तथा अदिवासी जनसंख्या से सम्बन्धित कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) द्वारा किये गये अध्ययन के अन्तर्गत कौन-सी परियोजनाएं, कार्यक्रम योजनाएं और विषय हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) कार्यक्रम मूल्यांकन (योजना आयोग) द्वारा निकाली गई रिपोर्टों की कुल सं० दि० 1-12-1981 को 117 है।

(ख) जनजातीय क्षेत्र और जनजातीय जनसंख्या, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के मूल्यांकन अध्ययनों के लिये प्रतिदर्शों के चयन में समष्टि का एक भाग है।

(ग) और (घ) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के पास सूचना नहीं है।

(ङ) जनजातीय क्षेत्रों, जनजातीय विकास और जनजातीय जनसंख्या से सम्बन्धित

निम्नलिखित मूल्यांकन अध्ययनों का इस समय कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन में अध्ययन किया जा रहा है : —

(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रावृत्ति स्कीम का मूल्यांकन अध्ययन।

(2) कुछ चुनी हुई एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन।

(3) दादरा और नगर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र में आदिवासी छात्रों के लिये कल्याण छात्रावासों के कार्यकरण का मूल्यांकन अध्ययन।

साइकिल अनुसन्धान और विकास निगम तथा सिलाई मशीन विकास केन्द्र की स्थापना

4091. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम भारत में साइकिल अनुसंधान और विकास निगम तथा सिलाई मशीन विकास केन्द्र की स्थापना के लिये सहायता देने पर सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) और (ख) राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम(यू० एन० डी०पी०)भारत में साइकिल अनुसंधान विकास निगम तथा सिलाई मशीन विकास केन्द्र दोनों को अपने देश कार्यक्रम 1979-83 में शामिल कर लुधियाना में स्थापना करने के लिए सहमत हो गया है।

दोनों ही मामलों में मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी में सुधार, उत्पादकता में वृद्धि, प्रशिक्षण देना तथा इस प्रकार देश में निर्मित साइकिलों तथा सिलाई मशीनों को भारतीय तथा विदेशी विपणन के लिए बढ़िया किस्म स्तर तक लाना है।

राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम से आशा की जाती हैं कि वह दोनों केन्द्रों को क्रमश: 15 तथा 5 लाख अमरीकन डालर विशेषज्ञों कार्मिक प्रशिक्षण, उपस्कर पूर्ति आदि की लागत के रूप में देगा जबकि पंजाब सरकार की योजना क्रमश: 85.24 तथा 58.42 लाख रुपए खर्च करने की है।

पूर्वोत्तर परिषद् द्वारा प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं की जांच

4092. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के कार्यकारी दल ने पूर्वोत्तर परिषद् द्वारा प्रस्तावित विभिन्न प्लान योजनाओं की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो चालू क्षेत्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त क्षेत्र में आवश्यक आधारभूत ढांचा बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) स्कीमों की सूची का विवरण संलग्न है।

उत्तर-पूर्वी परिषद की योजना में शामिल की गई स्कीमों का उद्देश्य आधार संरचनात्मक सुविधाओं में सुधार, जनशक्ति विकास और इस क्षेत्र में कुछ प्रायोगिक परियोजनाएं हैं। इसके अलावा विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रालयों की योजनाओं में नई रेल लाइनें बनाना, छोटी लाइनों को बदलकर बड़ी लाइनें बनाना, तीसरी विमान सेवाओं का प्रचालन, उर्वरक परियोजना, विद्युत परियोजनाएं और संचार का विस्तार जैसी स्कीमों की व्यवस्था है।

विवरण

उत्तर-पूर्वी परिषद्

जारी स्कीमों की सूची

1. कृषि सेवाओं का संबद्ध सेवाएं

(क) कृषि और बागवानी

1. क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम
2. मिट्टी और भूमि उपयोग सर्वेक्षण
3. बड़ी खाद्य और उद्यान कृषि फसलों के लिए आधार बीज फार्म
4. झूम नियन्त्रण स्कीमें
5. भौम जल सर्वेक्षण और विकास
6. जल संभर प्रबन्ध परियोजनाएं
7. बायो-उर्वरकों का उत्पादन
8. छत्रक का उत्पादन
9. फल और उद्यान पौध
10. शीतोष्ण फली और बादाम की फसलों का विकास
11. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सिट्रस के उद्यानों को फिर से कार्यशील बनाने के लिए प्रायोगिक प्रदर्शन
12. प्रायोगिक प्रक्रमण संयंत्र (अदरक को सुखाना, अनानास और संतरे के रस का सांद्रण)

(ख) बागान

चाय कॉफी और रबर

1. पौध
2. प्रक्रमण इकाइयां
3. प्रदर्शन स्थल

(ग) पशुपालन

1. प्रजनन और प्रदर्शन/पशुफार्म
2. क्षेत्रीय चारा बीज उत्पादन और प्रदर्शन फार्म
3. वैक्सीन उत्पादन

(घ) मछली उत्पादन

1. वील और झीलों का सर्वेक्षण
2. मछली बीज फार्म
3. खर-पतवार का विकास

(2) ऊर्जा

1. कोपिली पन-बिजली परियोजना
2. गारो पहाड़ियां तापीय परियोजना
3. कोपिली संचरण परियोजना
4. विद्युत परियोजनाओं का सर्वेक्षण और अन्वेषण
5. ऊर्जा के वैकल्पिक साधन

(3) उद्योग और खनन

(क) खनिज

1. संसाधन-सर्वेक्षण
2. विस्तृत खनिज अन्वेषण और प्राप्ति

(ख) बड़े और मझोले उद्योग

3. मिनी सीमेंट संयन्त्र

(ग) रेशम कीट पालन

4. मूगा और बलूत पौध, बीज कणिकाएं, प्रक्रमण

(4) परिवहन और संचार

1. रेलवे सर्वेक्षण

2. रज्जु मार्ग

3. नौवहन जैली और संचालन उपकरणों के लिए अंतर्देशीय परिवहन व्यवस्था

4. सड़कों/पुलों का निर्माण और सुधार

5. ब्रह्मपुत्र पर पुल

6. केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की अनुसंधान तथा विस्तार इकाई की स्थापना

(5) जनशक्ति विकास

(6) सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं

1. वैक्सीन, कुत्तों के लिए वैक्सीन और वैक्सीन की डी० और टी० ग्रुप का उत्पादन
2. क्षेत्रीय कैंसर संस्थान

(7) सामान्य सेवाएं

1. बाढ़ मानचित्रण और तट परिवर्तन अध्ययन

2. परामर्श अन्वेषण और सर्वेक्षण (अध्यक्ष)

3. क्षेत्रीय सूचना और प्रलेखन केन्द्र

4. न्याय-वैद्यक विज्ञान प्रयोगशाला

5. प्राकृतिक बाधा जोखिम मूल्यांकन और कमी कार्यक्रम

भास्कर-II का कार्य-निष्पादन

4093. **श्री चिंतामणि जैना :**
श्री अर्जुन सेठी :
श्री वृद्धि चन्द्र जैन : } : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भास्कर- II के संचालन और कार्य-निष्पादन से संतुष्ट है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस बारे में विदेशी वैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा क्या सहयोग दिया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्यमन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां,

(ख) उपग्रह का भू-केन्द्रों से लगातार मानीटरन किया जा रहा है तथा अन्तरिक्षयान की सभी प्रणालियां संतोषप्रद ढंग से कार्य कर रही हैं। दो प्राथमिक नीतभारों अर्थात् टी० वी० कैमरा प्रणाली तथा तीन आवृति माइक्रोवेव रेडियोमीटर (समीर) को चालू कर दिया गया है तथा इनसे चित्रों और आंकड़ों को अच्छी अवस्था में प्राप्त किया गया है। उपग्रह नियमित प्रचालनों के लिए तैयार है। सोवियत संघ ने निःशुल्क प्रमोचक राकेट तथा प्रमोचन एवं अनुवर्तन सहायता प्रदान करने के अलावा पैनल, प्रचक्रण उप-प्रणालियों के भागों, रसायनिक बैटरी तथा चुम्बकीय टेप रिकार्डर जैसी कुछ उप-प्रणालियों को भी निःशुल्क प्रदान किया है। डी० एफ० वी० एल० आर० नामक जर्मन अन्तरिक्ष एजेंसी तथा सी० एन० ई० एस० नामक फ्रेंच एजेंसी ने अनुवर्तन सहायता प्रदान की है।

विदेशी धन से सीमावर्ती राज्यों में कुछ संगठनों की गतिविधियां

4094. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल**
श्री के० प्रधानी } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में विशेषकर सीमावर्ती राज्यों जैसे जम्मू और काश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विदेशी योगदान वाली एजेंसियों की सहायता के जरिये की जा रही कुछ संगठनों और व्यक्तियों की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के बारे में प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक 1981 में इस बारे कोई जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(घ) ऐसे राष्ट्रविरोधी तत्वों की आपत्तिजनक गतिविधियों और इस देश में विदेशी धन के आगमन को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में सीमेंट की कमी

4095. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों में सीमेंट की अत्यधिक कमी है,

(ख) यदि हां, तो उन्हें समय पर सीमेंट की सप्लाई न करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या देश में सीमेंट की मांग और सप्लाई के बीच अन्तर को दूर करने के लिए कोई दीर्घकालिक योजना बनाई गई है और यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिए कितना उत्पादन निर्धारित किया गया है ; और

(घ) क्या इस कमी वाली वस्तु, जिसकी भारी कालाबाजारी हो रही है, का अधिक उत्पादन करने के लिए इस योजना के समय पर कार्यान्वयन की अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए कोई निगरानी एजेंसी स्थापित की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश में सीमेंट की सामान्य रूप से कमी है।

(ख) आंबटन पर सप्लाई में वृद्धि करने के लिए कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाहों के माध्यम से आयातित सीमेंट भी दिया जा रहा है। इसके आलावा सीमेंट के प्रेषण में तेजी लाने के लिए सीमेंट को सड़क द्वारा लाने ले जाने हेतु भाड़ा प्रतिपूर्ति संबंधी विद्यमान नियमों को उदार बना दिया गया है।

(ग) सरकार ने देश में मांग को पूरा करने के लिये सीमेंट उद्योग में अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने के बारे में एक उदार नीति अपनाई है और 1.11.81 को 368.20 लाख मी० टन क्षमता स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से 34 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में हैं।

(घ) जी, हां।

टायरों के मूल्यों में वृद्धि करना

4096. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि टायर निर्माता मूल्यों को बढ़ाने के लिए विभिन्न अन्य अप्रत्यक्ष साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे टायरों के प्लाई रेटिंग की अविवेकपूर्ण वृद्धि और बढ़े हुए तथाकथित "हैडलिंग चार्जेज" आदि ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, टायर निर्माताओं द्वारा कितना मुनाफा कमाया गया था।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार गत तीन वर्षों में प्रमुख टायर कम्पनियों द्वारा अर्जित किए गए लाभ/उठायी गई हानियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. डनलप इन्डिया लिमिटेड	1977-78	184.56
	1978-79	399.29
	1979-80	381.11
2. बम्बई टायर्स इन्टरनेशनल लि०	1977-78(—)	120.00
भूतपूर्व फायर स्टोन टायर्स एण्ड	1978-79(—)	290.68
रबर प्राइवेट लिमिटेड	1979-80	15.18
3. गुडइयर इन्डिया लिमिटेड	1977-78(—)	45.13
	1978-79	234.05
	1979-80	305.25
4. सिएट टायर्स आफ	1977-78	134.70
इन्डिया लिमिटेड	1978-79	247.06
	1979-80	488.06
5. मोदी रबर लिमिटेड	1977-78	271.78
	1978-79	388.49
	1979-80	596.62
6. मद्रास रबर फैक्ट्री	1977-78(—)	182.52
	1978-79	138.74
	1979-80	300.67
7. प्रीमियर टायर्स लिमिटेड	1977-78(—)	172.74
	1978-79(—)	202.34
	1979-80	29.16
8. अपोलो टायर्स	1978-79(—)	319.00
	1979-80(—)	252.00
9. विक्रांत टायर्स	1978-80	—
	1980-81(—)	576.72

ट्यूबों और टायरों के मूल्यों को बढ़ाना

4097 : **श्री अजित कुमार साहा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि दो/तीन महीनों के नियमित अन्तराल में वाहनों ट्रैक्टर, ए० डी० वी० के टायरों और ट्यूवों के मूल्य बढ़ाये जा रहे हैं;

(ख) इस बारे में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की सिफारिश क्या है; और

(ग) ये सिफारिशें किस सीमा तक कार्यान्वित की गई थी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री. (डा० चरणजीत चानना) : (क) वर्ष 1981 के फरवरी, मई और सितम्बर में मोटरगाड़ियों के टायर और ट्यूवों के मूल्य बढ़े थे।

(ख) और (ग) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो को मई 1978 में यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह प्रश्न भेजा गया था कि क्या उत्पादकों द्वारा किया गया दावा कि कच्चे माल और अन्य निविष्टियों की लागत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मूल्यों की वृद्धि की गई है न्याय संगत है। ब्यूरो के निष्कर्ष लोकसभा में दिनांक 26-4-1978 को आधे घंटे की हुई बहस के दौरान दिए गए आश्वासन की पूर्ति करते समय लोकसभा में पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

टायरों के मूल्य

4098. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि टायर निर्माताओं द्वारा टायरों के मूल्य में वृद्धि एक साथ घोषित नहीं की जाती है और इसकी बजाए प्रत्येक सप्ताह एक निर्माता अपने उत्पादों के मूल्य में वृद्धि करता है और अन्य निर्माता बाद के सप्ताहों में उसी पद्धति का अनुसरण करते हैं जो सरकार और जनता को गुमराह करना है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) टायर की कीमतों पर कोई औपचारिक/अनौपचारिक नियंत्रण नहीं है। प्रत्येक विनिर्माता विभिन्न आकारों और प्रकारों के टायर बनाता है। वे जिस समय चाहें उस समय कीमतों में वृद्धि कर सकते हैं। आटोमोबाइल टायर विनिर्माताओं के इस कथन की कि कीमतों में वृद्धि अपरिहार्य लागत तत्वों के कारण की गई है औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो से जांच करने के लिए और सरकार क्या उचित कदम उठाये, यह सलाह देने के लिए पहले ही अनुरोध किया जा चुका है।

इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के व्यापक उत्पादन के बारे में 'यूनेस्को' की विचार-गोष्ठी

4099. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष नवम्बर के अन्तिम सप्ताह के दौरान नई दिल्ली में 'यूनेस्को' की विचार-गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) क्या इस विचार-गोष्ठी में इलेक्ट्रानिक उपभोक्ता वस्तुओं के व्यापक उत्पादन की अवश्यकता पर विचार-विमर्श किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

बचाव कार्य के लिए अरब सागर में भारतीय जहाज तैनात करना

4100. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौ सेना ने 2 नवम्बर, 1981 को सौराष्ट्र तट और कच्छ की खाड़ी को तहस-नहस करते हुए भयंकर समुद्री तूफान में जिसमें 1300 से अधिक मछुआरों के फंस जाने की आशंका है, इसके लिए अरब सागर में छः जहाजों को तैनात करके व्यापक खोज शुरू कर दी थी; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय नौ सेना द्वारा किये गये इन बचाव कार्यों का क्या परिणाम रहा था ?

रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) पांच नौ सैनिक पोतों ने गुम हुई नौकाओं की तीन दिन तक बराबर तलाश जारी रखी और इसके अलावा मछली पकड़ने वाली छः नौकाओं को बन्दरगाह तक खींच लाने में सहायता की।

वैध दस्तावेजों के बिना भारत में आए अफगान शरणार्थी

4101. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफगान के बहुत से राष्ट्रिक भारत में पासपोर्ट अथवा वीसा के बिना आए हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत में रह रहे अफगान के कुल कितने व्यक्ति वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना हैं;

(ग) अफगान के शरणार्थियों का अनधिकृत प्रवेश रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) भारत में अफगान शरणार्थियों की कुल संख्या कितनी है और उन पर जनवरी, 1980 से, महीने वार सरकार द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 27 अफगान राष्ट्रिकों को अनियमित यात्रा दस्तावेजों के साथ मानवीय आधारों पर 24-11-1981 को दिल्ली हवाई अड्डे से भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। उनको यथाशीघ्र भारत से जाने के प्रबंध करने के अनुदेश दे दिए गए हैं।

(ग) आप्रवासन प्राधिकारियों को भारत में विदेशियों के अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए स्थायी अनुदेश हैं।

(घ) बताया जाता है कि भारत में लगभग 3000 अफगान राष्ट्रिकों को शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च आयोग के पास दर्ज कराया गया है। सरकार उन पर कोई व्यय नहीं कर रही है।

एच० एम० टी० की घड़ियों की तस्करी

4102. **श्री के० मालन्ना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नोटिस किया है कि नियात के लिए अभिप्रेत एच० एम० टी० की घड़ियों को दोबारा घरेलू बाजार में भेजा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो यह तस्करी रोकने की दृष्टि से उत्पादन के कुछ हिस्से को घरेलू बाजार में न सप्लाई करने का क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना). (क) घड़ियों की संदिग्ध तस्करी के दो मामलों में कुछ एच० एम० टी० मार्किंग वाली बतलाई जाती है।

(ख) लगभग सभी एच० एम० टी० घड़ियां घरेलू बाजार में सम्भरित तथा बेची गई हैं और अब तक केवल मामूली-सा निर्यात किया गया जो उत्पादन के 2% से भी कम है।

धनबाद में केन्द्रीय श्रमिक विभाग द्वारा दायर किए गये मुकदमे

4103. **श्री ए० के० राय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में धनबाद में केन्द्रीय श्रमिक विभाग द्वारा दायर किए गए मुकदमों का ब्यौरा क्या है और ये मुकदमे कौन-से वर्ष में और किन-किन पार्टियों पर दायर किये गए थे;

(ख) मुकदमे दायर करने के लिए सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे इस समय लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अवधि में कितने मुकदमे निपटाये गए और इनके क्या परिणाम रहे;

(घ) क्या यह सच है कि ये मुकदमे लटक रहे हैं अथवा अपेक्षित पड़े हुए हैं और कोई भी इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है जिसके परिणामस्वरूप मुकदमे अप्रभावी हो रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

केन्द्रीय श्रमिक न्यायाधिकरण, धनबाद द्वारा पंचाटों का कार्यान्वित न किया जाना

4104. **श्री ए० के० राय** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में धनबाद में केन्द्रीय श्रमिक न्यायाधिकरण द्वारा कौन-कौन से पंचाट दिये गये हैं और इनका वर्षवार विस्तृत ब्यौरा क्या है और इससे कौन-कौन से कार्मिक संघ संबंद्ध हैं ;

(ख) कौन-कौन से पंचाट कार्यान्वित किये गये हैं और किन के विरुद्ध अपील की गई हैं और कौन से पंचाट कार्यान्वित नहीं किये गये हैं और उनके विस्तृत तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सभी अपीलों के लिये श्रम मन्त्रालय से मंजूरी ली गई है ; यदि हां, तो किन तारीखों को ऐसी मंजूरी के लिये आवेदन-पत्र दिये गये थे और यह मंजूरी कब दी गई थी और मंजूरी देने का आधार क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि लम्बे अर्से तक मुकदमेबाजी और पंचाट को कार्यान्वित न करना देश में औद्योगिक अशांति का प्रमुख कारण है ; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क), (ख) और (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) यह नहीं कहा जा सकता कि औद्योगिक अशांति के मुख्य कारण लम्बी मुकदमेबाजी और पंचाटों को लागू न करना है। तथापि, इनको कम करने के उद्देश्य से स्क्रीनिंग प्रक्रिया पद्धति तैयार की गई है।

एशियाई खेल कम्पलेक्स, दिल्ली में कार्यरत श्रमिकों की संख्या

4105. **श्री ए० के० राय** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1981 को दिल्ली में "एशियाई खेल काम्पलेक्स" को बनाने में वास्तव में काम में कितने ठेका श्रमिक लगाये गये थे ;

(ख) उन्हें दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और पेय जल के नलों, शौचालयों और उनकी स्वास्थ्य की देखरेख के लिये चिकित्सा केन्द्रों का विशेष ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कोई स्वैच्छिक संगठन किसी चिकित्सा देख-रेख यूनिट को चला रहा है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उनकी सहायता करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(घ) क्या वहां काम कर रहे श्रमिकों के लिए अस्थायी रजिस्टर और भुगतान रजिस्टर रखे गये हैं और 1 नवम्बर, 1981 को कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि और राशन कार्डों में कितने श्रमिक शामिल किये गए हैं ;

(ङ) क्या उन्हें वहां पर आश्वासन के बावजूद काम की पूरी तरह से मानवीय स्थतियों की जानकारी है ; और

(च) यदि हां, तो उसपर क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

केरल सरकार द्वारा अधिक सीमेंट आवंटित किये जाने का अनुरोध

4106. **श्री ए० नीलालोहिथादासन नाडार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केरल को विशेष आधार पर अधिक सीमेंट आवंटित करने का अनुरोध किया है ताकि वह उन आवेदकों को सीमेंट उपलब्ध करा सके जिन्होंने इस प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा भेजी थी, और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) केरल राज्य को 1 जनवरी, 1981 से 30 सितम्बर 1981 की अवधि में विदेशी मुद्रा भेजने वाले आवेदकों को सीमेंट देने के लिए 92,500 मी० टन सीमेंट का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। तिमाही 4/81 में केरल राज्य सरकार को यह सलाह देते हुए 26,000 मी० टन सीमेंट का अतिरिक्त आवंटन कर दिया गया है कि विदेशी मुद्रा भेजने वाले आवदकों को देने के लिए सीमेंट संबंधी आवश्यकता इसी अतिरिक्त आंबटन से पूरी की जाये।

नैल्ला में अखबारी कागज का कारखाना

4107. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में भाखड़ा के निकट नैल्ला में एक अखबारी कागज कारखाने की स्थापना के लिये प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो यह निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) से (ग) सरकार नैल्ला टिटेस भाखड़ा नांगल क्षेत्र जिला बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश में नये उपक्रम स्थापित करने के लिए निम्नलिखित पार्टियों को मंजूर किया गया औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र पार्टी द्वारा योजना क्रियान्वित न की जा सकने के कारण प्रतिसंहृत/रद्द कर दिया गया था :—

पार्टी का नाम	औद्योगिक लाइसेंस आशय-पत्र न० तथा तिथि	उत्पादन की वस्तु तथा क्षमता	स्थानापन्न स्थल	प्रतिसंहरण रद्द किये जाने की तिथि
1	2	3	4	5
1. मैसर्स बतारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड लिमिटेड (श्री गोपाल) डिविजन)	औद्योगिक लाइसेंस संख्या एल/24(2)/ न यू/कैम(2)/61 दिनांक 31.1.61	अखबारी कागज 60,000 टन प्रतिवर्ष	नैल्ला टिटेस भाखड़ा नांगल क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश)	27.4.77- को प्रतिसंहृत
2. श्री० बी० डी० सोमानी	आशयपत्र सं० 491(76) दिनांक 31.12.76	अखबारी कागज 25000 टन प्रतिवर्ष-मैग जीन ग्रेड लाईट कोटेड पेपर 25,000 टन प्रतिवर्ष	जिला बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)	27.3.81 को रद्द किया गया

राजस्थान के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले का सर्वेक्षण करने के लिए कृतिक बल

4108. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के विस्तृत सर्वेक्षण के लिए केन्द्र द्वारा एक कृतिक बल की स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन से जिले हैं जहां औद्योगिक समूह स्थापित करने का विचार है, और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) से (ख) राजस्थान सरकार के अनुरोध पर चार जिले अर्थात जोधपुर, नागौर, भीलवाड़ा, चुरू केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के अधीन सघन औद्योगीकरण के लिए चुने गये हैं। इस उद्देश्य के लिये संयंत्र की संभावना तथा अनुसंगीकरण की गुंजाइश जिसके विकसित होने की संभावना है का पता लगाने तथा उसकी अवस्थापना सम्बन्धी न्यूनतम आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए एक प्रतिवेदन तैयार करने हेतु कृतिक बल का गठन किया गया है। कृतिक बल सम्प्रति कार्यरत है।

मै० उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड, वाराणसी पर कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया

4109. **श्री निहाल सिंह** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड (हरी फर्टिलाइजर्स) वाराणसी, उत्तर प्रदेश में मासिक और दैनिक मजूरी पर कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं; और

(ख) क्या इस फर्म द्वारा कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत इस कार्य पर कितनी राशि बकाया है और इसे वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस प्रतिष्ठान में 1038 कर्मचारी काम कर रहे हैं। मासिक और दैनिक मजदूरी के आधार पर नियोजित कर्मचारियों का रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है।

(ख) इस प्रतिष्ठान के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि की अदायगी के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

हिन्दुस्तान पैट्रोलियम निगम में दैनिक तथा मासिक मजूरी के आधार पर काम करने वाले श्रमिक

4110. **श्री निहाल सिंह** : क्या श्रम मन्त्री हिन्दुस्तान पैट्रोलियम निगम में दैनिक तथा मासिक मजूरी के आधार पर काम करने वाले श्रमिकों के बारे में 16 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4572 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5857 के उत्तर के संबंध में दिए गए आश्वासन इस बीच पूरे किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो आश्वासनों को पूरा न करने के क्या कारण हैं और इसमें और कितना समय लगेगा ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित प्रतिष्ठान की विभिन्न शाखाओं के संबंध में सूचना को एकत्र करने और कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों की संख्या के सामंजस्य में समय लग रहा है। तथापि, आश्वासन को जनवरी, 1982 तक पूरा करने के लिए प्रयास किये जाएंगे।

मैसर्स ध्रांगध्रा केमिकल्स लिमिटेड, ध्रांगध्रा (गुजरात) पर कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

4111. **श्री निहाल सिंह :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ध्रांगध्रा केमिकल्स लि०, ध्रांगध्रा, गुजरात में श्रमिक कानूनों और कम्पनी अधिनियम के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि और राज्य बीमा योजना की कितनी राशि जमा करायी गई थी और इस मद में कितनी राशि बकाया है और इसे वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) इस प्रतिष्ठान के विरुद्ध कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं है।

(ख) इस प्रतिष्ठान को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 (1) (क) के अधीन छूट प्राप्त है। इसने न्यासी बोर्ड को अपने भविष्य निधि का 55.33 लाख रुपये हस्तांतरित किया है और कोई राशि बकाया नहीं है। कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि की अदायगी के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

मैसर्स वैस्टन इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली पर कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

4112. **श्री निहाल सिंह :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स वैस्टन इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नयी दिल्ली में मासिक और दैनिक मजूरी के आधार पर कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस कम्पनी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना की कितनी राशि जमा करायी गयी थी और इसकी कितनी राशि बकाया है; और

(ग) यह बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस प्रतिष्ठान में मासिक मजदूरी के आधार पर 719 कर्मचारी और दैनिक मजदूरी के आधार 42 कर्मचारी काम कर रहे हैं।

(ख) और (ग) स्थिति नीचे बतायी गयी है :—

कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि

नियोजक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा अंशदानों में 4,५5,074.50 रु० की राशि का भुगतान किया है और भवन की मरम्मत के लिये नियुक्त किए गए कर्मचारियों के बारे में अंशदानों के कारण 11,604.80 रुपये की राशि बकाया है। नियोजक बकाया राशि की अदायगी का विरोध कर रहा है। और उसके साथ मामले पर पत्र-व्यवहार चल रहा है।

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

नियोजक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 13.42 लाख रुपये की राशि जमा करायी है और नैमितिक कर्मचारियों के बारे में 1,398.56 रुपये की राशि अभी भी बकाया है। नियोजक से कहा गया है कि वह इस बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करे।

देश में केन्द्रीभूत लघु औद्योगिक यूनिटों की स्थापना

4113. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में 57 केन्द्रीभूत लघु औद्योगिक यूनिटें स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है किन्तु केवल सात मामलों में कार्यबल ने अपनी विस्तृत रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं,

(ख) यदि हां, तो किन यूनिटों के लिए रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं,

(ग) क्या ढेंकानल जिले में स्थापित किए जाने वाले यूनिट के लिए कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, और

(घ) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं और रिपोर्ट कब तक उपलब्ध हो सकेगी।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के अधीन अब तक 21 राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने 60 जिलों/क्षेत्रों का गहन औद्योगीकरण करने के प्रयोजन के लिए पता लगाया है। दस जिलों अर्थात पंजाब में गोइंदवाल साहेब (अमृतसर) उड़ीसा में, चाण्डक (पुरी) में, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, सोलन और सिरमूर में, केरल में एलेप्पी में, महाराष्ट्र में औरंगाबाद, चांद और रत्नगिरि और आंध्र प्रदेश में मेडक के बारे में कृतिक बल की रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं।

(ग) तथा (घ) उड़ीसा सरकार के अनुरोध पर पुरी जिले में चांडक के साथ-साथ बोलनगीर, कालाहांडी, ढेंकानल और मयूरभंज जिले भी केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए चुने गए हैं। इस प्रयोजन के लिए प्रायोजना की संभाव्यता तथा अनुषंगीकरण की गुन्जाइश, जिसके विकसित होने की संभावना है, का पता लगाने तथा उसकी अवस्थापना संबन्धी न्यूनतम आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने के वास्ते एक कृतिक बल का गठन किया गया है।

कृतिक बल इस समय कार्यरत है।

सैनिक संस्थापनों को दूध, ताजी सब्जी इत्यादि की सप्लाई

4114. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक फार्मों का उद्देश्य सैनिक संस्थापनों और सैनिक अस्पतालों को दूध, ताजी सब्जियां और खाद्य पदार्थ सप्लाई करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रूफ और टेस्ट संस्थापना, बालासोर स्टेशन, भुवनेश्वर सहित एन० सी० सी० आई० एन० एस० चिल्का, ए० आर० सी० तथा वायुसेना स्टेशन चौद्वारा, मुख्यालयों तथा गोपालपुर के एक सैनिक स्कूल के खान-पान का प्रबन्ध करने के लिए भी कोई सैनिक फर्म है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार उड़ीसा के ढेंकानल जिले के कामख्यानगर में रामेयाल और डोमसाल कमान क्षेत्र में, जो केन्द्र में स्थित है एक सैनिक फार्म स्थापित करने के बारे विचार करेगी ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सैनिकों तथा सैनिक अस्पतालों को दूध सप्लाई करने के लिए उन जगहों में मिलटरी फार्मों की स्थापना की जाती है जहां मिलिटरी फार्म स्थापित करने से आर्थिक दृष्टि से किफायत की गुंजायश हो। मिलिटरी फार्म ताजी सब्जियों की सप्लाई नहीं करते हैं। बहरहाल वे सेना के पशुओं के लिए सूखे/हरे चारे की यथा संभव व्यवस्था करते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस क्षेत्र में सैनिकों की संख्या इतनी नहीं है कि एक सैनिक फार्म स्थापित करना न्याय संगत कहा जा सके।

जनजाति के लोगों की भलाई और स्वयं सेवी संगठन

4115. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मन्त्री ने 21 अक्तूबर, 1981 को भुवनेश्वर में यह कहा है कि जनजाति लोगों के कल्याण के लिए यद्यपि सरकार ने 6,00 करोड़ रु० आबंटित किया था तथापि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये विकास योजनाएं चलाने वाली कोई कुशल मशीनरी, नहीं थी ,

(ख) क्या उन्होंने इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वयं सेवी संगठनों को आगे आने और सरकारी प्रयत्नों में सहयोग के लिए आमन्त्रित किया है; और

(ग) क्या सरकार उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां राज्य और केन्द्रीय सरकार को कार्य करना है ऐसे क्षेत्र निर्धारित करेगी जहां गैर सरकारी संगठन कार्य कर सकें ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान। परन्तु मैं

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के विकास के क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रशासनिक तन्त्र के सुधार पर बल देता रहा हूं।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) दो क्षेत्रों को पूर्णत: अलग निर्धारित करना संभवत: आवश्यक नहीं है। परन्तु विस्तार, प्रेरणा, शिक्षा और स्वास्थ्य कार्य जैसे क्षेत्र स्वयंसेवी संगठनों के लिए अधिक अनुकूल हैं।

रक्षा संस्थापनों/कारखानों में कलाकार व फोटोग्राफर की पदोन्नति

4116. **श्री मुन्दर शर्मा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न रक्षा संस्थापनों/कारखानों में कलाकार व फोटोग्राफर के पदों पर कार्यरत कर्मचारी इन संस्थानों में जिन पदों पर नियुक्त किये जाते हैं, वे उन्हीं पदों से निवृत्त कर दिये जाते हैं;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में पदोन्नति श्रृंखला बनाने के बारे में कोई मांग पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) आर्टिस्ट-कम-फोटोग्राफर के पद केवल निरीक्षण महानिदेशालय और अनुसंधान तथा विकास संगठन के लिए ही मंजूर किए गए हैं। इनमें से एक तिहाई पद सीधी भरती से भरे जाते हैं और शेष दो-तिहाई पद निचले ग्रेडों से पदोन्नति करके भरे जाते हैं। आर्टिस्ट-कम-फोटोग्राफर को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए एक चयन ग्रेड शुरू करने के प्रश्न पर वित्त मन्त्रालय के साथ परामर्श किया जा रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) ऊपर (क) में बताई गई स्थिति के अनुसार कार्रवाई की गई है।

भारत-पाकिस्तान सीमा में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कारण सीमा क्षेत्र की सड़कों की टूट-फूट

4117. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सेना के अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की है;

(ख) क्या रक्षा मन्त्री की हैसियत से प्रधान मन्त्री ने दिनांक 12 मार्च, 1980 के तारांकित प्रश्न सं० 22 का उत्तर देते हुए मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया था;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

विभिन्न स्टेशनों पर स्थित थल सेना यूनिटें अपना नियमित प्रक्षिशण और अभ्यास हर वर्ष करती रहती हैं । ऐसे अभ्यास राजस्थान में भी किए जाते हैं ।

2. इन अभ्यासों के दौरान मुख्य सैनिक यातायात और सभी टैंकों का संचालन आमतौर पर क्षेत्र-पार ही रखा जाता है ताकि सड़कों को नुकसान न होने पाए, फिर भी सड़क पटरियों को थोड़ा-बहुत नुकसान हो सकता है । सीमावर्ती इलाकों में सड़कों को ठीक-ठाक रखने का काम मुख्यत: सीमा सड़क संगठन का है, जिसका वित्त पोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है ।

3. सैनिक विरचनाओं द्वारा अपने नियमित प्रशिक्षण कार्यों में प्रयोग की जाने वाली सड़कों की टूट-फूट के लिए रक्षा मन्त्रालय कोई मुआवजा नहीं देता । लेकिन जहां छोटी-छोटी पुलियों आदि की टूट-फूट हो जाती है वहां थल सेना इन्जीनियर सम्बन्धित राज्य के लोक निम ण विभाग के साथ परामर्श करके उनकी मरम्मत करने की कार्रवाई अवश्य करते हैं ।

4. जिन सड़कों पर सैनिक वाहनों समेत अन्य सभी प्रकार का यातायात चलता है उनको ठीक-ठाक रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है और यह काम राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा सामान्य अनुरक्षण अनुदान से किया जाता है, जैसा कि सीमावर्ती इलाकों में सीमा सड़क संगठन द्वारा अपनी सड़कों की मरम्मत की जाती है । लेकिन पुलियों आदि को होने वाले नुकसान के विशिष्ट मामलों में थलसेना इंजीनियर राज्य लोक निर्माण विभाग के साथ परामर्श करके मरम्मत का काम करते रहेंगे ।

5. 12 मार्च, 1980 को लोक सभा में दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर में पूरक प्रश्नों के दौरान प्रधान मन्त्री ने बिना कोई आश्वासन दिये यह कहा था कि इस मामले पर विचार किया जायेगा ।

6. तदनुसार रक्षा मन्त्रालय के एक अधिकारी को मौके पर विस्तृत अध्ययन करने के लिए राजस्थान भेजा गया था । उस अधिकारी ने सेना अफसरों और राज्य के राजस्व अधिकारियों के साथ विभिन्न सम्बन्धित जिलों का दौरा किया और इस समस्या का विस्तृत अध्ययन किया । उस अफसर ने बताया कि चार सीमावर्ती जिलों में 1976-80 के चार वर्षों में राज्य लोक निर्माण विभाग की सड़कों की क्षति के दावों की कुल रकम केवल 8.32 लाख रुपये बनती है । इसका विवरण नीचे दिया गया है ।

जिले का नाम	क्षति की अनुमानित राशि
(1) श्री गंगानगर	6,91,350.00 रुपये
(2) बीकानेर	1,05,818.00 रुपये
(3) जैसलमेर	34,912.00 रुपये
(4) बाड़मेर	
कुल	8,32,080.00 रुपये

7. राजस्थान में काफी किलोमीटरों तक सड़कों की मरम्मत का काम सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान का यह 4 वर्षों का दावा बहुत थोड़ा है और नगण्य है। इसे राजस्थान सरकार द्वारा ही वहन किया जाना चाहिए।

घरेलू इस्तेमाल के लिए बिजली कनेक्शनों की मन्जूरी

4118. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना इंजीनियरी सेवा, केण्टोंमेंट बोर्ड और दिल्ली क्षेत्र मुख्यालय दिल्ली छावनी का व्यवहार उनके क्षेत्राधिकार में रहने वाले जन साधारण के प्रति घरेलू इस्तेमाल के लिए बिजली कनेक्शन की मंजूरी देने के मामले में सन्देह रहित नहीं है और कुछ उत्तरों के उदाहरण इस प्रकार हैं : —

(I) चूंकि क्षेत्र दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्था के अधीन आ रहा है, इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती सेना इन्जीनियरी सेवा द्वारा;

(II) इस निर्देश के साथ कि सेना इन्जीनियरी सेवा के साथ भविष्य में कोई सीधा पत्र-व्यवहार न किया जायेगा. आवेदन केण्टोंमेंट बोर्ड के माध्यम से भेजे जाएं – सेना इन्जीनियरी सेवा द्वारा;

(III) बिजली कनेक्शन लगाने के लिए सेना इन्जीनियरी सेवा से पत्र व्यवहार करें —दिल्ली क्षेत्र मुख्यालय द्वारा,

(IV) सेना इंजीनियरी सेवा विद्युत कनेक्शन प्रदान करती है—स्टेशन मुख्यालय द्वारा और

(V) अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है—कंटोंमेंट बोर्ड,

(ख) घरेलू इस्तेमाल के लिए कनेक्शन मंजूर करने के क्या कारण हैं; और

(ग) मशीनरी को दुरुस्त करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) छावनी में रहने वाले सिविलियनों को बिजली के कनेक्शन एम० ई० एस० विनियमों के साथ-साथ समय-समय पर जारी किए गए थलसेना अनुदेशों में निर्धारित की गई प्रणाली के अनुसार दिए जाते हैं।

(ख) छावनी में रहने वाले सिविलियनों को एम० ई० एस० द्वारा बिजली के नए कनेक्शन न दिए जाने का कारण वर्तमान ट्रांसफार्मरों पर पहले से अधिक बोझ है और नये कनेक्शन देने से बिजली की पूरी व्यवस्था भंग हो जाएगी।

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से दिल्ली छावनी में रहने वाले सिविलियनों के लिए बिजली सप्लाई करने का काम सम्भाल लेने के लिए कहा गया है।

"मिस्ट्री फोन काल्स आर्क डैल्ही वीमेन"

4119. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "मिस्ट्री फोन काल्स आर्क डैल्ही वीमेन" शीर्षक से 21 सितम्बर, 1981 को टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कुछ व्यक्ति डाक्टर बनकर टेलीफोन पर महिलाओं से पेचीदा प्रश्न पूछते हैं और स्पष्ट है कि वे उनके परिवारों से परिचित हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार ने इस प्रकार परेशान किया जाना रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 21 सितम्बर, 1981 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में कोई ऐसा समाचार प्रकाशित नहीं हुआ है। परन्तु 21 सितम्बर 1981 पैट्रियाट में "फैक डाक्टर्स फोन ट्रीटमैंट" शीषक के अधीन एक समाचार है। उसी तारीख के इण्डियन एक्सप्रेस में भी "ब्रीवेयर आफ मिस्टीरिअस कालर्स" शीर्षक के अधीन एक समाचार है।

(ख) जब कोई रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो पुलिस द्वारा ही कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली पुलिस में ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है।

भारतीय सीमा में पाकिस्तानी सेना

4120. **श्री सुन्दर शर्मा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तानी की 90 प्रतिशत सेना भारतीय सीमा क्षेत्र की ओर तैनात है और पाकिस्तान ने मिसाइलें भी लगा रखी हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन रिपोर्टों की सत्यता सुनिश्चित कर ली है और क्या ये रिपोर्टें सही पाई गई हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सरकार ने इस आशय के समाचार देखे हैं कि पाकिस्तानी सेना का अधिकांश जमाव भारत-पाक सीमा के आस-पास है। रक्षा तैयारियों की योजनाओं में इस स्थिति को भी ध्यान में रखा गया है।

अराजपत्रित कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता

4121. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यकता होने पर सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को समयोपरि कार्य करना पड़ता है;

(ख) क्या जिन कर्मचारियों का मूल वेतन 750 से अधिक है, वे समयोपरि भत्ता पाने के अधिकारी नहीं हैं;

(ग) क्या कुछ वर्ग के कर्मचारियों को असाधारणतः न तो समयोपरि भत्ता दिया जाता है और न समयोपरि कार्य के बदले कोई प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके लिए 750 रुपये की सीमा समाप्त करने का है जिससे कि सभी अराजपत्रित कर्मचारी समयोपरि भत्ता पाने के पात्र हो जाएं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) तथा (ख) जब कि किसी भी अधिकारी को सामान्य कार्य समय के बाद किसी भी दिन कार्य करना पड़ सकता है किन्तु स्टाफ के केवल ऐसे गैर-राजपत्रित कर्मचारी समयोपरि भत्ते की मन्जूरी के हकदार हैं जिनका मूल वेतन 750 रुपये प्रति मास से अधिक नहीं है तथा जिन्हें लोकहित में सामान्य कार्य समय के बाद कोई ऐसा तत्काल स्वरूप का कार्य करना पड़ता है जिसे अगले कार्य दिवस तक स्थगित नहीं किया जा सकता है।

(ग) जिन सरकारी कर्मचारियों का वेतन 750 रुपये प्रतिमास से अधिक है तथा जो राजपत्रित सरकारी कर्मचारी हैं वे समयोपरि भत्ते अथवा उसके स्थान पर प्रतिपूरक छुट्टी के हकदार नहीं हैं। किन्तु, मन्त्रियों तथा संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर के रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के वैयक्तिक स्टाफ में कार्यरत निजी सचिव आदि जैसे कुछ राजपत्रित अधिकारी जिनका वेतन 750 रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं है वे समयोपरि भत्ते के हकदार हैं। स्टाफ के जिन सदस्यों को रविवार/छुट्टियों के दिन कार्य करना पड़ता है उन्हें इनके स्थान पर प्रतिपूरक छुट्टी मंजूर की जाती है।

(घ) तथा (ङ) सरकार के प्रशासनिक व्यय में किफायत की अत्यधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार समयोपरि भत्ते की मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की पात्रता के प्रयोजनों के लिए 750 रुपये प्रतिमास की वेतन सीमा को समाप्त करने का विचार नहीं रखती है।

पर्यटन केन्द्रों और तीर्थस्थानों में हिप्पियों का होना

4122. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि देश में पर्यटन केन्द्रों और तीर्थ स्थानों में हिप्पयों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनमें अनुशासन, चरित्र और शिष्टता की कमी तथा उनके द्वारा किये जाने वाले अश्लीलता एवं अर्द्ध-नग्न प्रदर्शनों के कारण कभी-कभी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाती है;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ शहरों तक ही हिप्पियों का आवागमन सीमित करने का है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) हिप्पी की कोई निश्चित परिभाषा न होने के कारण ऐसे व्यक्तियों को एक वर्ग के रूप में अन्य पर्यटकों से भिन्न करना कठिन है। अतः ऐसे विदेशियों के आगमन के बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) ऐसे विदेशियों, जिनके मादक वस्तुओं का सेवन, अभद्र व्यवहार, अवारागर्दी भीख मांगने आदि के कारण सामाजिक बुराई होने की संभावना हो, के भारत में प्रवेश को सीमित करने के उद्देश्य से विदेशों में भारतीय मिशनों को ऐसे व्यक्तियों को पर्यटक बीसा स्वीकृत करने में विशेष रूप से सतर्कता बरतने के लिए उपयुक्त आदेश दिये गये हैं। राज्य सरकारों को भी यथोचित सलाह दी गई कि वे ऐसे विदेशियों की गतिविधियों पर पूरी तरह निगरानी रखे और कानून के किसी भी उल्लंघन के लिए तुरन्त कानूनी कार्रवाई करें।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आयात प्रतिस्थापन "सैल"

4124. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयात प्रतिस्थापन में हुई प्रगति की देखभाल करने के लिए एक "सैल" की स्थापना करने पर विचार कर रही है,

(ग) क्या वह 'सैल" आधारभूत ढांचे संबंधी अड़चनों को दूर करने में समर्थ होगा जिनसे उद्योग में क्षमता का कम उपयोग हो पाया है, और

(ग) "सैल" का ब्यौरा क्या है तथा उसके प्रभावकारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के कार्यकरण के लिए इसके क्षेत्राधिकार में कौन से क्षेत्र आएंगे जिनमें आवश्यक रूप से न केवल आयात प्रतिस्थापन, बल्कि निर्यात संवर्द्धन भी शामिल होना चाहिए ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) से (ग) आयात प्रतिस्थापन की प्रगति की देखरेख करने के लिए किसी प्रकोष्ठ की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु उद्योग मन्त्रालय ने एक नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया है जो चुने हुए औद्योगिक क्षेत्रों के एककों की उत्पादन में आने वाली बाधाओं जैसे कच्चे माल तथा कोयला की पूर्ति, बिजली संभरण और यातायात, औद्योगिक संबंध आदि समस्याओं को देखता है।

छठी योजनावधि में केरल के नारियल जटा उद्योग का विकास

4125 **श्री ई० के० इम्बीचीबावा** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : छठी

पंचवर्षीय योजनावधि में राज्य में नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए केरल सरकार की योजना का भविष्य क्या है, जैसा इसे वर्ष 1979 में केन्द्र सरकार को स्वीकृति के लिए अग्रेषित किया गया था, और जिसमें विपणन प्रबंधों में सुधार लाने, नारियल जटा की सहकारी समितियों आदि को वित्त पोषण करने के लिए 61.62 करोड रु० की परिकल्पना की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरनजोत चानना) : छठी पंचवर्षीय योजनावधि में राज्य में कयर उद्योग के विकास की केरल सरकार की योजना पर केरल राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श किया गया था तथा इनसे किये गये विचार विमर्श के संदर्भ में प्रस्तावों को फिर से तैयार करने का अनुरोध किया गया है ।

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लघु कागज मिल की स्थापना

4126. **श्री आनन्द पाठक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले में एक लघु कागज मिल की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उसके लिए कोई आशयपत्र जारी किया है, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार उत्तरी बंगाल जिलों में पर्याप्त मात्रा में कागज की लुगदी उपलब्ध होने को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार करेगी और इस प्रकार इस पिछड़े क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार हो जायेगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजोत चानना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) उत्तरी बंगाल में पर्याप्त मात्रा में लुगदी के लिए लकड़ी की उपलब्धता स्थापित नहीं की जा सकी है ।

टी० वी० के पुर्जों पर लगने वाले उत्पादन शुल्क में सुधार करना

4127. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलिविजनों के निर्माताओं, जो लागत में आने वाले उतार-चढ़ावों को शामिल करने के लिए अपने टेलिविजन सैटों पर लगाये गये उत्पादन शुल्क में संशोधन की मांग कर रहे हैं, ने पुर्जे बनाने वाले निर्माताओं, जिनमें सरकारी क्षेत्र का भारत इलेक्ट्रानिक्स भी शामिल है, को इस वर्ष के प्रारम्भ से बजट में दी गई रियायतों की घोषणा किए जाने के बावजूद हाल ही में पुर्जों तथा टी० वी० पिक्चर ट्यूबों के दाम बढ़ाने के लिए निन्दा की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) यह मामला विचाराधीन है ।

'भेल' द्वारा खोई गई निविदायें

4128. **श्री एन० ई० होरो** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 'भेल' द्वारा खोई गई उन निविदाओं की वर्षवार संख्या क्या है जिसे पिछले तीन वर्षों में भारतीय उपभोक्ताओं तथा विदेशी उपभोक्ताओं द्वारा अलग-अलग भेजा गया था ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : पिछले तीन वर्षों में बी० एच० ई० एल० द्वारा खोई गई एक करोड़ रु० से अधिक मूल्य की प्रमुख निविदाओं की संख्या: वर्षवार, नीचे दी जाती है :—

वर्ष	भारतीय उपभोक्ताओं/विदेशी उपभोक्ताओं द्वारा भेजी गई निविदाएं	
1978-79	16	5
1979-80	36	3
1980-81	22	16

16 दिसम्बर, 1981 को होने वाली सदन की बैठक के लिए मध्य प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना

4129. **श्री सुन्दर शर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में एक परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ताकि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इसे कहां स्थापित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या राज्य में यूरेनियम की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर विचार किया जायेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं । गुजरात राज्य में ककरापार में लगाए जाने वाले उस परमाणु बिजलीघरों के अलावा, जिसके लिए संस्वीकृति दी जा चुकी है, छठी पंचवर्षीय योजना में पश्चिमी क्षेत्र में, जिसमें मध्य प्रदेश भी आता है, एक और परमाणु बिजलीघर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बंगलौर में भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के स्कूलों तथा कालिजों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की संख्या

4130. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या **रक्षा** मन्त्री निम्नलिखित को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के प्रबंध द्वारा चलाये जा रहे भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर के स्कूलों और कालेजों में कितने विद्यार्थी हैं; उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कितने विद्यार्थी हैं;

(ख) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस ली जाती है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

(घ) इस स्कूल में कक्षावार तथा शिक्षा के माध्यम के अनुसार सामान्य फीस क्या है;

(ङ) क्या स्कूल तथा कालेज सहायता से चल रहे हैं;

(च) यदि हां, तो क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स लि० के प्रबंध ने यह धनराशि स्कूल तथा कालेज को प्रदान की है; और

(छ) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और किस उद्देश्य के लिए ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) सूचना इस प्रकार है :—

सेक्शन	कुल क्षमता	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के विद्यार्थियों की संख्या	लिया गया शुल्क
नर्सरी स्कूल	626	93	6.00 रु० प्रतिमाह
प्राइमरी स्कूल :			
अंग्रेजी माध्यम	2, 59	207	7.00 रुपये से 12.00 रुपये प्रतिमाह तक *
कन्नड़ माध्यम	539	65	कुछ नहीं
तेलगू माध्यम	505	366	कुछ नहीं

1	2	3	4
तमिल माध्यम	297	195	कुछ नहीं
हाई स्कूल	865	90	कुछ नहीं
जूनियर कालेज	120	6	18.00 रु० प्रतिमाह

* पहली कक्षा के लिए	:	7.00 रुपये प्रतिमाह
दूसरी कक्षा के लिए	:	8.00 रुपये प्रतिमाह
तीसरी से पांचवीं कक्षा के लिए	:	10.00 रुपये प्रतिमाह
छठी से आंठवीं कक्षा के लिए	:	12.00 रुपये प्रतिमाह

(घ) और (ङ) अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों से वही शुल्क लिया जाता है जो अन्य विद्यार्थियों से लिया जाता है। इनसे लिए जाने वाले शुल्क अंग्रेजी माध्यम के अन्य स्कूलों में लिए जाने शुल्क से काफी कम है। कर्नाटक सरकार प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल के उन सेक्शनों को जिनमें कन्नड़, तेलगू और तमिल में पढ़ाया जाता है, अनुदान देती है।

(च) और (छ) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड आय और व्यय के अन्तर को पूरा करने के लिए धन देता है। 1981-82 में इसने पांच लाख रुपये दिए हैं।

पुरानी प्रोद्योगिकी को विकासशील देशों का हस्तांतरण

4131. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित देश विकासशील देशों को, जब कभी उनके साथ सहयोग के करार किए जाते हैं, तब पुरानी अनुपयुक्त प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करते हैं;

(ख) क्या राज्य मन्त्री ने, जैसा कि दिनांक 20 नवम्बर, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में सूचित किया गया है, दिल्ली में एक संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए स्वयं इस खतरे का संकेत किया है,

(ग) भारत में कौन-सी एजेन्सी इस बात की छानबीन करती है कि सहयोग के करार करते समय केवल नवीनतम प्रौद्योगिकी का ही आयात किया जाता है, और

(घ) क्या सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ऐसे कुछ विद्यमान करारों में ऐसी गत प्रयोग प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाया जा रहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) से (घ) प्रौद्योगिकी का आयात करने की सरकार की नीति चयनात्मक और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर आधारित है। प्रौद्योगिकी का आयात करने पर विचार करते समय यह सुनिश्चत करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाता

है कि प्रौद्योगिकी को आत्मसात के लिए अपनाया गया मानदण्ड राष्ट्रीय हित में है। तकनीकी योग्यता, परियोजनाओं की आर्थिक संचालन क्षमता, जीव्यता तथा देशी संसाधनों की उपलब्धता तथा आदाता की वर्तमान एवं भावी तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी संसाधनों व क्षमताओं की उपलब्धता की ओर उचित ध्यान दिया जाता है। इसका उद्देश्य लागत को प्रभावित करने वाली देश की आवश्यकताओं के लिए समययुक्त प्रौद्योगिकियों का विकास करना है।

प्रौद्योगिकी का आयात करने सम्बन्धी प्रस्तावों की तकनीकी विकास का महानिदेशालय (तकनीकी मूल्यांकन समिति) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा एन० आर० डी० सी० आदि जैसे विभिन्न तकनीकी प्राधिकरणों तथा संबंधित प्रशासनिक मन्त्रालयों के परामर्श से विस्तार से जांच की जाती है।

13 से 19 साल के आयु के बीच अपराधियों की जमानतें

4132. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 से 19 साल की आयु के बीच के अपराधी जेल में निष्क्रिय पड़े हैं क्योंकि उनके माता-पिता अपनी गरीबी के कारण उनकी जमानत नहीं दे सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इस कठिनाई को दूर करने तथा उनके माता-पिता से गैर-वित्तीय बाँड स्वीकार करके बाल अपराधियों को न्याय दिलाने के लिए एक अवसर देने के लिए कोई योजनाएं हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार 13 से 19 वर्ष के अपराधियों समेत अन्य ऐसे अपराधियों के आंकड़े नहीं रखती जो जेलों में बन्द है क्योंकि गरीबी अथवा अन्य कारणों से उनके माता-पिता उनको जमानत पर रिहा नहीं करा सकते।

(ख) तथा (ग) संघ क्षेत्रों में लागू बाल अधिनियम, 1960 और राज्यों के बाल अधिनियमों में यह उपबन्ध है कि जमानतीय अथवा गैर जमानतीय अपराध का कोई अभियुक्त बच्चा प्रतिभूति अथवा बिना प्रतिभूति जमानत पर रिहा किया जा सकेगा बशर्ते कि उसकी रिहाई से उसके किसी कुख्यात अपराधी के संसर्ग में आने, अथवा उसकी रिहाई पर उसके लिए नैतिक खतरा होने की संभावना हो अथवा उसकी रिहाई से न्याय का प्रयोजन विफल न होता हो।

कुछ राज्यों के योजना परिव्यय में कटौती

4133. **श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी**
श्री बी० वी० देसाई } : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कुछ राज्यों के वार्षिक योजना परिव्यय को कम करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) क्या यह समाचार (दिनांक 20 नवम्बर, 1981 के इकानोमिक टाइम्स में प्रकाशित)

सच है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और पंजाब पर यह कटौती लागू हो सकती है;

(ग) यदि हां, तो कटौती करने के कारण क्या है; और

(घ) क्या कटौती इस प्रकार किए जाने के मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए गए हैं कि किसी राज्य की महत्वपूर्ण चालू योजनाओं को नुकसान नहीं पहुंचे और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और पंजाब की सरकारों सहित सभी राज्य सरकारों को समय-समय पर यह सलाह दी गई है कि वे 1981-82 की वार्षिक योजना के लिए परिव्ययों को उपलब्ध संसाधनों के भीतर बनाएं रखें जिससे कि रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष का सहारा न लेना पड़े ।

(घ) राज्य सरकारों को कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं किए गए हैं।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा "मिग-21"

4134. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने "मिग-21" का अपना नियोजित उत्पादन पूरा कर लिया है;

(ख) क्या इस विमान का उसके वर्तमान स्वरूप में ही उत्पादन जारी रखा जाएगा अथवा भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसमें कुछ सुधार किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो इसमें क्या परिवर्तन करने का विचार किया गया है; और

(घ) वर्ष 1982-83 के लिए उत्पादन का क्या कार्यक्रम है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड 1966 से मिग 21 श्रेणी के विमानों का निर्माण कर रहा है। मिग 21 बी० आई० एस० का निर्माण चल रहा है ।

(ख) और (ग) भारतीय वायु सेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मिग 21 के सुधरे हुए रूप के उत्पादन पर विचार किया जाएगा।

(घ) 1982-83 के लिए विमानों के उत्पादन के कार्यक्रम का ब्यौरा प्रस्तुत करना लोक हित में नहीं है ।

वर्ष 1982-83 की वार्षिक योजनाओं के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

4135. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982-83 की वार्षिक योजनाएं तैयार करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपनी 1982-83 की वार्षिक योजनाएं तैयार करते समय योजना की प्राथमिकताओं और 1980-85 की छठी योजना के आधार-स्वरूप को ध्यान में रखें। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे छठी योजना की प्रमुख परियोजनाओं का वास्तविक मूल्यांकन करें; चल रही स्कीमों को सबसे उच्च प्राथमिकता दें तथा यह सुनिश्चित करें कि योजना के कार्यकलाप बिल्कुल समयबद्ध हों और योजना की अवधि में पूरे हो जाएं जिससे कि समय में वृद्धि और उनके फलस्वरूप लागत में वृद्धि न हो। इसके अलावा राज्यों से यह अनुरोध भी किया गया है कि वे सातवीं योजना में शुरू की जाने वाली स्कीमों/परियोजनाओं के लिए अग्रिम कार्रवाई शुरू करें; छठी योजना की प्रतिबद्धताओं के अनुसार योजना के संसाधनों को जुटाने के लिए योजनेतर व्यय में किफायत करें; राज्य बिजली बोर्डों, सिंचाई व्यवस्थाओं और परिवहन निगमों के कार्यकरण में सुधार करें ताकि वे न केवल हानियों को पूरा करें बल्कि राज्यों के संसाधनों में भी अंशदान करें राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि यदि कोई नई स्कीम/कार्यक्रम शुरू करना ही हो तो वह बहुत अधिक चयनात्मक आधार पर ही शुरू किया जाना चाहिए। निम्नलिखित पर अधिक जोर दिया गया है :

(1) आत्म निर्भरता प्राप्त करने और आयात करने की आवश्यकता न होने देने के लिए खाद्यान्न, दालों, तिलहनों तथा गन्ने का उत्पादन बढ़ाना।

(2) सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के विकास की गति तेज करना।

(3) सामाजिक/कृषि वन उद्योग कार्यक्रमों के अन्तर्गत पेड़ों की तेजी से बढ़ने वाली किस्मों के व्यापक रूप से पौधे लगाना और ईंधन तथा ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए बायो-गैस संयंत्रों तथा ऊर्जा के अन्य स्रोतों की स्थापना करना।

(4) समाज के कमजोर वर्गों की दशा सुधारना।

(5) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

(6) अनुसूचित जाति संघटक योजना, जनजातीय उप योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसे समाज के कमजोर वर्गों की दशा सुधारने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था।

'डानिक्स' अधिकारियों को ग्रेड 2 में नियुक्ति

4136. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 29 अगस्त 1973 से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर "डानिक्स" के 19 अधिकारियों को ग्रेड दो में नियुक्ति करने के आदेश दिनांक 12 सितम्बर, 1973 को जारी किए गए थे और इन्हें दिनांक 29 सितम्बर, 1973 के "भारतीय राजपत्र" में विधिवत प्रकाशित किया गया था तथा आदेश की प्रतियां सम्बन्धित अधिकारी के व्यक्तिगत सेवा-रिकार्ड में रखने के लिए दिल्ली प्रशासन तथा अण्डमान निकोबार प्रशासन को भेजी गई थीं;

(ख) क्या उक्त आदेश की प्रतियां इसके राजपत्र में प्रकाशित होने से काफी पहले ही दिल्ली प्रशासन तथा अण्डमान और निकोबार प्रशासन को प्राप्त हो गई थी;

(ग) क्या दिनांक 12 सितम्बर, 1973 के आदेश के जारी होने से पहले ही सम्बन्धित सभी 19 अधिकारियों या उनमें से किसी एक अधिकारी की नियुक्ति करने से सरकार को रोकने के लिए किसी वैध न्यायायय ने कोई आदेश जारी किए थे;

(घ) यदि हां, तो क्या न्यायालय के आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो दिल्ली प्रशासन/अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा आदेश की प्रतियां जो अधिकारियों को सम्बोधित थी; सम्बन्धित अधिकारियों को न दिये जाने के कारण और परिस्थितियां क्या थीं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अपेक्षित सूचना का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

24 और 25 अगस्त, 1973 को दिल्ली अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति के लिए चयन समिति की बैठक हुई थी। समिति ने दो सूचियां तैयार की थी। पहली सूची में 19 अधिकारियों के नाम थे जिनको सेवा में स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा गया था। दूसरी सूची में 96 अधिकारियों के नाम थे जिनको ड्यूटी पदों पर स्थानापन्न नियुक्ति के लिए योग्य पाया गया। चयन के आधार पर परिवीक्षा पर दिल्ली और अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा में 19 अधिकारियों को नियुक्ति करने की एक अधिसूचना 12-9-75 को जारी की गई थी। इसी दौरान सर्वश्री चन्दर गुप्ता, सुलतान सिंह II और जी० आर० मट्टा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में तीन रिट याचिकाएं दायर की गई थी जिनमें दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित ग्रेड-1 (ई) में उनकी वरिष्ठता को चुनौती दी गई थी और उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने की

मांग की गयी थी कि संदिग्ध वरिष्ठता के आधार पर दिल्ली अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा में कोई नियुक्ति न की जाय ।

श्री चन्दर गुप्ता द्वारा दायर की गई सिविल रिट याचिका में उच्च न्यायालय ने 13-9-73 को स्थगन आदेश दिये । स्थगन आदेश के प्राप्त होने पर दिल्ली और अण्डमान तथा निकोबार प्रशासनों को पेनल को कार्यान्वित न करने के लिए सूचित किया गया था । इसको ध्यान में रखते हुए संबद्ध अधिकारियों को नियुक्ति आदेश नहीं दिए गये थे ।

मारुति लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण हेतु किया गया भुगतान

4137. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में किन-किन पार्टियों और व्यक्तियों को भुगतान किया गया था; और

(ख) प्रत्येक मामले में कितना-कितना भुगतान किया गया था ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) मारुति लिमिटेड (उपक्रमों का सर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 22 के अधीन अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है ।

सिख लोगों की मांगों पर अकाली नेताओं के साथ विचार विमर्श

4138. **श्री चित्त बसु**
श्री पी० राजगोपाल नायडू } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रधान मंत्री अकाली नेताओं से मिली हैं और उन्होंने सिख लोगों की मांगों के बारे में उनसे विचार विमर्श किया है ;

(ख) यदि हां, तो मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन मांगों से संबंधित बातचीत का अन्तिम निष्कर्ष क्या रहा है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां श्रीमान । राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक मामलों के संबंध में कुछ मांगों/शिकायतों पर विचार विमर्श किया गया था । मांगों की एक सूची संलग्न विवरण में दी हुई है ।

(ग) और (घ) बातचीत अभी समाप्त नहीं हुई है ।

विवरण

शिरोमणी अकाली दल (लोंगवाल) की माँगों की सूची

धार्मिक मांगे

1. संत जरनेल सिंह भिण्डरवाला की बिना शर्त रिहाई और दिल्ली रैली (7 सितम्बर) चौक मेहता और चन्दू कलां के संबंध में पुलिस कार्रवाई के विषय में न्यायिक जांच।

2. दिल्ली गुरुद्वारों के प्रबन्ध में सरकार की तथाकथित मनमानी को दूर करना, "सरकार के पिट्ठुओं" द्वारा किए गए जबरन नियंत्रण को हटा कर लोकतांत्रिक चुनाव कराना।

3. तीर्थयात्री दलों को पाकिस्तान भेजने और स्थानीय सिख तीर्थ स्थानों के रखरखाव के लिए सेवादारों की नियुक्ति करने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्ध समिति की शक्तियों को बहाल करना।

4. स्थानीय और अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में वायुयान द्वारा यात्रा करने वाले सिखों को कृपाण रखने की अनुमति।

5. एक अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया जाय।

6 हरिद्वार, कुरुक्षेत्र और काशी के प्रतिमान पर अमृतसर को पवित्र शहर का दर्जा देना।

7. कीर्तन के रिले के लिए स्वर्ण मंदिर अमृतसर में "हरिमंदिर रेडियो" की स्थापना।

8. फ्लाइंग मेल का नाम बदलकर हरिमंदिर एक्सप्रेस रखना।

राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मांगे

9. आनन्दपुर साहिब संकल्प के अनुसार, शिरोमणि अकाली दल पूरी तरह से यह मानता है कि केन्द्र की सम्पन्नता के लिए राज्य की उन्नति आवश्यक है, जिसके लिए राज्यों को और अधिक अधिकार और प्रान्तीय स्वायत्तता देने के लिए संविधान में उचित संशोधन किए जाय। केन्द्र को विदेश कार्य, रक्षा, मुद्रा और संचार (परिवहन साधनों सहित) रखने चाहिए, शेष विभाग राज्य सरकार के पास होने चाहिए। इसके अतिरिक्त सिखों को राष्ट्र के रूप में विशेष अधिकार होने चाहिए।

10. पंजाबी भाषी क्षेत्रों और चंडीगढ़ का पंजाब में विलय।

11. राज्य में बांधों और हैडवर्क्स को पंजाब को दिया जाय और नदी जल का राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार पुनः वितरण किया जाय।

12. हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दिया जाय।

13. उत्तरप्रदेश के तराई क्षेत्रों से पंजाबी किसानों को न हटाया जाय।

14. अमृतसर में एक ड्राई पोर्ट की स्थापना।

15. पंजाब और सिंध बैंक की जगह एक नए बैंक के लिए लाइसेंस दिया जाय, जो सिख नियंत्रण के अधीन हो और कृषि उत्पादों को औद्योगिक उत्पादनों के सूचकांक से संबद्ध करके इनके लिए लाभकारी कीमतें निर्धारित की जायं।

साम्प्रदायिक दंगों के निर्णयाधीन मामले

4140. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मंत्री साम्प्रदायिक दंगों के निर्णयाधीन मामलों के बारे में 9 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3496 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के न्यायालयों में साम्प्रदायिक दंगों से सम्बन्धित निर्णयाधीन मामलों के बारे में पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार तथा दादरा नागर हवेली को छोड़कर अन्य राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना प्राप्त हो गई है।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

न्यायालयों में निर्णयाधीन साम्प्रदायिक दंगों के मामले

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	न्यायालयों में निर्णयाधीन साम्प्रदायिक दंगों के मामलों की संख्या
राज्य	
1. आन्ध्र प्रदेश	84 मामले
2. असम	202 मामले
3. गुजरात	87 मामले
4. कर्नाटक	185 मामले
5. केरल	18 मामले
6. मध्य प्रदेश	21 मामले

1	2	
7 महाराष्ट्र	87 मामले	
8. राजस्थान	47 मामले	
9. उत्तर प्रदेश	217 मामले	49 मामले
		1 मामला
		3 मामले
		16 मामले
		24 मामले
		9 मामले
		109 मामले
		5 मामले
		1 मामला
		217 मामले
10. हरियाणा	शून्य	
11. हिमाचल प्रदेश	शून्य	
12. जम्मू व कश्मीर	शून्य	
13. मणिपुर	शून्य	
14. मेघालय	शून्य	
15. नागालैंड	शून्य	
16. सिक्किम	शून्य	
17. त्रिपुरा	शून्य	
संघ शासित क्षेत्र		
1. चण्डीगढ़	शून्य	
2. दिल्ली	10 मामले	
3. गोवा, दमण तथा दीव	शून्य	
4. लक्षद्वीप	शून्य	
5. मिजोरम	शून्य	
6. पांडिचेरी	शून्य	

जनगणना कार्य निदेशालय दिल्ली में नियमित पदों के विरुद्ध तदर्थ नियुक्तियां

4141. **श्री सुधीर गिरि**
श्री सैयद मतुदल हुसैन } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनगणना कार्य निदेशालय दिल्ली के कार्यालय में सुपरवाइजर, चेकर और टेबुलेटर के पद नियमित किस्म के हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या निदेशालय इन पदों पर अस्थाई और तदर्थ नियुक्तियां करके इन पदों को भरने के बारे में मनमाने नियमों का पालन कर रहा है;

(ग) क्या कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं कि किसी को नौकरी से निकाला गया हो और कुछ ही दिनों के अन्तराल से उसी पद पर नई नियुक्ति कर ली गई हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी वार ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान जनगणना कार्य निदेशक दिल्ली के कार्यालय में सुपरवाइजर, चेकर और टेबुलेटर के पद बिल्कुल अस्थाई और तदर्थ किस्म के हैं ।

(ग) और (घ) 17 नवम्बर, 1981 को दो चेकरों और तीन टेबुलेटरों/कोडरों को नौकरी से निकाला गया था किन्तु उन्हीं पदों पर कोई नई नियुक्तियां नहीं की गई हैं ।

बन्धुआ मजदूरों की सूची में प्रवासियों, कृषि मजदूरों को शामिल किया जाना

4142. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से प्रवासियों, कृषि मजदूरों को बन्धुआ मजदूरों की सूची में शामिल करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में कुछ प्रवासियों और कृषि मजदूरों को सूची में शामिल किया गया है; यदि हां, तो राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) उनकी पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यवार दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समस्या के कब तक हल हो जाने की आशा है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

(घ) राज्यों को दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता सम्बन्धी विवरण संलग्न है (विवरण-1)।

(ङ) 31.3.81 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि 1,21,973 बंधुआ श्रमिकों का पता लगाया गया, जिसमें से एक कार्यक्रम या दूसरे कार्यक्रम के अन्तर्गत मुक्त कराए गए 1,09,012 बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित किया गया है । इस सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है (विवरण-2) । राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे पता लगाए गए और मुक्त कराए गए शेष सभी 12,961 बंधुआ श्रमिकों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्वासित करें । तथापि, कुछ राज्य सरकारें बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने के लिए नया सर्वेक्षण कर रही हैं ।

विवरण-1

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा संचालित योजना—राज्य सरकारों को दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता सम्बन्धी अद्यतन स्थिति

राज्य	केन्द्री वित्तीय सहायता (रु० लाखों में)										
	1978-79			1979-80			1980-81			1981-82	
	राज्य सरकार को दी गई	राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई	पुनर्वासित बंधुआ श्रमिकों की सं०	राज्य सरकार को दी गई	राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई	पुनर्वासित बंधुआ श्रमिकों की सं०	राज्य सरकार को दी गई	राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई	पुनर्वासित बंधुआ श्रमिकों की सं०	पुनर्वास के अन्तर्गत आने वाले बंधुआ श्रमिकों की संख्या	दी गई धनराशि
आंध्र प्रदेश	20.00	18.00	2,920	17.73	17.73	1,586	19.17	19,13,090	2268	913	7,92.175
बिहार	14.28	11.29	816	6.62	1.93	369	22.34	—	1876	361	3,61,900
कर्नाटक	10.28	9 77	527	7.14	4.37	1.521	125.15	82,250	13436	61	71,000
केरल	1.65	1.65	110	0.60	—	60	—	—	—	—	—
मध्य प्रदेश	17.00	1.21	58	—	—	—	—	—	—	77	65,000
उड़ीसा	5 11	3.67	321	1.00	4.74	16	10.22	101284	517	4939	49,33,000*
राजस्थान	14.00	14.00	700	10.53	—	700	10.35	—	344	—	—
तमिलनाडु	5.32	—	—	—	—	—	1.70	—	359	—	—
उत्तर प्रदेश	10.00	10.00	495	10.00	10.00	2,606	10.00	10.00	500	—	—
योग	97.64	69.60	5,947	53.62	38.77	8,858	198.93	3036588	19.300	6,351	62,22,175

* धनराशि दी जा रही है।

विवरण-2

बंधुआ श्रमिकों का पता लगाया जाना (31.3.1981 तक)

क्रमांक	राज्य	पता लगाए गए और मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिक	अब तक पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या					
			चल रही अन्य योजनाओं के अंतर्गत	केन्द्र द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत			कुल	शेष जिन्हें पुनर्वासित किया जाना है।
				1978-79 के दौरान	1979-80 के दौरान अनुदानों के अंतर्गत	1980-81 के दौरान अनुदानों के अंतर्गत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	12701	2880	2920	1586	2268	9654	3047
2.	बिहार	4603	952	816	369	1876	4013	590
3.	गुजरात	42	42	—	—	—	42	—
4.	कर्नाटक	62699	39960	527	1521	13436	55444	7255
5.	केरल	700	138	110	60	—	308	392
6.	मध्य प्रदेश	1531	—	58	—	—	58	1473
7.	उड़ीसा	854	—	321	16	517	854	—
8.	राजस्थान	6000	4256	700	700	344	6000	—
9.	तमिलनाडु	27875	27311	—	—	359	2 670	204
10.	उत्तर प्रदेश	4669	1368	495	2606	500	4969	—
	योग	1,21,973	76,907	5,947	6,858	19,300	1,09,912	12,961

विदेशी धन प्राप्त करने वाले संस्थान

4143. **श्री सूरजभान**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी
श्री सत्य नारायण जाटिया
श्री के० माल्लन्ना
श्री अर्जुन सेठी } : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन तीन वर्षों के दौरान जिनके भारतीय रिजर्व बैंक के पास नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं, राज्यवार विदेशी धन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, एसोसिएशनों और संगठनों के नाम और पते क्या हैं;

(ख) यह धन किन-किन देशों से प्राप्त हुआ ;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कतिपय मामलों की जांच कराई ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा उसके क्या परिणाम रहे, और इन मामलों से संबंधित नाम और पते क्या क्या हैं;

(घ) ऐसे प्राप्त कर्ता कौन-कौन हैं, जिन्होंने प्राप्त विदेशी मुद्रा को हिसाब में बिल्कुल भी नहीं दर्शाया है या उसका संतोषजनक ढंग से हिसाब नहीं रखा है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई विधेयक लाने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विदेशी अभिदान (विनियम अधिनियम, 1976 के उपबंधो के अधीन रिजर्व बैंक आफ इंडिया उन व्यक्तियों, संस्थाओं, संघों और संगठनों के राज्यवार नाम व पते रखने के लिए बाध्य नहीं है, जो विदेशों से धन प्राप्त करते हैं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) इस समस्या पर सरकार ध्यान दे रही है।

उद्योगों की तकनीकी जानकारी को अद्यतन बनाना

4144 : **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय का देश में कुछ उद्योगों की विद्यमान तकनीकी जानकरी को अद्यतन बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किन्हीं ऐसे उद्योगों का पता लगाया गया है ;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए किसी अन्य देश के साथ किसी तकनीकी सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) से (घ) प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाना एक निरन्तर और सदैव चलने वाली प्रक्रिया है। जटिल प्रकार के क्षेत्रों और उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निर्यात/परक और आयात प्रतिस्थापन उत्पाद के लिए तथा विद्यमान प्रोद्योगिकी को अद्यतन बनाने में देश के उद्योग को समर्थ बनाने हेतु प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति दी जाती है ।

सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी सहयोग प्रस्तावों के ब्यौरे की सुविधा तिमाही आधार पर जारी की जाती है । इन सूचियों में भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी सहयोग कर्ता का नाम उत्पादन की वस्तु तथा प्रस्ताव में विदेशी पूंजीगत भागीदारी निहित है या नहीं, दिया गया होता है । संसद के पुस्तकालय को इन सूचियों की प्रतियां नियमित रूप से भेजी जाती हैं ।

हरियाणा में गैर-सरकारी उद्यमियों को औद्योगिक लाइसेंस

4145. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान हरियाणा में गैर सरकारी उद्यमियों को कुल कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं, और

(ख) उसमें से कुल कितने उद्योगों में उत्पादन शुरू हो गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री डा० (चरणजीत चानना) : (क) 1979 से 1981 (अक्तूबर 81) तक के वर्षों में हरियाणा में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए निजी (प्राइवेट) उद्यमियों को 49 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गए थे जो इस प्रकार हैं :-

1979	—	16
1980	—	18
1981	—	15
(अक्तूबर, 81 तक)		

(ख) उपर्युक्त में से प्राइवेट उद्यमियों को जारी किये गए 7 लाइसेंस क्रियान्वित हो गए हैं ।

दादरी सीमेंट फैक्टरी के श्रमिकों को रोजगार

4146. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हरियाणा में दादरी की सीमेंट फैक्टरी के लगभग 700 भूतपूर्व श्रमिकों को अब तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है और उनके अन्तिम लेखे अब तक नहीं निपटाए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने या उनके लेखे अन्तिम रूप से निपटाए जाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना): (क) और (ख) भारतीय सीमेंट निगम हरियाणा में दादरी स्थित सीमेंट कारखाने के कुछ भूतपूर्व कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए कार्यवाही कर रहा है। उन कर्मचारियों के दावों का निपटारा जिन्हें अन्तिम रूप से भर्ती नहीं किया जा सकेगा, डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत भुगतान आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

अन्य राज्यों में हरियाणा पंजाब के उद्यम

4147. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा और पंजाब सरकारों ने राज्यों में बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए कोई योजनाएं तैयार की हैं, तथा सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना): (क) और (ख) पंजाब और हरियाणा के राज्य औद्योगिक नियमों से इन राज्यों में उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम के अधीन औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी आवेदनों में से पंजाब सरकार के 8 आवेदन और हरियाणा सरकार के 7 आवेदन इस समय लम्बित हैं। पंजाब सरकार का सबसे पुराना आवेदन जून 1981 का और हरियाणा सरकार का सबसे पुराना आवेदन अक्तूबर, 1980 का है। किन्तु 1 जनवरी, 1981 से 31 अक्तूबर 1981 की अवधि में पंजाब और हरियाणा के राज्य निगमों को राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए निम्नलिखित औद्योगिक लाइसेंस और आशय-पत्र जारी किये गये हैं -:

राज्य	औद्योगिक लाइसेंस	आशय-पत्र
पंजाब	2	10
हरियाणा	—	3

योजना आयोग वार्षिक योजना (1982-83) को अन्तिम रूप देने के लिए राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श कर रहा है। दिसम्बर, 1981/जनवरी, 1982 के महीने में विचार विमर्श कर लेने के बाद अन्तिम परिव्यय की स्थिति उभर कर आयेगी तथा राज्य सरकारें अपनी-अपनी स्वीकृत वार्षिक योजना (1982-83) में शामिल अपने-अपने योजना प्रस्ताव का कार्यान्वियन करने वाली केन्द्रीय अभिकरण होगी ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए छठी योजना का योजना परिव्यय

4148. **श्री अजय बिश्वास** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में (राज्य-वार) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए छठी प्रंचवर्षीय योजना में योजना-परिव्यय कितना-कितना है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की उन परियोजनाओं के लिए छठी योजना परिव्यय लगभग 1,000 करोड़ रु० है जिन परियोजनाओं के लिए अनुमानित लागत 1674 करोड़ रु० है। इसके अलावा उत्तर-पूर्वी परिषद की छठी पंचवर्षीय योजना में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय, आर्थिक या प्रायोगिक महत्व की परियोजनाओं के लिए 340 करोड़रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। सड़कों, रेल लाइनों आदि, जैसी अनेक केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजानायें राज्य की सीमाओं से बाहर के लिए भी हैं। इसलिए परिव्ययों के राज्यवार आंकड़े देना संभव नहीं है।

असम में "वर्क चार्जड" और "मस्टर रोल" श्रमिक

4149. **श्री अजय बिश्वास** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम राज्य सरकार के अन्तर्गत कितने "वर्क-चार्जड" और "मस्टर रोल" श्रमिक काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार का उनकी सेवाएं नियमित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो कब ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

सीमेंट फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण

4150. **श्री लक्ष्मण मल्लिक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सीमेंट फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सीमेंट फैक्ट्रियों का विस्तार और आधुनिकीकरण करने के लिए उनके मंत्रालय ने पहले भी कोई योजानाएं शुरू की थीं;

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) उन बातों का ब्यौरा क्या है, जिनके आधार पर वर्तमान आधुनिकीकरण योजनाओं को कार्यान्वित करने का विचार किया गया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) सीमेंट उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से उदार ऋण सहायता उपलब्ध है। अतः सरकार ने सीमेंट उद्योग को आधुनिकीकरण की योजनाएं तैयार करने तथा सहायता प्राप्ति हेतु इन योजनाओं को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास भेजने की सलाह दी है। सरकार ने सीमेंट उद्योग से सम्बध मामलों जिसमें इसका आधुनिकीकरण भी शामिल है, की संवीक्षा करने के लिये औद्योगित लागत और मूल्य ब्यूरो के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। आशा की जाती है कि समिति अपनी रिपोर्ट सरकार के विचारार्थ दिसम्बर, 1981 के अंत तक प्रस्तुत कर देगी। सरकार ने सीमेंट उद्योग को यह भी परामर्श दिया है कि आधुनिकीकरण के किन्हीं विशिष्ट प्रस्ताओं को सरकार के विचारार्थ भेजा जा सकता है।

तेल ईंधन के लिये पौधों का उपयोग

4151. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी देश वैकल्पिक तेल ईंधन स्रोत के लिए पौधों का उपयोग करने के सम्बन्ध में खोज कर रहे हैं, यदि हां, तो इस दिशा में भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(ख) क्या देश में ऐसे पौधों पर अनुसंधान के लिए कोई अखिल भारतीय समेकित कार्यक्रम चल रहा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) जी हां, । विश्व भर में विकसित और विकासशील देशों, दोनों में तेल ईंधन का उत्पादन करने के लिए पादप संशोधन का दोहन करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। नेशशल बोटेनिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, लखनऊ, इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम, देहरादून, मदुरै, कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै, सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जोधपुर, आदि जैसी कई राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा भारत में इस दिशा में काफी कार्य किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग ने जोजोबा की कृषि और दोहन पर, जिसे सी० ए० जैड० आर० आई०, जोधपुर, और एन० बी० आर० आई० लखनऊ, द्वारा किया जा रहा है और पेट्रो फसलों (हाइड्रोकार्बन उत्पन्न करने वाले पादप) की कृषि और संवीक्षा पर, जिसे एन० बी० आर० आई, लखनऊ और आई० आई पी०, देहरादून द्वारा किया जा रहा है, समन्वित परियोजना का समर्थन किया है। बहुत सी पादप स्पीशीज की उनके हाइड्रोकार्बन अंशों के लिए संवीक्षा की गई है और जिन स्पीशीज में लेटेक्स का प्रतिशत 2 से 4 तक है, उन्हें बड़े पैमाने पर कृषि के लिए हाथ में लिया गया है। सीमान्त/शुष्क क्षेत्र की मृदा में इन स्पीशीज पर प्रयोग और क्षेत्रीय परीक्षण चल रहे हैं।

सीमेंट संयंत्रों का निर्माण

4152. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के निर्माणाधीन सीमेंट संयंत्रों के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इनमें से आगामी दो वर्षों के दौरान कितने सीमेंट संयंत्रों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा ;

(ख) क्या इस परियोजना की लागत में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो लागत में हो रही वृद्धि से बचने के लिए, समय पर निर्माण कार्य पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) से (ग) सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया नामक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम की एक परियोजना आदिलाबाद, आंध्र प्रदेश में स्थापना-कार्य समयानुसार चल रहा है और परियोजना के वर्ष 1982-83 में पूरी हो जाने की आशा है। स्वीकृत अनुमानों से सीमान्त लागत बढ़ जाने की संभावना है। राज्य क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के बारे में जानकारी इकठ्ठी की जा रही हैं और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की संख्या

4153. **श्री प्रो० रूपचन्द्र पाल** : क्या **उद्योग** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में कार्य कर रही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की संख्या कितनी है ;

(ख) इन कम्पनियों के उत्पाद क्या-क्या हैं (प्रत्येक कम्पनी के उत्पादन की वार्षिक मात्रा सहित उत्पादों के नाम क्या हैं), और

(ग) हमारे देश में इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) भारत स्थित विदेशी कम्पनियों की शाखाओं तथा विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियों का 31-3-80 तक का उद्योगवार विभाजन उन नयी परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। (विवरण 1 तथा 2)

औद्योगिक स्वीकृत सचिवालय में उत्पादवार तथा कम्पनीवार वार्षिक उत्पादन के केन्द्रीय रूप से आंकड़े नहीं रखे जाते।

विवरण-1

भारत में उद्योगवार विदेशी कम्पनियों की भारतीय शाखाओं का वितरण तथा उनकी सम्पत्ति सहित 31-3-80 तक का विवरण

(करोड़ रु० में

क्र० सं०	उद्योग	शाखाओं की संख्या	शाखाओं की परिसम्पत्तियां
1	2	3	4
1.	कृषि तथा संबंद्ध उद्योग (0) इसमें	55	80.63 (52)
	चाय बगान (0.30)	54	80.63 (52)
2.	खनन और उत्खनन (1) इसमें	5	34.83 (4)
	ताँबे की खान (1.13)		27.01 (1)
3.	परिशोधन तथा उत्पादन तथा (2.3 तथा 4) इसमें	41	152.07 (37)
	(क) तम्बाकू उत्पादन बीड़ी तथा सिगरेट के अलावा (2.59)	1	29.05 (1)
	(ख) जूट कताई तथा बुनाई (2.64)	5	26.82 (5)
	(ग) परिवहन तथा बिजली के अलावा मशीनें (3.4)	12	19.80 (10)
	(घ) औषध तथा भेषजें (3.80)	5	26.04 (4)
	(ङ) पेट्रोल शोधक कारखाने (4.00)	2	27.04 (2)
4.	निर्माण तथा उपयोगिताएं (5)	14	10.61 (13)
5.	वाणिज्य (व्यापार तथा वित्त (6) इसमें	62	2053.34 (54)
	(क) खाद्य वस्तुओं के अलावा वस्तुओं का थोक व्यापार (6.01)	33	13.09 (26)
	(ख) बीमा (6.40)	3	3.20 (3)
	(ग) बैंकिंग (6.50)	15	2035.19 (15)

1	2	3	4
6.	यातायात, दूरसंचार तथा भंडारण (7)	34	4 09 (6)
7.	सामुदायिक तथा व्यापार सेवाएं (8)	51	29.29 (40)
8.	निजी तथा दूसरी सेवाएं (9)	7	2.34 (5)
9.	सम्पर्क/प्रतिनिधि कार्यालय	46	6.65 (36)
योग (मुख्य ओद्योगिक वर्गीकरण) के आधार पर		315	2373.85 (247)

नोट : 1. औद्योगिक वर्गीकरण को इस कालम 2 कोष्ठक में दिए गए हैं।
2. कालम 4 के नीचे कोष्ठक में दी गई संख्या उन शाखाओं की संख्या है जिनकी परिसम्पत्ति बताई गई है।

विवरण-2

विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियों का उद्योगवार विभाजन तथा उनकी परिसम्पत्तियों सहित 31-3-80 तक का विवरण

क्र० सं०	उद्योग	सहायक कंपनियों की संख्या	सहायक कंपनियों की परिसम्पत्यिां
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियाँ (0) जिसमें	19	192.06
	(1) चाय (0.30)	19	192.06
2.	खनन तथा उत्खनन	2	14.57
3.	खाद्यान्न, कपड़ा, चमड़ा, खनिज तथा रसायन परिशोधन तथा उत्पादन (2, 3 तथा 4)	74	1643.80
	(1) इसमें मोटर वाहन तथा पुर्जे (3.22)	3	161.68
	(2) बिजली मशीनों का उत्पादन (3.39)	10	273.17
	(3) परिवहन तथा बिजली के अलावा मशीनों का उत्पादन (3.49)	10	76.05

1	2	3
(4) अल्यूमिनियम के बर्तनों का उत्पादन (3.51)	2	113.04
(5) औषधों तथा भेषजों के उत्पादन (3.80)	16	237.30
(6) श्रंगार प्रसाधन तथा नहाने धोने की वस्तुएं (3.81 तथा 382)	2	178.89
(7) रबर तथा रबर वस्तुओं का उत्पादन (4.8)	3	187.56
4. निर्माण तथा उपयोगिताएं (5)	1	0.04
5. वाणिज्य (व्यापार तथा वित्त (6)	15	38.02
6. यातायाय एवं दूरसंचार (7)	—	—
7. सामुदायिक तथा व्यापार सेवाएं (8)	8	6.58
8. कार्मिक तथा दूसरी सेवाएं (9)	3	1.57
योग	118	1896.65

नोट : कालम 2 में कोष्ठक में दी गई संख्या औद्योगिक वर्गीकरण कोड दर्शाती है ।

राजस्थान में भारतीय सीमेंट निगम द्वारा एक सुपर सीमेंट संयत्र की स्थापना

4154. **श्री कृष्णकुमार गोयल**
श्री नवल किशोर शर्मा } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम राजस्थान में एक सुपर सीमेंट संयंत्र स्थापित करने की सम्भावना का पता लगा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) और (ख) भारतीय सीमेंट निगम बूंदी, जिला बूंदी, राजस्थान के निकट लगभग 2.5 लाख मी० टन प्रतिवर्ष क्षमता के सीमेंट संयंत्र स्थापित करने की सम्भावना की खोज कर रहा है, जिसके लिए चूना पत्थर की जांच चल रही है ।

जनगणना कार्य निदेशालय, दिल्ली को नियुक्ति नीति

4155. **श्री अजित बाग**
श्री सैयद मसुदल हुसैन } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनगणना कार्य निदेशालय, दिल्ली द्वारा अपनायी जा रही नियुक्ति सम्बन्धी नीति कानून सम्मत नहीं है और अन्य सरकारी विभागों की तुलना में इससे भेदभाव की गंध आती है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान । जनगणना कार्य निदेशक, दिल्ली वही नियुक्ति सम्बन्धी नीति अपना रहा है जो राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में जनगणना कार्य के अन्य निदेशकों द्वारा अपनाई जा रही है। यह नियुक्ति सम्बन्धी नीति सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से भारत के महापंजीयक के कार्यालय द्वारा निर्धारित की गई है । और देश भर के सभी जनगणना कार्यालयों में समान रूप से लागू है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा के कलाहांडी जिले में कागज मिलों के लिए लाइसेंस

4156. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की राज्य सरकार ने उड़ीसा के कलाहांडी जिले में "एक कागज मिल" के लाइसेंस हेतु केन्द्र से सम्पर्क किया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ख) सरकार ने कलाहांडी (उड़ीसा) जिले की केसिंगा तहसील में 10,000 मी० टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली एक कागज मिल स्थापित करने के लिए मैसर्स यूनिवर्सल पैट्रो-केमिकल्स लिमिटेड की योजना स्वीकृत कर दी है।

तारापुर परमाणु विद्युत संयन्त्र में विद्युत उत्पादन

4157. **श्री रास बिहारी**
श्री आर० पी० गायकवाड़
श्री बी० डी० सिंह } : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिका से परमाणु ईंधन आना रुक जाने के कारण तारापुर अपनी क्षमता से काफी नीचे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो संयन्त्र की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या यह सच है कि तारापुर में उत्पादित बिजली की लागत अंततः चार गुना बढ़ गई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) अमरीका से समृद्ध यूरेनियम मिलने में विलम्ब होने के कारण, बिजलीघर के ईंधन-चक्र को बढ़ाने के लिए बिजलीघर के विद्युत-स्तर को घटाना पड़ गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

आदिवासियों का शोषण

4158. **श्री के० प्रधानी**
श्री मूलचंद डागा } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी लोगों का शोषण करने के कुछ मामले केन्द्र सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस तरह के राज्यों के नाम क्या हैं और आदिवासी लोगों के बेरहम शोषण को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत विशेषकर मध्य भारत में आदिवासी बाहुल्य वाले क्षेत्र में खानों तथा बड़े उद्योगों के विकास हेतु बड़े पैमाने पर भूमि के हस्तान्तरण, आदिवासी क्षेत्र में ऊंचे स्थलों पर सिंचाई हैडवर्क्स के निर्माण, और कस्बों के तेजी से विकास के कारण रोजगार अवसरों की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो आदिवासी बाहुल्य वाले क्षेत्रों के लिए लाभप्रद रोजगार पैदा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) भारत सरकार को आदिवासियों का अन्य लोगों द्वारा शोषण किए जाने की जानकारी है। शोषण, आदिवासी जनसंख्या वाले लगभग सभी राज्यों में होता है लेकिन अधिक शोषण उन क्षेत्रों में होता है जिनमें अधिक पिछड़े और अशिक्षित आदिवासी समुदाय रहते हैं। शोषण को रोकने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। आदिवासियों से भूमि के हस्तांतरण को रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कानून बनाए गए हैं और उन्हें लागू किया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों से महाजनी के व्यवसाय को नियमित किया जा रहा है। नीति के रूप में भारत सरकार यह सुझाव देती रही है कि आदिवासी क्षेत्रों में शराब की बिक्री की अनुमति न दी जाय, लेकिन आदिवासियों को शराब बनाने की अनुमति दी जाय क्योंकि शराब की बिक्री से उनका शोषण होता है। वस्तुओं के विनियम में कदाचार की समाप्ति के लिए आदिवासी क्षेत्रों में बड़े आकार की बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना की गई है ताकि उन्हें ठगा न जा सके। एल. ए. एम. पी. एस. नामक ऐसी समितियों को उचित दरों पर ऋण देने का कार्य भी सौंपा गया है। आदिवासी आर्थिक व्यवस्था के सहयोग के लिए वन नीति को पुनः अनुकूल बनाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। बन्धक मजदूरों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा उपाय किए जा रहे हैं।

(ग) जी हां, श्रीमान ।

(घ) भारत सरकार और राज्य सरकारों ने आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास के कार्य को तेज किया है । आदिवासी उप-योजना की एक नीति तैयार की गई है जिसके अनुसार राज्य-योजना, केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं से आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिए धन देने को सुनिश्चित किया जाता है और आदिवासी समुदायों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विकास योजनाएं तैयार की जाती हैं । आप्रवासन बाहुल्य वाले क्षेत्रों में योजनाओं का उद्देश्य अस्थायी और साथ ही साथ स्थायी आधार पर लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है । प्रयत्नों का उद्देश्य आदिवासी श्रमिकों के आप्रवासन के लिए जिम्मेदार असन्तुलन को प्रभावहीन बनाने के लिए दीर्घकालीन उपाय करने का है ।

मध्य भारत में औद्योगिक, खनन और अन्य परियोजनाओं से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए उपाय किए जा रहे हैं । आदिवासियों को प्रशिक्षण देने की योजना को कार्यान्वयन किया जा रहा है ताकि औद्योगिक, खनन और अन्य विकास कार्यों से उत्पन्न अवसरों का वे लाभ उठा सकें ।

दानापुर छावनी बोर्ड द्वारा करों का पुनर्निर्धारण

4159. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानापुर छावनी बोर्ड के अधिकारियों ने करों का पुनर्निर्धारण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके विरोध में नागरिकों की ओर से कोई ज्ञापन मिला है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं । फिर भी, इस काम के लिए एक कर निर्धारण समिति गठित की गई है ।

(ख) दानापुर छावनी करदाता संघ की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ।

(ग) इस ज्ञापन में कर-निर्धारण समिति के पुनर्गठन, करों के पुनर्निर्धारण के प्रस्ताव की जांच और छावनी कार्यकारी अफसर के तबादले की मांग की गई है ।

(घ) ज्ञापन में की गई मांगों की अभी जांच की जानी है ।

पाकिस्तान के एफ-16 विमानों की प्रहारक परिधि के भीतर भारत के हवाई अड्डे

4170. **श्री ईरा अनबरासु** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि भारत के कुछ हवाई अड्डे पाकिस्तान के हवाई अड्डों से एफ-16 विमानों की प्रहारक परिधि (स्ट्राइकिंग रेंज) के अन्तर्गत हैं;

(ख) इस तरह के खतरे का मुकाबला करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार दक्षिण में और अधिक हवाई अड्डों का निर्माण करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पाकिस्तान की एफ-16 विमान की खरीद के संदर्भ में अपनी पूरी रक्षा तैयारियां बनाए रखने की दृष्टि से सरकार समुचित उपाय कर रही है। ब्यौरे प्रस्तुत करना लोकहित में नहीं है।

भूमि परीक्षण के लिए उपग्रह छोड़ना

4161. **श्री जयनारायण रौत** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 नवम्बर, 1981 को भारत ने, भूमि प्रेक्षण उपग्रह-दो छोड़ने के साथ ही अन्तरिक्ष में तीसरी बार उपग्रह छोड़ने का कार्य पूरा किया; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भूमि प्रेक्षण उपग्रह-दो का आधारभूत प्रयोजन क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) भारतीय उपग्रह भास्कर-II (भू-प्रेक्षण उपग्रह-II) को सोवियत अन्तरिक्ष अड्डे से नवम्बर 20, 1981 को छोड़ा गया था। 1981 के दौरान यह तीसरा भारतीय उपग्रह छोड़ा गया है।

(ख) भास्कर-II में दो प्राथमिक नीतिभार हैं, अर्थात् टी० वी० कैमरा प्रणाली और उपग्रह माइक्रोवेव रेडियोमीटर (समीर)। उपग्रह में आंकड़ा संकलन प्लेटफार्म परीक्षण और सौर सैल तथा तापीय पेंट परीक्षण जैसी गौण नीतिभार प्रणालियां भी रखी गयी हैं। उपग्रह तथा इसकी सभी उपप्रणालियां संतोषप्रद रूप में कार्य कर रही हैं। टी० वी० प्रतिबिम्बिकी का इस्तेमाल वानिकी, हिम अच्छादन इत्यादि में उपयोगों के लिए भू-संसाधनों के सर्वेक्षण सम्बन्धी परीक्षणों के लिए किया जाएगा। माइक्रोवेव रेडियोमीटर के आंकड़ों का इस्तेमाल समुद्री सतह के तापमान के मापन तथा वायुमण्डल में आर्द्रता की मात्रा जैसे अन्य मौसम-विज्ञानीय प्राचलों से सम्बन्धित परीक्षणों के लिए किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची

4162. **श्री जयनारायण रौत**
श्री पी० नामग्याल
श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सांविधिक सूचियों की पुनरीक्षा की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस सत्र के दौरान संसद में इस आशय का एक कानून लाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सांविधिक सूचियों की पुनरीक्षा के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संशोधन के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार करती रही है।

(ख) और (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संशोधन के सभी प्रस्ताव सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को टिप्पणी के लिए भेज दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सूचियों में संशोधन संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है। कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।

अतः सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से पूरी टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा/किये जायेंगे।

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संशोधन करने के लिए अपनाया गया मानदण्ड इस प्रकार है :—

अनुसूचित जातियां : अस्पृश्यता की परम्परागत प्रथा से उत्पन्न होने वाला अत्याधिक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन।

अनुसूचित जनजातियां : आदिकाल के लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, विस्तृत समुदाय के साथ सम्पर्क स्थापित करने में संकोच और पिछड़ेपन के संकेत।

आस्ट्रिया के सहयोग से भारत में मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना किया जाना

4163. **श्री जयनारायण रौत**
श्री हरिनाथ मिश्र } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रिया ने भारत में मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए अपनी तकनीक देने का प्रस्ताव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और समझौता की शर्तें क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) और (ख) सरकार ने रोटेरी क्लिन पर आधारित मिनी सीमेंट संयंत्रों के बारे में परामर्शदायी सेवायें प्रदान करने के लिए

एक भारतीय कम्पनी और आस्ट्रियन कम्पनी के बीच सहयोग करार पर स्वीकृति दे दी है। करार में तीन परियोजनाओं के लिए परामर्श हेतु भुगतान की व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े कानून

4164. श्री ई० के० इम्बोचीबावा
श्री एन० सुन्दरराजन } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े कानूनों के राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

30-11-1981 को लम्बित पड़े राज्य कानूनों का विवरण

राज्य	स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े
आन्ध्र प्रदेश	1
हिमाचल प्रदेश	1
हरियाणा	1
कर्नाटक	7
केरल	4
मध्य प्रदेश	4
महाराष्ट्र	1
मेघालय	2
नागालैंड	1
उड़ीसा	2
पंजाब	2
तमिलनाडु	5
पश्चिम बंगाल	17
जोड़ :	48

"विज्ञान प्रगति" का प्रकाशन

4165. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री विज्ञान प्रगति के प्रकाशन के बारे में दिनांक 26 जुलाई 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 146 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समिति के क्या निष्कर्ष थे;

(ख) क्या विज्ञान प्रगति की ओर बकाया राशि की वसूली की जा चुकी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) समिति के निम्नलिखित निष्कर्ष थे :—

(1) उस समय अपर्याप्त योग्य कर्मचारियों के कारण विज्ञान प्रगति के प्रकाशन में बिलम्ब हुआ था।

(2) जांच के समय भारतीय भाषा यूनिट उपयोग किये गये कागज का अंक-वार पूरा हिसाब-किताब नहीं रख रही थी, जबकि यह करना आवश्यक था ताकि मुद्रणालय कागज का अधिक अपव्यय न कर सके।

(3) विज्ञान प्रगति में प्रकाशित विज्ञापनों और बिक्री की कुछ बकाया राशियों को वसूल करने में बिलम्ब हुआ था।

(ख) और (ग) जी, अभी नहीं। इस सम्बन्ध में प्रयत्न किये जा रहे हैं।

दिल्ली में लिपिकीय पदों में कार्य कर रहे कांस्टेबल

4166. **श्री राम लाल राही** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस की हड़ताल से पूर्व हवलदार क्लर्कों की कोई सीधी भर्ती नहीं हुई थी और मैट्रिक अथवा इससे अधिक शिक्षा वाले कांस्टेबलों को ही दिल्ली में हवलदार क्लर्क नियुक्त किया जाता था लेकिन 1978 के बाद वरिष्ठ कांस्टेबलों की पदोन्नति से संबन्धित नियम कई बार बदले गये हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) हवलदार क्लर्क पद के लिये निर्धारित यही योग्यता रखने वाले कांस्टेबलों को अब इस पद पर नियुक्त न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि मैट्रिक अथवा इससे अधिक अपनी शिक्षा रखने वाले कांस्टेबलों को लिपिकीय नौकरी पर नियुक्त किया गया है लेकिन न तो उन्हें हवलदार क्लर्क बनाया गया है और न ही उन्हें इस कार्य के लिए विशेष भुगतान किया गया है जब कि इससे पूर्व लिपिकीय पदों पर कार्य कर रहे कांस्टेबलों को हवलदार क्लर्कों के रूप में पदोन्नत किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने कांस्टेबल लिपिकीय पदों पर कार्य कर रहे हैं और वे कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1970 से पहले हैड कांस्टेबलों (लिपिकीय) की सीधी भरती नहीं होती थी। जो कांस्टेबल मैट्रिकुलेट और उससे अधिक शिक्षा रखते थे उन्हें लिपिकीय ड्यूटियों पर लगाया गया था। निर्धारित परीक्षा पास करने पर उन्हें हैड कांस्टेबल (लिपिकीय) पदोन्नत किया गया था। चूंकि लिपिकीय कार्य के लिये विशेष कुशलता अपेक्षित है इसलिए हैड कांस्टेबलों (लिपिकीय) के पद पर शत प्रतिशत सीधी भरती की व्यवस्था करने के लिये 1970 में नियमों में परिवर्तन किया गया था। इस पद के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता हायर सेकेंडरी है। दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 के प्रवृत्त होने से दिल्ली पुलिस नियुक्ति तथा भरती नियम, 1980 बनाये गये हैं, जिनमें हैड कांस्टेबलों (लिपिकीय) के पद के लिए लम्बाई तथा छाती मानक भी निर्धारित किया गया है।

(ख) निर्धारित अर्हताएं रखने वाले कांस्टेबल भी अन्य सामान्य उम्मीदवारों के साथ हैड कांस्टेबल (लिपिकीय) के पद के लिये प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ सकते हैं। उन्हें रोजगार हेतु प्रतियोगिता के लिये ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट भी दी जाती है।

(ग) कार्य की अनिवार्यता को देखते हुए कांस्टेबलों को लिपिक के कार्य पर तैनात किया जाता है, परन्तु इससे वे हैड कांस्टेबल (लिपिकीय) के रूप में पदोन्नति अथवा विशेष वेतन के पात्र नहीं होते जब तक कि वे प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बाद नियमित आधार पर नियुक्त नहीं हो जाते।

(घ) इस समय लिपिकीय ड्यूटियों पर 211 कांस्टेबल तैनात हैं। यह सूचना, कि प्रत्येक कितने वर्षों से कार्य कर रहा है, एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

साम्प्रदायिक दंगे

4167. **प्रो० मधु दंडवते**
श्री० अजित बाग } : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से अब तक हुए साम्प्रदायिक दंगों के नवीनतम आंकड़े क्या हैं और ये दंगे राज्यवार किन-किन स्थानों पर हुए हैं;

(ख) साम्प्रदायिक दंगों में कितने व्यक्ति मारे गए और कितने घायल हुए; और

(ग) इन साम्प्रदायिक दंगों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जनवरी 1980 से सितम्बर, 1981 तक की अवधि की उपलब्धि सूचना संलग्न विवरण में दी है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-1-1980 से 31-9-81 तक की अवधि के दौरान साम्प्रदायिक घटनाओं में 553 व्यक्ति मारे गये और 4889 व्यक्ति जख्मी हुए।

(ग) सरकार ने राज्य सरकारों से यह बल देकर कहा है कि साम्प्रदायिक स्थिति से सख्ती, तत्परता और प्रभावकारी ढंग से निपटने और उनकी पुनरावृत्ति को रोकने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों को समय-समय पर विभिन्न उपायों के सुझाव दिये हैं, जैसे स्थानीय अधिसूचना कार्य का स्तर बढ़ाना, केन्द्रीकृत नियंत्रण कक्षों की स्थापना, पुलिस तैनातगी सुदृढ़ करना, समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध प्रभावशाली निरोधात्मक कार्रवाई, अग्नेयस्त्रों पर कड़ा नियंत्रण, अवैध शस्त्रों तथा गोलाबारूद का पता लगाने के लिये प्रभावकारी कदम, महत्वपूर्ण त्यौहारों तथा समारोहों के समय विशेष सावधानी बरतना, इत्यादि। केन्द्र सरकार ने साम्प्रदायिक हिंसा रोकने में राज्य सरकारों को सभी सहायता देने का आश्वासन दिया है। समाज-विरोधी तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के उपबंध उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन किया गया है और इसकी बैठक 12 नवम्बर, 1980 को हुई थी। परिषद ने साम्प्रदायिक सद्भाव सम्बन्धी एक उप समिति का गठन किया है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1-8-80 से 30-9-81 की अवधि के दौरान साम्प्रदायिक दंगों की कुल संख्या	जिलों में वे स्थान जहां 1-1-1980 से 30-9-81 तक की अवधि के दौरान साम्प्रदायिक घटनाएं हुई।
1	2	3
आंध्र प्रदेश	62	हैदराबाद, महबूबनगर, निजामाबाद, करनूल, मैटक, अदिलाबाद, विजयवाड़ा, प्रकाशम, नेल्लौर चित्तूर, रंगारेडी, करीमनगर।
असम	33	नवगांव हेलाकंडी, कामरूप, कछार, डिबरूगढ़, धुबरी, गोलपाड़ा, पश्चिम गारो पहाड़ियां।
बिहार	94	गया, पुर्निया, हजारीबाग, सीतामढ़ी, रांची, गिरिडिह, छपड़ा, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, रोहताश, सहरसा, सिंहभूम, मधुबनी, पश्चिमी चम्पारन, धनबाद, दरभंगा, नालंदा, पूर्वी चम्पारन, मुजफ्फर नगर, गोपालगंज, नावादा, औरंगाबाद, बेगूसराय, पलामू, समस्तीपुर।
दिल्ली	8	दिल्ली।

1	2	3
गुजरात	77	बड़ौदा, मेहसाना, अहमदाबाद, भंडोच, केरा, कच्छ, जूनागढ़, राजकोट, जामनगर, सूरत, बलसाड़, पंचमढ़ी, बनसकंठा ।
हरियाणा	2	फरीदाबाद ।
जम्मू और कश्मीर	13	दोदा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, कुपवाड़ा ।
कर्नाटक	34	शिमोगा, कोलार, टुमकुर, मैसूर कुर्ग, चिकमंगलूर, गुलबर्ग, बंगलौर, चित्रदुर्ग, दक्षिण केनारा, हसन, उत्तरी केनारा ।
केरल	21	त्रिवेन्द्रम, त्रिचूर, मालापुरम, कनानौर, क्विलोन, अलेपी, ।
मध्य प्रदेश	46	इंदौर, जबलपुर, मंदसोर, टिक्कमगढ़, शाहजहांपुर, भोपाल, बेतूल, खरगोने, छिंदवाड़ा, विदिशा, रायसेन, रतलाम, देवास, धार, होशंगाबाद, रायपुर, उज्जैन, दमोह ।
महाराष्ट्र	54	अमरावती, बुल्धाना, पुने, अंकोला, बम्बई, नागपुर, सांगली, बीड़, जलगांव, अहमदनगर, यवतमाल, थाने, नांदेड़, शोलापुर, धुले, औरंगाबाद, सतारा ।
मणिपुर	3	इम्फाल, मणिपुर सैंट्रल ।
उड़ीसा	9	सुन्दरगढ़, कटक, बलसौड, फूलबनी, क्योंझर,
राजस्थान	32	भीलवाड़ा, गंगानगर, जयपुर, कोटा, बंसवाड़ा, जोधपुर, झुझनू सिरोही, अलवर, झालावाड़, सवाई माधोपुर, बूंदी जैसलमेर, नागौर, सीकर, ।
तमिलनाडु	25	धर्मपुरी, उत्तरी आर्काट, रामनाड, मदुराई, तिंजौर, नीलगिरि, कन्याकुमारी, त्रिनेलवेली चिंगलपुट, दक्षिणी आर्कोट ।
त्रिपुरा	1	त्रिपुरा ।
उत्तर प्रदेश	98	इलाहाबाद, बस्ती, जौनपुर, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, बिजनौर, झांसी, फैजाबाद, एटा, आगरा, शाहजहांपुर, देवरिया अलीगढ़, सहारनपुर, लखिमपुर खीरी, आजमगढ़, हरदोई, गोंडा, गाजियाबाद, फरुखाबाद, कानपुर, मेरठ, बहराइच, प्रतापगढ़, वारणसी, रामपुर, बरेली, नैनीताल, गोरखपुर, पिथौरागढ़, लखनऊ ।

1	2	3
पश्चिम बंगाल	59	नादिया, 24-परगना, बर्दवान, कलकत्ता, बंकुरा, मुर्शिदाबाद, पश्चिम दिनाजपुर, कूचबिहार, मिदनापुर, माल्दा, हावड़ा, जलपायगुड़ी, हुगली, बीरभूम ।

टिप्पणी :— शेष राज्यों संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के बारे में सूचना शून्य है ।

तिब्बत में चीन का गुप्त विशाल सामरिक अड्डा

4168. **श्री अशोक गहलोत** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 अक्टूबर, 1981 के दैनिक "हिन्दुस्तान" में "तिब्बत में चीन का गुप्त विशाल सामरिक अड्डा-भारत को खतरा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां । उत्तरी तिब्बत में नागचुक में एक प्रक्षेपास्त्र अड्डा होने के बारे में अनेक समाचार पत्रों में खबरें छपी हैं ।

(ख) हमारे सुरक्षा परिवेश में होने वाली सभी घटनाओं पर सरकार बराबर नजर रखे हुए हैं और अपनी पूरी रक्षा तैयारी बनाये रखने के लिये सरकार ने पर्याप्त उपाय शुरू कर दिए हैं ।

स्वीडन में भारतीयों की गिरफ्तारी

4169. **श्री के० ए० राजन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्टाकहोम में सात भारतीयों की गिरफ्तारी के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; जिसमें उन्हें किसी ट्रैविल एजेंसी द्वारा वहां ले जाया गया था और उन्हें बिना धन के छोड़ दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है;

(ग) क्या संबन्धित ट्रैविल एजेंसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) इस मामले से अन्तर्गस्त व्यक्तियों के पूरे ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं । यह सूचित किया गया है कि एक व्यक्ति को, जो ट्रैवल एजेंसी चला रहा था और जो आठ भारतीयों के स्वीडन

में गैर कानूनी रूप में उत्प्रवास में अन्तर्ग्रस्त था, सितम्बर, 1981 में स्वीडिश प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उसे तब दोषी ठहराया गया और एक माह के कारावास की सजा दी गई। उसे अब भारत में वापिस भेज दिया गया है। वर्तमान मामले के सम्बन्धित ट्रेवल एजेंट के कार्य की जांच की जा रही है।

चीनी शोधन परियोजना के लिए इन्डोनेशिया में संयुक्त उपक्रम

4170. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत चीनी शोधन परियोजना के लिए इन्डोनेशिया में संयुक्त उपक्रम लगाने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों में चीनी उद्योग के विकास के लिए भारत और इन्डोनेशिया के बीच कोई करार हुआ था,

(ग) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं, और

(घ) देश में चीनी का उत्पादन बढ़ाने में इन्डोनेशिया किस सीमा तक भारत की सहायता करेगा।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) से (ग) हाल की द्विपक्षीय वार्ताओं में इन्डोनेशिया में चीनी उद्योग के विकास में सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया गया था। इन्डोनेशियाई अधिकारियों द्वारा आमन्त्रित की गई निविदाओं में उत्तर में कुछ भारतीय फर्मों ने भी विद्यमान चीनी कारखानों की पुनः स्थापना करने और नए एककों की स्थापना की पेशकश की है।

(घ) भारत में चीनी उत्पादन बढ़ाने के लिये इन्डोनेशियाई मदद की परिकल्पना नहीं की गई है।

शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना

4171. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के लागू होने पर कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) छठी योजना में बताये गये विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों के परिणामस्वरूप आर्थिक कार्यकलाप में वृद्धि होने तथा शिक्षित और

अशिक्षित—दोनों ही प्रकार के बेरोजगार व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की आशा है। विशेष रूप से छठी योजना में स्व-रोजगार के लिये एक नई नीति की सिफारिश की गई है जिसमें प्रशिक्षण, ऋण, विपणन, परामर्श आदि जैसी सुविधाओं के समुच्चय की व्यवस्था है। यदि इस योजना में परिकल्पित लक्ष्य और कार्यक्रम कार्यान्वित होते हैं तो योजना की अवधि में लगभग 340 लाख मानक श्रम-वर्षों के अतिरिक्त रोजगार के उत्पन्न होने की सम्भावना है।

कारों, टैम्पों और ट्रकों के मूल्य

4172. **श्री ए० नीलालोहिथादासन नाडार :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिएट कार, जीप, एम्बेसेडर कार, स्टैण्डर्ड 20 टैम्पो गाड़ी, टी० बी० ट्रक और लीलैंड ट्रक का वर्तमान मूल्य कितना है;

(ख) क्या सरकार ने एम्बेसेडर के अनुरूपी यू० के० की मौरिस कार, बिल्ली टाईप महेन्द्रा जीपों के अनुरूपी अमेरिका की जीप, यू० के० में बनने वाली स्टैण्डर्ड 20, इटली में बनी फिएट 100 तथा लीलैण्ड ट्रक के अनुरूपी यू० के० में बने आस्टिन ट्रकों के उत्पादन मूल्य के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की है; और

(ग) क्या जिन विदेशी उत्पादन कर्त्ताओं के सहयोग से भारतीय यूनिटें स्थापित की गई हैं उनकी सभी शर्तों से भारतीय आटोमोबाइल्स और ट्रक निर्माता स्वतन्त्र हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) इन गाड़ियों के कारखाने से निकलते समय के शुद्ध विक्रेता मूल्य जैसे निर्माताओं द्वारा बताए गए हैं निम्नलिखित हैं :—

1.	फिएट कार (प्रीमियर प्रद्मिनी)	44,577 रु०
2.	जीप	58,950 रु०
3.	अम्बेसेडर कार	48,587 रु०
4.	स्टैंडर्ड-20 (उत्पादन शुल्क सहित)	49,088 रु०
5.	टैम्पो गाड़ियां	30,755 रु०
6.	टाटा ट्रक चेसिस	1,30,987 रु०
7.	लेलैंड ट्रक चेसिस	1,37,712 रु०

(ख) तथा (ग) भारत में निर्मित माडल, उत्पादन की मात्रा और प्रौद्योगिकी विदेशों के सामान नहीं है। अतः तुलना करना उचित नहीं होगा। प्रमुख गाड़ियों के निर्माण हेतु किए गए अधिकांश सहयोग करार समाप्त हो गए है। भारत में उत्पादों का मूल्य निर्धारण तकनीकी सहयोग करारों के द्वारा विनियमित नहीं होता है।

गुजरात के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध ज्ञापन

4173. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**
श्री आर० एन० राकेश } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के विरोधी दलों के नेताओं की ओर से गुजरात के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पो० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आरोपों को टिप्पणियों के लिए गुजरात के मुख्य मन्त्री को भेजा गया है, जिनकी प्रतीक्षा की जा रही है ।

दिल्ली छावनी क्षेत्र में जवानों की मृत्यु

4174. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली छावनी क्षेत्र में सन्देहास्पद परिस्थितियों में अनेक जवानों की मृत्यु का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन मौतों के बारे में जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

यह सच नहीं है कि दिल्ली छावनी क्षेत्र में हाल ही में सन्देहास्पद परिस्थितियों में बहुत से जवानों की मृत्यु का पता लगा है । लेकिन दिल्ली छावनी क्षेत्र से हाल में मौत के निम्नलिखित मामलों की सूचना मिली है :

(1) केन्द्रीय आयुध डिपो, दिल्ली, छावनी में तैनात सिपाही (7232500) कुंजन लाजार, 228 डी० एस० सी० प्लाटून, की 19-11-1980 को हुई मृत्यु ।

(2) केन्द्रीय आयुध डिपो, दिल्ली छावनी में सिविल कारपेन्टर श्री रमलदास (टिकट नम्बर 3602) की 27-12-1980 को हुई मृत्यु ।

(3) केन्द्रीय आयुध डिपो, दिल्ली छावनी के लाम्स नायक वर्दन (नं० 253787) की 6-4-1981 को हुई मृत्यु ।

2. इन मौतों के कारणों का पता लगाने के लिये जांच अदालतें गठित की गई । प्रत्येक मामले की स्थिति इस प्रकार है :—

(1) **सिपाही कुंजन लाजार**—केन्द्रीय आयुध डिपो, दिल्ली छावनी में सिपाही कुंजन लाजार की मौत के मामले की जांच-पड़ताल करने के लिए गठित स्टाफ जांच अदालत के निष्कर्षों के

अनुसार सिपाही लाजार से केंद्रीय आयुध डिपो दिल्ली छावनी में 1./16 नवम्बर 1980 को किए गए चोरी के प्रयास में उनका हाथ होने के सिलसिले में और केन्द्रीय आयुध डिपो दिल्ली छावनी में पिछली चोरियों में सम्मिलित होने के संदेह में पूछताछ की गई थी। इनको सैनिक प्राधिकारियों के पास हवालात में रखा गया था। ये 16 से 18 नवम्बर, 1980 तक दो दिन इस हवालात में रहे। 18/19 नवम्बर, 1980 की रात को पूछताछ के बाद दो सैनिकों के संरक्षण में जब इनको इनकी कोठरी की ओर वापस ले जाया जा रहा था तो इन्होंने किसी प्रकार से अपने को मुक्त करा लिया लेकिन जब ये भाग रहे थे तो एक छोटे गड्ढे में फिसले और कंक्रीट स्लैब पर गिर पड़े। जब ये उठे और दोबारा भागे तो कांटेदार तारों की बाड़ में फंस गए। वहां से मुड़कर ये फिर दौड़े और एक पेड़ के तने से टकराकर पास में पड़े हुए एंगिल आयरन पिकेट के ऊपर गिर पड़े और फिर इन्हें कोठरी में ले जाने वाले सैनिकों ने इन पर काबू पा लिया।

सिपाही कुंजन लाजार जब इन सिपाहियों से अपने को छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे तो सिपाहियों ने इन्हें पहले एंगिल आयरन पिकेट पर जोर से गिरा और जब तक इन्होंने सिपाहियों से लड़ना बन्द नहीं किया तब तक नीचे सख्त जमीन पर इन्हें पटका जाता रहा तब इनको पानी की टंकी की ओर के ढाल से खींचकर लाया गया। इस हालत में क्वार्टर-गार्ड की तरफ लाते हुए ये बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। परिचर्या सहायक को मौके पर बुलाया गया। उसने इनकी जांच की और इन्हें मृत पाया। अदालती जांच के दौरान ली गई डाक्टरी राय के अनुसार, मृत्यु का कारण मरने से पहले पूरी ताकत से टकराने के कारण लगी कई चोटें थीं, जिनसे इन्हें सदमा पहुंचा था और यह कि इन्हें छोड़ने के लिए आए दो सिपाहियों की गिरफ्त से छूटकर जब इन्होंने भागने की कोशिश की तो उस दौरान लगी चोटें और इन सिपाहियों द्वारा फिर से पकड़े जाने के बाद इन्हें आई घातक चोटें भी इनकी मृत्यु का कारण हो सकती हैं। दिल्ली के जनरल अफसर कमांडिंग ने इन दो सिपाहियों के विरुद्ध जिन्होंने सिपाही लाजार के भागने के प्रयास के दौरान उन्हें पकड़ने की कार्रवाई में बल प्रयोग किया, अनुशासनिक कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं।

(2) **सिविल कारपेन्टर रमलदास**—केन्द्रीय आयुध डिपो, दिल्ली छावनी में 10-2-1981 को कंट्रोल ब्रांच से गुड़े हुए शौचालय ब्लाक में मृत पाए गए सिविल कारपेन्टर रमलदास (टिकट नं० 3602)की मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए एक जाँच अदालत गठित की गई थी। अदालत को रमलदास की मृत्यु में कोई जालसाजी नजर नहीं आई। अदालत की राय है कि :

> "केन्द्रीय आयुध डिपो, दिल्ली छावनी के सिविल कारपेन्टर रमल दास (टिकट नं० 3602) 27-12-1980 को दोपहर में लगभग 1 बजकर 15 मिनट पर कंट्रोल ब्रांच से जुड़े हुए शौचालयों में शौच करने के लिए गए जहां पर हृदय गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई।"

लांस नायक वर्दन—6-3-1981 को यूनिट लाईन के गुसलखाने में लांस नायक वर्दन को उनके साथियों ने जिन परिस्थितियों में नीचे लटका हुआ मरा पाया गया उनकी जांच कर रही अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आत्महत्या करने से पहले यह एन० सी० ओ० सामान्य दशा में था। अदालत को एन० सी० ओ० मृत्यु में कोई जालसाजी नजर नहीं आई। अदालत के मत में एन० सी० ओ० ने अपनी दूसरी लड़की के विवाह की पारिवारिक चिन्ता से आत्महत्या की है।

कारबोलिक साबुन बनाम लाइफबाय

4177. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**
श्री आनन्द पाठक : क्या उद्योग मन्त्री लाइफबाय के बारे में 2 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2409 और साबुनों के मूल्य में वृद्धि के बारे में 27 अगस्त, 74 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3697 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साबुनों के मूल्यों की जांच करते समय कारबोलिक साबुन को नहाने के साबुन और धोने के साबुन से अलग श्रेणी में रखा जाता है;

(ख) क्या उपर्युक्त सन्दर्भ में हिन्दुस्तान लीवर के उत्पादन लाइफबाय को कारबोलिक साबुन की श्रेणी में रखा गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या मूल्य निर्धारित करने में पैकिंग और टी० एफ० एम० के समय नमी सहित इनवेलप भार भी कुल भार में शामिल होता है;

(घ) क्या नहाने के साबुनों में जिसमें लाइफबाय भी शामिल है मिल्ड साबुन है या प्लोडेड; और

(ङ) क्या मिल के साबुनों में नमी की मात्रा होने या पेकिंग के समय का उल्लेख करने की अनुमति दी जा सकती है, यदि नहीं तो लाइफबाय साबुन की एक बट्टी से पेकिंग के समय का उल्लेख करने की अनुमति या पैकिंग के समय 20% से कम नमी का उल्लेख किए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए साबुनों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, अर्थात "घरेलू और लांड्री साबुन" यथा "अन्य किस्में"। प्रसाधन साबुन को "अन्य किस्मों" की श्रेणी में रखा गया है।

(ग) से (ङ) : भारतीय मानक संस्थान की विशिष्टियों के अनुसार प्रसाधन साबुनों का मिल्ड साबुन होता या होयोजनाइज्ड साबुन या दोनों होना आवश्यक है। साबुनों सहित पैक की गयी वस्तुओं के घोषित शुद्ध भार पर छूट, वजन और परिमाप (पैक की गई वस्तु) नियमों से विनियमित है साबुन एक ऐसी वस्तु है जिसके वजन में पर्यावरणीय स्थितियों के कारण उल्लेखनीय अन्तर आ जाता है अतः शुद्ध भार "जब पैक किया गया" शब्दों के उल्लेख के साथ व्यक्त करना होता है। इस समय साबुन की कीमतों पर कोई औपचारिक/अनौपचारिक नियन्त्रण नही है। लाइफबाय साबुन में कुल वसा पदार्थों के अंश का विश्लेषण नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय मानक संस्थान की प्रमाणीकरण चिह्न योजना ऐच्छिक है और मै० हिन्दुस्तान लीवर्ज लिमिटेड इस योजना के लिए चन्दा नहीं देता।

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में सीमेंट एकक की स्थापना करना

178. **प्रो० सत्य गोपाल मिश्र** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल से पुरुलिया जिले में सीमेंट एकक की स्थापना में भारतीय सीमेंट निगम द्वारा वित्तीय साझेदारी करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक क्या प्रगति हुई है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) से (ग) भारतीय सीमेंट निगम ने पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में बर्नपुर में एक स्लैग ग्रेन्युलेशन संयंत्र और मधुकुंडा, जिला पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में एक सीमेंट पिसाई संयन्त्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

बोनस संदाय अधिनियम का संशोधन

4179. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बोनस संदाय अधिनियम 1965 का संशोधन करने के लिए अब तक कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में पिछली बार दिसम्बर, 1980 में संशोधन किया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सशस्त्र सेना मुख्यालय में स्टेनोग्राफरों के ग्रेड "ख" में रिक्त पदों का भरा जाना

4180. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना मुख्यालय स्टेनोग्राफर सेवा नियमों के अनुसार स्टेनोग्राफरों के ग्रेड "ख" में 50 प्रतिशत रिक्त पद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा से भरे जाने होते हैं और शेष 50 प्रतिशत पद वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर विभागीय उम्मीदवारों की पदोन्नति से भरे जाने होते हैं;

(ख) क्या पिछले कुछ वर्षों में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा 50:50 का यह अनुपात नहीं बनाए रखा गया हालांकि परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग के पास उपलब्ध थे;

(ग) क्या वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों की हाल ही में जारी की गई वरिष्ठता सूची में 7 क्रमांक खाली छोड़े गये हैं और उनके सामने "परीक्षा द्वारा भरे जाने के लिए" टिप्पण लिखा गया है

(घ) यदि हां, तो इन चूकों के ब्यौरा क्या हैं और सांविधिक दायित्व को किन परिस्थितियों के अन्तर्गत टाला गया;

(ङ) क्या आवश्यक जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(च) ग्रेड "ग" के उपयुक्त स्टेनोग्राफरों को पदोन्नति देने के लिए क्या उपरात्मक कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) खाली पदों को सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार भरा जा रहा है और उनमें कोई विसंगतियां नहीं हैं। 18 सितम्बर, 1981 को श्रेणी "ख" आशुलिपिकों की जारी की गई वरिष्ठता सूची में जो चौदह (न कि सात) स्थान एक फिर तीन फिर पांच आदि के हिसाब से खाली छोड़े गये हैं उन्हें सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों में से उनके लिए रखे गये 50 प्रतिशत आरक्षित कोटा से भरा जायेगा।

औद्योगिकीकरण का आदिवासी क्षेत्रों पर प्रभाव के सम्बन्ध में ढेबर आयोग की सिफारिशें

4181. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों ने आदिवासी क्षेत्रों एवं आदिवासी जनसंख्या पर औद्योगिकीकरण के प्रभाव के सम्बन्ध में ढेबर आयोग की सिफारिशों की जांच कर ली है,

(ख) यदि हां, तो केन्द्र तथा राज्यों ने निम्नलिखित मुख्य सिफारिशों के सम्बन्ध में आदिवासी जनसंख्या के हितों के संरक्षण के लिए वर्ष 1975 से क्या कदम उठाये हैं;

(1) वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता (2) पुनर्वास योजनाओं का परियोजना के साथ जोड़ा जाना (3) परियोजना क्षेत्र में वर्कशाप तथा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना (4) भूमि में पुनर्वास की आवश्यकता (5) कालोनियों में सुविधायें (6) परियोजना में रोजगार में प्राथमिकता, आदि;

(ग) छठी योजना की औद्योगिक परियोजनाओं का आदिवासी क्षेत्रों तथा आदिवासी जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा और केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने कार्यान्वयन में विलम्ब से उनको बचाने के लिए अब तक क्या कदम उठाये; और

(घ) अब तक क्या संरक्षात्मक कदम उठाये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) **वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता** औद्योगिकीकरण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक समिति गठित की गई है जिसने अपनी ओर से समस्त समस्या से संबंधित विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिऐ उप-समितियां स्थापित की हैं।

(2) पुनर्वास योजनाओं का परियोजना के साथ जोड़ा जाना

विस्थापित जनजातीय परिवारों के पुनर्वास की योजना को मुख्यत: जनजातीय क्षेत्रों में कार्यान्वित परियोजनाओं के साथ जोड़ने के लिए सचेतन प्रयास किया जा रहा है।

(3) परियोजना क्षेत्र में वर्कशाप तथा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।

जहां भी संभव हो सके परियोजना क्षेत्र में कुछ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। ऐसे क्षेत्रों में जहां नये परियोजना क्षेत्र बनाये जा रहे हैं वहां नये संस्थान स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

(4) भूमि में पुनर्वास की आवश्यकता

भारत सरकार ने जहां भी सम्भव है भूमि सम्बन्धी परियोजनाओं द्वारा विस्थापित, विशेषतः कमांड क्षेत्रों में जहां विस्थापन सिंचाई परियोजनाओं के कारण किया जाता है, व्यक्तियों का पुनर्वास करने के लिए मार्गदर्शी निदेश निर्धारित किए हैं। नकद प्रतिपूर्ति करना और व्यावहारिक व्यवसायों में अनुसूचित जनजातियों के पुनर्वास के कारण रोजगार की व्यवस्था करना अन्य सिफारिशें है।

(5) कालोनियों में सुविधाएं

अनुसूचित जनजातीय गांवों में जलपूर्ति स्कूलों और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था क्रमबद्ध रूप से की जा रही है। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं द्वारा विस्थापित अनुसूचित जनजातीय परिवारों को जहां भी बसाया जाता है, ऐसी सुविधाये सुनिश्चित की जा रही हैं।

(6) परियोजानाओं में रोजगार में प्राथमिकता आदि

मार्गदर्शी निदेशों के अनुसार परियोजनाओं द्वारा विस्थापित अनुसूचित जनजातीय परिवारों को परियोजनाओं प्राधिकारियों द्वारा रोजगार के मामलों में प्राथमिकता दी जाती है। विस्थापित व्यक्तियों के प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का प्रयास किया जाता है। राज्य सरकारों को दिये गये मार्गदर्शी निदेशों परियोजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों को तकनीकी कुशलता में प्रशिक्षित करने पर बल दिया गया है।

(ग) तथा (घ) जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय जनसंख्या पर छठी योजना के औद्योगिक परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन अभी नहीं किया जा सकता। संरक्षण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गये मार्गदर्शी निदेशों का उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लेख किया गया है। विस्थापित जनजातीय परिवारों के लिए अग्रिम योजनाये. शिक्षा और कुशलता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का अग्रिम प्रशिक्षण आदि लागू करने के लिए कुछ अन्य संरक्षात्मक सुझाव हैं। औद्योगिक परियोजनाओं से सम्बन्धित मन्त्रालयों और राज्य सरकारों ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

"लाउड स्पीकर मिनैस" शीर्षक से समाचार

4182. **श्री मूलचन्द डांगा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 नवम्बर, 1981 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "लाउड स्पीकर मिनैस" (लाउड-स्पीकर अभिशाप) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में लाउड स्पीकरों से होने वाले शोर के इस अभिशाप को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या सख्त कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) वर्ष 1980 और 1981 के दौरान चालान किए गए उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो ऐसे अभिशाप के लिए जिम्मेदार पाये गये थे और उनमें से प्रत्येक को क्या दण्ड दिया गया ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) लाउडस्पीकरों के प्रयोग के लिए अनुमति देते समय वालूम आफ साउंड, संचालन के घंटे और लाउडस्पीकर स्थापित करने इत्यादि के सम्बन्ध में निदेश दिये जाते हैं। निदेशों का उल्लंघन करने वालों को अभियोजित किया जाता है।

(ग) वर्ष 1980 के दौरान ऐसे 0 व्यक्तियों के चालान किए गए थे और उनमें से 12 व्यक्ति को दोषसिद्ध किया गया था। वर्ष 1981 के दौरान ऐसे 26 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं और उनमें से 18 को दोषसिद्ध किया गया है। दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 110 में 50/-रु० के जुर्माने का दण्ड अथवा 8 दिन की कैद अथवा दोनों का प्रावधान है।

जैविक गैस संयंत्र की स्थापना

4183. **श्री निहाल सिंह** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में जैविक-गैस संयंत्र स्थापित करने की एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कितनी राशि खर्च की जायेगी और प्रत्येक बस्ती में यह योजना कब शुरू कर दी जायेगी; और

(ग) क्या उक्त योजना उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से शुरू की जाएगी और यदि हां, तो केन्द्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के बीच हुए तत्सम्बन्धी करार की शर्तें क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली में यमुना पार क्षेत्र की एक पुनर्वास बस्ती, गाजीपुर में, एक जैव गैस संयंत्र की स्थापना करने की योजना तैयार की जा चुकी है। इस स्कीम पर लगभग 80 लाख रुपये की लागत का अनुमान है। इस संयन्त्र के उत्तर प्रदेश जल निगम और ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के केन्द्रीय आयोग (सी० ए० एस० ई०) द्वारा तैयार किये डिजाइन के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है। इस पर व्यय डी० डी० ए० तथा सी० ए० एस० ई० द्वारा मिलकर किए जाने का प्रस्ताव है। इसके ब्यौरवार व्यवहार्यता अध्ययन चल रहे हैं।

विभागीकृत लेखा, असम राइफल्स, पी० ए० ओ० शिलांग के ग्रुप "घ" के कर्मचारियों की शिकायतें

4184. **श्री समर मुखर्जी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभागीकृत लेखा, असम राइफल्स, शिलांग के ग्रुप "घ" के कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) असम राइफल्स, पी० ए० ओ०, शिलांग के ग्रुप "घ" के कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) अभ्यावेदन पांच ग्रुप "घ" कर्मचारियों की सेवा-शर्तों और कार्य करने के प्रबन्धों से सम्बन्धित है।

(ग) वर्तमान नियमों के ढांचे के अन्तर्गत वर्दी देने, विशिष्ट ड्यूटियां आवंटन करने, बैठने का प्रबन्ध, विशेष वेतन का भुगतान और दफ्तरी के रूप में पदोन्नति के सम्बन्ध में शिकायतों को दूर करने की कार्रवाई की गई है। सामान्य पदोन्नति के अवसर जो अन्य सरकारी विभागों में विद्यमान हैं, अभ्यावेदनकर्ताओं समेत लेखा संगठनों के ग्रुप "घ" कर्मचारियों को उपलब्ध हैं।

बेकरियों की स्थापना

4185. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में छोटी अर्ध-स्वचालित अथवा पूर्णतः स्वचालित बेकरियों के विकास के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इन छोटी बेकरियों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिए जाने का विचार है; और

(ग) क्या इसका अधिक विकसित और यंत्रीकृत बड़ी बेकरियों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) जी हां।

(ख) लघु उद्योग क्षेत्र को दिये जा रहे प्रोत्साहन छोटी बेकरियों के लिए भी उपलब्ध हैं।

(ग) जी, नहीं। चूंकि डबल रोटी और बिस्कुटों का उत्पादन आरक्षित कर दिया गया है, इसलिए इन वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये केवल लघु उद्योग क्षेत्र की क्षमता को ही बढ़ाना होगा।

मंगलौर और बन्टवाल ताल्लुकों को दक्षिण कन्नड़ में शामिल करना

4186. **श्री ओस्कर फर्नाण्डीज** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से पश्चिमी घाट परियोजना क्षेत्र में शामिल किये जाने हेतु मंगलौर और बन्टवाल ताल्लुकों को दक्षिण कन्नड़ जिले में शामिल करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) योजना आयोग ने इस प्रस्ताव की जांच की थी और उसने दक्षिण कन्नड़ के मंगलौर और बंटवाल ताल्लुकों को पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था ।

इन्डोनेशिया के साथ औद्योगिक समझौता

4187. **श्री निहाल सिंह** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और इण्डोनेशिया के बीच हुए औद्योगिक समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यह समझौता किस तिथि से लागू होगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) दोनों देशों के बीच मंत्री स्तर की द्विपक्षीय यात्राओं के दौरान भारत और इण्डोनेशिया के बीच औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने की सम्भावनाओं का पता लगाया गया है और इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(1) भारत द्वारा छर्रों (पेलिट्स) की सप्लाई और स्पंज लोहे की खरीद ।

(2) विद्युत संयंत्रों और वैद्युत उपकरण निर्माण एकक का निर्माण ।

(3) इण्डोनेशिया में रेल-विकास और रेलवे रोलिंग स्टाक का सम्भरण ।

(4) इण्डोनेशिया में टूल-रूम व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना ।

(5) मशीनी औजारों, मोटरगाड़ी के सहायक सामान और घड़ियों जैसी वस्तुओं के निर्माण हेतु इण्डोनेशिया में औद्योगिक एककों की स्थापना ।

(6) सीमेंट संयंत्रों, लुगदी तथा कागज परियोजनाओं, चीनी संयंत्रों, पेट्रो-रसायन उद्योग के निर्माण में सहभागिता और इण्डोनेशिया को धातु-कर्मिक उपकरणों की सप्लाई ।

2. इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप कुछ औद्योगिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट करार किए गए हैं । प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया (पी ई सी) को इण्डोनेशिया में पादांग में 2000 मी० टन प्रतिदिन की क्षमता वाले एक सीमेंट संयंत्र के निर्माण के लिए एक ठेका दिया गया है । नेशनल मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन ने अक्तूबर 1981, और दिसम्बर 1982 के बीच भारत में 3 लाख मी० टन स्पंज लोहे का आयात करने के लिए इण्डोनेशियाई पक्ष के साथ ठेका किया है । इण्डोनेशिया में एक टूल-रूम व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए एच एम-टी ने हाल ही में इण्डोनेशिया के साथ एक तकनीकी करार दिया है ।

साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में आयोग की रिपोर्ट

4188. **श्री सुनील मैत्रा**
आचार्य भगवान देव } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में जिनमें जमशेदपुर में हुए दंगे भी सम्मिलित हैं, विभिन्न जांच आयोगों द्वारा दिये गये प्रतिवेदनों में क्या मुख्य बातें बताई गई हैं तथा सिफारिशें की गई है; और

(ख) उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

साम्प्रदायिक दंगों पर जांच आयोग

साम्प्रदायिक उपद्रवों की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के अधीन केन्द्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने समय-समय पर जांच आयोग नियुक्त किये हैं। अप्रैल, 1979 में रामनवमी त्यौहार के अवसर पर जमशेदपुर (बिहार) में हुए साम्प्रदायिक स्वरूप के गंभीर दंगों की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के अन्तर्गत बिहार राज्य सरकार ने तारीख 15 मई, 1979 के अधिसूचना के तहत एक जांच आयोग नियुक्त किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31 अगस्त, 1981 बिहार राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी है। चूंकि इस जांच आयोग को बिहार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था अतः जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसार राज्य सरकार को जांच आयोग की रिपोर्ट आयोग द्वारा राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर इस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई के ज्ञापन सहित बिहार विधान सभा के पटल पर रखना आवश्यक है।

2. साम्प्रदायिक उपद्रवों से सम्बन्धित विविध आयोगों के मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें निम्नलिखित शीर्षों से सम्बन्धित है :—

1. अधिसूचना
2. निरोधात्मक कार्रवाही।
3. अपराधों की जांच सहित प्रशासनिक कार्रवाई
4. दंडात्मक सामूहिक जुर्माने करना।
5. साम्प्रदायिक तनावों/घटनाओं के बारे में उत्तेजक प्रेस रिपोर्टों पर प्रतिबन्ध।
6. शांति समितियों की स्थापना

7. राजनीतिक/साम्प्रदायिक दलों के लिये आचार संहिता ।

(1) खुफिया संरचना

खुफिया प्रणाली इस प्रकार की बनाई जानी चाहिए जिससे पुलिस और सरकार को विश्वसनीय अग्रिम सूचना उपलब्ध हो सके और उपद्रव होने से रोके जा सकें ।

2. निरोधात्मक कार्रवाई

साम्प्रदायिक उपद्रवों की आशंका के बारे में सूचना मिलने पर स्थानीय प्रशासन को पर्याप्त निरोधात्मक उपाय करने चाहिए । महत्वपूर्ण उत्सवों के अवसर पर निकाले जाने वाले जलूसों के दौरान उन सभी स्थानों को, जहां पर किसी प्रकार के उपद्रव होने की सम्भावना हों, ऐसे स्थानों पर पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था करके विशिष्ट रूप से सुरक्षित किया जाना चाहिए । पेशावर उपद्रवी तत्वों को शुरू में ही पकड़ लिया जाना चाहिए । साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 और कर्फ्यू लागू करने के लिये समुचित प्रबंध किए जाने चाहिये ।

प्रशासनिक कार्रवाई और अपराधों की जांच

साम्प्रदायिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारिकयों को चुनींदा तौर पर तैनात किया जाना चाहिये । ऐसे क्षेत्रों में अनुभवी और सक्षम अधिकारियों को तैनात किया जाना चाहिए, जिन पर आपत्ति काल में उनके वरिष्ठ अधिकारी विश्वास कर सकें । जब किसी एक समुदाय के किसी सदस्य द्वारा अन्य समुदाय के सदस्य के प्रति किए गये अपराधों के बारे में विशेष रिपोर्ट हो तो उसके साथ अलग से घटना के साम्प्रदायिक स्वरूप के बारे में एक अतिरिक्त रिपोर्ट भी अलग से भेजी जानी चाहिए या यदि विशेष रिपोर्ट विविध अधिकारियों को भेजने में बिलम्ब हो जाए तो उक्त अतिरिक्त रिपोर्ट उससे पहले भेजी जानी चाहिये ताकि उनका ध्यान. उक्त घटना के साम्प्रदायिक स्वरूप की ओर खास तौर पर दिलाया जा सके । इससे लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारियों को शस्त्रों के लाइसेंस जारी करने में एक और अधिक प्रतिबंधात्मक और चयनात्मक प्रणाली का अनुसरण करना संभव होगा । सभी अधिकारियों और पुलिसमैनों के समुचित परीक्षण और वार्षिक अभ्यास तथा साम्प्रदायिक उपद्रव की स्थिति की जाने वाली कार्रवाई के बारे में मजिस्ट्रेट और पुलिस के बीच समुचित सामंजस्य के बारे में भी सिफारिशें हैं । जब किसी उत्सव से पहले या किसी ऐसे अवसर से पहले जिसमें साम्प्रदायिक उपद्रव होने की पूरी संभावनाएं हों कुछ स्थानों पर हथियार या मिसाइल एकत्र किए जाने के बारे में सूचना प्राप्त हो तो साथ ही साथ इस सूचना का सत्यापन करने के लिये अचानक तलाशियां ली जानी चाहिए । ज्योंही साम्प्रदायिक उपद्रवों की संभावना उन सभी व्यक्तियों की जिनके साम्प्रदायिक दंगों में सक्रिय रूप से भाग लेने की संभावना हो, तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए । बिक्री के लिये छोड़कर एसिड रखने पर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए । जाति, वंश, रंग और उनकी स्थिति को ध्यान में रखे बिना जिनका भी दंगों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में हाथ हो, उन सभी व्यक्तियों का पता किया जाना चाहिए और दोषी व्यक्तियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए । यह भी वांछनीय है कि गंभीर साम्प्रदायिक उपद्रवों के मामलों में, संबन्धित जिले से शहर के और हर हालत में प्रभावित क्षेत्र से बाहर के एक विशेष अभियोजक की नियुक्ति की जानी चाहिए । साम्प्रदायिक

उपद्रवों से निपटने के तरीकों में या उपद्रवों के समय किए गए अपराधों की जांच करने में या ऐसे अपराधों के अभियोजन में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिये जिनसे मामूली तौर पर भी यह जाहिर हो कि अन्य समुदाय के मुकाबले किसी एक समुदाय का पक्ष लिया गया है। उन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए जो साम्प्रदायिक दंगे होने की रोकथाम के उपाय करने में असफल रहे हों, जबकि असफलता उनकी ओर से लापरवाही के कारण हुई हो। दंगों में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये। उपद्रवों के दौरान जिनको नुकसान हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए भी कुछ आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये।

(4) दण्डात्मक सामूहिक जुर्माने करना

जिन स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे होते हैं वहां सामूहिक जुर्माने किए जाएं और ऐसे क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिये पुलिस अधिनियम की धारा 15 के अधीन-दंड कर लगाया जाए।

(5) साम्प्रदायिक तनाव/घटनाओं के बारे में उत्तेजक प्रेस रिपोर्टों पर प्रतिबंध

उन प्रेस रिपोर्टों और प्रकाशनों पर जिनकी प्रवृत्ति साम्प्रदायिक भावनाओं को उकसाने की हो, प्रतिबंध लगाए जाएं और ऐसे लेखों तथा प्रकाशनों के लिये जिम्मेवार व्यक्तियों पर तुरन्त मुकदमा चलाया जाए।

(6) शांति समितियों की स्थापना

उदार और विवेकशील व्यक्तियों को, जो मुहल्ले के समुदाय के सभी वर्गों के व्यक्तियों को प्रभावित कर सके, मुहल्ला समितियां बनाई जाएं जिनका कर्त्तव्य यह देखना हो कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न न की जाएं जिनसे उस मुहल्ले के निवासियों की परस्पर सद्भावना नष्ट होती हो। प्रत्येक कस्बा/जिला मुख्यालयों में एक केन्द्रीय समिति होनी चाहिए जो मुहल्ला समितियों की तरह ही काम करेगी और व्यापक तौर पर यह देखेंगी कि सामाजिक और साम्प्रदायिक सद्भावना को नष्ट करने की कोई घटनाएं न हों। इन केन्द्रीय समितियों को, जब भी उनकी स्थापना की जाएं, मुहल्ला समितियों के साथ घनिष्ट संपर्क में रहना चाहिये और जब भी कोई साम्प्रदायिक समस्या उत्पन्न हो उन्हें एक दूसरे से समन्वय करना चाहिए। शांति समितियों में सभी समुदायों के व्यक्ति होने चाहिये और उन्हें लोगों में भाई चारे की भावना को बढ़ाने में, धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र की मांग और आवश्यकताओं के बारे में सामान्यतया लोगों को शिक्षित करने के लिए लगातार कार्य करना चाहिये और किसी ऐसे मामले में जिससे संकट पैदा हो सकता हो, एहतिहाती उपाय करने चाहिये। उपद्रवों की अवधि के दौरान शांति समितियों को सक्रिय रहना चाहिए, और इन्हें अधिकारियों द्वारा विश्वास में लिया जाना चाहिये, तथा झूठी अफवाहों को फैलाने से रोकने के लिये उनका पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिये। समितियों को अपने उद्देश्यों को कार्यरूप देने के लिये जन-संचार के माध्यम का उपयोग करना चाहिये।

( ) राजनीतिक/साम्प्रदायिक दलों के लिये आचार-संहिता

राजनीतिक दलों को, विशेषकर चुनाव के समय अपने प्रयोजनों के लिए साम्प्रदायिक जातिगत भावनाओं का फायदों नहीं उठनां चाहिये किसी भी राजनैतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक मुद्दे पर केवल साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से विचार विमर्श या आन्दोलन नहीं किया जाना चाहिये। राजनीतिक लाभ के लिये साम्प्रदायिक सद्भाव नष्ट नहीं किया जाना चाहिये। साम्प्रदायिक दलों के नेताओं को साम्प्रदायिक दंगों की गैर-सरकारी जांच करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। इसे राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिये कि वह उपयुक्त मामलों में सार्वजनिक जांच करवाएं, क्योंकि वह कानून और व्यवस्था के लिये जिम्मेदार हैं। राजनीतिक नेताओं को जनता में ऐसे दृष्टिकोण का विकास करने में मदद करनी चाहिये कि वे घटनाओं को समुदायों की दृष्टि से नहीं बल्कि व्यक्तियों की दृष्टि से देखें।

3, साम्प्रदायिक उपद्रवों के संबंध में विविध जांच आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों का सरकार द्वारा संकलन किया गया है और उन्हें सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को मार्गदर्शन तथा उपयुक्त कार्रवाई के लिये भेजा गया है।

ताइवान और थाईलैण्ड की नौकाओं द्वारा चोरी छिपे मछली पकड़ना

4189. **श्री रघुनंदन लाल भाटिया**
श्रीमती संयोगिता राणे } : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताईवान और थाईलैण्ड से आ रही चोरी छिपे मछली पकड़ने वाली 6 विदेशी पंजीकृत नौकाएं हाल में अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में पकड़ी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो पकड़ी गई नौकाओं और उनके चालक अब भी भारत सरकार के कब्जे में हैं अथवा छोड़ दिये गये तथा यदि छोड़ गिये गये तो ऐसा क्यों किया गया तथा किन शर्तों के अन्तर्गत छोड़ा गया; और

(ग) ये नौकाएं हमारे भू-भाग के इतनी समीप कैसे आ जाती हैं तथा भारतीय समुद्री सीमा में उनके अवैध प्रवेश को रोकने के लिये क्या प्रभावकारी कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अक्टूबर 1981 में थाईलैण्ड के छः ट्रालरों को जो अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में चोरी छिपे हमारी जल सीमाओं में घुस आई थी, सीमा सुरक्षा पोत पणजी द्वारा जब्त कर लिया गया था।

(ख) पकड़े गये ट्रालर और उनके कर्मीदल अभी भी हमारी हिरासत में हैं और कानून के अनुसार उनके खिलाफ मुकदमे चलाये जा रहे हैं।

(ग) सीमा सुरक्षा दल के पास, जिस पर हमारे समुद्री व्यापार क्षेत्र में मछली मारने के अनधिकृत कार्यकलापों को रोकने की जिम्मेवारी है, वर्तमान संसाधन इतने पर्याप्त नहीं हैं कि वह इस जिम्मेदारी को कारगर ढंग से पूरा कर सकें। परन्तु सीमा सुरक्षा दल के लिये और अधिक पोत, विमान और हैलीकाप्टर अर्जित करने की योजनाओं पर कार्य चल रहा है ताकि वह हमारे समुद्री व्यापार क्षेत्र में और अधिक कारगर ढंग से नियन्त्रण रख सके।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारियों द्वारा किये गये विदेशी दौरों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1372 के भाग (घ) के दिनांक 25-2-1981 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य

उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : दिनांक 25-2-1981 को पूछे गये अतरांकित प्रश्न संख्या 1372 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लखित विवरण-I में निम्नलिखित आंकड़े दिये गये थे। इन आंकड़ों में अब निम्न प्रकार से सुधार करने का प्रस्ताव है :—

उपक्रम का नाम	पहले दिये गये आंकड़े	अब परिवर्तित किए जाने वाले आंकडे	टिप्पणी
1	2	3	4
1. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	17,850	33,000	उपक्रम से आंकड़े पुनः मिलाये गए हैं।
2. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास	76,509	73,636	गलती इस तथ्य के कारण रह गई कि पहले अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के अर्जेन्टाइना और संयुक्त राज्य अमरीका के दौरे पर हुआ व्यय 47,424 रुपये दिखाया गया था जो यात्रा भत्ता बिल पर आधारित था। अब 44,551.65 रुपये की राशि की अधिकारिता प्रस्तुत की है जिसे अन्तिम रूप से मान लिया गया है। इसके अलावा अध्यक्ष तथा प्रबन्ध-निदेशक के दौरे पर 29,084.75 रुपये की और राशि भी खर्च की गई। इस प्रकार कुल राशि 73,636 रुपये बैठती है।
3. भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड	73,000	36,730	टिकट की अनुमानित लागत में तेहरान, जीजान, रीजाड और कुवैत के लिए 15,000 रुपये की राशि शमिल की गई थीं जबकि ट्रेवल ऐजेन्सी को अदा की गई वास्तविक राशि रही। इस प्रकार इसमें अन्तर आया।

उत्तर में सुधार करने में हुए विलम्ब के कारण

उत्तर में पहले आंकड़े सरकारी उद्यम ब्यूरो से प्राप्त जानकारी के आधार पर दिये गये थे किन्तु बाद में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दी गई जानकारी सरकारी उद्यम ब्यूरों के आंकड़ो से भिन्न थी। उपक्रमों और सम्बन्धित प्रशासनिक अनुभागों के परामर्श से आंकड़े पुनः मिलाने में काफी समय लग गया, इसलिए आकड़ों में सुधार करने में बिलम्ब हुआ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, वहां सारे कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इस पर हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया है। बिहार के सवाल को लेकर राज्य-सभा में डिस्कशन हो गया है। वहां सी० आर० पी० को भेजा गया है, सूट एट साइट का आर्डर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : राज्य-सभा का जवाब भी देखा होगा, वही एक बाधा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उसी सम्बन्ध में हम उठाना चाहते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : देखिए मेरी बात सुनिये। (**व्यवधान**) आप नहीं सुनेंगे तो मैं भी नहीं सुनूंगा, फिर द्वन्द युद्ध ऐसा चल जाएगा। दोनों हाथों से ताली बजती है (**व्यवधान**) आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है, वहां कोई ऐसा उपाय आप करना चाहें जिससे कोई फायदा हो, तो करवा दें, (**व्यवधान**) लेकिन इस तरह से बीच बीच में क्यों बोलते हैं ? (**व्यवधान**) आप भले आदमी हैं, मि० हल्दर, आपको पता होना चाहिये कि आप मेरे नामराशि हैं, मेरी बात भी नहीं सुनते।

श्री कृष्ण चन्द हल्दर (दुर्गापुर) : यह बहुत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : आप ही की पार्टी थी जिन्होंने मुझे रोका था, जब मैंने कहा था कि आप स्टेट सबजैक्ट नहीं ले सकते, आज कहते हैं कि ले लो। यह नहीं। हमारे पंजाबी में कहते हैं –"मीठा मीठा खा ते कड़वा-कड़वा थू" यह बात नहीं चलती, यह दुधारी तलवार है। (**व्यवधान**)

मैं जब खड़ा हूं, मेरी बात नहीं सुनते। आप ठीक ढंग से बर्ताव करें। देखने की बात इतनी है जब मैं सुनने को तैयार हूं, एक कानून को तो कहते हैं कि ऐसे लागू कर दो और दूसरे कहते हैं ऐसे लागू कर दो, यह नहीं चलेगा। (**व्यवधान**) मैंने आपसे कह दिया है, फिर वही बात। आप अपनी पैनी दृष्टि से देखने की चेष्टा क्यों नहीं करते ? मेरी जगह आकर बैठिये।

श्री रामवतार शास्त्री (पटना) : इसीलिये तो आपको बैठाया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि हमारे साथ आइये, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जब बैठेंगे तब पता लगेगा क्या करना है, कोई रास्ता निकाल लेते हैं।...बैठ जाइये। (**व्यवधान**) फिर वही बात।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : नारायणपुर कांड के ऊपर बनारसीदास की सरकार को बर्खास्त किया गया था, देवली कांड पर कांग्रेस सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता ?

अध्यक्ष महोदय : मि० राकेश, जब आते हो, हमेशा ऐसा करते हो। दूसरे भी तो मेम्बर हैं, ऐसा नहीं करते। यह अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता।

श्री आर० एन० राकेश : सुनिये।

अध्यक्ष महोदय : क्यों सुनूं मैं ? जब आप ऐसा करते हैं तो नहीं सुनूंगा। गलत बात है। आपको सोचना चाहिये। आप जिम्मेदार मेम्बर हैं, 10 लाख आदमियों को रिप्रैजेन्ट करते है। (व्यवधान) आप फिर बीच में बोल रहे हैं। मैं एक मेम्बर से बात कर रहा हूं। कुछ थोड़ा डिकोरम होना चाहिए। जब मैं सुन रहा हूं तो पूरा ध्यान दे रहा हूं। रोज एक ही काम शुरू कर दे, इस तरह से धन्धा नहीं चल सकता।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं समझता हूं कि आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा—इजरायली संसद पास कर रही है·····

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री वाजपेयी के लिए उसकी अनुमति दी है।

श्री चन्द्रजीत यादव : कृपया मेरी बात सुनिये। यह 377 का प्रश्न नहीं है। संसद ने सीरिया के क्षेत्र का मिलाने को औपचारिक निर्णय कर लिया है, इस पर समूचे विश्व की प्रतिक्रिया है। मैं इस पर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसके लिए मांग की है।

श्री चन्द्रजीत यादव : इसे 377 के द्वारा नहीं उठाया जा सकता। यह गैर-सरकारी दृष्टिकोण है। मेरा अपना दृष्टिकोण है।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल सरकार का ध्यान दिला सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप कृपया मेरी बात सुनिये। एक संसद ने दूसरे देश के क्षेत्र को मिलाने का कानून पास किया है। (व्यवधान) यह बहुत ही नाजुक और गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, आप तो यहां बैठते हैं। किसी मोशन पर आप गवर्नमेंट की एटेंशन ड्रा कर सकते हैं और कोई तरीका तो होना नहीं।

आपको किसी विशेष स्थिति पर सरकार का ध्यान ही दिलाना है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री या विदेश मन्त्री भारत सरकार की ओर से एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति दी है। इसलिये मैंने इसकी अनुमति दी है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : आप पोलैंड की भी बात करते हैं। परन्तु आप पोलैंड के बारे में सक्रिय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय . हम विदेशी मामलों पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम इस पर फिर चर्चा नहीं कर सकते। हमें पता लगाना है। मैं ऐसा करूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : वार्ता हुई। उसके बाद हम जानना चाहते थे कि क्या हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर चर्चा किसी प्रस्ताव के अधीन करवा लीजिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैंने ध्यानाकर्षण की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा। आप नियम 377 के अधीन सूचना दें।

श्री चन्द्रजीत यादव : मुझे यह जानने का अधिकार है कि क्या हुआ है। यह बहुत ही महत्व-पूर्ण राष्ट्रीय मामला है।

अध्यक्ष महोदय : आप सरकार से पूछिए। इसीलिये मैं यह कहता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैंने ध्यानाकर्षण की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : हमें देखने दें।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक राष्ट्रीय बात आपके सामने रख रहा हूं कि देश में शीत लहर के कारण कपड़े न मिलने के कारण लोग मरे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसके मुताल्लिक आपका कालिंग एटेन्शन नोटिस मुझे मिला है। मैं आपसे सहमत हूं।

श्री मनीराम बागड़ी : इस बारे में लोकसभा की आवाज सारे देश में और दुनिया में जानी चाहिए। जो लोग मरते हैं कपड़े के बगैर·····

अध्यक्ष महोदय : जब डिस्कशन होगा, तब ये बातें सुनेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि 70 करोड़ के देश में रोज कहीं कोई न कोई एक्सिडेंट हो जाता है। मैं इसे केवल सामान्य मतैक्य के लिए सभा के समक्ष रख रहा हूं। रोज कहीं न कहीं कोई न कोई घटना हो जाती है। अगर कालिंग एटेन्शन नोटिस रोज लेते रहें·····(**व्यवधान**) मैं यही कहना चाहता हूं। आप सुनते क्यों नहीं मेरी बात ?

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : गरीब लोग कपड़े के बगैर मर रहे हैं। यह सरकार की जिम्मेदारी है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आप ठीक कहते हैं। हर दिन कोई न कोई रेल दुर्घटना हो जाती है। यह रोजाना की बात है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा दोनों ओर से होता है। (**व्यवधान**) कृपया बैठ जाइये। आपकी

उसमें रुचि नहीं है। आपकी रुचि केवल अपने नाम में है। आपसे मैं यह कह रहा हूं कि आप मेरी बात सुनिए। मैं इसी बात का उल्लेख कर रहा हूं और आप हैं कि बीच में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहां पर आपकी मदद और सेवा करने के लिए हूं। आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं? **(व्यवधान)** मैं इसी बात का उल्लेख कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता था कि कुछ बातें जैसे दैवी प्रकोप और दुर्घटनाएं होती तो हैं परन्तु यदि हम सारा समय ध्यानाकर्षण के माध्यम से इसी पर चर्चा करने में लगा देंगे तो गरीबों से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण मामलों जैसे रचनात्मक कार्यक्रमों, विकास कार्यक्रमों और योजना आदि पर चर्चा नहीं कर पायेंगे। इसीलिए मैं यह कहता हूं कि यदि हम दुर्घटनाओं पर ही चर्चा करते रहेंगे तो समय नहीं रहेगा। परसों जो कोलियरी दुर्घटना हुई उसके बारे में समाचार-पत्रों में समाचार था कि 30 आदमी मारे गये थे। दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यदि हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे तो अन्य सभी समस्याएं रह जायेंगी। मैं सभा की सम्मति से इन सभी प्रस्तावों, ध्यानाकर्षण आदि, जिनके द्वारा लोगों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान बहुत ही रचनात्मक ढंग से दिलाया जा सकता है, पर अनुमति दे सकता हूं। इसीलिये मैं आपका मतैक्य चाहता हूं। क्या मैं इसे विचारार्थ लेने के लिए नहीं हूं? **(व्यवधान)**

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, लोकसभा की आवाज देश में जाती है। उसका असर पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कर लूंगा। मैंने सुन लिया है। ठीक है,मैं इसे करूंगा। मैं यही तो करने की कोशिश कर रहा हूं।

पंजाबी में कहते हैं: "गल हो गई साध दे डेरे"। अब आप बैठिए। आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री आर० एन० राकेश : मैं कहना चाहता हूं कि नारायणपुर इश्यू पर बनारसीदास की सरकार बर्खास्त की गई थी, तो देवली कांड पर उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को बर्खास्त करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं। अनुमति नहीं दी जाती है। आप अपना उत्तरदायित्व नहीं समझते हैं। यह बहुत ज्यादा है। बैठ जाइये। **(व्यवधान)**** बैठ जाइए। या फिर खड़े हो जाइये और खड़े रहिये। मैं नहीं परवाह करता। वह जो कुछ कह रहे हैं वह पूरी तरह असंगत है। **(व्यवधान)**** जी हां, श्री सत्यसाधन।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैं जो प्रश्न उठा रहा हूं। वह बहुत ही गंभीर है। इसमें आपका तथा सभा का महत्व है। ऐसा देखा गया है.....

अध्यक्ष महोदय : क्या?

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : बहुत-से महत्वपूर्ण मामलों पर राज्य सभा में अनुमति दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : कौन कहता है?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती . मैं कहता हूं, महोदय, मैं इसे सिद्ध करूंगा। आपकी इस घोषणा कि आप इन सब पर अनुमति देंगे, के बावजूद आप·····

अध्यक्ष महोदय : कार्यमंत्रणा समिति ने जो कुछ निर्णय किया उसे यहां रखा गया।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : कुछ महत्वपूर्ण मामले·····

अध्यक्ष महोदय : यह पूर्णतया निराधार है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप कहते हैं कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : पूर्णतया निराधार बात कह रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : राज्यसभा ने चर्चा की अनुमति दी है। परन्तु आप इसकी अनुमति नहीं देते हैं। यह क्या बात है? राज्यसभा में बिहार के बारे में चर्चा की अनुमति दी गई थी···(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाता है। (व्यवधान)*

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप इस पर सहमत नहीं हैं?

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : लोकसभा का महत्व कम किया जा रहा है·····

अध्यक्ष महोदय : इस पर अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने से इनकार करने का···

अध्यक्ष महोदय : यह पूर्णतया निराधार है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यदि आप सेंसरशिप लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। मैं इसकी परवाह नहीं करता। परन्तु प्रश्न यह है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस अन्तर्ग्रस्त है। यदि इस पर राज्य सभा में चर्चा की जा सकती है तो क्या हम इस पर लोकसभा में चर्चा नहीं कर सकते?

अध्यक्ष महोदय : एक अन्य दिन आपके दल ने मुझसे इसे वापस लिवाया था।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं···

अध्यक्ष महोदय : आपके दल ने मुझसे यही चीज वापस लिवाई थी और आप चाहते हैं कि मैं इसी की अनुमति दूं। आप इसे ही करवाना चाहते हैं। (**व्यवधान**) यह आपका दल है। श्री बसु यहां थे। उन्होंने इसे मुझसे वापस लिवाया और आप इसका समर्थन कर रहे हैं। यह पूर्णतया निराधार है। यह तो उल्टा आरोप है। (**व्यवधान**)

श्री फूलचंद वर्मा : इस सदन के सदस्य माननीय सत्यनारायण जटिया उज्जैन के अन्दर ·····

अध्यक्ष महोदय : इस पर कुछ नहीं होगा, इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। यह मुझे मिल गया है। कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। (**व्यवधान**)*

सदस्यों की गिरफ्तारी

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचित करना है कि मुझे उज्जैन के जिला मजिस्ट्रेट से दिनांक 15 दिसम्बर, 1981 का निम्नलिखित तार मिला है :

> "मुझे आपको सादर सूचित करना है कि मैंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने यह निदेश देना अपना कर्त्तव्य समझा है कि श्री सत्य नारायण जटिया, सदस्य लोक सभा, को उज्जैन रेलवे स्टेशन पर रेल यातायात में व्यवधान डालने पर उन्हें गिरफ्तार किये जाने का निदेश दिया जाये। श्री सत्य नारायण जटिया, संसद सदस्य को तदनुसार 15-12-1981 को 11-30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया है और इस समय उन्हें भोरूगढ़ जेल, उज्जैन में रखा गया है।"

अध्यक्ष महोदय : श्री गुलाम नबी आजाद (**व्यवधान**)* मैं श्री गुलाम नबी आजाद को अनुमति प्रदान की है। यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है। वे लोग मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री गुलाम नबी आजाद (वाशिम) : ये तोते किसी को बोलने नहीं देते हैं। तोते के तरह, वे लोग बोले ही जा रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से, सार्वजनिक जीवन से सम्बन्धित एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले की ओर गृह मन्त्री और सूचना और प्रसारण मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। "मेरी आवाज सुनो" नाम की एक हिन्दी फीचर फिल्म राजधानी में दिखाई जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप वह मुझे लिखकर दीजिये।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गुलाम नबी आजाद : .....इस फिल्म की कहानी सार्वजनिक जीवन पर सीधा लांछन लगाती है, आम जनता में बुरी भावना पैदा करती है, देश के राजनीतिज्ञों को बदनाम करने का उद्देश्य रखती है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रस्ताव पेश करें। मैं इस पर विचार करूंगा :

श्री गुलाम नबी आजाद : गृह मन्त्री यहां उपस्थित हैं। वह इसका उत्तर दे सकते हैं। (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, आपको याद होगा कि नियम 222 के अन्तर्गत मैंने एक प्रस्ताव दिया है। श्री अटल विहारी वाजपेयी ने सुब्रहमण्यम स्वामी को सी० आई० ए० का एजेन्ट बताया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी गई है, स्वीकृत नहीं किया गया है। (व्यधवान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : (बम्बई उत्तर पूर्व) : आपने इसकी स्वीकृति क्यों नहीं दी ? यदि किसी संसद सदस्य पर कोई आरोप लगाया जा रहा है, तो आप उसकी स्वीकृति क्यों नहीं देते ? मैं चाहता हूं कि तथ्य सामने आयें। यदि आप किसी संसद सदस्य के विरुद्ध यह आरोप लगाते है कि वह देश के प्रति वफादार नहीं हैं, तो क्या आपके विचार से तथ्य सामने नहीं आनी चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : आप बताइयेगा मुझे आकर।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं बताऊंगा ? आपको नोटिस दिया। आपने कैसे एलाऊ नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : उसका नहीं किया।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : उन्होंने आपको सूचना दी। आप उसकी अनुमति क्यों नहीं दे देते हैं और उसे विशेषाधिकार समिति को क्यों नहीं भेज देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कानून के मुताबिक नहीं बनता। प्रिंसिपल के मुताबिक नहीं बनता।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि किसी संसद सदस्य की सत्यनिष्ठा पर आक्षेप लगाया जाता है, तो वह एक विशेषाधिकार का मामला हो जाता है। यदि उसमें सचाई है तो मुझे सदन की सदस्यता से वंचित कर दिया जाये, मुझे संसद से बाहर निकाल दिया जाये। यदि किसी व्यक्ति में साहस है, तो वह तथ्य प्रस्तुत करे।

अध्यक्ष महोदय : कानून के मुताबिक नहीं बनता। (व्यवधान) कोई बात हो, तो बताऊंगा आपको।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या ?

---

* कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कुछ कहें, तो बोलने देंगे ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उसी ने कहा न ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा, उन्होंने नहीं कहा । आप मेरे पास आकर बात करिये, मैं बता दूंगा ।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मेरी नोटिस भी है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आकर बात कीजिये, मैं बता दूंगा कि क्यों नहीं करता ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह नही ? उन्होंने विशेषाधिकार का प्रस्ताव उठाया है । सारे देश में इसकी चर्चा है । उन्होंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप उनके खिलाफ मुकदमा कर दीजिए । (**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं मुकदमा क्यों लड़ूं ? यह मेरे अधिकारों का मामला है । आप मेरी बात सुनें । उन्होंने विशेषाधिकार का मामला उठाया है·····

अध्यक्ष महोदय : आप देखिये, आप किसी को कुछ कह दें····· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी जांच कर ली है । यह नियम के अनुसार नहीं है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह देश भर के समचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है । अब खामोशी है । इसका क्या मतलब है, आप भी चुप हैं और मैं भी शान्त हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह ग्राह्य नहीं है । मैं क्या कर सकता हूं ? मैं उस मामले की अनुमति नहीं दे सकता जो ग्राह्य न हो ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुझसे संविधान का पालन करने की अपेक्षा की जाती है । यदि मैं सी० आई० ए० का एजेन्ट हूं तो मैं संविधान का पालन कैसे कर सकता हूँ ?

अध्यक्ष महोदय : मेरी व्यवस्था के बारे में कोई चर्चा नहीं की जा सकती । आप मेरे पास आयें और मुझसे विचार-विमर्श करें·····

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप उन्हें बचाने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं क्यों किसी को बचाने की चेष्टा करूंगा ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह मेरी सत्यनिष्ठा पर सन्देह करने का मामला है । उस व्यक्ति में तथ्यों के साथ आगे आने का साहस नहीं है ? इसका क्या अर्थ है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

प्रो० के० के० तिवारी : मेरे नोटिस के बारे में क्या रहा ? आपने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे अनुमति नहीं दी है । मैंने उसे गृहीत नहीं किया हैं ।

प्रो० के० के० तिवारी : आप उस पर औपचारिक रूप से व्यवस्था दें । पहले आप मेरी बात सुनें ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना आप उसे नहीं उठा सकते ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इन्होंने इसे उठाया है । यह सदन की कार्यवाही में अभिलेखित किया गया है ।

महोदय अध्यक्ष : मैं ऐसा नहीं कर सकता । मेरे पास आइये । यदि मैं गलत हूं, तो मुझे बतायें ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अथवा फिर आप व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की अनुमति प्रदान करें क्योंकि इसे कार्यवाही में लिखा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कब इनकार किया है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिए एक नोटिस भेजा है । किन्तु आपने अभी तक उत्तर नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह मुझे प्राप्त हो गया है ? मैं देखूंगा । आज ही आया है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : तो आप कल दे दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब रोका है ? (**व्यवधान**) जो रूल में आता है, वह मैं नहीं रोकता और जो रूल में नहीं आता, वह मैं नहीं कर सकता । यह बड़ा आसान है । यह नियमानुसार है । मैं इसकी अनुमति देता हूं । (**व्यवधान**)

अटल विहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, अब यह मामला ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि मुझे कुछ कहना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : आप भी अपना पर्सनल एक्सप्लेशन दे देंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे कोई पर्सनल एसक्प्लेनेशन नहीं देना है। मगर आपने तिवारी जी को मना कर दिया·····

अध्यक्ष महोदय : मैंने मना कर दिया ? इसे कार्यवाही में रिकार्ड नहीं किया गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने प्रिविलेज मोशन रेज करने की इजाजत नही दी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह उनकी जानकारी में है अथवा उन्हें इसके बारे में पता नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तब फिर यह मामला उठा कैसे ?

अध्यक्ष महोदय : कहां उठा है ? वैसे रोज पचास आदमी यहां पर बोलते हैं। कार्यवाही में कहीं भी नहीं लिखा गया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्हें सभा के समक्ष स्पष्ट करना चाहिए। वह क्यों·····**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर मुझे किसी मेम्बर के खिलाफ कुछ कहना होगा, तो मैं डंके की चोट पर कहूंगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप आपस में किसी तरीके से बात करते हैं, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : आज कौन-सी कार्यवाही जाने वाली है।

अध्यक्ष महोदय : अलाऊ ही नहीं किया है इसको। नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं देता। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अपना दीजिए। ये अपना देंगे।

श्री महमूद हसन खां : स्पीकर साहब, खुर्जा शहर में एक मुसलमान और एक हरिजन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या करूंगा इसमें ? यह तो स्टेट सबजेक्ट है।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : उन्हीं को मालूम है कि मैं देशद्रोही हूं, अथवा नहीं। यदि वह कुछ जानते हैं, तो वह स्पष्ट करें। वह हैं·····** **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण तथा लाइसेंस देना (संशोधन) नियम, 1981, भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की समीक्षा और इसका वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उपधारा (4) के अन्तर्गत औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण तथा लाइसेंस देना (संशोधन) नियम 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 26 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 719 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3076/81]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3077/81]

चण्डीगढ़ लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड चण्डीगढ़ के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की समीक्षा और इसका वार्षिक प्रतिवेदन और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

[श्री चरण जीत चानना]

(एक) चण्डीगढ़ लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) चण्डीगढ़ लघु उद्योग विकास निगम, लिमिटेड चण्डीगढ़ का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3078/81]

कोल इन्डिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की समीक्षा और इसका प्रतिवेदन और राष्ट्रीय पनबिजली निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की समीक्षा और इसका प्रतिवेदन

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कोल इन्डिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) कोल इन्डिया लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए सख्या एल० टी० 3079/81]

(2) (एक) राष्ट्रीय पन-बिजली निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय पन-बिजली निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3080/81]

भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की समीक्षा और इसका वार्षिक प्रतिवेदन

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी०पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(1) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1981-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षत लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या संख्या एल० टी० 3081/81]

नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, सिकन्दराबाद के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की समीक्षा और इसका वार्षिक प्रतिवेदन

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स तथा पर्यावरण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, सिकन्दराबाद के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, सिकन्दराबाद के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गये। देखि, संख्या एल० टी० 3082/81]

हिन्दी के विकास और उसके उत्तरोत्तर प्रयोग के कार्यक्रम तथा उसके क्रियान्वयन के संबंध में वर्ष 1978-79 का वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

[श्री पी० वेंकट सुब्बया]

भारत संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रसार और विकास में तेजी लाने और उसके उत्तरोत्तर प्रयोग के कार्यक्रम तथा उसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में वर्ष 1978-79 के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3083/81]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

अध्ययन दौरों के प्रतिवेदन

श्री आर० आर० भोले (बम्बई दक्षिण मध्य) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित दौरे-प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) समिति के अध्ययन दल के जुलाई, 1981 के दौरान बम्बई, कोचीन, ऊटी कोयम्बटूर और बंगलौर के अध्ययन-दौरों सम्बन्धी प्रतिवेदन ।

(दो) समिति के अध्ययन दल-दो के जुलाई, 1981 के दौरान रांची, कलकत्ता, मद्रास और हैदराबाद के अध्ययन-दौरों सम्बन्धी प्रतिवेदन ।

(तीन) समिति के अध्ययन दल-तीन के जुलाई अगस्त, 1981 के दौरान उदयपुर, जयपुर, माउन्ट आबू और अहमदाबाद के अध्ययन-दौरों सम्बन्धी प्रतिवेदन ।

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 115 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 15 दिसम्बर, 1981 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 30 नवम्बर, 1981 को रामपुर रजा लाइब्रेरी (संशोधय) विधेयक, 1980 में किये गये निम्नलिखित संशोधनों से सहमत हो गयी है :—

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 2—

"एकतीस" के स्थान पर "बत्तीस" प्रतिस्थापित किया जाये।

खंड-1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1980" के स्थान पर 1981" प्रतिस्थापित किया जाये।

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम 115 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोकसभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 15 दिसम्बर, 1981 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 3 दिसम्बर, 1981 को खुदा-बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी (संशोधन) विधेयक, 1980 में किये गए निम्न-लिखित संशोधनों से सहमत हो गई है:

अधिनियम सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"एकतीसा' के स्थास पर "बत्तीस" प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड-I

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4

"1980" के स्थान पर "1981" प्रतिस्थापित किया जाए।

(श्री मनीराम बागड़ी तथा कुछ अन्य सदस्य सदन से उठकर चले गए।)

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

तेतीसवां प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मणन् (मद्रास उत्तर): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का तेतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) गोरखपुर जिलों के बाढ़ पीड़ित लोगों लिए राहत उपाय

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र में

[श्री महावीर प्रसाद]

जो गत माह अर्थात अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर 1981 में प्रलयकारी एवं भयंकर बाढ़ से जानवरों,फसलों मकानों बाधों आदि को जो तीन-तीन बार अपार क्षति हुई है, उसके प्रति आकर्षित करना चाहता हूं। इस भयंकर बाढ़ से गांव के गाँव बह गए हैं। सम्पूर्ण भवन धराशायी हो गए हैं। उदाहरण के लिए गरयाकोल, ददरी, खटभार, सिहोड़वा, अरुवनभारपूर, चितहंरी, भरकच्छा, सितवालिया, पोहरिया, नोवा डुमरी, पटना, लच्छोचक, सरार, मझगांमां, गजपुर, धस्की अइमा, कड़जही, मढवलिया, गायघाट, सेमरामानिक चक आदि गाँवों के 80 प्रतिशत भवन धराशायी हो गए हैं। बाढ़ के समय राज्य सरकार ने युद्ध स्तर पर सामयिक एव तात्कालिक सहायता की थी और आशा व्यक्त की थी कि इस क्षति को पूरा करने के लिए सभी सम्भव सहायता की जाएगी लेकिन समुचित कोई व्यवस्था नहीं हो पायी। फलस्वरूप बह गए गांवों की दशा अत्यन्त दयनीय हो गई है। उसके बाद पुनः केन्द्रीय सरकार की तरफ से उस क्षति को आकलन करने के लिए एक दल गोरखपुर में गया और वह दल भी सिफारिश किया था कि अविलम्ब इस क्षति को पूरा करने के लिए भरपूर सहायता की जाएगी, किन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक बाढ़ से पीड़ित एवं प्रभावित लोगों को भवन आदि की जो क्षति हुई है, उसके निर्माण हेतु कोई सहायता नहीं दी गई है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अभी हाल में क्षेत्र का दौरा करने के बाद जब मैंने जिलाधिकारी गोरखपुर से सम्पर्क स्थापित किया जो पता चला कि पूरे जनपद के लिए कुल 13 लाख रुपए इस सुरक्षित रूप में पड़ा हुआ है। लेकिन यह रकम क्षति की तुलना में इतनी कम है कि उस धन का वितरण किसी भी प्रभावित क्षेत्र में नहीं हो सकता। कारण कि यदि इस रकम को जनपद के किसी भी एक क्षेत्र में बाटां जाता है तो जनपद में एक असन्तुलित का विषाक्त वातावरण बन जाएगा। ऐसी परिस्थिति में जिलाधिकारी ने बताया कि केन्दीय सरकार से डेढ़ करोढ़ रुपये की माँग की गई है।

अस्तु आपके माध्यम से केन्दीय सरकार से अनुरोध है कि वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र तथा जनपद के अन्य क्षेत्रों में जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और उनके मकान गिर गए है उनके निर्माण के लिए अधिक से अधिक धन की व्यवस्था करें ताकि उक्त क्षेत्र में रहने वाले भूमिहीन गरीब, असहाय एवं बेरोजगार कमजोर वर्ग के लोगों तथा विशेषकर हरिजनों का कल्याण हो सके।

(दो) निकल और को बाल्ट खनिजों का पता लगाने और उनको आर्थिक उपयोग के लिए निकालने सम्बन्धी प्रौद्योगिकी

श्री के० पी० सिंह देव : (ढेंकानाल) : यह एक उल्टी सी बात है कि जबकि मूल्यवान दुर्लभ तथा सामरिक महत्व के खनिज भूमि के गर्त में दबे पड़े हैं फिर भी देश को सिर्फ इसलिए खनिजों

का आयात करने के लिए प्रत्येक वर्ष विदेशी मुद्रा के रूप में भारी धनराशि का भुगतान करना पड़ता है। हम उस प्रोद्योगिकी को अंतिम रूप नहीं दे पाए हैं जिसका प्रयोग इन खनिजों का पता लगाने तथा आर्थिक रूप से विदोहन करने में किया जाएगा, मेरा तात्पर्य कलई के बारे में है। भारत इन दोनों तथा कोबाल्ट धातुओं की पूरी आवश्यकता का आयात करता है और वर्षभर में 20 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा खर्च हो जाती है। यह एक करूणाजनक स्थिति है क्योंकि काफी समय पहले 1971-72 में भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने सिद्ध किया था कि 150 लाख मी० टन कलई के पर्याप्त निक्षेप विद्यमान हैं जिसका 1.9 प्रतिशत भाग उड़ीसा के कान्सा क्षेत्र में ही विद्यमान है। सभाव्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिए एक भारतीय परामर्श दात्री फर्म की नियुक्ति की गई थी जिसने सुझाव दिया था कि प्रतिवर्ष 6,90,000 मी० टन कलई खोद कर निकाली जा सकती है जिसमें से 4,800 मी० टन कलई 200 मी० टन कोबाल्ट तथा 17,000 मी० टन उर्वरक किस्म का अमोनिया तैयार किया जा सकता है। किन्तु, इस फर्म द्वारा सिफारिश की गई प्रक्रिया 1973 से 1977 के बीच लगभग 5 वर्षों के लिए एक मार्ग-दर्शी संयंत्र के रूप में परीक्षण के तौर पर रखी गई थी लेकिन इसके इच्छित परिणाम नहीं निकले। इस सौदेबाजी में सरकार को 42 लाख रु० के निवेश की हानि हुए थी और इससे भी अधिक बहुत ही कीमती समय बर्बाद हुआ था। चूंकि देश के भीतर कोई अन्य देशी प्रोद्योगिकी उपलब्ध नहीं थी अतएव, हमें विदेशी प्रोद्योगिकी की बाट जोहनी पड़ी थी और सोवियत रूस, कनाडा तथा क्यूबा से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। वास्तव में, यह दुर्भाग्य की बात है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान भी इन तीन प्रस्तावों में से किसी भी प्रौद्योगिकी का अंतिम रूप से चयन नहीं किया जा सका है। अब यह समझा जाता है कि प्रौद्योगिकी का चयन आसान हो गया है क्योंकि इनमें से दो प्रौद्योगिकी भारतीय स्थिति तथा उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त नहीं हैं। अपेक्षित प्रोसेसिंग के बाद विशेषज्ञों की राय भी उपलब्ध हो गई है। अतएव सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस मामले में और अधिक समय खराब न करे। मैं इस सम्बन्ध में यह भी कहना चाहूंगा कि कान्सा में 150 लाख मी० टन निक्षेप के अतिरिक्त उड़ीसा की सुकीन्दा घाटी में 140 लाख मी० टन के निक्षेप की और भी खोज की गई है। निस्सन्देह इससे सरकार को 5,000 मी. टन क्षमता के बजाए 10,000 मी० टन क्षमता का एक संयंत्र स्थापित करने में मदद मिलेगी, जैसा कि पहले परिकल्पना की गई थी। मैं माननीय इस्पात मंत्री से अनुरोध करूंगा कि प्रोद्योगिकी के मामले में अंतिम निर्णय लेने के लिए शीघ्र कार्रवाई करें उड़ीसा में संयंत्र स्थापित करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है और अब आयात पर खर्च की जा रही विदेशी मुद्रा की बचत करें।

(तीन) बन्देल हावड़ा सैक्शन पर प्रस्तावित रेल लाइन का यातायात सर्वेक्षण

प्रो० रूप चन्द पाल (हूगली) : बन्देल हावड़ा सेक्शन पूर्वी रेलवे का सबसे व्यस्त तथा एक लाभकारी सेक्शन हैं। रोजाना हजारों लोग इस स्टेशन से विभिन्न प्रयोजनों अर्थात नौकरी

[प्रो० रूप चन्द पाल]

व्यापार, चिकित्सा परीक्षण शिक्षा आदि से कलकत्ता जाते हैं। रेलवे की समय-सारिणी से यह देखा जा सकता है कि रोजाना बन्देल से हावड़ा के बीच चलने वाली स्थानीय रेलगाड़ियों की संख्या 50 से अधिक है। इसके अतिरिक्त कार्यालय समय के दौरान चलने वाली मेल, एक्सप्रैस, फास्ट पैसन्जर तथा यात्री गाड़ियों की संख्या भी 20 है। इसके अतिरिक्त व्यस्ततम काल के दौरान बन्देल से हावड़ा के बीच डाऊन लाइन पर काफी अच्छी संख्या में माल गाड़िया भी चलती हैं। इसके इलावा शोरोफूली-सेरमपुर के अतिरिक्त कार्यालय समय के दौरान कुछ स्थानीय डाऊन गाड़ियां अर्थात शोरोफूली, तरकस्वर तथा शोरमपुर आदि भी चलती हैं। परिणामस्वरूप अधिकांश स्थानीय गाड़ियां अपनी स्वयं की पटरियों पर ठीक ढंग से नहीं चल सकती हैं जिसके फलस्वरूप उनमें यात्रा करने बाले यात्रियों को काफी लम्बे समय तक कभी-कभी तो एक ही स्टेशन पर और कभी-कभी दो स्टेशनों के बीच गाड़ी में ही रहना पड़ता है। और दूसरी आने वाली स्थानीय गाड़ियों को भी इसी लाइन पर एक के बाद एक स्थगित किया जाता है।

दिन प्रति दिन दैनिक यात्रियों सामान्य यात्रियों घूम-घूम कर माल बेचने वालों तथा सामान पार्सलों आदि की संख्या में पर्याप्त रूप से वृद्धि होती जा रही है। इससे यह सूचित होता है कि दिन-प्रति-दिन रेलवे की आय बढ़ रही है और दूसरी ओर जहां राजस्व की आय में सुधार होता प्रतीत होता है रेल का लाभ उठाने वालों की सुविधाओं में गाड़ियों की कमी तथा अनियमित रेल सेवाओं के कारण कमी होती जा रही है। इस सम्बन्ध में यह कहना असगत न होगा कि उपर्युक्त अनियमित रेल सेवाओं के कारण कलकत्ता शहर को रोजाना काम में आने वाली वस्तुओं की सप्लाई काफी तितर-बितर हुई है जिसके परिणाम स्वरूप गरीब विक्रेताओं तथा अन्य व्यक्तियों को वित्तीय हानि होती है।

उपर्युक्त पहलुओं पर विचार करते हुए यह आवश्यक हो गया है कि तीसरी डाऊन लाइन एक्स बन्देल से भद्रेश्वर को शीघ्र आगे तक बढ़ाया जाए ताकि रेलवे प्रशासन द्वारा रेलों की ठीक ढंग से तथा तेजी से चलाया जाना संभव हो सके और उसी समय रोजाना कार्यालय में जाने वाले यात्रियों, अध्यापकों विद्यार्थियों आदि की कठिनाई को कम किया जा सके।

साथ ही, रेल सेवाओं की सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकांश लोगों द्वारा रेलवे लाइनों के बिलकुल पास दोनों तरफ रहने के मकानों का निर्माण किए जाने की संभावना है और इससे लाइनों, साइड बनाने तथा नई लाइनों के प्रस्तावित विस्तार में बाधा पड़ सकती है। अब तीसरी डाऊन लाइन के नए निर्माण के लिए बन्देल-भद्रेश्वर के बीच विद्यमान लाइनों के दोनों ओर गैर सरकारी जमीन का अधिग्रहीत करने का सबसे अच्छा समय है। इस समय खाली पड़ी जमीन को अधिग्रहीत करने में आसानी हो सकती है जिसके लिए इस गैर सरकारी खाली पड़ी भूमि के मालिकों को मुआवजे की बहुत थोड़ी धनराशि देनी पड़ती है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं रेल मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि इस प्रस्तावित लाइन का शीघ्र यातायात सर्वेक्षण शुरू करें और उपर्युक्त मांग को रेलवे के वर्क्स कार्यक्रम में शीघ्र शामिल करें और अगले रेल बजट में तीसरी डाऊन लाइन एक्स-बन्देल से भद्रेश्वर तक जहां से वहां हावड़ा तक तीसरी लाइन पहले ही विद्यामान है के लिए आवश्यक बजट आवंटन की व्यवस्था भी करें।

(चार) भारतीय उर्वरक निगम के तालचेर एकक में हुई हानियां

श्री अर्जुन सेठी : महोदय मैंने नियम 377 के अन्तर्गत सार्वजनिक महत्व का निम्नलिखित मामला उठाया हैं।

महोदय, उड़ीसा का तलचर उर्वरक संयंत्र देश में कोयले पर आधारित उर्वरक एककों में कोयले पर आधारित उर्वरक एककों में से एक है, एक दूसरा एकक आन्ध्र प्रदेश के रामगुन्डम में है। तलचर स्थित इस विशेष एकक में 220 करोड़ रु० के कुल निवेश के साथ नवम्बर, 1980 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया था। लेकिन तलचर संयंत्र प्रारम्भ से ही काफी हानि में चल रहा है। 31 मार्च, 1981 तक अर्थात नवम्बर 1981 तक अर्थात नवम्बर 1980 से मार्च, 1981 तक लगभग 18 करोड़ रु० की संचित हानि हुई है। उसके बाद प्रत्येक मास में लगभग 3 करोड़ रुपए की औसत हानि हुई है जबकि प्रति दिन के उत्पादन की औसत दर केवल 94 मी० टन अर्थात निर्धारित क्षमता के उपयोग के 7 प्रतिशत से भी कम है। जबकि रामगुन्डम स्थित कोयले पर आधारित दूसरे एकक का निर्धारित क्षमता का उपयोग लगभग 45 प्रतिशत है। लेकिन भाग्य की विडम्बना यह है कि देश में सबसे कम क्षमता का उपयोग करने वाला एकक होते हुए भी इसके कर्मचारियों को आज भारत में स्थित भारतीय उर्वरक निगम के सभी संयंत्रों की अपेक्षा सबसे अधिक समयोपरि भत्ते की राशि का भुगतान किया जाता है। जून, 1981 तक के वास्तविक आंकड़े 40 करोड़ से भी अधिक है। यह कहा जाता है कि जो कर्मचारी केवल आधा घंटे के लिए कार्य पर आता है वह भी 8 घंटे का समयोपरि भत्ता लेता है।

इस भारी हानि के प्रमुख कारण संयंत्र में प्रबन्धकीय भूले दूषित प्रशासन व्यर्थ खर्च तथा त्रुटिपूर्ण निर्णय लेना है।

अतएव, मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि समग्र राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के हित में तलचर स्थित संयंत्र की कमियों की विस्तृत जांच करने तथा वहा के वातावरण को ठीक करने के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की शामिल करके एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए।

(पांच) सूत तथा रसायनों के मूल्यों में हो रही वृद्धि के कारण उत्तर प्रदेश के बुनकरों की समस्याएं

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मान्यवर, उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में बुनकरों की आर्थिक स्थिति दिन-प्रति-दिन बिगड़ती चली जा रही है क्योंकि सूत और कैमिकल्स की कीमतों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। हथकरघा उद्योग में लगे हुए देश के करोड़ों बुनकर आज अत्यन्त कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति को यदि तत्काल नियन्त्रित नहीं किया गया तो बहुत बड़ी संख्या में हथकरघा उद्योग में लगे हुए लोगों को बेरोजगारी और भुखमरी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिये सरकार को चाहिए कि सूत और कैमिकल्स के वर्तमान मूल्यों को कम करे एवं उसकी व्यवस्था सरकारी सेल्स डिपों से की जाये। बुनकरों को बैंक से आसान क्षर्तों पर आवश्यकतानुसार कर्ज दिया जाए, जिस पर ब्याज की दर कम हो और बुनकरों से संबन्धित सरकारी विभागों में बेरोजगार शिक्षित बुनकरों को सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाए। सरकार को चाहिये कि इस दिशा में तत्काल प्रभावी कदम उठाये, जिससे बुनकरों की समस्याओं का समाधान हो सके।

(छ) दामोदर नदी के पानी का प्रदूषित होने का समाचार

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के छोटा नागपुर से होती बंगाल तक जान वाली प्रमुख नदी दामोदर नदी है। बिहार के विद्युत परिषद् के पतरातू थर्मल पावर स्टेशन तथा केन्द्र सरकार ऊर्जा मंत्रालय के सेन्ट्रल कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा अपनी वाशरी के गदे पानी को नदी मे बहाकर दामोदर नदी के पीने के पानी को दूषित किया जा रहा है। अभी छोटा नागपुर में पांच वाशरी हैं गिद्दी, स्वांग, करगली दुगदा और चन्द्रपुरा। इस जल प्रदूषण से सैंकड़ों मील में बसे हरिजन आदिवासी तथा अत्यन्त पिछडे और गरीब लोग पीलिया रोग से ग्रस्त हो रहे हैं। लीवर तथा अन्य दूसरी बीमारियों का शिकार हो कर मर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह पानी है, जिस को मैं रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, : कृपया पढ़ें।

श्री राम विलास पासवान : जानवरों ने भी भय के मारे इस दूषित पानी को पीना बन्द कर दिया है। एक तो ऐसे ही छोटा नागपुर में स्वच्छ पेय जल का अभाव है दूसरे दामोदर का जल, जो गरीबों के लिए प्राण है, वह भी जहर के समान हो गया है। लाखों जन संख्या इससे प्रभावित हैं।

देश में जल प्रदूषण कानून के उपबन्धों के अधीन किसी को भी नदियों का या अन्य श्रोतों का जल प्रदूषित करने का अधिकार नहीं है, परन्तु बिहार सरकार एवं केन्द्र सरकार इसे उल्लघंन कर पानी को दूषित कर गरीबों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है।

अतः सरकार लाखों गरीबों की जीवन रक्षा हेतु जल को और अधिक प्रदूषण होने से बचावे। इस जल प्रदूषण के रोकने हेतु ठोस कार्यवाही करें।

मैं आप की आज्ञा से इसे रख देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे मंत्री महोदय को दे सकते हैं।

(सात) इज़राइल द्वारा गोलान हाइट्स का अपने राज्य में कथित मिलाया जाना

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, गोलान हाइट्स को जबरदस्ती हज़म करके इज़रायल ने अपने आक्रमणत्मक रवैये का एक और प्रमाण किया है। इज़रायल का यह कार्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्घलंन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों की गहरी अवमानना तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा है।

इज़रायल के इस आचरण से पश्चिम एशिया में फिर से युद्ध की आग भड़क सकती है। 19 3 के युद्ध के बाद जो युद्ध विराम समझौता हुआ था उसका इजरायल खुला उल्लंघन करने का दोषी है।

भारत सरकार को इजरायल के इस कृत्य की कड़ी निन्दा करनी चाहिए और विश्वमत को इजरायल के विरुद्ध संगठित करके उसें गोलान हाइट् स पर सीरिया के प्रभुत्व को स्वीकारने के लिए विवश करना चाहिए।

(आठ) तमिलनाडु में कच्चे रेशम के धागे का मूल्य नियंत्रित करने की आवश्यकता

* **श्री सी० पलानी अप्पन** (सलेम) : नियम 377 के अधीन, मैं अविलंबनीय लोक महत्व का निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं। रेशमी धागे की भारी कमी के कारण तमिलनाडु में रेशस बुनाई उद्योग समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया है जिसके फलस्वरूप राज्य में हजारों रेशम बुनकर की जीविका समाप्त हो जायेगी तमिलनाडु में बुनकर उद्योग एक पारम्परिक उद्योग है जिसमें 5.5 लाख लोग तथा उनके परिवार के 7.5 लाख लोग लगे हुए हैं। रेशम बुनाई उद्योग पर एक लाख परिवार आश्रित हैं। केवल सलेम जिले में ही शहर के भीतर तथा शहर के बाहर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में 7000 करघे लगे हुए हैं। वर्ष 1980 में कोरापत्तु नामक रेशम का धागा 250 रुपये प्रति बंडल तथा व्लेचर यार्न 415 रुपये प्रति बंडल आता था। नवम्बर 1981 में दोनों ही प्रकार के रेशम धागों के दाम बढ़कर क्रमशः 525 रुपये तथा 640 रुपये हो गए। कोरापत्तू धागे के मूल्य में गत छः मास के दौरान इतनी अधिक वृद्धि से राज्य के

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी संस्करण का हिन्दी अनुवाद।

[श्री सी० पलानी अप्पन]

अधिकांश बुनकरों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। यदि इस रेशम के धागे के मूल्यों पर नियंत्रण नहीं किया जाता है तो बुनकरों के लिए कोई चारा नहीं रह जायेगा। कर्नाटक का रेशम बोर्ड और बंगलौर स्थित विनियम संगठन रेशम के धागे में उक्त भारी वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। उक्त विनियम संगठन द्वारा किए गए नीलामों में थोक व्यापारी कृत्रिम रूप से मूल्य देने को विवश होना पड़ता है और फलतः रेशम के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। कच्चे रेशम के धागे के मूल्यों को नियंत्रित करने की अविलम्ब आवश्यकता है। सरकार ने वालिल तेल के मूल्य गिराने के लिए कोपरे का आयात शुरू किया था। इसी प्रकार कोरापत्तू के मूल्य नीचे गिरने के लिए सरकार ने कोरापत्तू कम से कम 5 से 7 लाख (बन्डलों) का आयात करना चाहिए और उसे बुनकरों में बांटा जाना चाहिए। केवल तभी उसके मूल्य गिरेंगे और इसी कदम द्वारा भारत सरकार रेशम उद्योग में लगे लाखों बुनकरों को जीवन दान दे सकेगी।

———

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1979-80
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) 1981-82

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सभा अतिरिक्त अनुदानों (सामान्य) की मांगों तथा अनदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान करेगी। मद संख्या 11 तथा 12 दोनों पर ही एक साथ विचार होगा तथा इसके लिए 4 घण्टे आवंटित किए गए हैं। अतः माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे अधिक समय न लें। यदि वे अधिक समय लेते हैं तो विपक्ष अथवा सत्ता रूढ दल के अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिल पायेगा। इसलिए बाद में मुझे इलजाम न दें। मैं मन्त्री महोदय को 4 बजे बुलाऊंगा।

श्री टी० आर० शमन्ना ने एक कटौती प्रस्ताव भी रखा है। वह माननीय सदस्य इस समय उपस्थित नहीं हैं। अतः कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान सम्बन्धित अनुदानों से अतिरिक्त राशि को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए :—

मांग संख्या 16, 20, 22, 32, 38, 39 और 54"

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखायी गयी निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में...मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राजस्व लेखा सम्बन्धी राशियों से अधिक अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये :—

मांग संख्या 6, 7, 8, 11, 12, 13, 29, 30, 42, 43, 45, 58, 59, 62, 68, 70, 79, 81, 85, 100, और 108"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य) 1979-80

मांग संख्या	मांग का नाम	लोक सभा की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली
1	2	3
		रुपए
1.	राजस्व खाते से पूरा किया जाने वाला व्यय	
16.	डाक-तार — कार्यचालन व्यय	9,37,05,049
20.	रक्षा सेवाएं—थल सेना	62,05,70,422
22.	रक्षा सेवाएं—वायु सेना	24,41,61,337
32.	वित्त मन्त्रालय	82,25,321
38.	करेंसी, सिक्का-निर्माण और टकसाल	38,75,835
39.	पेंशनें	4,13,91,917
II.	पूंजी खाते से पूरा किया जाने वाला व्यय	
54.	चंडीगढ़	16,04,555

लोक सभा की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1981-82

मांग संख्या	मांग का नाम	लोक सभा की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली अनुदान की मांगों की रकम	
1	2	3	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
	कृषि मन्त्रालय		
6.	सहकारिकता	...	7,00,00,000
7.	खाद्य विभाग	...	15,50,00,000
8.	कृषि, अनुसंधान और शिक्षा विभाग	44,10,000	...
	वाणिज्य मन्त्रालय		
11.	वाणिज्य मन्त्रालय	8,00,000	...
12.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	86,00,00,000	50,01,000
13.	वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्त शिल्प	30,00,00,000	...
	ऊर्जा मन्त्रालय		
29.	कोयला विभाग	...	89,00,00,000
30.	विद्युत विभाग	...	1,000
	वित्त मन्त्रालय		
42.	वित मन्त्रालय का अन्य व्यय	1,000	34,46,55,000
43.	सरकारी सेवकों आदि को उधार	...	13,00,00,000
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय		
45.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	...	1,000

मांग संख्या	मांग का नाम	लोक सभा की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
	उद्योग मन्त्रालय		
54.	उद्योग मन्त्रालय	6,00,000	...
59.	उद्योग	...	12,92,04,000
	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय		
62.	सूचना और प्रचार	8,86,000	...
	विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मन्त्रालय		
68.	न्याय प्रशासन	1,000	...
	पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय		
70.	पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन उद्योग	...	90,51,000
	नौ वहन और परिवहन मन्त्रालय		
79.	सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन	...	9,00,00,000
	इस्पात और खान मन्त्रालय		
81.	इस्पात विभाग	...	1,000
	पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय		
85.	पुनर्वास विभाग	...	1,45,00,000
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		
100.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1,000	...
	महासागर विकास विभाग		
108.	महासागर विकास विभाग	2,00,00,000	...

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुरम्) : उपाध्यक्ष महोदय हमारे वित्त मन्त्री अनुपूरक मांगे लाए हैं जिनमें 333.2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च दिया है जिसमें एक अतिरिक्त राष्ट्रीय खर्च

[श्री ई० बालानन्दन]

भी शामिल है जिसमें प्रतिवर्ष 12000 करोड़ रुपये की राशि लेखों में सरकारी विधेयकों की पूर्ति से सम्बन्धित समंगनों की पूर्ति के लिए अपेक्षित होगी। फिर उन्होंने कहा है कि आवतियों आदि के उन्हें लगभग 83 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे और इसलिए बाद में हमसे भारत की संचित निधि से 250 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकार करना चाहते हैं।

अब दस्तावेजों को पढ़ते समय आप पायेंगे कि इन अनुपूरक मांगों के लिए कुछ कारण दिए गए हैं।

अब आप मद संख्या 2 पर आते हैं अर्थात कृषि मन्त्रालय के बारे में, तो आप देखते है कि 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई हैं।

इसके लिए कारण उर्वरकों, कृषि आदानों आदि के मूल्यों में वृद्धि बताये गए हैं।

और जब आप मांग संख्या 11 पर आते हैं (वाणिज्य मन्त्रालय) तो वहां 8 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है। वहां पर भी यही कहा गया है कि सरकार को कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता अदा करने को विवश होना पड़ा है।

इसके बाद मांग संख्या 79 है उसमें कहा गया है कि पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि तथा अतिरिक्त महंगाई भत्ते की अदायगी के काम में अधिक राशि देनी पड़ी है। हमें यह देखना है कि ऐसी वृद्धि क्यों होती है। सरकार ने तर्क दिया है कि क्योंकि पेट्रोल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य आसमान को छू रहे हैं इसलिए इसके पास पेट्रोल के मूल्य बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। परन्तु यदि आप विस्तार में जायें तो आप पायेंगे कि पिछली बार जब वित्त मन्त्री ने देश के अन्दर ही पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य बढ़ाये थे तो इन चीजों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य नहीं बढ़े थे। वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की मन्दी थी। परन्तु फिर भी वित्त मन्त्री ने उस समय पेट्रोलियम उत्पादों आदि के मूल्य बढ़ाये थे। उन्होंने पेट्रोल के मूल्यों में 53 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की थी। मिट्टी के तेल के मूल्य 15 पैसे तथा हाई स्पीड डीजल के मूल्य 37 पैसे प्रति लीटर बढ़ाये थे। यूरिया के मूल्यों में 350 रुपये प्रति टन की वृद्धि की थी तथा खाना पकाने की गैस का 15 कि० ग्राम सिलेन्डर पांच रुपये महंगा कर दिया था। उस समय जैसा कि मैंने कहा, पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। परन्तु फिर भी उन्होने उक्त वृद्धियों की घोषणा की थी जिनमें सरकार को 7200 करोड़ रुपये मिले थे। जब आप तारकोल तथा अन्य वस्तुओं को शामिल करते हैं तो 2000 करोड़ रुपये की वार्षिक आय होती है। अतिरिक्त परोक्ष करों की एक भारी मार जो कि वित्त मन्त्री महोदय ने लगाई थी।

पिछली बार उन्होंने यही कहा था कि पेट्रोलियम के मूल्य बढ़ गए हैं। पिछली बार अपने भाषण में उन्होंने कहा था :

"मूल्यों में यह वृद्धि बड़े पैमाने पर तेल की खोज तथा विकास कार्यक्रमों पर

लागत में वृद्धि; अदायगी की कीमतों पर के सन्तुलन पर निरन्तर बढ़ रहे दबाव और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में वृद्धि को पूरा करने की आवश्यकता के कारण दी गई।"

इसी अधिकार पर मूल्यों में वृद्धि की घोषणा की गई थी। उस समय पेट्रोलियम उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य नहीं बढ़ रहे थे। परन्तु यह वृद्धि "तेल की विस्तृत खोज तथा विकास कार्यक्रमों" के कारण की गई थी। यह वृद्धि 'पेट्रोलियम उत्पादों के लिए मांग की वृद्धि को पूरा करने के लिए की गई थी। आप इस तर्क को भली प्रकार समझ सकते हैं। महोदय देश में लगभग 70 प्रतिशत पेट्रोलियम की खपत रक्षा और भारत सरकार पर होती है। वह कहते हैं कि वह पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में वृद्धि को मोडिरेट करना चाहते हैं। इस अधिकार पर यदि आप पेट्रोल के मूल्य बढ़ाते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कुल मिलाकर, परोक्ष कराधान के बारे में, सरकार की नीति अनेक आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को बढ़ावा देती है। सभी उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होगी। और यही कारण है कि हर बार महंगाई भत्ता मंजूर करना पड़ा। इसका कारण यह था कि जीवन निर्वाह खर्च बढ़ रहा था। अतः, मूल्य वृद्धि सरकार द्वारा अपनाई गयी नीति के कारण है। परन्तु वित्त मन्त्री यह स्वीकार करेंगे कि उपरोक्त मूल्य वृद्धि इस कारण नहीं थी। परन्तु यदि आप थोक मूल्यों के आंकड़ों पर विचार करें तो आप पायेंगे कि सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में तथा भावी खुदरा मूल्यों में भी वृद्धि हुई है। परन्तु वित्त मन्त्री महोदय हमेशा यह तर्क देंगे कि यदि आप गत वर्ष तथा इस वर्ष के आंकड़ों के बीच औसत निकालें तो वृद्धि की दर कम है। इस सम्बन्ध में मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं।

केरल में एक बहुत बड़ी नदी है पेरिया नदी। एक गणितज्ञ तथा एक अन्य व्यक्ति ने इस नदी को पार करना चाहा। गणितज्ञ ने इस नदी की औसत गहराई का हिसाब लगाया अर्थात सब स्थान पर इसकी गहराई दो फिट थी और एक अन्य स्थान पर 4 फिट तथा तीसरे स्थान पर 10.5 फिट उसने औसत लगायी 4.5 फिट। अतः इस गणितज्ञ ने निर्णय किया कि वह नदी पार कर सकता है।

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : एक तो गणितज्ञ था और दूसरे शायद मेरे मित्र स्वयं माननीय सदस्य ही थे।

श्री ई० बालानन्दन : शायद आप स्वयं ही हों। परन्तु वे वापस नहीं आये। वे अरब सागर चले गए। वित्त मन्त्री महोदय इसी प्रकार अपने तर्क दे रहे हैं। अच्छा हो कि वह "गृह" मन्त्री (घरवाली) से सलाह लें और वह उन्हें बताएंगी कि देश में क्या हो रहा है।

[श्री आर० वेंकटरामन]

प्याज की कहानी के बारे में हाल ही में दूसरे सदन में माननीय सदस्यों ने विचार किया है। प्याज 6.50 रु० प्रति किलो बिका। इसलिए औसत से हमारा काम नहीं चलेगा और वित्त मन्त्री किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। नित्य प्रति आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। परन्तु आप कहते हैं कि मूल्य वृद्धि दर कम है। आम आदमी को अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए आत्यधिक दाम देने पड़ रहे हैं।

कराधान के इन उपायों के, जिन्हें सरकार देश के लोगों पर थोपे जा रही है उन पहलुओं पर भी विचार करना होगा। जब नए कर लगाए जाते हैं तो वे संसद के पास समुचित अनुमोदन करने के लिए नहीं आते हैं। संसद में तो परामर्श भी नहीं लिया जाता। हजारों करोड़ों रुपये के कर इस सभा की अनुमति के बिना लगा दिए जाते हैं। इन क्रम में हाल ही में रेल मन्त्री ने रेल भाड़ों पर कर लगाये हैं। पाण्डेय जीने बड़ी आश्चर्य जनक बात की है। उन्हें कुछ लोग "दुघर्टना मन्त्री" कहते हैं और कुछ लोग उन्हें रेलगाड़ियों में डकैती तथा लूटपाट मन्त्री कहते हैं। उन्होंने 500 किलोमीटर तक गाड़ी में जाने वाले माल के भाड़े में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है और 500 किलोमीटर के बाद यह वृद्धि 15 प्रतिशत होगी। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

बेरार वित्त मंत्री यह कहेंगे हैं कि यह उनका कार्य नहीं था बल्कि यह कार्य रेल मत्री का था। परन्तु अन्ततः इसका क्या प्रभाव पड़ता है? भाड़े में वृद्धि का यह प्रभाव पड़ेगा कि विभिन्न अनिवार्य वस्तुओं के दाम और बढ़ेगे। आम बजट प्रस्तुत करने में दो महीने बाकी हैं। क्या आप इस तरह अनुपूरक मांग प्रस्तुत कर सकते हैं मेरे विचार से तो नहीं। 500 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए भाड़े की दरों में 10 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत की वृद्धि से रेल मंत्री की क्रूरता का पता चलता है। मिट्टी के तेल को छोड़कर रेल द्वारा ढुलाई की जाने वाली अन्य किसी भी अनिवार्य वस्तु को छूट नहीं दी गई है। गेहूं, चावल आदि जैसी खाद्य वस्तुओं को भाड़े में वृद्धि से छूट नहीं दी गई है। मैं मूल्य वृद्धि के बारे में बोल रहा हूं। भाड़े की दरों में वृद्धि से क्या होगा? मूल्यों में फिर वृद्धि होगी। केरल में गेहूं और चावल यहां से जाता है और यह दूरी यहां से लगभग 2500 किलोमीटर है। अर्थशास्त्रियों के अनुमान के अनुसार माल भाड़े में वृद्धि के कारण केरल में गेहूं और चावल के मूल्यों में 7.5 प्रतिशत नहीं तो 7 प्रतिशत वृद्धि अवश्य होगी।

एक अन्य बात भी है। हम हमेशा यह कहते हैं कि उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे पहले पैट्रोलियम का होना जरूरी हैं निःसंदेह ऊर्जा का महत्व बहुत अधिक है। परन्तु कोयले के संबंध में क्या किया है? रेल मंत्री ने कोयले को भी भाड़ा वृद्धि से छूट प्रदान नहीं की है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत सरकार का यह कहना ठीक है कि विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमें पैट्रोल की खपत कम करनी चाहिए। सरकार ने केरल के उद्योग पत्तियों को सलाह दी है कि वे

अपने बॉयलरों में ऐसा परिवर्तन करें जिसमें पैट्रोल के स्थान पर कोयले का इस्तेमाल किया जा सके और उन्होंने ऐसा ही किया है अब कोल इंडिया द्वारा कोयले की सप्लाई की स्थिति क्या है। वे क्या कर रहे हैं ? वे उन्हें कोयला अपेक्षित मात्रा में सप्लाई करने में समर्थ नहीं है। यदि कोल इंडिया सप्लाई करने की स्थिति में हो भी तो रेल विभाग के कारण देश के उस भाग में कोयला नहीं पहुंच पाता। जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण क्षेत्र के उद्योग अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ है।

इसके अतिरिक्त कोयले के मूल्यों में भी वृद्धि होगी। कोयले के लिए हमें अधिक धनराशि की अदायगी करनी पड़ेगी हम भी इस देश का एक अंग हैं और आपके अनिवार्य वस्तुओं और लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप मूल्यों पर नियंत्रण कैसे पाएंगे ? हम कुचक्र में फसे हुए हैं। जब एक बार आप माल भाड़े की दरों में या पैट्रोल के मूल्यों में वृद्धि करते हैं तो जाहिर है कि मूल्यों पर प्रभाव पडेगा और उन में वृद्धि होगी। यह जरूरी है कि प्रत्येक चीज के मूल्यों में वृद्धि होगी—हम इस कुचक्र में फंसे हुए हैं। इस संबंध में आप क्या कर रहे हैं।

मेरे विचार से, मूल्यों में वृद्धि से हर व्यक्ति को नुकसान नहीं होता बल्कि अधिसंख्यक व्यक्तियों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। धनी व्यक्ति बड़े बड़े पूंजीवादी और एकाधिकारवादी इससे कमा रहे हैं। ऐसी स्थिति है।

आशा है कि सरकार मूल्य वृद्धि को रेलवे के लिए उपयुक्त कदम उठाएगी और एक आदर्श प्रस्तुत करेगी। पिछली दफा वित्त मंत्री ने एक गैर कार्य किया था जिसे मेरे विचार से चाहिए था, वह स्वयं भी करने के इच्छुक नहीं थे परन्तु उन्हें यह कहना पड़ा था; उन्हें एक राज्य के मुख्य मंत्री को बचाना था। हालांकि वह एक अच्छें वकील हैं, परन्तु मामला इतना खराब था कि वह उस मामले में ठीक तरह पैरवी न कर सके। एक तरफ तो आपने यह किया। दूसरी तरफ जिस मुख्य मन्त्री से यह आशा की जाती है कि की वह मूल्यों पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएगा, वह स्वयं ही सीमेंट को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने के मामले में शामिल है। यद्यपि सरकार ने सीमेंट का मूल्य 36/- रुपये प्रति बोरा निर्धारित किया हुआ है। परन्तु मुख्य मन्त्री उसे 40/- प्रति बोरा बेचना चाहता था। ऐसे मामले में मूल्यों पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि मुख्य मन्त्री को सीमेंट 40/- रुपये प्रति बोरा बेचने की अनुमति दी जाती है तो हम मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने में कैसे सफल हो सकते हैं ? इसका एक अन्य पहलू भी है। 40/- रुपये प्रति बोरा सीमेंट बेचने पर प्राप्त अतिरिक्त धनराशि को उसने कहां रखा या खर्च किया ? उनका दावा है कि उन्होंने धनराशि का हिसाब दे दिया है परन्तु जो व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं वे उचित हिसाब किताब नहीं रखते, वे ये नहीं कहते कि उन्होंने सीमेंट निर्धारित दर से अधिक दर पर बेचा है और यह धन वहां काला धन बन जाता है। यह वह धन है जो

[श्री आर० वेंकटरामन]

अवैध, अनैतिक और गलत तरीकों से अर्जित की जाती है। हमारे वित्त मन्त्री का रुख क्या है? वे कह सकते हैं कि बजट के घाटे को पूरा करने के लिए वे काला धन निकालने हेतु विशेष धारक बांड की बिक्री करा रहे हैं। वे कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने इसे सही बताया है। ठीक है उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है? कानूनों तौर पर उसका निर्णय सही हो सकता है परन्तु नैतिक तौर पर यह गलत है। आप किन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं? आप उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो काला धन कमाना चाहते हैं और इस प्रकार वित्त मन्त्री बिलकुल गलत राह पर चल रहें हैं। अत: उनसे मेरा अनुरोध है कि वे अपनी दिशा बदलें।

अपनी बात समाप्त करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं। अब आप कह रहे हैं कि मांग व्यवस्था आपका तरीका है। आप मांग की व्यवस्था किस प्रकार करते हैं? निम्न वर्ग की आय कम कर दी गई है ताकि वे उपभोग न कर सके। हमें नीति के अन्य पहलूओं पर भी सोच-विचार करना होगा परन्तु इस समय मैं इस प्रश्न पर बात नहीं करना चाहता। मेरे पास समय नहीं है। परन्तु मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि मूल्यों में वृद्धि के कारण लोगों की उपभोगता तथा जीवन-स्तर में गिरावट आ रही है। अत: लोगों को बेहतर जीवन स्तर के लिए मांग करनी पड़ेगी। और इसलिए पिछले नवम्बर में 23 तारीख को देश के लाखों श्रमिक दिल्ली आये थे। वे किस लिए यहां आए थे। वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में सरकार की नीति तथा सरकार की अन्य नीतियों में परिवर्तन की मांग लेकर यहां आए थे। शायद सरकार ने इन लाखों श्रमिकों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया। परन्तु वित्त मन्त्री महोदय, आपने और सरकार ने दीवारों पर लिखा हुआ देखा होगा। वह क्या है? "द हिन्दू" जैसे सामान्यत: अनुदार पत्र ने लिखा है कि वित्त मन्त्री के इस दावे के बावजूद कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को स्वीकार करके हमने कोई गलती नहीं की है, "यह हमारे लिए प्रतिष्ठा और आत्म सम्मान रहित जीवन जीने की बात होगी।"

केवल इसी समाचार पत्र ने ही नहीं बल्कि देश के सभी समाचार पत्रों ने सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को स्वीकार करने की निन्दा की है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैं वित्त को एक अन्तिम बात बताता हूं। आप जानते हैं कि केरल से प्रकाशित होने वाले मलयालम मनोरमा एक लोक प्रिय अनुदार समाचार-पत्र, में अभी हाल ही में 14 दिसम्बर को एक सम्पादकीय प्रकाशित हुआ है। इसमें अभी हाल रेल भाड़े में वृद्धि के सम्बन्ध में टिप्पणी की गई कि :

"यह पीठ में छुरा घोंपने जैसी बात है।"

अत: मैं केवल यह कह रहा हूं कि आप केवल उन्हीं लोगों की न सुने जो सरकार और सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं परन्तु उनकी भी सुनें जो आपके विरोधी है तथा जन मानस क्या कहता है, उसे भी देखें।

19 जनवरी को भारत का श्रमिक वर्ग आपको फिर चेतावनी देने जा रहा है। 19 जनवरी को औद्योगिक हड़ताल होगी। यह हड़ताल किसके विरोध में है? यह हड़ताल महंगाई भत्ता लेने के लिए नहीं है बल्कि उस भारत सरकार की नीतियों में परिवर्तन के लिए है जो अपनी गलत नीतियों से हमारे देश को बर्बाद कर रही है, मैं यह कहूंगा कि आप हमें ऐसे कुचक्र में फंसा रहे हैं जिसमें आप देश को गिरवी रख रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रस्तावों का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम प्यारे पनिका आप अपनी बात शुरू करें और 13.00 बजे सभा स्थगित होगी।

श्री राम प्यारे पनिका (रावर्ट्सगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त अनुदानों की मांगों तथा सप्लीमेंटरी पूरक मांगों का पुरजोर समर्थन करने के लिए खड़ा हूं।

पिछली बार जब वित्त मंत्री जी ने सदन में बजट प्रस्तुत किया था, उस समय मैंने अपने कुछ विचार प्रकट किए थे। दरअसल अगर देखा जाय तो 1980 से जो भारत की अर्थ-व्यवस्था में उत्तरोत्तर सुधार दृष्टिगोचर हो रहा है, उसके लिए बहुत कुछ हमारे वित्त मंत्री ही बधाई के पात्र हैं और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह का संतुलित बजट इन्होंने पिछले दो वर्षों में रखा है वैसा बजट पिछले काफी वर्षों से नहीं आता रहा है खासकर जनता पार्टी के समय में उन्होंने ऐसा बजट प्रस्तुत किया कि जिससे हमारी इकनामी शटर हो गई, लेकिन वर्तमान वित्त मंत्री के प्रयास से फिर, किसी भी क्षेत्र में अगर आप देखें, की-सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट है, पावर है और चीजें हैं,

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम प्यारे पनिका आप अपनी 14.00 बजे फिर जारी करना।

इसके पश्चात् 2 बजे म० प० तक लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए स्थगित हुई।

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोकसभा 2.06 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, दस मिनट लेट हो गए, आपका इतना टाइम चला गया।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक बात नोट कर ले कि कोरम की घाटी बजने से पहले वे दोपहर के बाद की बैठक में उपस्थित हो जाया करे।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1979-80
तथा
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1981—82 जारी

श्री राम प्यारे पनिका : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक और अतिरिक्त अनुदानों की मागों के समर्थन के लिए खड़ा हुआ था और मैं यह कह रहा था कि ...

अध्यक्ष महोदय : सतारूढ दल का कोई भी सदस्य 10 मिनट से अधिक समय नहीं लेगा।

श्री राम प्यारे पनिका जिस व्यवस्थित ढंग से बजट पिछले दो वर्षों में प्रस्तुत किया गया है उस से हमारे देश का जनरल इन्फ्रा स्ट्रक्चर सुधरा है। परिणाम स्वरूप कृषि, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में हमारा उत्पादन बढ़ा है। आपको याद होगा कि जनता राज के ढाई तीन साल के प्रशासन में, समग्र क्रान्ति लाने का कार्यक्रम था, उन तमाम कार्यक्रमों का नतीजा क्या हुआ आप 79-80 का वर्ष देखें तो राष्ट्रीय आय में 4.5 प्रतिशत की कमी हुई। लेकिन माननीय प्रधान मत्री श्री वेंकटरमन की कुशलता के कारण आप ने देखा कि पिछले दो सालों में उत्तरोतर हमारी जो एकोनामी अर्थ-व्यवस्था है उस में विकास हो रहा है। 1980-81 में हमारा कृषि का उत्पादन 19 प्रतिशत बढ़ गया। औद्योगिक उत्पादन भी साढे तीन प्रतिशत बढ़ा। यही नहीं इस तरह से हमारा इन्फ्रा-स्ट्रक्चर क्रियेट हुआ है कि इस साल औवरआल जो हमारा इंडस्ट्रियल उत्पादन है वह 8 प्रतिशत बढ़ने जा रहा है। कृषि का उत्पादन भी इसी तरह बढ़ रहा है।

मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस कुशल और व्यवस्थित ढंग से वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है उस का नतीजा आज हमारे सामने है। इस के अलावा जो और सेक्टर हैं चाहे सामाजिक सेक्टर हो या और दूसरा सेक्टर हो सब में प्रगति की तरफ हम बढे हैं। आखिर-कार हमारी प्लानिंग या अर्थ-व्यवस्था का उद्देश्य क्या हैं ? हम चाहते क्या हैं ? हम चाहते हैं विकास और आधुनिकतम विकास। हम चाहते हैं सोशल जस्टिस, आत्म-निर्भरता। इन सब मूलभूत आधारों को देखें तो सब में हम उत्तरोत्तर विकास करते जा रहे हैं।

इसके अलावा हमारे सामने काठिनाइयां भी आई। कभी बाढ़ आई तो कभी सूखा पड़ा। लेकिन इन सभी कठिनाइयों को पार करते हुए हम उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे देश की जो एकोनामी है उसकी तरफ सरकार को और हमारे वित्त मन्त्री जी को ध्यान देना होगा। समतावादी व्यवस्था लाने के लिए जो कार्यक्रम शुरू किए गए थे जिनका लाभ विशेषकर लघु कृषकों, गरीबों, हरिजनों एवं आदिवासियों को मिलना चाहिए था वह 20-25

साल की कोशिश के बाद भी नहीं हो सका। लैण्ड रिफार्म्स के जो कार्यक्रम चलाए गए थे वह राज्यों के द्वारा पूरे नहीं किए जा रहे हैं। पिछले सालों में 15.67 लाख एकड़ जमीन सरप्लस डिक्लेयर की गई । इस प्रकार से आप से केवल 6.69 लाख एकड़ जमीन मिली थी वह भी वितरित नहीं की जा सकी है। नतीजा यह है कि जो प्रोग्राम गरीब हरिजन आदिवासी भूमिहीनों के लिए चलने चाहिए थे वह नहीं चल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगला बजट जब वे प्रस्तुत करेंगे या जब भाषण देंगे तब वे इस बात का निश्चित आश्वासन यहां पर दें कि जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उनको सेन्टर की ओर से स्टेट गवर्नमेंन्टस को डायरेक्टिव देकर पूरा कराया जायेगा अन्यथा यह विकास लापसाइडेड हो जायेगा—बड़े और भी बड़े होते जायेंगे और जो छोटे गरीब लोग हैं वे और भी पिछड़ते जाएंगे। इस प्रकार से हमारी जो सोशल जस्टिस की कल्पना है वह पिछड़ते जायेंगे। इस प्रकार से हमारी जो सोशल जस्टिस की कल्पना है वह कल्पना मात्र ही रह जायेगी। अत: इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

अब मैं इस सदन के समक्ष कुछ डाटा देकर यह बताना चाहूंगा कि विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जो ऋण वितरित किया जाता है उसमें कितना भेद-भाव हो रहा है। 69.4 प्रतिशत आबादी को सहकारी समितियों से 15.6 परसेन्ट और नेशनलाइज्ड बैंकों से 6.1 परसेन्ट लोन दिया गया जब कि 3.9 प्रतिशत लोगों को 31.4 प्रतिशत सहकारी समितियों से और 21.3 प्रतिशत नेशलाइज्ड बैंकों से लोन दिया गया। इस तरह से आप देखें कि सेन्टर की जो नीति है और अपना बजट भाषण करते समय मंत्री जी ने जो कहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना जायेगा और उद्योग सेक्टर में कितना जाएगा उसके अनुरूप ऋण वितरित नहीं किया जा रहा है। नतीजा यह हो रहा है कि गरीब हरिजन आदिवासियों को 45-50 परसेंट सूद पर महाजनों से ऋण लेना पड़ रहा है।

इसके अतिरिक्त मुझे यह निवेदन करना है कि आप यह जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन ने किसी क्षेत्र को बैकवर्ड घोषित करने के लिए 6 क्राइटेरिया रखे है—सूखाग्रस्त क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कोस्टल सेलाइन एरिया, ट्राइबल एरिया और पहाड़ी क्षेत्र लेकिन प्लान बनाते समय इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। मिर्जापुर जहां से मैं आता हूं वहां पर इन 6 क्राइटेरिया में से 5 लागु होते हैं लेकिन फिर भी उसको प्लानिंग कमीशन की ओर से इण्डस्ट्रियली बैकवर्ड घोषित नहीं किया गया है। वहां पर ट्राइबल क्षेत्र है, वहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर सूखा पड़ता है, और बाढ़ भी आती है। किसी क्षेत्र का विकास करने के लिए जो आधारभूत सिद्धांत आपने बना रखे हैं वहां सारे के सारे वहां पर लागू होते हैं। इसलिए अगर उनको वहां पर लागू किया जाए तभी वहां का संतुलित विकास हो सकता है।

[श्री राम प्यारे पनिका]

इसके अतिरिक्त हमारे देश में 50 प्रतिशत लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं उनके विकास के लिए जो विशेष कार्यक्रम हमारी प्रधान मंत्री जी ने चलाए हैं—आई०आर०डी० पी० और एन०आर०डी०पी० में उनके लिए छठी योजना में रुपया एलाट किया जाना चाहिए था और हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहिए था कि इतने करोड़ रुपया इसमें खर्च किया जाएगा।

मैं आपको आई० आर० डी० पी० का उदाहरण देना चाहता हूं कि इसमें छः सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी कि उसको दो साल के अन्दर खर्च होना चाहिए था, लेकिन हम बजट देखते हैं 334 करोड़ रुपए का। इसी तरह से और जो आपके कार्यक्रम हैं, चाहे डी० पी० ए० पी० का कार्यक्रम हो या नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट का कार्यक्रम हो—सारा रुपया जो उसमें बढ़ना चाहिए था, वह घटता जा रहा है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि जो 50 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उसको ऊपर नहीं ला पा रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपका बैंकिंग डिपार्टमेंट है, वह बिल्कुल आपको बदनाम करने में लगा है।, जो भी स्कीम या जो भी लोन गड़बड़ी कर रहे हैं, इसलिए में चाहता हूं कि आप बैंकिंग डिपार्टमेंट को कसें कि जो सरकारी नीतियां हैं, वह समझ बूझ कर बनाई गई हैं, उसका पालन होना चाहिए। हमारी प्रधान मंत्री जी ने गरीबों के उत्थान के लिए लोन की व्यवस्था की है, जिससे उनका विकास हो सके। अभी उप मंत्री जी उत्तर प्रदेश गए थे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि स्पेशल कम्पोनेंट प्रोग्राम के लिए या आई० आर० डी० पी० के लिए जो रुपया वितरित होना चाहिए था, वह वितरित नहीं हो रहा है, कारण यह कि बैंक सहयोग नहीं कर रहा है। कोई बैंक कहता है कि स्टाफ नहीं हैं, कोई कहता है कि लोन कैपेसिटी नहीं है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी लेता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप बैंकों को कसें। आपने जो आधार बनाए हैं, एग्रीकल्चर के लिए जो रुपया निश्चित किया है, वह एग्रीकल्चर में जाना चाहिए और जो रुपया आई० आर० डी० पी० के लिए निश्चित किया है, वह उसमें जाना चाहिए तभी देश का विकास हो सकता है।

एक बात मैं और आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बतलाना चाहता हूं। उसकी आबादी साइज को देखते हुए जितना रुपया विकास के लिए देना चाहिए, चाहे वह सैन्ट्रल इन्डस्ट्रीज सैक्टर में हो, चाहे एग्रीकल्चर सैक्टर में हो, वह नहीं मिलता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप रुपयों का वितरण करें तो स्टेट की बैकवर्डनैस को देखते हुए और वहां की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए।

अभी हमारे उत्तर प्रदेश में प्लानिंग शुरू हुई उत्तर प्रदेश की इकोनामी या उत्तर प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था सारे राज्यों से अच्छी थी, लेकिन आज हम बिहार को छोड़ कर नीचे चले गए हैं।

उसका कारण यह है कि सेन्टर से जो रुपया बंटता है, वह सैन्ट्रल उद्योग धन्धों को नहीं मिलता है इस ओर भी मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आदिवासियों, अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण के लिए, जो योजनाएं हैं, उन के लिए आप एक इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी बनाइए। आप रुपया तो दे देते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है। आप एक इम्पलीमेंटेशन कमेटी बनाइए, जो यह देखें कि जो राज्यों को रुपया दिया जाता है। वह ठीक से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा हैं। आप पैसा तो एलाट कर देते हैं और हम यहां से बजट पास कर देते हैं और कह देते हैं कि हमने यह विकास कर दिया, वह विकास कर दिया। इसलिए मैं मांग करता हूं कि वित्त विभाग में एक ऐसी मशीनरी हो, एक ऐसा अंग हो, जो इस काम को देखे।

इन शब्दों के साथ मैं सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स का समर्थन करते हुए, जैसा मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी की कुशलता और व्यवस्थित बजट के कारण हमारी अर्थ व्यवस्था पीछे दो सालों में बढ़ी है और बढती जाएगी। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। इति

श्री भेरावदन के० गधावी (बनसकांठा) : महोदय, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बात के लिए श्री वेंकटरामन बधाई के पात्र हैं कि उहोंने आर्थिक मामलों को इतने अच्छे ढंग से सम्भाला है। मैं जानता हूं कि किसी भी वित्त मन्त्री के लिए यह सुखद स्थिति नहीं हैं कि वह अतिरिक्त अनुदानों की मांग पेश करे। लेकिन बजट के बाद देश में और विदेश में जो घटनाएं घटित हुई, उन्होंने वित्त मन्त्री को सदन में एक बार फिर अतिरिक्त मांगें पेश करने के लिए विवश कर दिया। विकासशील देश के वित्त मन्त्री के लिए और विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश के वित्त मन्त्री के लिए परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों के बारे में अनुमान लगाना कोई सहज कार्य नहीं है, लेकिन उन्होंने उस अस्त-व्यस्त आर्थिक स्थिति का पुनर्निमाण करना था, जो उन्होंने पूर्ववर्ती मन्त्री से सम्भाली थी और इसलिए उनका कार्य सरल नहीं था। जैसा हमने देखा था, पिछले बजट की न केवल इस पक्ष के सांसदों द्वारा अत्याधिक प्रशंसा की गई थी, बल्कि पूरे देश में उसका स्वागत हुआ था। एक आम आदमी और गरीब जनता को इससे बड़ी राहत मिली थी। हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पिछले साल का बजट एक ऐसा बजट था, जिसने आर्थिक स्थिति को सही दिशा थी दी। लेकिन उसके बाद, विशेष रूप से तेल के मूल्यों में वृद्धि हुई, जिसका हमारे राजस्व पर भारी असर पड़ा, मै एक बार पुनः सरकार को और श्रीमती इंदिरा गांधी को बधाई देना चाहता हूं कि तेल के सम्बन्ध में जो आशंकाएं थीं, वे मिथ्या साबित हुई। कुंपकों को

[श्री भेरावदन के० गधावी]

यह भय था कि उन्हें कच्चा तेल या डीजल प्राप्त करने के लिए डिब्बा उठाए-उठाए यहां-वहां भटकना पड़ेगा, जैसा कि पिछली सरकार के शासन में होता था। इस बार, इस सरकार ने इन आकस्मिकताओं का सफलतापूर्वक मुकाबला किया है। देश के किसी भी भाग में डीजल की कोई कमी नहीं हुई।

और इसी कारण से हम कृषि-उत्पादन बढ़ाने में समर्थ हुए।

ऐसे और कौन-कौन से अन्य कारण हैं जिनसे राजकोष पर भार पड़ा है उनमें से सबसे प्रमुख कारण विद्यमान सुरक्षा वातावरण हैं। बड़ी ताकतें यह चाहती हैं कि भारत उनके सामने घुटने टेक दे। भारत को दबाना चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान भारत पर हमला करने की स्थिति में या इसकी हिम्मत करने की स्थिति में नहीं है, तो भी वे पाकिस्तान को भरपूर शस्त्र सप्लाई कर रहे हैं। इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था पर अत्यधिक भार पड़ा है। अतः वित्त मन्त्री को सदन में अनपूरक मांगे पेश करनी पड़ीं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आजकल केवल हथियारों से ही आक्रमण नहीं किया जाता : इन दिनों बड़ी ताकतों द्वारा आर्थिक-सन्तुलन बिगाड़ दिया जाता है। इससे कई बार विकासशील देश बड़ी बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह सब कुछ हो रहा है। पश्चिम की सभी बड़ी ताकतें यह देखना चाहती हैं कि भारत अर्थ-व्यवस्था और प्रगति में रुकावट पैदा हो जाए और वे ठप्प हो जाएं। इस कुमंशा से वे भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे दबाव में रखना चाहते हैं। इसीलिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से हमारे द्वारा किए गए ऋण के अनुरोध पर अमरीका ने आपत्ति की थी। लेकिन हमारी सरकार ने इन सभी प्रयासों को सफलतापूर्वक बयान कर दिया। मैं इसके लिए अपने वित्त मन्त्री का अभिनन्दन करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं।

विपक्ष द्वारा यह आलोचना की गई है कि ऋण कुछ शर्तों पर मिला है। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हमारी सरकार और विशेष रूप से श्री वेंकटरामन भरपूर प्रशंसा और बधाई के पात्र है कि वे बिना किसी शर्तों के इतना बड़ा ऋण प्राप्त करने में सफल हुए जितना इतिहास में पहले कभी भारत को नहीं मिला था। इसमे किसी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं हैं। देश विकास का अपना पथ स्वयं निर्धारित कर सकता है। यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कल ही मैंने सुना है कि पश्चिम जर्मनी जैसे देशों ने भी भारत की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति के गुणगान करने शुरु कर कर दिए हैं। उद्योगों का विकास बेहतर है। कृषि-क्षेत्र में भी, हम जानते हैं कि पहले किसानों को अपना गन्ना जलाना पड़ता था। अब कृषि उत्पादों के मामले में उपभोक्ता मूल्यों और उत्पादन मूल्यों में एक सन्तुलन कायम किया गया है। अतः आज पूरा देश सुखी है। किसान खुश हैं। और उपभोक्ता भी कुछ हद तक खुश है। मैं यह नहीं कहता कि मूल्य नहीं बढ़े हैं। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि हमारी सरकार इस बात के लिए पूरी सावधानी बरतेगी कि मूल्यों को उचित स्तर तक नीचे लाया जाए।

पिछली सरकार के शासन के दौरान, मुद्रा स्थिति की दर बहुत ऊंची थी। इस पर अब नियंत्रण कर लिया गया है और इसे काफी नीचे ले आया गया है। वर्तमान परिस्थितियों में यह कोई कम उपलब्धि नहीं है। अत: मैं पूरे दिल से उन अतिरिक्त अनुदानों का समर्थन करता हूं, जो वित्त मन्त्री ने पेश की हैं।

उसका समर्थन करते हुए मैं एक या दो बातों की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं।

यह कहा गया है और इसमें कुछ सचाई भी है कि अमीर और गरीब के बीच का अन्तर बढ़ता जा रहा है। गरीब लोगों और सम्पन्न लोगों की क्रय-शक्ति में काफी अन्तर है। इसलिए यह कहा जाता है कि गरीब-गरीब बनता जा रहा है तथा अमीर और अमीर हो रहा है। इस समस्या को हल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में पूंजी लगाने की समझदारी होनी चाहिए। जो सब कुछ हमने किया है, उसके बावजूद हम उद्योगों में पूंजी लगाने के इनके विवेक को जमाने की स्थिति में अब तक नहीं हुए हैं? इसलिए कृषि पर ही पूरा दबाव बना हुआ है। महानगर बनाने, औद्योगिक विकास के बड़े केन्द्रों का निर्माण करने के बावजूद हमें ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसे मूल-ढ़ाचों की स्थापना करनी चाहिए ताकि सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र औद्योगिक गतिविधियों का केन्द्र बन जाए और गरीब आदमी भी उद्योग में अपनी पूंजी लगा सके।

छठी योजना में आपने ग्रामीण क्षेत्र को महत्व देने के लिए उसमें भारी पूंजी-निवेश का विचार किया था। मैं आशा करता हूं कि छठी योजना में निर्धारित उद्देश्य और दृष्टिकोण को जोर-शोर से व्यवहार्य बनाया जाएगा। मुझे पक्का विश्वास है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के और हमारे चतुर वित्त मन्त्री, श्री वेंकटरामन के कुशल नेतृत्व में हमारा देश अवश्य ही ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा।

एक अन्तिम बात, जो किसी प्रकार कम महत्वपूर्ण नहीं है वह मैं यह बताना चाहता हूं कि आंकड़ों के कुतर्क और खिलवाड़ की कहानी कुछ भी, हम इस तथ्य को न तो नकार सकते हैं। और न इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि मूल्यों में वृद्धि हुई है। उस दिन रेल मन्त्री ने सदन में कहा था कि उन्हें फालतू खर्च को पूरा करने के लिए अनुदानों की मांग पेश करनी पड़ी हैं और वे माल भाड़े की दरों में वृद्धि करने वाले हैं। जिस प्रकार सब कुछ घट रहा है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही ऐसी कोई उपभोक्ता वस्तु बची रह जाए जिस पर आप उत्पादन शुल्क लगा सकें। अत: राजकोष के लिए और अधिक संसाधन जुटाने हेतु आपको और नए अवसरों की तलाश करनी होगी।

[श्री भैरावदन के गधाव]

इसमें कोई सन्देह की बात नहीं कि इसके लिए आपके 'बियरर बांड' जारी किए हैं। मैं आपकी पूर्व सफलता की कामना करता हूं, जहां तक उसके आदर्श का सम्बन्ध है, उसका बचाव नहीं किया जा सकता। अर्थ-व्यवस्था की संकट-पूर्ण स्थिति के कारण ही उच्चतम न्यायालय ने भी इसे उचित ठहराया है। यह बिल्कुल हो सकता है कि पांच साल बाद ये 'थियरर-बांड' लाभ पर बेचे जाएं। अतः मैं सचेत कर देना चाहता हूं। आपको यह सुनिश्चित करना है कि यह पुनः समानान्तर अर्थ-व्यवस्था पैदा न कर दे। अन्यथा इन बांड़ों को जारी करने का काले धन पर नियन्त्रण रखने का एकमात्र उद्देश्य विफल हो जाएगा।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों की मांगों का पूर्ण समर्थन करता हूं।

श्री छोटे सिंह यादव (कन्नोज) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आप का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया।

आज जो हालात देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से पैदा हो गये हैं, उनके बारे में तो कुछ कहने से ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि किसानों की जो स्थिति है, उससे सब लोग अवगत होंगे। किसानों को उनके उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल पाता है और उसके बदले किसानों को जो माल अपने उपयोग के लिए और खेती का उत्पादन करने के लिए खेतों में डालना पड़ता है, उनकी कीमतें पिछले एक वर्ष में 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ा दी गई हैं। चाहे खाद की कीमत हो, चाहे बीज हो, चाहे पेस्टीसाइड्स हो, चाहे पानी हो और बिजली हो, इन सब में काफी बढ़ोतरी हुई है और इसके ठीक विपरीत किसानों को उनके उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है।

उदाहरण के तौर पर, मैं सदन को बताने की कोशिश करूंगा कि अभी हाल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने धान की कीमत 115 रुपये प्रति क्विन्टल निश्चित की है और सारे अखबारों में यह आ गया कि सरकार ने इसकी खरीद के लिए बहुत सारे सेन्टर खोल दिए हैं लेकिन मौके पर देखा जाए, तो कोई सेन्टर नहीं खोला गया और आज भी किसान को अपना धान 95 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से बेचना पड़ रहा है और इससे भी खराब बात यह है कि उत्तर प्रदेश में फारुखाबाद, जो आलू के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, में आलू इस वक्त 40 रुपये, 45 रु० प्रति क्विन्टल के हिसाब से बिक रहा है और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उचित मार्केट के स्थान पर जो आलू टहुंचाना पड़ता है, उसके लिए किसान को 60 रुपये प्रति क्विन्टल देना पड़ रहा है और यह रेलवे मन्त्रालय की एक छोटी सी चूक के कारण हुआ है। वहां पर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम काफी दिनों से चल रहा है। वह लखनऊ के पूर्व तक पूरी हो गयी है लेकिन फारुखाबाद के पास जोड़ने का कोई रास्ता शेष नहीं रह गया है। अपने माल को केवल

ट्रक के माध्यम से भेजने पर किसान को 60 रुपये क्विन्टल भाड़ा देना पड़ा। किसान को, जिसने कि आलू के बोने में खाद्य और बीज डाला, उसको उसकी कीमत 40 रुपये, 42 रुपये और 45 रुपये क्विन्टल मिली। इन सारी परिस्थितियों में यह कहने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है कि आज किसानों की हालत बेहद खराब हो रही है और अमीरी और गरीबी का अन्तर बराबर बढ़ता चला जा रहा है।

मिल मालिकों के माल की कीमत माल का उत्पादन होने से पहले निर्धारित कर दी जाती है कि इस गांव में उनका माल मिलेगा। लेकिन किसान के माल की कीमत वे लोग तय करते हैं जो कि उसको परचेज करते हैं। मिल के मालिकों की कीमत पहले से ही निर्धारित हो जाती है और किसान के उत्पादन का भाव उसके तैयार होने के बाद निश्चित होता है कि इस भाव में वह माल बिकेगा। अगर किसान के उत्पादन की कीमत भी उसकी बुवाई से पहले तय कर दी जाए तो किसान को यह सुविधा रहे कि वह उस वक्त कौन सी फसल बोये और कौन सी नहीं बोये, जिससे कि उसको अपने माल की उचित कीमत मिल सके।

आज देश में कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है उससे रोज अखबार रंग कर आते हैं। यहां हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे अखबार वालों ने घटनाओं को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया है। मैं आपको एक दुखद घटना बताना चाहूंगा जिसको सुनकर आपको इन घटनाओं के सम्बन्ध में ताज्जुब नहीं होगा।**

एक सभा इटावा में हो रही थी। यह पिछली 6 या 7 तारीख को हो रही थी। उस सभा में से तीन लड़के, तीन स्नातक या स्नाकतोत्तर विद्यार्थी पुलिस ले गयी और उनको काउंटर कर दिया। उनका अपराध यह था कि उनमें से एक ने कालिज के प्रेजीडेंट का चुनाव लड़ा था और दो ने उसका समर्थन किया था। इनके नाम हैं—श्री साहब सिंह यादव, पुत्र कुंअर सिंह यादव, निवासी लुखरिहा, थाना सोखि उत्तर प्रदेश, दूसरे का नाम श्री मलखान सिंह यादव, पुत्र वमीदीन सिंह, खुड़ावा अकबरपुर।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कुछ आरोप लगा रहे हैं। कृपया ऐसा न करें।

एक माननीय सदस्य : वे तो केवल घटना का वृतान्त सुना रहे हैं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। मैं रिकार्ड देख लूंगा।

श्री छोटे सिंह यादव : तीसरे का नाम है माधो सिंह यादव, नगला बल्ले, थाना छिबरामऊ, उत्तर प्रदेश।

** उपाध्यक्ष महोदय के आदेश से कार्यवाही-वृतान्त से निकाला गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे बन्द करें। आपको किसी के नाम नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अपने बचाव के लिए वे सदन में मौजूद नहीं हैं। मैं रिकार्ड का अध्ययन करूंगा।

श्री छोटे सिंह यादव : अगर नाम लेने में कोई आपत्ति है, अगर मैं मरने वालों के नाम भी नहीं सुना सकता हूं तो कोई बात नहीं है।

1 जनवरी, 1980 को उत्तर प्रदेश में ऐसे तत्वों की संख्या 400 से कम थी जिनके बारे में पुलिस ने गोली मारने या इनाम देने की घोषणा की थी। एक वर्ष के अन्दर 15 हजार लोगों को मारने या काउंटर करने की घोषणा की है। इस तरह से एक जाति विशेष का सफाया किया जा रहा है और एक विशेष तरीके से बदमाशों को संरक्षण देने की बात की जा रही है। देउली कांड में उस सन्तोषा या उसके आदमियों, जिन्होंने कि 26 आदमियों को मार डाला, ऐसे लोगों का काउंटर नहीं किया गया, बेगुनाह लोगों का काउंटर किया जाता है। यह कहानी सब कुछ बता रही है जिसको कि मैं सुनाना चाहता हूं। ऐसे लोगों को काउंटर न करके दूसरे लोगों को काउंटर कर दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुपूरक मांगों से इसका क्या सम्बन्ध है? मुख्य विषय पर ही बोलिए।

श्री छोटे सिंह यादव : यह केवल सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स के बारे में कहा जा रहा है। जिस सरकार की प्रजातन्त्र पर आस्था न हो, प्रजातन्त्र के तरीके से कार्य करने या सोचने का ढंग न हो उसी के बारे में कहा जा रहा है। 1975 और 1976 तक यही सरकार इस देश में थी। न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि हिन्दुस्तान के तीन-चार प्रदेशों में सहकारी समितियों के लोगों को हटा दिया गया। जिनके माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की देखरेख की जाती थी और मुट्ठी भर सरकारी अधिकारियों के जिम्मे यह व्यवस्था सौंप दी गयी, जिसके कारण आम जनता को बहुत कठिनाई है। अकेले उत्तर प्रदेश में 24 हजार चुने हुए लोगों को केवल जुलाई के महीने में उत्तर प्रदेश की सरकार ने हटाया।

जिस सरकार की आस्था डैमोक्रेटिक सैट-अप में न हो, किसानों को उचित मूल्य दिलाने की न हो, जिसके समय में कानून और व्यवस्था की स्थिति भी उचित न हो, जो सरकार गरीबी और अमीरी का अन्तर दूर न कर सके, मैं ऐसी सरकार के इस ग्रान्ट के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

अन्त में माननीय उपाध्यक्ष महोदय के लिए आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया।

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखी गयी अनुदानों की पूरक मांगों (सामान्य) के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। सर्व-प्रथम, मैं उन्हें मुद्रा स्फीति की विश्वव्यापी की कठिन स्थिति के सन्दर्भ में देश की अर्थ व्यवस्था को सुचारु रूप से बनाए रखने के लिए धन्यवाद देता हूं। हमारे वित्त मंत्री निश्चित रूप से ठीक कार्य कर रहे हैं परन्तु जब हम सदन में आते हैं और उनके तथ्यों और आंकड़ोंयुक्त वक्तव्यों को सुनते हैं और विभिन्न योजनाओं के बारे में उनके लम्बे भाषणों को सुनते हैं और फिर जब हम अपने चुनाव क्षेत्रों में वापस जाकर उसी बात को अपने लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं तो लोग हम पर हंसते हैं। उसके लिए मैं उन्हें दोष नहीं दे रहा हूं। यह लागू करने वाला तन्त्र है जो इसके लिए उत्तरदायी है और उसे सुचारु रूप से नहीं चलाया जा रहा है, और उसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा—और मेरा विचार है श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी उन्हें अधिक परेशान नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन देव आपको अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों को नहीं बताना चाहिए था.....

श्री संतोष मोहन देव : क्योंकि स्वामी जी आज बहुत ही उत्तेजित हैं। आज यह प्रथम अवसर है जब मैं उन्हें उत्तेजित होता हुआ देख रहा हूं। मैंने अपने जीवनकाल में उन्हें कभी उत्तेजित होते हुआ नहीं देखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। आपको यह नहीं बताना चाहिए था.....(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) आप उस मामले में भी उत्तेजित हो जाएँगे।

श्री संतोष मोहन देव : मुझे आशा है अब आपका गुस्सा उतर गया होगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी हां, आपकी उपस्थिति में।

श्री संतोष मोहन देव : योजनाओं के बारे में, मैं वित्त मंत्री का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहूंगा। मैंने उन्हें कुछ पत्र लिखे हैं और कुछ पत्रों पर उन्होंने ध्यान दिया है और कार्यवाही की जा रही है। वे उन मंत्रियों में से एक हैं, जिनका ध्यान यदि आप किसी ओर दिलाएं, तो वे उस पर कार्यवाही करते हैं। इसीलिए मैं इस सम्बन्ध में उनका ध्यान स्पष्ट रूप से दिलाना चाहूंगा। भारतीय ग्रामीण विकास बैंक (आई० आर० डी०बी०) भोजन एक ऐसी योजना है जिनमें बैंक को

श्री संतोष मोहन देव]

एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हाल ही में दो दिनों के लिए मैं अपने चुनाव क्षेत्र में गया और बैंक की बैठक में भाग लिया जहां पर जिला समिति का अध्यक्ष उपायुक्त है। दुर्भाग्य से सिलचर करीमगंज और हेलामंडी में जो आसाम का एक महत्वपूर्ण भाग है, जहां पर कोई आंदोलन किया जा रहा है, कोई बन्द, कोई अवज्ञा आन्दोलन नहीं किया जा रहा है और जहां पर सारा कार्य सामान्य से हो रहा है, रूप में लगभग 9000 याचिकाएं विचाराधीन पड़ी हैं। वहां के एक सदस्य, जो कि मत्री हैं, श्री लसकर, यहां बैठे हुए हैं। और वहां से चयनित मैं एक दूसरा सदस्य हूं। पूरे आसाम ने बहिष्कार किया है, परन्तु दुर्भाग्य से लोगों को हम कोई लाभ नहीं दे पाए हैं, बैंकों द्वारा कार्य न किए जाने के कारण यद्यपि केन्द्र सरकार ने एक योजना शुरू की बैंकों ने एक दूसरा तर्क दिया। उन्होंने जो तर्क दिए उनमें से एक तर्क यह है, क्योंकि आसाम में बैंकिंग सेवा आयोग का कोई अध्यक्ष नहीं है इसलिए विभिन्न बैंकों में कई प्रबन्ध निदेशकों को जिनके पद स्वीकृत किए जाते है वे नियुक्त नहीं कर सकते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इसलिए, मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे यह देखें कि इस विशिष्ट प्वाइंट पर कार्यवाही की जाए और बैंकिंग सेवा आयोग के अध्यक्ष को यथाशीघ्र नियुक्त अथवा उसका चयन किया जाए--मैं नहीं जानता कि प्रक्रिया क्या है।

जहां तक आई० आर० डी० बी० योजनाओं का सम्बन्ध है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्षों को इन विभिन्न बैंकों में जो प्रस्ताव विचाराधीन पड़े हैं और उनके कार्यान्वयन में क्या कठिनाईयां हैं उसके बारे में एक रिपोर्ट भेजने का निर्देश दें। मैं किसी बैंक के विरुद्ध आरोप नहीं लगा रहा हूं। उनकी कुछ वास्तविक समस्याए होंगी, परन्तु हमारा काम यह देखना है कि उन पर काबू पा लिया जाय। जब माननीय वित्त मंत्री ने गत बजट भाषण दिया था, मैंने उन का ध्यान आसाम में रायल्टी की ओर दिलाया था। उन्होंने यह बताया था कि वह सरकार के विचाराधीन था। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इससे पूर्व कि इस पर बहुत देर हो जाए, इस पर चर्चा की जाए।

जहां तक कछार जिले का सम्बन्ध है, गौहाटी स्तर पर कार्य किया जा रहा है। दुर्भाग्य से गौहाटी में कुछ आन्दोलन किया जा रहा है। क्षेत्रीय बैंक प्रबन्धक का कार्यालय गौहाटी में हैं। त्रिपुरा, कछार और मनीपुर के विभिन्न लोगों तथा विभिन्न बैंकों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय को जो विभिन्न प्रस्ताव भेजे जाते हैं उन पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे क्षेत्रीय प्रबन्धक का कार्यालय सिल्चर में खोलें जिससे कि समस्याओं को हल किया जा सके और हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए सुचारु रूप से कार्य किया जा सके। मैं किसी व्यक्ति पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं परन्तु क्योंकि हमने चुनाव लड़ा है और हमारे लोगों के लिए मामलों पर कार्यवाही करवाना मुश्किल है, इसलिए मैं माननीय वित्त मत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस पहलू पर भी गौर करें।

माननीय वित्त मंत्री ने उस क्षेत्र के लिए जीवन बीमा निगम का क्षेत्रीय कार्यालय देकर अपार कृपा की है। उस समय मैंने उन्हें विश्वास दिलाया था कि निगम के कारोबार में वृद्धि होगी। केवल दो दिन पूर्व में क्षेत्रीय प्रबन्धक से मिला था। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें ज्यादा कारोबार मिल रहा है। यदि मांगे गए क्षेत्रीय कार्यालय को भी दिया जाए, तो कछार के विभिन्न बैंकों से अधिक धन वसूल किया जा सकेगा। आज की जो स्थिति है यह उससे बेहतर होगा।

जहां तक चाय उद्योग का सम्बन्ध है, माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। यह विदेशी मुद्रा के हमारे भण्डार का दो तिहाई अर्जित कर रही है। यह निर्यात् की वस्तुओं में से एक है। चाय को सीधे बाजार में भेजने के लिए सीमा शुल्क में जो लाभ दिया गया है, दुर्भाग्य से, उसका लाभ कुछ उन व्यापारिक गृहों को, जो सीधे निर्यात बाजार से सम्बन्धित है, मिल रहा है। विभिन्न वस्तुओं के संघों ने विभिन्न ज्ञापन दिए हैं। उनका प्रतिनिधि मण्डल कल वित्त मंत्री से मुलाकात के लिए आ रहा है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस पहलू की जांच करें और देखें कि इसका कितना अधिकाधिक लाभ उत्पादकों को विशेषकर दार्जिलिंग क्षेत्र में दिया जा सकता है न कि व्यापारियों को। माननीय वित्त मत्री स्वयं जानते हैं। एक दिन उन्होंने मुझ से कहा था कि वे कुछ इस तरह का कार्य करेंगे जिससे दार्जिलिंग चाय का बाजार न घट पाए। उत्पादक को किन्हीं प्रशासनिक कठिनाईयों के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस विशिष्ट पहलू पर गौर करें।

सरकार की यह नीति है कि प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय में बैंक की एक शाखा हो। मेरे जिले में इसका अनुसरण किया जा रहा है। ये सुचारु रूप से कार्य कर रहा है। आसाम में और मेरे जिले में कई दूरस्थ क्षेत्र हैं जो कि ब्लाक मुख्यालय में वर्तमान बैंकों की सुविधाओं का लाभ उठाने से बहुत दूर है। अरुणाचल और नागालैंड में यह हाल है। मेरे विचार से यह सरकार की विचार धारा है और ऐसे मामलों में अन्तर किया जाना चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले को विभिन्न बैंकों से प्राप्त अन्तर के कई प्रस्तावों के अनुसार इस मामले पर स्वीकृति दें। बैंक प्रबन्धकों और क्षेत्रीय प्रबन्धकों ने उन्हें कई बातें बताई हैं। परन्तु इसका अनुमोदन उच्चाधिकारियों द्वारा किया जाना है। इस विशिष्ट पहलू की जांच की जानी चाहिए। यह आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए है। बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में उन्हें 15 से 20 मील तक चलना पड़ता है। वहां संचार की कोई सुविधा नहीं है। इस विशिष्ट पहलू को अवश्य ही ध्यान में रखा जाय। आसाम के बजट पर बोलने का मेरे पास पर्याप्त समय होगा, यह अवसर दिए जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नागरत्नम। आपके दल को 7 मिनट का समय दिया गया है।

श्री टी० नागरत्नम (श्री पैरम्बूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा सभा में पेश की गई अनुदानों की पूरक मांगों का समर्थन करता हूं ।

मैं अनुदानों की पूरक मांगों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा । माननीय वित्त मंत्री ने 12,000 करोड़ रुपये के सैद्धांतिक प्रावधान के अतिरिक्त 333·42 करोड़ रुपये के अतिरिक्त सकल व्यय के लिए इस सदन की अनुमति मांगी है जिसकी आवश्यकता लेखों में खजाना बिलों के भुगतान से सम्बन्धित समायोजन के लिए है । 1980 वर्ष में, हमारी सरकार को विरासत में एक खस्ता हालत में अर्थ व्यवस्था मिली थी इसलिए अर्थ व्यवस्था का विकास धीमा पड़ गया था । मुद्रास्फीति, विकास और पूर्ति प्रबन्ध के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं । मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि मुद्रास्फिति की दर 22.2 प्रतिशत से कम होकर 14.8 प्रतिशत और फिर 1980 वर्ष से यह कम होकर 10.4 प्रतिशत रह गई है । परन्तु अधिकांश पड़ोसी देशों में मुद्रास्फिति पर नियंत्रण नहीं पाया है । हमने गेहूं, खाद्य तेलों और चीनी का आयात किया है । अपनी मिश्रित अर्थ व्यवस्था के विकास के लिए हमने समय रहते कदम उठाए हैं ।

मैं देखता हूं कि मूल्य वृद्धि हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और भुगतान अधिशेष की स्थिति बद से बदतर हो रही है, विशेष तमिलनाडु में वे काली सूची में हैं । सरकार ग्रामीण अधिकारियों से बिना कोई काम करवाए 6.00 करोड़ से अधिक का भुगतान कर रही है । लगभग एक वर्ष पूर्व एक अध्यादेश के द्वारा 24.000 ग्रामीण अधिकारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है । तमिलनाडु सरकार ग्रामीण अधिकारियों से बिना कोई काम करवाए धन का भुगतान करने के लिए तैयार थी और सरकार ने इसे न्यायालय में स्वीकार किया था ।

औद्योगिक एककों का उचित प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए । इसके लिए, सरकार को, गैर-सरकारी क्षेत्र को सरकारी नियमों का अनुसरण करने के लिए, स्पष्ट अनुदेश देने चाहिए । अन्यथा उनके लाईसेंस रद्द किए जाने चाहिए । गैर-सरकारी क्षेत्र उद्योग सरकारी प्रक्रिया, नियमों और विनियमों का उचित प्रकार से पालन नहीं कर रहे है । उस मामले में, वित्त मन्त्री को न केवल उद्योग मन्त्री के माध्यम से ही स्पष्ट निदेश जारी करने चाहिए अपितु राज्य सरकारों को भी लाईसेंस रद्द करने के लिए आदेश दिए जाने चाहिए । किसी उद्योग को शुरु करने के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र के लोग राज्य सरकारों के पास आवेदन करते हैं परन्तु उन्हें उद्योग शुरू करने के लिए स्वीकृति केन्द्र सरकार से मिलती है । गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग अपने स्वयं के नियमों के अनुसार कार्य कर रहे है परन्तु वे केन्द्र सरकार के सिद्धांतों का अनुसरण नहीं कर रहें है ।

पैट्रोल के मूल्य अत्यधिक है । खाद्यानों के उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु उसी अनुपात में मूल्यों में कमी नहीं आई है । अब हमारी अर्थ-व्यवस्था ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश से बहुत अधिक

ऋण प्राप्त करने के लिए समझौता किया है। इसीलिए, मैं अनुरोध करूंगा कि तमिलनाडु राज्य को धन के आवंटन में बढोतरी की जाए।

तमिलनाडु में खेतीहरों की हालात बहुत ही खस्ता है। चुनाव के मौके पर तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने किसानों को यह झूठी आस दिलाई थी कि उनके सभी ऋणों को वे माफ कर देंगे। परन्तु वे ऋण आज भी विचाराधीन पड़े हैं और निर्धन खेतीहर लोग उस ऋण को नहीं लौटा पा रहें है। अब मुख्य मन्त्री अपना झूठा वायदा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं केन्द्र सरकार से तथा माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री को उन ऋण को रद्द करने या फिर उन्हें अस्वीकृत करने के लिए उचित निदेश दें।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ऋण दिए जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को यकीन के लिए अग्रिम धनराशि देने के लिए बजट में 19 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जिसके लिए अब 32 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। इसलिए 13 करोड़ के पूरक अनुदान की व्यवस्था की जा रही है। मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन यह धनराशि पर्याप्त नहीं है। मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि अधिकांश कर्मचारियों को दिए गए 30,000/ के ऋ से भी वे एक प्लाट नहीं खरीद सकते। ऐसी स्थिति में वे एक फ्लेट या मकान का निर्माण कैसे कर सकते हैं? इसीलए मैं वित्त मन्त्री महोदय से कर्मचारियों को भवन निर्माण के लिए दी जाने वाली अग्रिम धनराशि में वृद्धि करने का अनुरोध करता हूं।

माननीय वित्त मंत्री महोदय को भली-भांति मालूम है कि मेरे चुनाव क्षेत्र श्री पीरमबुदुर के चिंगलपेट जिला चिंगलपेट और श्री पीरमबुदुर दो चुनाव क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, पोन्नेरी तालुक गुम्मुदीपोन्दी तालुक उथुकोस्साई तालुक, तिरुवल्लूर तालुक और चिंगलपेट जिले का थिरुलनी तालुक विशेष रूप से औद्योगिक तथा सिंचाई में बहुत पिछड़े हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से उन क्षेत्रों में उद्योग शुरू करने का अनुरोध करता हूं ताकि लोगों को रोजगार के अवसर मिले और उन क्षेत्रो का आर्थिक विकास हो।

कल्पक्कम ऊर्जा स्वावलम्बन योजना शीघ्र शुरू की जानी चाहिए ताकि ऊर्जा की सप्लाई आसानी से हो सके।

मेरे चुनाव क्षेत्र पुलीकुट में बंगाल की खाड़ी के समुद्र तट मे लगभग एक लाख मछुआरे रहते हैं, यह उपाध्यक्ष महोदय का भी चुनाव क्षेत्र है। लोग चैनल और समुद्री पश्चजल पार नहीं कर पाते समुद्र तट के नजदीक एक प्रकाश स्तम्भ है। पुलीकुट से कुप्पम तक चैनल पार नहीं कर

[श्री टी० नागरत्नम]

सकते यह बहुत पुरानी मांग है जो काफी समय से लम्बित है। वहां एक पुल का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे मछुआरों को मछली लाने ले जाने और बेचने में बहुत सुविधा हो जायेगी।

नेवली में भी दूसरी खान की खुदाई का काम पूरा हो गया है। मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि अगले बजट में तीसरी खान खुदाई का प्राविधान रखें ताकि यह भी चालू हो सके। उसके बाद सेतु समुद्रम नहर परियोजना की मांग भी काफी लम्बे समय से लम्बित है। प्रारम्भ में इस पर 25 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान था। यह 5 साल पहले की स्थिति थी। अब इसकी लागत में काफी वृद्धि हो गयी होगी। यदि यह शुरु की जाती है तो मेरे अन्दाजे यह से यह स्वेज नहर के बराबर होगी। इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय से इस परियोजना को शुरु करने का अनुरोध करता हूं ताकि इस पर भी शीघ्र काम शुरु हो सके।

मैं वित्तमंत्री का ध्यान इस बात की तरफ अकृष्ट करता हूं कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने अभी तक आय कर का भुगतान नहीं किया है। वित्त मंत्री ने अब तक मुख्य मंत्री से इसके लिए क्यों नहीं कहा ? मुख्य यंत्री सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत बड़े पद पर हैं। पिछले बजट सभा में वित्त मंत्री ने कहा था कि मुख्य मंत्री बकाया राशि चुकाने के लिए सम्पत्ति का निपटान करेंगे। लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने अपनी सम्पत्ति अपनी पत्नी और पुत्री को बेची है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह धनराशि सरकार वसूल करेगी।

श्री टी० नागरत्नम : इस मामले में केन्द्रीय सरकार को मुख्य मंत्री को जरूर तलब करना चाहिए।

आगे, सैयद यूसुफ के भाइयों, शेख मोहम्मद रोथर एण्ड कम्पनी और सैयद इब्राहीम कम्पनी जो निजी जहाज कम्पनियां हैं विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन किया है। केन्द्र सरकार को इस मामले को भी अवश्य देखना चाहिए।

अन्त में मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं मद्रास में सुदर्शन चिट फंड ने धोखाधड़ी की है

उपाध्यक्ष महोदय : यह विधेयक आ रहा है।

श्री टी० नागरत्नम : चिट होल्डरों के पास 80 करोड़ रुपये है। उनसे इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

मैं वित्त मंत्री से इस मामले की जांच के बारे में भी अनुरोध करता हूं और वह भी एक गरीब आदमी नहीं है मद्रास में उनका एक अन्तराष्ट्रीय होटल है। इसलिए उनका स्पष्टीकरण भी मांगा जाना चाहिए और इसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को हो जानी चाहिए।

मैं इन मांगों का पूरा समर्थन करता हूं।

मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने जो सप्लीमेंट्री डिमाण्ड सदन में विचारार्थ रखी हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

खास तौर से मैं राजस्थान जिन कठिनाइयों से जूझ रहा है, उनके बारे में माननीय वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में तीन साल से भयंकर अकाल है और उस अकाल की वजह से जो कठिनाइयां आज राजस्थान को भुगतनी पड़ रही हैं, उन कठिनाइयों के सम्बन्ध में जब तक भारत सरकार हमारी मदद करेगी, तब तक राजस्थान की पीड़ित जनता को जिस प्रकार काम काज देना चाहते हैं, पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं, उनके फूडग्रेन की व्यवस्था करना चाहते हैं, जानवरों के लिए जो व्यवस्था करना चाहते हैं, और जो भी उनके सामने कठिनाइयां हैं, उनकी व्यवस्था करना चाहते हैं—उसमें माननीय वित्त मन्त्री महोदय का पूर्ण सहयोग आवश्यक है। आप जानते हैं कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, 100 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट है। ऐसी हालत में पीड़ित लोगों को जब तक अकाल राहत काम नहीं दिया जाएगा, उनकी हालत जब तक रोजी-रोटी की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक उनकी हालत नहीं सुधर सकती है। इसलिए नितान्त आवश्यक है कि भारत सरकार इस काम में ज्यादा से ज्यादा मदद करे। पिछले साल जिस प्रकार का अकाल था और आपने मदद की उसकी वजह से वहां के लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर राहत कार्य मिले, जिसकी वजह से वहां के लोग भी ठहर सके और अपना कामकाज मजदूरी करके व्यवस्था को जमा पाए। दिसम्बर का महीना खत्म होने को आया है और अब भारत सरकार की स्टडी-टीम आजकल में वहां पहुंची

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

है। और उसके बाद स्टडी टीम अपनी रिपोर्ट देगी तथा उसकी सिफारिशों को लागू करने में आप दो-तीन महीने का समय ले लेंगे और उसके बाद कुछ राहत देने की कोशिश करेंगे। मेरा मतलब कहने का यह है कि जल्दी से जल्दी राहत मिलनी चाहिए, ताकि वहां के लोगों को काम जल्दी उपलब्ध हो--इस सम्बन्ध में मेरी विनम्र प्रार्थना मन्त्री महोदय से है।

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

दूसरा निवेदन यह है कि राजस्थान में 35 हजार गांव हैं, जिनमें से 10 हजार गांव ऐसे हैं जिनमें से पीने के पानी की व्यवस्था दो-दो, चार-चार, पांच-पांच या सात-सात मील तक नहीं है। बहुत दूर-दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है। इस भयंकर अकाल की स्थिति में यह स्थिति और भी खराब हो गयी है। जो कुएं 250-300 फीट गहरे थे, उनमें वाटर लेवल और नीचे चला गया है और इससे बहुत ही कठिन समस्या उन गांवों के सामने उपस्थित हो गयी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां के टैंकर्स के जरिए से या अन्य प्रकार के पीने के पानी की व्यवस्था की जाए तथा जो ट्यूबवैल, 50-50 या 60-60 मील पर खोदे हुए हैं, उन ट्यूबवैलों से पानी ले जाकर उन लोगों को मुहैया कराया जाए। इसलिए मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं इस सम्बन्ध में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए राजस्थान को बड़े पैमाने पर पैसा दिया जाए, ताकि वहां के लोगों को जानवरों को, पीने के पानी की व्यवस्था की जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था वहां पर नितान्त आवश्यक है, वरना हजारों लोग पीने के पानी के अभाव में दम घुट-घुट कर मर जाएंगे।

इसी प्रकार से जानवरों के सम्बन्ध में भी बहुत जबरदस्त कठिनाई है। आप जानते हैं राजस्थान अपने जानवरों के लिए बहुत मशहूर है, वहां पर गाय, बैल तथा दूसरे जानवरों की करोड़ों रुपयों की सम्पति है और जो वहां डेजर्ट एरिया है उसके जीवन निर्वाह का साधन केवल जानवर हैं दूसरा कोई साधन वहां पर मौजूद नहीं है। लेकिन वहां का लाइव-स्टाक आज बिना चारे और पानी के मर जाएगा—इस सम्बन्ध में तुरन्त व्यवस्था करने की जरूरत है। इसके लिए आस पास के राज्यों से, चाहे हरियाणा हो, पजाब हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, बहुत बड़े पैमाने पर चारा मुहैया कराया जाए ताकि इस करोड़ों रुपयों की सम्पदा को मरने से बचाया जा सके। आप जानते हैं हमारे लाइव-स्टाक ने राजस्थान की प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इनके द्वारा हम वहां पर सफेद क्रान्ति लाने की कोशिश कर रहे हैं—लेकिन चारे और पानी के अभाव में यह सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है।

इन समस्याओं का मुकाबला करने के लिए राजस्थान की धन से अधिक से अधिक सहायता की जाए। हमारी राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से 235 करोड़ रुपयों की मांग की है। हमारे अकाल से पीड़ित लोगों को यदि मरने से बचाना है, अनको रोजी और रोटी देनी है तो भारत सरकार को इतनी धनराशि अवश्य देनी होगी, वरना वहां की हालत बहुत खस्ता हो जाएगी और आगे चलकर आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाय, अनाज की ज्यादा से ज्यादा सप्लाई की जाय, क्योंकि खरीफ की फसल तो पहले ही नहीं हुई और अब रबी की फसल भी पानी के अभाव में पैदा नहीं हो रही है। इसलिए फूडग्रेन्ज की सप्लाई ज्यादा से ज्यादा मात्रा में की जाए। जानवरों के लिए खासतौर से चारे की व्यवस्था की जाय। वहां की अकाल पीड़ित जनता के लिए रोजी और रोटी का इन्तजाम

किया जाय । माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान मैं इस ओर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं ।

दूसरा प्रश्न —भीलवाड़ा में "मेवाड़ टेक्सटाइल मिल" है जिसका पहले सरकार की ओर से टेक-ओवर किया गया था । दो तीन साल तक वह सरकार के पास रही, सरकारी अधिकारियों की व्यवस्था में उस मिल में कम से कम करोड़-डेढ़ करोड़ रुपया कमाया गया । वह बहुत अच्छी मिल है और सरकार के समय में अच्छी व्यवस्था में उसको चलाया गया । लेकिन बाद में उसको फिर से पुराने मालिकों के सुपुर्द कर दिया गया । आज उस मिल के मालिकों ने फिर से उसको सिक बना दिया है, उसका सारा पैसा खीचकर नई इण्डस्ट्रीज में लगा रहे हैं तथा उसको फिर से सिक करने की कोशिश कर रहे हैं । मैंने पिछली दफा भी उद्योग मन्त्रालय की मांगों पर बोलते हुए आपसे निवेदन किया था कि इस मिल का वापस टेक ओवर किया जाए, वरना जो साढ़े तीन हजार मजदूर वहां काम करते हैं, तथा उनके लगभग 15 हजार डिपेण्डेन्ट्स भूख से बिलख-बिलख कर मर जाएंगे । मैं फिर इस बात पर जोर देता हूं कि यह इण्डस्ट्री ऐसी इण्डस्ट्री नहीं है जिसको सिक इण्डस्ट्री कहा जा सके । अभी जैसा आपने कहा कि हम सिक इण्डस्ट्री को लेकर भारत सरकार का पैसा बरबाद नहीं करना चाहते, मगर यह इण्डस्ट्री तो सिक नहीं है, इसका मालिक इसको जान बूझकर सिक बना रहा है । ऐसी हालत में अगर सरकार जांच करवा कर इसको अपने हाथ में ले तो निश्चित तरीके से हजारों मजदूरों को और उनके परिवारों को भूखा मरने से बचाया जा सकता है ।

इस मेवाड़ टेक्सटाइल मिल में मजदूरों का प्राविडेन्ट फण्ड का 20 लाख रुपया गड़बड़ में पड़ा हुआ है । मैंने पहले भी निवेदन किया था—अभी तक इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है, इसका मालिक ई० एस० आई० का 20 लाख रुपया खाकर बैठा हुआ है । मजदूरों का कन्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं और अपना कन्ट्रीब्यूशन नहीं देते हैं । वह सारा पैसा हजम कर रखा है । ऐसे उद्योगपति के खिलाफ निश्चित तौर पर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए और इसको अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि यह सही हाथों में जाकर चलती रहे और वहां पर काम करने वाले मजदूरों को काम मिलता रहे ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान ऐसा प्रान्त है जिसकी तरफ आपकी निगाह अभी तक पूरी नहीं गई है । वहां पर सरकारी उद्योगों के अन्दर 2 परसेन्ट से भी कम पैसा लगाया है । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि राजस्थान जैसे पिछड़े प्रान्त को आगे लाना है, रीजनल इम्बेलेन्स को समाप्त करना है, तो निश्चित तरीके से जो उद्योग धन्धे यहां स्थापित हो सकते हैं उनको वहां स्थापित करने की बात करनी चाहिए । जिंक का बहुत बड़ा भंडार भीलवाड़ा में आमूचर रासपुरा में मिला है । वहां पर 5 करोड़ टन के भंडार

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

मिले हैं। एक सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट वहां पर स्थापित हो जाए, तो वह एक बहुत बड़ा सेन्टर हो सकता है और उससे हजारों लोगों को रोजगार, धन्धा मिल सकता है। भारत सरकार की तरफ से एक इस तरह का उद्योग वहां पर स्थापित होना चाहिए और मेरी यह प्रार्थना है कि इस तरह की व्यवस्था निश्चित तरीके से करनी चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में जिंक का इतना बड़ा भंडार है जो विश्व में कहीं नहीं है। अमेरिका में जो इस तरह के भंडार हैं, उनके मुकाबले में यहां उससे 12 परसेन्ट जिंक पैदा हो सकता है। इस प्रकार का भंडार निकला है और भारत सरकार को वहां पर उद्योग स्थापित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

माइका का बहुत बड़ा भंडार भीलवाड़ा के अन्दर है। बिहार में माइका के, पेपर के कारखाने आपने दिए हैं और हिन्दुस्तान में दूसरे नम्बर पर माइका का प्रोडक्शन हमारे यहां भीलवाडा में होता है। इसलिए यहां पर एक कागज के कारखाने को स्थापित करना चाहिए। पहले भी मैंने इसके बारे में निवेदन किया था। भीलवाड़ा में अभ्रक के कारखाने के बारे में जो हमारा केस था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि उस केस को रिवाइव करना चाहिए। अगर मिटको की तरफ से वहां अभ्रक का, कागज का कारखाना स्थापित किया जाए, तो इससे वहां की बेकारी भी दूर होगी और देश का भी बहुत बड़ा फायदा होगा।

इसी तरीके से बिजली के बारे में भी कहना है। वहां लिगनाइट के बहुत बड़े भंडार मिले हैं। वहां पर लिगनाइट से बिजली के कारखाने स्थापित किए जाए। राजस्थान में जो आर० ए० पी० पी० आपका लगा हुआ है, उसमें करोड़ों रुपया आपका खर्च हुआ लेकिन वह बन्द पड़ा रहता है और वहां पर बिजली की बहुत बड़ी समस्या है।

सभापति महोदय : आप डिमांड्स पर बोलिये।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं डिमांड्स पर ही बोल रहा हूं। इंडस्ट्री की डिमांड है और दूसरी डिमांड्स हैं, इन के बारे में ही मैं ने कहा है, और किसी चीज के बारे में मैंने नहीं कहा है।

हाईवे के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर से इन्दौर होते हुए बम्बई तक एक नेशनल हाईवे स्थापित की जाए।

इस प्रकार से खाद के तीन कारखाने स्थापित किये जाएं। पहला वहां पर पैट्रोलियम गैस पर बेस्ड, दूसरा राक-फासफेट पर बैस्ड और तीसरा जिप्सम पर बैस्ड हो। ये तीन कारखाने वहां पर खाद के स्थापित किये जाने चाहिए। इस वक्त गैस-बैस्ड प्लान सरकारी क्षेत्र में लगाने की बात चल रही है जबकि पहले तीन कारखाने लगाने की घोषणा की थी। मैं निवेदन करना

चाहता हूं कि अगर आप राजस्थान को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से तीन खाद के कारखाने वहां पर स्थापित किए जाने चाहिए।

इसी तरह से जैसलमेर के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर गैस के बहुत बड़े भंडार हैं। वहां पर कुएं खोदे गये थे लेकिन उन को बीच में ही छोड़ दिया। आप ने देखा होगा कि बंगाल में करोड़ों रुपये खर्च करके सैंकड़ों कुएं खोदे गये और इतना रुपया आप ने बर्बाद कर दिया मगर एक पैसे का फायदा नहीं हुआ। जहां गैस और पैट्रोल निकल सकते हैं, वहां पर आप ने कुओं की खुदाई के काम को छोड़ दिया और जहां पर नहीं निकल सकते हैं वहां पर राजनीतिक दबाव के कारण आप ने काम किया। ऐसी पार्टी वाले यहां बैठे हुए है जो पैसे को हजम करना चाहते हैं। ऐसी पार्टी के लोगों को बैनीफिट करवाते हैं और हमारे जैसे गरीब और पिछड़े लोगों की जो बात है, वह आप सुनते नहीं है। इसलिए वहां पर कुओं की खुदाई की व्यवस्था आपको करनी चाहिए।

बैंकों के बारे में मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि रूरल बैंक आपने राजस्थान के अन्दर दिये हैं, पिछली बार 12 स्थापित हुए हैं लेकिन अब भी बहुत से जिले अभाव में पड़े हुए हैं। इसलिए वहां पर भी रूरल बैंक की स्थापना होनी चाहिए। वहां पर अकाल पड़ गया है और बैंकों द्वारा वसूली से लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। बैंक लोगों को परेशान कर रहे हैं और उन की नीलामी हो रही है। मेरा कहना यह है कि थोड़ा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अकाल के समय में उन की वसूली स्थापित रहे। बंगाल में तो बड़े-बड़े लोगों पर करोड़ों-करोड़ों रुपया बाकी है और उन से वह पैसा वसूली नहीं होता लेकिन जो छोटे लोग हैं, उन की कुर्की हो रही है। इसलिए इस को स्थापित कराने की आप व्यवस्था करें।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : सभापति महोदय, श्री वेंकटरामन आदमी बहुत अच्छे हैं लेकिन जब से ये वित्त मंत्री बने हैं, तब से इन की ग्रिप कुछ लूज हुई है और बजट की पवित्रता खत्म हो गई है। उदाहरण के तौर पर मुल्क में एक आदमी इस देश का बजट देख कर अपने बजट को बनाता था, उसको बिगाड़ता या संवारता था लेकिन अब तो उस को कुछ पता चलता ही नहीं। बजट के पहले और बजट के बाद दाम बढ़ा दिये जाते हैं। कोयले का दाम बढ़ा दिया, रेल भाड़ा बढा दिया और खाद की कीमत बढ़ा दी। इस से जो बजट है, उस की पवित्रता ही खत्म हो गई है।

एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछले चुनाव आप ने लोगों से यह कह कर लड़े थे कि महंगाई कम की जाएगी। महंगाई कितनी कम हुई है, उसके थोड़े से आकड़े देना चाहता हूं। जब आप लोग हुकूमत में आये उस वक्त 1980 के शुरू में वनस्पति घी 9.17 रु० किलो मिलता था और आज 14 रु० किलो मिलता है। उस वक्त सरसों का तेल 9 रु० के० जी० था, आज 16

[श्री सूरज भान]

रु० के०जी० है। चीनी 2.40 रु० थी जो कि 15-16 रु० के०जी० बिक कर आज 6-7 रु० के०जी० पर बिक रही है। देशी घी का दाम 22 रु० किलो था जो कि 45 रु० बिक कर आज 35 रु० किलो बिक रहा है। दूध 1 रुपये 10 पैसे से 2 रुपये 20 पैसे किलो में बिक रहा है। कपडे धोने का साबुन 4.20 रु० किलो था आज 7 रु० किलो है। दस डिबियाओं के माचिस का पैकेट एक रुपये में आता था आज वह दो रुपये में आता है। खाद्य जो किसान इस्तेमाल करता हैं वह पहले 70 रुपये की बोरी आती थी, आज वह 120 रुपये में मिलती है। कुकिंग गैस जो पहले 29 रुपये मे आती थी, आज उसके दाम 50 रुपये से ऊपर पहुंच गए हैं। यह तरक्की हुई है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी के राज में एक हजार रुपये का नोट बंद किया गया था। आपने उसके बजाय दस हजार रुपये का नोट शुरू कर दिया हैं। ये नोट ही है। इससे यह ब्लेक मनी व्हाइट होती है। आप दस साल के बाद दस हजार रुपये के बारह हजार रुपये देने जा रहे हैं। इस से तो ब्लेक मनी खत्म नहीं होगी, और व्हाइट होती जाएगी।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आप ब्लेक मनी खत्म नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, श्री अन्तुले, हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री भजनलाल और ऐसे ही एक दो और मुख्य मत्री जी विदेश जाते हैं तो उनके बारे में आम लोगों की यह धारणा है कि वे वहां जा कर स्वीटजरलेंड के बैंक में पैसा जमा कराते हैं। कुछ केन्द्रीय मत्रियों के बारे में यह धारणा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी छानबीन करने के लिए पार्लियामेंट की एक कमेटी बनायी जाए जिसमें इक्कोनोमिस्ट्स और रिजर्व बैंक के आफिशियल्स को भी रखा जाए; यह कमेटी इस बात की छानबीन करे कि कितना रुपया बाहर दूसरे मुल्कों में जमा है। जो बाहर के मुल्कों से सौदे होते हैं उनमें जो कमीशन मिलता है वह भी वहीं जमा हो जाता है। इस सब की इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर यह बाहर के बैंकों में जमा राशि को निकाल कर ले आया जाए तो एक साल तक आपको बजट में टेक्स लगाने की जरूत नहीं होगी।

एक बात मैं अपने प्रदेश हरियाणा के बारे में करना चाहता हूं। 1960 में पाकिस्तान के साथ इन्डस वाटर ट्रीटी खत्म हुई थी। जिसके मुताबिक पाकिस्तान को जो पानी जाता था वह बंद कर दिया जाना चाहिए उसके बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक अवार्ड दिया था कि हरियाणा को 3.5 हेक्टेअर फीट पानी दिया जाए हालांकि एक्सपर्टस के मुताबिक हरियाणा को ज्यादा पानी मिलना चाहिए था। उस वक्त के पंजाब के मुख्य मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने यह मान लिया था कि अगर हरियाणा एक करोड़ रुपया दे दे तो अपने हिस्से में तीस किलो मीटर की नहर बना देंगे। वह एक करोड़ रुपया दे दिया गया। चूंकि पंजाब के हिस्से में वह नहर अब तक नहीं बनी है इसलिए वह पानी जाया जा रहा है। अगर उस पानी को पंजाब ही इस्तेमाल कर ले तो भी कोई एतराज की बात नहीं थी परन्तु यह पानी मुफ्त में पाकिस्तान को जा रहा

है । यह सेन्टर का फैसला है । मेरा यह निवेदन है कि पंजाब इस नहर को बनाना नहीं चाहता इसलिए सेन्टर खुद इस नहर को बनाये । नहीं तो भाखड़ा व्यास मेनेजमेंट बोर्ड के जरिये बनवाया जाए ताकि वह पानी जाया न हो ।

मैं एक अजीब बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसको कि हमें भुगतना पड़ रहा है । हरियाणा में एक मारण्कडे नदी है । उस पर लाखों रुपया खर्च करके एक बहुत बड़ा पुल बनाया गया । उसका उद्घाटन मुख्य मंत्री भजनलाल जी की मोजूदगी में श्री ए०पी० शर्मा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने किया । पुल पर सिर्फ एक दिन ट्रेफिज चला और अब एक साल से वह पुल बंद है । क्या हरियाणा का कोई नया मुख्य मंत्री आयेगा या न्यू ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आयेगा जब वह पुल खोला जाएगा ? उसके लिए रीजन (कारण यह दिया जा रहा है कि उस पर टोल टेक्स लगाना है और अभी तक वहां टोल टेक्स चौकी नहीं बनी है । एक तो जी०टी० रोड पर टोल टेक्स लगना ही नहीं चाहिए । अगर लगाना ही था तो उदघाटन से पहले वह क्यों नहीं लगाया ?

एक मैं यह मांग करना चाहतां हूं कि अम्बाला एक बेकवर्ड एरिया है । इस बिल में एग्री-कल्चर और कोआपरेटिव डवलपमेंट का भी जिक्र है । उनके तहत एक को-आपरेटिव शुगर मिल वहां लगाना चाहिए ।

पूरा हरियाणा हवाई मप पर नहीं, एयर मैप पर नहीं है, इसलिये मेरा निवेदन है कि अम्बाला में जो आर्मी का एयरोड्रम है, उसकों ही Partialy सिविल ट्रेफिक के लिए खोल दिया जाए ताकि उसका इस्तेमाल हो सके ।

पी. एंड टी. के बारे में आपकी डिमांड है, आपने 9 करोड़ 37 लाख की मांग की है । इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री सिसोदिया जी ने कुछ दिन पहले 4 दिसम्बर को एक स्टेट-मेंट दिया था कि रोटेशनल ट्रांस्फर बन्द कर दिये जायेंगे, कोई एडीशनल एक्सपेंडीचर नहीं होगा, पी. एण्ड टी. डिपार्टमेंट ने उनका कहना माना या नहीं, लेकिन पिछले 2 दिनों में मेरे पास यह 50 पोस्टकार्ड आये हैं इन्ही रोटेशनल ट्रांस्फर आर्डर के खिलाफ । वह छोटे कर्मचारी हैं उनको उजाड़ दिया जाता है । मैं कहना चाहता हूं कि क्लास-III के रोटेशनल ट्रांस्फर बन्द किये जायें । एक आदमी ने मकान किराये पर लिया है, अगर उसका ट्रांस्फर करते हैं तो उसको आगे मकान मिलेगा या नहीं, कहीं मकान बनाया है तो उसको आगे जाकर दिक्कत होगी । इसलिये कम-से कम क्लास III के रोटेशनल ट्रांसफर बन्द होने चाहिये ।

एक बात मैं यह नोटिस में लाना चाहता हूं कि निरंकारिकों के गुरु बाबा गुरवचन सिंह की मृत्यु हुई, उनका कत्ल दिल्ली में किया गया, यह यूनियन टेरेटरी है । उसके बाद निरंकारियों

[श्री सूरज भान]

के एक अच्छे नेता जो सीनियर आई०ए०एस० आफिसर पंजाब, श्री निरंजन सिंह हैं, उन पर हमला हुआ और उनके छोटे भाई जो आई०ए०एस० के लिए सिलक्ट हो गये थे, उनको जान से मार दिया गया। उसके किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया, क्या कारण है, समझ में नहीं, आ रहा है ?

लाला जगत नारायण जी सच्चे देश भक्त थे, ऊंचे दर्जे के पत्रकार थे और देश की एकता के लिये काम करते थे। उनको उन्हीं गुणों के लिये गोली का निशाना बनाया गया। एक आदमी मौके पर पकड़ भी लिया गया, उसने कुछ लोगों के तो नाम बताये होंगे लेकिन उसमें से एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके बाद एक ड्रामा हुआ।

संत भिंडरावाला को, जब वह चूंडकलां, हरियाणा में आये तो हरियाणा की पुलिस उसको गिरफ्तार करना चाहती थी, पंजाब की पुलिस भी आई, लेकिन मैं इल्जाम लगाना चाहता हूं, जो कि ठीक है कि केन्द्र से इंस्ट्रक्शन्ज गई कि इस आदमी को गिरफ्तार न करो और उसको वापिस जाने दिया गया। यह ड्रामा कब तक होगा, ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया था कि एक आदमी को कहा जाये कि हमने आपके खिलाफ वारन्ट जारी कर दिया है और उससे रिक्वैस्ट की जाए कि आप मेहरबानी कर के सरैन्डर कर दीजिए।

हरिजनों के बारे में कहना चाहता हूं कि कफाल्टा और देवली में जो कुछ हुआ, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि फाल्टा में और इसी तरह से किल्वनगनी में तंजौर डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में 1968 में हुआ था जितने भी हरिजन कत्ल हुए थे, उनके मुलजिमों को सब को बरी कर दिया गया था। वही कहानी फिर देवली में न दोहराई जायें। मुझे जानकारी मिली है कि वहां डाकुओं ने जो डाका डाला था, कत्ल किये थे, वहां के सबूत नष्ट किये गये, खून में लथपथ कपड़े नहीं ले जाये गये, डाकुओं के जूते वहीं पड़े हैं, खून में लथपथ चारपाइयां वहीं पड़ी हैं, लेकिन जैसा अखबारों में आ रहा है, केस ठीक से बनाये नहीं हैं, कहीं ऐसा न हो कि वह मुलजिम भी बरी हो जायें।

सभापति महोदय, आखिरी बात कहकर मैं बताना चाहता हूं। मैंने 8 दिन पहले एक वैक्शन किया था, एडमिट नहीं हुआ, न जाने क्यों नहीं हुआ ?

आन्ध्र प्रदेश में गुडडैम गांव, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में दुस्मा रजैयया नाम के हरिजन पर वहां के पटवारी ने इलजाम लगाया था कि मेरी लड़की बीमार है, इस हरिजन ने भूत-प्रेत इस पर कर दिया है और दिन-दहाड़े ग्राम की पंचायत के सामने पहले उसको पीटा गया और फिर लोहे की भारी कड़ी के साथ बांधकर जिन्दा उसको चिता में जला दिया गया। कब तक यह हरिजनों के साथ होता रहेगा ? मैं मांग करता हूं कि मुलजिम को गिरफ्तार किया जाये। 500 रुपये उसके लड़के

को देकर सरकारी तौर पर इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। यह सब कुछ कह कर मैं इन मांगों का विरोध करता हूं ।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति जी, जनाब फ़िनांस मिनिस्टर साहब ने 1979-80 के बारे में एक्सेस (Excess) डिमांड्ज़ फ़ार ग्रांट्स और 1981-82 के दौरान इख़राजात के लिए जो 12,333.42 करोड़ रुपये की सप्लीमेंटरी डिमांड्ज़ फ़र ग्रांट्स इस एवान में रखी हैं, मैं उनकी ताईद करता हूं । हमारे जो मोहतरिम दोस्त उस तरफ बैठे हुए हैं, वे 1979-80 की डिमांड्ज़ पर एक्सेस ग्रान्टस को भी ओपोज़ कर रहें हैं । जब वे हुकूमत में थे, जनता पार्टी के मिसरूल में जो कुछ हुआ था, उसको रेगुलराइज़ करने के लिए ही आनरेबल फ़िनांस मिनिस्टर ने ये डिमांड्ज़ रखी हैं । उनको भी ओपोज़ करने की बात हमारी समझ में नहीं आ रही है ।

डिमांड नम्बर 2 में स्टेट गवर्नमेंट के लिए शार्ट-टर्म लोन के लिए 25 करोड़ की मांग है और डिमांड नम्बर 6 में कोआपरेटिव्ज के लिए 7 करोड़ की मांग है, जिसमें फ़ार्मज़ के लिए लांग-टर्म और शार्ट-टर्म लोन और क्रेडिट की बात कही गई है। मैं समझता हूं कि यह एक जायज़मांग है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त जितने भी एग्रीकल्चरल फ़िनांसिज़ ऐवेलेबल हैं, उनसे ज्यादातर बड़े बड़े और रिच फ़ार्मज़ ने ही फ़ायदा उठाया है और ग़रीब फ़ार्मज़ उनसे ख़ास फ़ायदा नहीं उठा सके है । सरकार को इस तरफ़ ख़ास तवज्जुह देनी चाहिए, ताकि ग़रीब और छोटे किसानों को क्रेडिट और लोन आसानी से मिल जाए । रूल्ज़ और रेगुलेशन्ज को सिम्प्लीफ़ाई किया जाना चाहिए, ताकि वे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें ।

एग्रीकल्चरल रिसर्च के बारे में भी एक छोटी सी मांग है । हमारा मुल्क एग्रीकल्चरल रिसर्च के फ़ील्ड में एक इन्टरनेशनल वाडी का मेम्बर बन गया है । मैं समझता हूं कि यह एक मुबारक स्टेप है । आने वाले दिनों में एग्रीकल्चरल सांइस और टेकनालोजी में ज्यादा डेवेलवमेंट करने के लिए हमारा उस बाडी का मेम्बर बनना जरूरी है । मैं समझता हूं कि सरकार ने यह एक अच्छा कदम उठाया है ।

मिनिस्टर साहब ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के तहत एक टोकन ग्रांट मांगी है । मैं उनके नोटिस में अपने इलाके की कुछ प्राबलम्ज को लाना चाहता हूं । वहां पर एक छोटी सी स्कीम स्तकना हाइडल प्राजेक्ट है । मुझे याद नहीं है कि वह कब शुरू हुई थी । अभी भी वह हमें कम्पलीट होती नज़र नहीं आ रही है । स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आने वाले दो सालों में कम से कम हर साल ढाई करोड़ रुपया दिया, जाए तो शायद 1982 के दिसम्बर तक वह कम्पलीट हो जाए। यह प्राजेक्ट पहले ढाई करोड़ रुपए का ही था, जबकि आज उसका टोटल कास्ट 18 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है । अगर इसके लिए हर साल थोड़े थोड़े पैसे दिये जाएंगे, तो इसके पूरा होने में और भी कई साल लग जाएंगे और वह कम्पलीट नहीं हो सकेगी, क्योंकि कास्ट हर साल बढ़ती

[श्री पी० नामग्याल]

जा रही है। जनाब फ़िनांस मिनिस्टर साहब से मेरी गुज़ारिश है कि हमें इसके लिए स्पेशल ग्रांट आने वाले दो सालों के लिये दी जाए।

जहां तक जम्मू-कश्मीर स्टेट का सवाल है में अनप्राडक्टिव स्कीमों पर खर्चा ज्यादा हो रहा है। इसकी तीन मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। जम्मू-कश्मीर में टूरिज्म का कन्वर्जन काम्पलेक्स है 22 करोड़ का या कितने का मुझे ठीक पता नहीं, इसी तरह लेजिस्लेचर बिल्डिंग का भी कितने करोड़ का है, मुझे पता नहीं और एक हाई कोर्ट की बिल्डिंग का है। ये तीनों इकट्ठे बने रहे हैं। इस वक्त जब हमारे पास रिसोरसिज की कमी है। तो ये सारा पैसा हम बिल्डिंग कांस्ट्रक्शन पर ही लगाएं, यह जरूरी नहीं है। जहां पर पावर की जरूरत है। क्या ऐग्रीकल्चर सेक्टर जो है उस को नेगलेक्ट कर रखा है और बिल्डिंग्स के कान्स्ट्रक्शन पर रुपया खर्च कर रहे हैं, जिसमें कि ऊपर से पैसे का लेनदेन का मामला चलता है और जिसमें इंजीनियर या दूसरे पालिटिशियंस मिनिस्टर्स या और बड़े-बड़े ठेकेदार हैं उनकी जेब में करोड़ों के हिसाब से वह पैसा जा रहा है। मेरी गुजारिश है कि जो नान-प्रोडक्टिव स्कीम्स है उनको अभी अंडरटेक नहीं करना चाहिए। अगर करना भी है तो इकट्ठे सब नहीं करना चाहिए। लेजिस्लेचर बिल्डिंग का यदि जरूरी है या कन्वर्जन काम्पलेक्स की अगर जरूरत है वो कम से कम हाई कोर्ट की बिल्डिंग के लिए आप इंतजार कर सकते थे क्योंकि हाई कोर्ट के लिए बिल्डिंग मौजूद है और किसी एक प्रोजेक्ट को रोक कर इंतजाम कर सकते थे। इस तरह से यह सारा पैसा इन अनप्रोडक्टिव कामों के लिए खर्च नहीं किया जाना चाहिए।

वहां करप्शन बहुत हो रहा है। पिछले दिनों मैंने एक अखबार में पढ़ा कि शायद स्टेट गवर्नमेंट ने 25 करोड़ का ओवरड्राफ्ट मांगा है एक दूसरे पेपर में लिखा था कि 40 करोड़ का मांगा है। यह मुझे मालूम नहीं कि करेक्ट फिगर कौन सी है जो उन्होंने मांगी है। लेकिन अगर इस तरह से स्पेंडिंग चले गलत कामों के लिए तो यह आपको नहीं देना चाहिए। हां, ऐग्रीकल्चर सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो या और किसानों के फायदे की कोई बातचीत हो तो जरूर आप को एंटरटेन करना चाहिए। यह आपको देखना चाहिए। मैं आप के ऊपर छोड़ता हूं।

इंडस्ट्रीज के बारे में छोटा सा आप ने टोकन ग्रान्ट मांगा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारी स्टेट है या पहाड़ी जितने इलाके हैं वहां गाड़ियों की चेसिस नहीं मिल रही है। हम ट्रांसपोर्ट डिपेंडेंट हैं क्योंकि हमारे यहां रेलवेज नहीं है और आज जो चेसिस प्राड्यूस होती है वह ब्लैक में आती है। एक-एक चेसिस चालीस-चालीस और पचास-पचास हजार ज्यादा रकम लेकर जो जरूरत-मंद स्टेट्स हैं जैसे जम्मू-काश्मीर का लद्दाख इलाका है, सिक्किम है, या नेफा के इलाके हैं वहां चूंकि रेलवेज नही हैं तो उन लोगों के लिए आपको प्रायरिटी देनी चाहिए और उनके लिए कुछ कोटा अलाहिदा रखने की जरूरत है, नहीं तो उनको मिलना नहीं है। यहां पर बड़े-बड़े ट्रांसपोर्टर ब्लैक में उसको खरीद लेते है। इस तरफ तवजह देने की जरूरत है। यह मेरी एक आप से गुजारिश है।

ब्राडकास्टिंग तथा पब्लिसिटी पर आपने थोड़ी सी रकम यानि 8.86 लाख मांगी है इंटरनेशनल प्रोग्राम के लिए । मैं उसका फायदा लेते हुए हमारे आल इंडिया रेडियो का लेह स्टेशन उसकी तरफ सरकार की तवज्जह दिलाना चाहता हूं । वहां एक ही स्टूडियो है और उसी से आप को म्यूजिक भी न्यूज भी और ड्रामा भी सब कुछ ब्राडकास्ट करना है । आप अन्दाजा कीजिए, एक स्टूडियो से क्या हो सकता है । नतीजा यह है कि वहां से जब न्यूज चल रहा होता है तो म्यूजिक वाले बाहर बरामदे में बैठ कर प्रक्टिस कर रहे होते हैं । यह हालत है वहां की ।

वहां पर हीटिंग एलावेंस जो सर्दियों में मिलता था वह अभी तक सेंक्शन नहीं हुआ । मैं जब परसों सुबह वहां से चला हूं, जब इंडियन एयर लाइन्स का प्लेन 9 बजे वहां लैंड हुआ तो माइनस 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था । इससे आप वहां की हालत का अन्दाजा कीजिए । रात को माइनस 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर वहां हो जाता है । तो वहां पर हीटिंग एलावेंस जल्दी स्वीकृत करना चाहिए । मिनिस्ट्री आफ इन्फार्मेशन ऐंड ब्राडकास्टिंग इसको जल्दी एक्शन स्वीकार करे । कम्पेन्सेटरी एलावेंस के बारे में भी कहना चाहता हूं । बहुत थोड़े से सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिम वहां हैं । कुछ आल इंडिया रेडियो के हैं, कुछ पी. एण्ड टी. के हैं और और कुछ पैरा मिलिट्री फोर्सेज के हैं । ज्यादा उनकी तादाद नहीं है । आप सिर्फ उनको 6 महीने के लिए 20 से 35 परसेंट सी० ए० देते हैं, जब कि जम्मू कश्मीर स्टेट वाले हमें 75 से 100 परसेंट गर्मियों में बेसिक पे पर कोई विदआउट शीलिंग के बगैर देते हैं तो इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, इसमें ज्यादा अमाउन्ट इन्वाल्व्ड नहीं होगा । इसलिए मेरी गुजारिश है कि उन कर्मचारियों का अलाउन्स बढ़ाया जाय । अभी ज्यादा अलाउन्स न मिलने की वजह से अच्छे अफसर आपके यहां से वहां जाना नहीं चाहते क्योंकि देहली में उनको पे ज्यादा मिलती है अलाउन्सेज वगैरह मिला कर लेह में कम हो जाती है, क्योंकि सी० सी० ए०, हाउस रेंट आदि अलाउन्सेज कट हो जाते हैं इसलिए कोई क्यो वहां जायगा ?

मशकूर हूं सूचना मंत्री जी का कि न्यूज सर्विसेज लेह स्टेशन से चालू कर दिया है । लेकिन उनके लिए जरूरी फेसिलिटीज नहीं है, जैसे टेलीफोन नहीं है, मानीटरिंग ऐचिवमेंट नहीं है । क्योंकि टेलीप्रिन्टर्स लेह में नहीं चलता है, लिहाजा न्यूज के लिए रेडियो पर ही डिपेंड करना पड़ता है । मामूली सा सैट होता है ट्-इन-वन, ताकि न्यूज सुन कर के लोकल कजम्शन के लिए उसे री-ब्रोडकास्ट किया जा सके । मेरी मांग है कि यह सुविधा वहां दी जानी चाहिए ।

हमारे विविल ऐविएशन मिनिस्टर, श्री ए० पी० शर्मा ने नेफा में जो कसेशन जहाज के किराये मे दे रहे हैं एयर पैसेन्जर्स को या जो सब्सिडी दे रहे हैं लद्दाख सेक्टर में भी कंसीडर करने की बात मान ली है । यह जल्दी इम्पलीमेंट होना चाहिए क्योंकि लद्दाख में 7 महीने के लिए रास्ता बिल्कुल बन्द रहता है, सिवाय हवाई जहाज के और किसी तरह नहीं जा सकते ।

[श्री पी० नामग्याल]

इसी तरह से जम्मू में एक टी० वी० स्टेशन होना जरूरी है। पाकिस्तान का टी० वी० बार्डर नजदीक होने की वजह से लोग वहां का टी०वी० देखते हैं और उसके प्रोपोगेन्डा से हमारे बोर्डर एरिया के लोगों के मोरेल पर बुरा असर पड़ता है। लिहाजा जम्मू में टी० वी० स्टेशन बहुत जल्द सेंक्शन करना चाहिए।

इसी तरह रीहैबिलिटेशन के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। आपने सुना होगा इस साल लद्दाख में बहुत ही जल्दी स्नोफाल हो गया। नवम्बर के पहले सप्ताह में 2 फीट बरफ पड़ गई और नतीजा यह हुआ कि हजारों भेड, बकरियां और कैटिल सर्दी से मर गई मैं। डिफेंस मिनिस्टर का मशकूर हैं कि उन्होंने ऐक्स्ट्रा हैली साप्टर्स दिए फंसे हुए लोगों को निकालने से लिए और हवाई जहाज के जरिये राशन पहुंचाने या गिराने के लिए तथा जानवरों के लिए घास पहुंचाने के लिए हवाई जहाज और दूसरे ट्रांसपोर्ट दिये मेरी गुजारिश है कि वहां के लोगों के रीहैबिलिटेशन के लिए केन्द्र सरकार कुछ ग्रान्ट और दे।

पैट्रोलियम और कैमिकल्स के बारे में यह कहना है कि लद्दाख जैसे इलाके में जंगल तो हैं नहीं इसलिए फ्यूअल वहां बहुत कम हैं इसलिए हमें गैस फिलिंग प्लान्ट इंडियन आयल के जरिये लेह में दिया जाय। अभी गैस सिलेंडर श्री नगर से 450 किलो मीटर का सफर तय करके ले जाना पड़ता है जिसमें रिस्क भी इनवाल्व्ड रहता है सिलेंडर के ऐक्सप्लोड होने का डर रहता है। इसलिए इंडियन आयल कारपोरेशन के जरिये कुछ स्पेशल ग्रान्ट देकर वहां फिलिंग का प्लान्ट सरकारी तौर पर या कम्पनी की तरफ से लगाया जाय। मेरी यही गुजारिश है।

सभापति महोदय; मैं एक प्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन आफ जसटिस के बारे में कहना चाहता हूं। दो डिस्ट्रिक्ट लेह और कारगिल के लिए सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्ट एंड स्पैशन जज है।

सभापति महोदय : यह मामला केन्द्रीय सरकार का मामला नहीं है।

श्री पी० नामग्याल : यह क्रम सख्या 68 पर है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) कृपया उन्हें ज्यादा, समय दीजिए। यह एक उपेक्षित क्षेत्र हैं।

सभापति महोदय : श्री रंगा। वे न्यायालयों की मांग कर रहे हैं यह केन्द्रीय सरकार का मामला नहीं है।

श्री० पी० नामग्याल . मैं गुंजारिश करूंगा कि चाहे सेन्टर के पास हो या स्टेटस के पास यह अधिकार हो, वहा पर दो सेशन डिस्ट्रिक्ट जज की जरूरत है। इस वक्त सिर्फ एक ही है।

इन शब्दों के साथ मैं जनाबे फाइनेंस मिनिस्टर साहब द्वारा जो सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स सदन में विचारार्थ प्रस्तुत की गई है, उनकी ताईद करता हूं।

श्री टी०आर० शमन्ना (दक्षिण बंगलूर) : सभापति महोदय यहां प्रस्तुत की गई पूरक अनुदान की मांगों के बारे में कुछ शब्द कहने का अवसर दिए जाने पर मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं पूरी-पूरी नम्रता के साथ यह कहना चाहूंगा कि इससे साधारण नागरिक तनिक भी प्रसन्न नहीं हैं। पिछले आठ महीनों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए हम पाते हैं कि लोगों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लोगों की रोजमर्रा की आवश्यकतायें सन्तोष-जनक ढंग से पूरी नहीं हो रही हैं। खाद्य सामग्रियों की कीमतें व रोक-टोक बढ़ रही हैं। पिछले सप्ताह जब मैं बंगलूर के एक बाजार में गया था तो मुझे यह देख कर आघात पहुंचा कि वहां चावल 4 रु० प्रति कि० ग्रा० की दर से बिक रहा था। चावल उत्पादक राज्य के इतिहास में मैंने इतनी ऊंची दर कभी नहीं देखी है। ऐसा सरकार की मूर्खता के कारण हुआ है जहां उचित व्यवस्था किए बगैर वे मित्रों से लेवी वसूल कर रहे हैं। अतः धान मिलों में नहीं आ रहा और पिछले दो सप्ताहों में चावल के मूल्यों में 30 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। इसके अलावा कपड़े भी दिन-प्रतिदिन मंहगे होते जा रहे हैं। सूती वस्त्रों की लागत भी 8 या 10 रु० से कम नहीं हैं यहां तक कि साधारण से साधारण कपड़े का मूल्य भी 8 अथवा 10 रु० से अधिक है। यहां मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि सिल्क उद्योग के इतिहास में भी सिल्क की लागत में ऐसी वृद्धि पहले कभी नहीं हुई। अब कच्चे सिल्क का मूल्य 700 रु० से अधिक है। यह पिछले वर्ष के मूल्य की तुलना में तीन गुना हो गया है। सिल्क कोई आवश्यकता नहीं हैं किंतु बुनकरों के लिए यह जीवन का प्रश्न है, जिन्हें सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उच्च मूल्यों के कारण बुनकरों को भारी कठिनाई का सामना करना होगा। अतः इस दिशा में भी बहुत कुछ किया जाना है। प्रति-बन्धित सामग्री की लागत आवास की बढ़ती हुई मांग, किराये तथा पगड़ी के कारण इन दिनों में जन सामान्य द्वारा आवास प्राप्त करना काफी मुश्किल हो गया है। जब सरकार मूल भूत आवश्यक-ताओं तथा रोटी कपड़ा और मकान उपलब्ध कराने में असमर्थ है –हम कैसे कह सकते हैं कि लोग इन दिनों में खुश हैं। अतः कोई भी बजट जो यहां पेश किया जाता है, सामान्य लोगों, को राहत मिलनी चाहिए।

महोदय, मुझे दुःख है कि इन आठ महीनों के दौरान इस बजट से सामान्य लोगों को कोई राहत नहीं पहुंची है।

हम देखते हैं कि हमें रक्षा के लिए आवश्यक रूप से धन उपलब्ध कराने हैं और अन्तर-राष्ट्रीय ऋणों के लिए धन उपलब्ध कराने हैं तथा प्रशासनिक व्यय भी काफी ज्यादा है तथा अन्तिम

[श्री टी० आर० शमन्ना]

स्थिति पर हम पहले ही पहुंच चुके हैं। अतः भारी कर लगाने जाने का परामर्श नहीं दिया जा सकता।

अतः मेरा तो केवल एक ही सुझाव है कि अतिरिक्त कर लगाए बिना, मितव्ययिता तथा कुशल प्रबन्ध द्वारा इस प्रकार का बजट लाया जाए जिससे कि लोगों को अपनी आजीविका चलाना कठिन न हो।

अपने वित्त मंत्री का मैं बहुत आदर करता हूं। वे बहुत ही ईमानदार और कुशल व्यक्ति हैं, फिर भी मैं देख रहा हू कि परिस्थिति नियन्त्रण से बाहर हो गई है वह यह देखने में असमर्थ हैं कि परिस्थिति को ठीक स्थिति में लाया जाय। बढ़ती हुई बेरोजगारी एक गम्भीर समस्या है। एक ऐसा समय आ सकता है जब प्रत्येक 10 अथवा 15 व्यक्तियों के लिए भी एक रोजगार मिलना मुश्किल हो सकता है।

बजट वर्ष पूरा होने में मुश्किल से तीन महीने शेष हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे पास एक अथवा अधिक मांगें होंगी। इसी दौरान मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे यह देखें कि कम से कम कुछ सीमा तक एक सामान्य व्यक्ति के जीवन को खुशहाल बनाया जाय। इसमें सरकार और व्यापारियों की प्रमुख जिम्मेदारी है। उन्हें यह देखना है कि लोगों को भोजन और कपड़ा सुविधा पूर्वक मिलें।

भारत सरकार गेहूं, चीनी और सीमेंट का भारी मात्रा में आयात करने की कोशिश कर रही है। भारत सीमेंट का बड़ी मात्रा में उत्पादन कर सकता है क्योंकि हमारे पास चूना पत्थर, श्रम और बिजली है। हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि गत कुछ वर्षों से सीमेंट की जो कमी बनी हुई है, यदि सरकार ने विशिष्ट कदम उठाए होते तो उस से बचा जा सकता था और इसके आयात की आवश्यकता न होती। एक ओर हम कहते हैं कि अत्यधिक फसल बहुत हुई है और दूसरी ओर हम गेहूं और चीनी का आयात कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं?

बफर स्टाक बनाने का विचार अच्छा है, परन्तु जब हम उनका उत्पादन कर सकते हैं तो आयात की आवश्यकता कहां रह जाती है—मेरा प्रश्न यह है। इससे आगे, जब विश्व बैंक से भारी राशि का ऋण लेने की व्यवस्था पूरी कर ली गई है, तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम विदेशी मुद्रा का भण्डार बनाएं, यह केवल विदेशी मुद्रा की हमारे आवश्यकताओं को ही पूरा करने के लिए ही आवश्यक नहीं हैं परन्तु ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए भी है कि ऋण के हमारे वायदों को काफी हद तक पूरा किया जा सके। यदि हमारे यहां ध्यानपूर्वक नियोजन नहीं किया जाएगा, तो मेरा विश्वास है कि निकट भविष्य में हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। मुझे आशा है कि सरकार यह देखने के लिए पूरी सतर्कता बरतेगी कि बजट की तैयारियां पूर्ण संन्तुलित, पूर्ण रूप

से निरुपित और वैज्ञानिक तरीके से की जाए मुझे आशा है कि सरकार मितव्ययिता तथा राजस्व के कुशल रूप संग्रह से सरकार अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत बनाएगी, ताकि लोग खुलहाल बन सक।

सभापति महोदय : श्री शिव कुमार सिंह उपस्थित नहीं है।

श्री गिरधारी लाल डोगरा।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : जनाबेवाली, मैं आपका बहुत मशकूर हूं, आपने मुझे मौका बख्शा है ताकि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। सबसे पहले तो मैं अपने फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं—एक तो इस बात के लिए कि उन्होंने इन्फलेशन का रेट बहुत ही अच्छे तरीके से कम किया, उस पर काबू पाया। दूसरी बात यह है कि अगर हम सप्लीमेंटरी डिमाण्डस को देखें तो उसमें सबसे खास बात पायेंगे कि उन्होंने तमाम गवर्नमेंट आफ इण्डिया में फाइनेन्शल डिस्प्लिन को इन्ट्रडयूस कर दिया है। इतने बड़े बजट के मुकाबले इतनी थोड़ी सप्लीमेंटरी डिमाण्डस और वे भी जो बहुत जरूरी हैं, इसमें यह बात जाहिर होती है कि हमारे सरकारी महकमों में फाइनेन्सशल डिस्प्लिन का अहसास इस कदर हो गया है, बावजूद इस बात के कि दुनिया के हालात ज्यादा पेचीदा हो रहे हैं, नये-नये मसायल पैदा हो रहे हैं, उनसे हम को भी दो-चार होना पड़ रहा है। डिफेन्स का मसला आज बहुत ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी बजट को इस तरह से रखना, एक काबिले-तारीफ बात है और न सिर्फ फाइनेन्स मिनिस्टर बल्कि सारे फाइनेन्स डिपार्टमेंट के लिए तारीफ की बात है, वे भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं।

अब मैं कुछ खास बातों की तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं – हम अपनी इकानमी को इम्प्रूव भी करें, अपने इकतसादियात को बढ़ायें, अपनी पैदावार को बढ़ायें, और कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनको अगर हम ठीक तरीके से इस वक्त नहीं करेंगे, तो बहुत पेचीदगी मुल्क में पैदा हो जाएगी।

सबसे पहली बात तो हमारा प्राइस लेविल है, उसके बारे में कहना चाहता हूं। प्राइस लेविल के लिए इस वक्त जो हम फीगर्स नोटिस में लेते हैं, वे व्होलसेल प्राइस इन्डेक्स लेविल वाली है मगर कन्जयूमर को रिटेल प्राइस से दो चार होना पड़ता है लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि रिटेल प्राइस और व्होलसेल प्राइस में बड़ा फर्क है। यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, समाजी मसला है,और इक्तसादी मसला है, जिसको हमें हल करना होगा। हमारा कंज्यूमर है और खास तौर से वह आदमी जो आम वोटर है, उसका जो मसला है, उसको देखते हुए हमें इसे हल करना होगा। स्टेटिस्टिक्स उसको सेटिसफाइ नहीं कर सकती। उसकी जो आमदनी है और इसका जो खर्चा है, जब तक ऐसे

[श्री गिरधारी लाल डोगरा]

हालात न हों कि वह उनमें उनको बैलेंस कर पाए, तब तक मुल्क में अमन व चैन नहीं होगा। यह ठीक है कि हमने इन्फ्लेशन को पहले से कम कर दिया है और अगर कन्ट्रोल न कर पाते तो कुछ नहीं हो पाता। अब मौका है कि इस तरफ तवज्जह दी जाए और उसके लिए एक स्पेशल स्टडी करायी जाए और फिर इस बात को आप हल करें। मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए जो कुछ मेरे दिमाग में इस बारे में है, वह मैं कहना नहीं चाहता। अगर मैं सब बातें कहने लगूं तो पूरा टाइम उसी में चला जाएगा और बाकि जो दूसरी जरूरी बातें हैं, वे रह जाएंगी।

एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यह शहरों में ही चल सकता है और यह कास्टली भी है और इसमें कुछ कमजोरियां भी हैं। उन कमजोरियों को दूर कर सकते हैं मगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट ही इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स बीच में आ जाती हैं। इसलिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट सीधे इसमें दखल नहीं दे सकती है और उसके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है। इसको कैसे ठीक किया जाए, इस बारे में आप को सोचना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह देखनी होगी कि यह जरूरी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर सारे का सारा करप्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने भले सारे व्यापारी करप्ट हैं, मैं इस बात को नहीं मानता। मैंने पहले भी फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से अर्ज किया था और आज भी करता हूं कि हमारे जो बैंक्स हैं, जो लोन देते हैं इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को, जो लोन देते हैं व्यापारियों को, वे इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। होर्डिंग को रोका जाए मगर सर्कूलेशन को स्ट्रेंगूलेट अगर कर दिया जाएगा, तो उससे महंगाई बढ़ेगी, ब्लैक-मार्केटिंग बढ़ेगी। होर्डिंग को हम रोक नहीं सकते, बैंक ही रोक सकते हैं। सप्लाई डिपार्टमेन्ट के अफसर का इन्सपेक्टर और पुलिस भी इसको रोक नहीं सकती। मैं इस बात को बेखूबी जानता हूं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मेरा ताल्लुक रहा है। आप बेशक डेकलेरेशन करके इसको न लें लेकिन जब तक आप डाइरेक्शन्स नहीं देंगे, तब तक यह होगा नहीं।

एक बात और बैंकों के सिलसिले में कहना चाहता हूं। हमारे यहां बैंक्स काफी बढ़े हैं और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को और उनकी मिनिस्टरी को उन्होंने रूरल बैंकिंग का भी एक्सपेंशन किया है और रूरल एरियाज के लिए काफी किया है। ये अब एक नया बैंक बनाने जा रहे हैं जो इनटेग्रेटेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा मगर इसके बावजूद बैंकों पर कन्ट्रोल रखने के लिए एक नयी मशीनरी बनानी होगी क्योंकि पुरानी मशीनरी जो है, वह मैं समझता हूं ना काफी है। रिजर्व बैंक के आदमी बम्बई में बैठकर पूरा कन्ट्रोल नहीं कर सकते। यह सही है कि उनके कुछ जोनल आफिस हैं लेकिन वहां पर एक दो अफसर होते हैं और वे पूरी तरह से कन्ट्रोल नहीं कर सकते। वे यह नहीं देख सकते कि ठीक तरीके से बैंकिंग व्यवस्था चल रही या नहीं। अगर थोड़ा सा करप्शन इधर-उधर है, तो उसको निकाला जा सकता है। करप्शन की बहुत सी शिकायतें आती हैं। उनमें से बहुत सी गलत हैं और कुछ दुरुस्त हैं

लेकिन मैं यह चाहूंगा कि उन पर कन्ट्रोल रखने के लिए कोई अच्छा इन्तजाम होना चाहिए और इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि जब आपके यहां किसानों ने इतनी ज्यादा गन्दुम पैदा की है, तो फिर आपने इम्पोर्ट क्यों की है, कारण यह है कि लोगों ने अनाज अन्दर रखा है अब अगर सख्ती की जाए और जिन लोगों ने अन्दर उसको रखा हुआ है, उनसे वह निकाली जाए तब फिर दूसरी बातें कही जाएंगी। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि जितना फाइनेन्स प्रोवाइड किया जाता है, वह अमीर फार्मर्स ही ले लेते हैं। सहकारी बैंकों पर उनका कब्जा है। और वह ही रूरल एरियाज में क्रेडिट देते हैं, जो काआपरेटिव बैंक्स हैं, उन पर उनका कब्जा है। इसलिए इस में कुछ चेन्ज करने की जरूरत है। आपके जो कमर्शियल बैंक हैं, उनके लिए तो आप ने यह रखा है कि उसका जो चीफ एक्जीक्यूटिव है, वह रिजर्व बैंक की मर्जी से बनाया जाएगा और उसकी कुछ रेस्पोंसीविलिटी है मगर रूरल बैंक का जहां तक ताल्लुक है, मैंने बहुत दफा कोशिश की है और फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट भी की है स्टेट कोआपरेटिव बैंक के चीफ एक्जीक्यूटिव भी रिजर्व बैंक को अपाइन्ट करने चाहिए कि इसके बारे में गवर्नमेन्ट क्यों नहीं सोचती है, जिससे जितने भी इलस रूरल एकोनमी में हैं, वे दूर हो जाएंगे आज वहां पर जो खराबी है, उसके लिए रूरल क्रेडिट का मिसयूज ही रेस्पोसिन्बल है। जितना भी क्रेडिट आज रूरल एरियाज में जा रहा है उसके ज्यादा हिस्से का मिसयूज हो रहा है।

दूसरी बात मैं अब एम्पलायमेंट के बारे में कहना चाहूंगा। इसमें एजूकेटिड और अन-एम्पलायमेंट दोनों आते हैं। गावों के अन्दर यह हुआ है कि जो लेंड रिफार्म्स हैं, वे बड़े स्केल पर स्कटल हुए हैं। और शायद उसको वापस अमल में लाना लेना मुमकिन भी नहीं होगा। मगर जो लोग वहां रह रहे हैं, एग्रीकलचरल लेबर है, जिसके पास एम्प्लामेंट नहीं हैं, जिसको कि मशीनरी ने रिप्लेस कर दिया है, ऐसे लोगों पर तवोज्जो देनी चाहिए। एक तरफ मेन पावर बेकार है, दूसरी तरफ हमारे फौरन एक्सचेंज डीजल और पेट्रोल पर खर्च होता है। वह कहां जाता है ? हमें अपने मुल्क की मेन पावर को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए। जहां वह इस्तेमाल हो सकती है वहां उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जहां नहीं हो सकती है वहां दूसरी बात है। आखिर जमीन तो सब इन्सानों के लिए बनी है, चन्द इन्सानों के लिए तो बनी नहीं है। 2 1/5 वर्ष हो गए जिन लोगों ने हमको यहां भेजा है उनकी कोई बात नहीं करता।

हमारे अपोजीशन के लोग, मुझे अफसोस है, मोनोपली हाउसिज के बारे में तो बोलते हैं लेकिन जहां तक लेण्ड रिफार्म्स का ताल्लुक है इसमें वह चुप साध लेते हैं। इससे आवाम का ताल्लुक है और हम सभी को इसके बारे में एक राय से बोलना चाहिए। जो लोग नौकरी में हैं, वे आरगेनाइज्ड होकर अपनी मांगे मनवा लेते हैं, और बहुत सी रियायतें हासिल कर लेते हैं।

[श्री गिरधारी लाल डोगरा]

और लोग जरुरियात जिन्दगी पैदा करते हैं वे आरगेनाइज्ड सेक्टर में नहीं हैं पर जो भाव बढ़ते जाते हैं उनका भी सामना करना पड़ता है। उन सबका बोझ गरीब पर पड़ता है। जनाबेआला इन चीजों की तरफ भी आपको तवोज्जो देने की जरूरत है। मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि इसका कोई हल निकालें। मैं इस बात को समझता हूं कि इसमें टाइप की जरूरत है।

हमें अपने मुल्क में प्रोडक्शन को इन्क्रीज करने की जरूरत है। इसके लिए हमें स्माल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज, रूरल इन्डस्ट्रीज, और हैण्डीक्राफ्ट्स की तरफ तवोज्जो देनी चाहिए। तभी गरीब आदमी की हालत सुधरेगी और इससे छोटे-छोटे लोगों के पास भी पैसा जाएगा।

जहां तक रिहेबलिटेशन का ताल्लुक है, वह भी एक बहुत जरूरी चीज है। जब हम डिफेन्स करते हैं तो उसके लिए नयी नयी मशीनरीज और माडरन हथियार हमारे पास होने चाहिए। हमें एफ० 16 हवाई जहाजों से भी हिफाजत करनी है। लेकिन यह सब होते हुए भी जब तक हम बोर्डर के लोगों के मसले हल करके उन्हें कन्टेनमेंट नहीं देंगे, तब तक हम अपनीहिफाजत भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। वार में हमारी सिविल डिफेन्स भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। पाकिस्तान या चीन के साथ 1947, 1962,1965, 1971 की जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं उन सभी में हमारी स्टेट जम्मू व कश्मीर के लोगों ने मार खायी है। उन लड़ाइयों में हमारी स्टेट के लोगों के मसले जो खड़े हुए थे वे अभी तक हल नहीं हो पाए हैं। हमने सेन्ट्रल गवर्नमेंट से पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं। वह कर भी रही है लेकिन जितने ये मसले हल करने में देरी होती जाएगी उतने ही ये मसले बढ़ते जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट इन मसलों को जटिल बना रही है इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें इनकी तरफ भी तवोज्जो देनी चाहिए।

हमारे लोग पाकिस्तान जाते हैं, सिख भी जाते हैं, हिन्दू भी जाते हैं। वहां वे लोग हम से बहुत मोहब्बत करते हैं। वहां अभी भी लोग गए थे। वहां उनकी बड़ी खातिर हुई। हम लोगों को अपने घरों पर ले गए वे हमारी बाते सुनना चाहते हैं और हमारे ख्यालात जानना चाहते हैं लेकिन जहां तक इन्फर्मेशन और ब्राडकास्टिन्ग का ताल्लुक है, चाहे वह टेलीवीजन हो, चाहे रेडियों हो, इसकी तरफ पूरा जोर नहीं दिया जाता है। कभी कोई वहां जाता है तो कह देते हैं कि हम जम्मू के अन्दर एक टेलीवीजन का स्टेशन बना रहे हैं, मगर अमल नंदारद। यह शिकायत राजस्थान वाले भी करते हैं। इस तरफ भी तवोज्जो दिए जाने की जरूरत है। हम अपनी बातें उन्हें टेलीवीजन के जरिए दिखा सकते हैं और रेडियों के जरिए सुना सकते हैं। पाकिस्तान बार्डर के करीब हमारे रेडियों और टेलीवीजन हर स्टेट में बजने की जरूरत है इस तरफ तवोज्जो देने की

जरूरत है। लद्दाख के रेडियो से हम तिब्बत के लोगों को प्रभावित कर सुना सकते हैं। वहां भी आपको तवोज्जोह देनी चाहिए।

हमारी ट्रेड चीन के साथ और तिब्बत के साथ होती थी चीन के साथ अगर कोई सुलह हो रही है तो ठीक है। मैं चाहता हूं कि हमारा व्यापारिक कलचरल और एजूकेशनल सम्बन्ध पहले की तरह तिब्बत और चीन से कायम हो जाए। और फिर मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को, उनके डिपार्टमेंट और सारे एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूं कि जिस डिसिप्लिन का सबूत वह दे रहे हैं और जिस खूबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं हमें अपने वोटरों को सैटिस्फैक्शन देना जरूरी है उस पर गौरव कर सकते हैं मगर जिन बातों की तरफ तवज्जह देनी चाहिए वह सामने रखें। हाउस के मेम्बरों को कहना चाहता हूं कि हम सभी जिन गरीब आदमियों की और वोटरों की मदद से यहां आये हैं हम भी उनकी तरफ पूरी तवज्जह दें। उसकी तरफ तवज्जह दी जाये।

श्री झारखंडे राय (घोसी) : सभापति महोदय, इस अनुपूरक बजट में नई दिशा-निर्देशन की आशा तो नहीं की जाती, लेकिन उसकी थोड़ी झलक की आशा की जाती है। ऐसी कोई झलक या दिशा निर्देशन इस बजट में हमको दिखायी नहीं पड़ता। बिल्कुल रोटीन, रिचुअल, स्टेटस-कोबजट है, जैसा इस सदन में पेश होता आया है। मैंने 16 साल यू० पी० असेम्बली में भी अनुभव किया, वैसे ही यहां भी 13 साल से किया है। कोई रेडिकल, कोई मूलभूत परिवर्तन की तरफ किसी बजट में न संकेत मिला है और न इसमें मिला है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश की मौजूदा व्यवस्था का है।

पिछले 30 वर्षों में हमारे देश ने आजादी के बाद जिस रास्ते पर अपने पैर बढ़ाए, वह पूंजीवादी विकास पथ था, उस रास्ते से मौलिक परिवर्तन की रचना अब तक 35 साल में हमको या हमारे देश को, देश की जनता को नहीं मिली है। इसी कारण पूंजीवादी विकास पथ के जो अन्जाम होते हैं, जो अनुभव पूंजीवादी देशों में हुआ है, अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप के देशों में, जापान वगैरह में, वही हमारे देश में भी धीरे-धीरे उभरकर सामने आ गये हैं और इन गुत्थियों में सरकार, जनता, विपक्ष सभी फंसते चले आ रहे हैं।

दिनों दिन बढ़ती हुई कमर तोड़ महंगाई का कोई समाधान 35 साल में नहीं निकल पाया। सरकारें आयी और गयी, कांग्रेस सरकार रही, जनता पार्टी की सरकार आयी, 9 महीने लोकदल की सरकार बनी, फिर कांग्रेस (आई) की सरकार आयी, लेकिन अब दो साल बीत गए, महंगाई के ऊपर किसी का भी सन्तोषजनक नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। इसका वित्त वित्त मंत्री जी क्या जवाब देंगे, यह लोग जानना चाहते हैं।

[श्री झारखंडे राय]

आंकड़ों की जगलरी और जिमनैजियम से किसी से इसका हल निकलता नहीं है। इसी सदन में एक सदस्य ने कहा था कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ढाई करोड़ रजिस्टर्ड बेकारों की समस्या है, थोड़ी कम हो या ज्यादा हो, उसका महत्व नहीं है लेकिन रजिस्टर्ड बेकारी ढाई करोड़ से अधिक जिस देश में हो जाएं, उसका समाधान नहीं निकल पा रहा हो तो क्यों ? यह हाउस, जनता राष्ट्र और जन-जन पूछ रहा है। यहां बातों से किसी को संतोष नहीं होगा। अकेले सन्तोषजनक जवाब लोग चाहते हैं।

मध्यम और उद्योग मिटते जा रहे हैं या गिरते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, बन्द होते जा रहे हैं, कच्चे माल का अभाव है, बिजली नहीं है। जो कुछ माल आखिरकार बनाया है, उसका बाजार नहीं है। नतीजा यह हो रहा है कि बेरोजगारी और कारोबार का बन्द होना बड़े पैमाने पर हो रहा है। यह क्यों ? इस "क्यों" का जवाब हम चाहते हैं। जो लोग ब्रह्मा को मानते हैं, वे कहते हैं : सर्वव्यापी ब्रह्म, घट-घट व्यापी राम, आम्नीप्रेजेन्ट गाड और हाजिर नाजिर खुदा की तरह भ्रष्टाचार हमारे सामाजिक और राजनैतिक जीवन के रेशे-रेशे में, रग-रग में, रक्त के एक-एक कार्पसल में, बढ़ता और फैलता जा रहा है। क्या इसका कोई समाधान निकलने की आशा दिखाई पड़ रही ?

अमीर और गरीब की खाई कितनी बढ़ी है ? इसी सदन में सुप्रसिद्ध अर्थ-शास्त्री अशोक मेहता ने कहा कि अंग्रेजों के राज्य की तुलना में अमीर और गरीब का अन्तर ज्यादा बढ़ गया है। मुझे उनके फिगर्ज ठीक से याद नहीं हैं। आंकड़े वित्त मन्त्री बता देंगे।

आज चारों ओर अराजकता, उच्छृंखलता और अनुशासनहीनता है और जीवन-मूल्यों का चतुर्मुखी ह्रास, स्टीम फाल होता जा रहा है। क्यों ? इस "क्यों" का जवाब राष्ट्र के नये हुक्मरानों से लोग पूछना चाहते हैं। हमेशा यह कहने से काम नहीं चलेगा कि तीन ताल में श्री चंडबते ने बहुत गड़बड़ी की थी, हम उसकी सफाई कर रहे हैं। यही बात ये लोग भी कहते थे। मैं 1977 के चुनाव में हार गया था, मैं यहां नहीं था, लेकिन मैं पेपर्ज में पढ़ता था कि ये लोग कहते रहते थे कि कांग्रेस के तीस साल का कूड़ा कर्कट साफ कर रहे हैं—और करते-करते खुद साफ हो गए। एक दूसरे पर छींटा कराने से सफाई नहीं होगी। इस देश के सारे हुक्मरानों से, सब मन्त्रियों से और आगे-पीछे केन्द्रीय शासन में रहने वाली सब पार्टियों से देश जनता और इतिहास ये सवाल पूछते हैं।

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की चर्चा हल्के-हल्के अभी भी हो रही है। क्या वित्त मन्त्री का हृदय यह कबूल नहीं करता है कि मिक्स्ड इकानामी का एक्सपेरिमेंट इंडिया में पूरी तरह से फेल हो गया है ? आवश्यकता इस बात की है कि 35, 36 साल के अनुभव से सीख कर उस पूंजीवादी पथ को छोड़ दिया जाए और नये समाजवादी विचारों और नई समाजवादी नीतियों को

ग्रहण किया जाए। लेकिन इस सरकार की नीति है कि जो पकड़ लिया, उसको छोड़ना नहीं है। वह मिक्सड इकानोमी की नीति के साथ चिपटी जा रही है। बच्चा तो मर गया, अगर बंदरिया भी मर जाए, तब भी कोई बात नहीं है।

इससे सदन में राष्ट्र नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से एक बार आंकड़े पेश कर रहे—वे आंकड़े कहां से आते हैं, हम जानते हैं—कि देश में कितना विकास हुआ है और अलग अलग क्षेत्रों में कितना बढ़कर उत्पादन हुआ है। बोलते-बोलते उनके मन में भाव आया होगा कि यह नया धन और सम्पत्ति कहां गए। तो महालनवीस आयोग बन गया। उसकी रिपोर्ट थी कि 70 फीसदी धन चन्द घरानों के पास चला गया और 30 फीसदी 60 करोड़ जनता के पास रह गया। अमीर और गरीब तथा अमीर और मध्यम वर्ग का अंतर बढ़ गया। तब राव कमीशन आ गया और उन 75 परिवारों की सृष्टि हुई, जिनका हिन्दुस्तान की दो-तिहाई सम्पत्ति पर कब्जा है।

क्या यह समाजवाद है या समाजवाद की विडम्बना हैं? क्या एक लोक-कल्याण कारी राज्य बन रहा है या समाज वाद के नाम पर अपार पूंजी का विकास किया जा रहा है? लाखों के मालिक करोड़ों, करोड़ों के मालिक अरबों और अरबों के मालिक खरबों के मालिक बनने का प्रयास कर रहे हैं। क्या यह देश के साथ धोखा है या आत्म-प्रवंचना है? एक तरफ धन और सम्पति का कैलाश, हिमालय, ऐवेरेस्ट कंचनजंघा खड़ा हो रहा है और दूसरी तरफ गरीबी, विपन्नता, अकिंचनता और दारिद्रय का विशाल मरुस्थल और पाताल बन रहा है। ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, जिससे यह अन्तर मिटे। इस स्थिति में शासन तो चल सकता है, लेकिन लोक-कल्याण नहीं हो सकता है।

इसका समाधान एक है। अगर 35 साल के अनुभव से कुछ सीखना है, तो वह यही हैं कि पूंजीवादी विकास का रास्ता हमको अब छोड़ना होगा और समाजवाद की ओर चलना होगा। देश कल्याण का और कोई रास्ता नहीं है। इस रास्ते में ठोकरें लगेंगी, अनुभव होगा पीछे हटेंगे, आगे बढेंगे लेकिन पूंजीवाद से बेहतर सोशल और इकानोमिक सिस्टम समाजवाद है, यह सर्वमान्य और सत्य है। और किसी भी करोबार में नहीं है?

मैं तो उस समय हक्का बक्का रह गया जब इसी सदन में पिछले 18 सितम्बर को अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस हो रही थी और इंदिरा जी बहस का जवाब दे रहीं थीं, बोलते-बोलते शायद चित बसु, जो उन के दिमाग में रहे होंगे, क्यों कि वह बेकारी के ऊपर ही बोले थे और तमाम आंकड़े उन्होंने दिए थे कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी योजनाओं के बाद बेकारी को क्या स्थिति है और छठी पंचवर्षीय योजना के बाद क्या संभावना है, इसी पर कुछ कहा उन्होंने और मैं सचमुच उस दिन निराश हो गया, आखिरी आशा की जो किरण थी इस सरकार से वह भी खत्म हो गई जब उन्होंने कहां कि बेकारी तो सारी दुनिया में है। कहां नहीं हैं? क्या किया जाए? इस के माने हार मान ली। देश इस बात को जान जाय कि वह हार मान

[श्री झारखंडे राय]

गई। आज के सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न व्यक्ति ने हार मान ली कि वह नहीं रोक सकता, न महंगाई को रोक सकता है न बेंकारी को। तब फिर क्यों आप वहां सत्ता में रहें ? यह प्रश्न क्या नहीं उठता है ? लाजिकल कारोलरी होती है कि आप लोग क्यों वहां रहें हैं ? क्यों न वहां सत्ता से हट जायें ? नया चुनाव कराइए और दूसरी को मौका दीजिए अगर वह विश्वास प्राप्त करके आए। ऐसा प्रवचन देते समय बाहर या भीतर कभी भी हमारी प्राइम मिनिस्टर इस बात को नहीं सोचती कि दुनिया का एक तिहाई समाज वादी व्यवस्था वाला हिस्सा ऐसा है कि जहां यह पूंजीवादी अभिशाप नहीं है। क्यों नहीं ? क्या उन के चार चार हाथ और पैर हैं ? नहीं। केवल व्यवस्था परिवर्तन का प्रश्न है। पूंजीवादी व्यवस्था के अंजाम यह रहेंगे, उस के नतीजे यह रहेंगे। और रोशलिस्ट सिस्टम में यह सब खत्म होगा। वही तरीका अच्छा है। अनुभव सिद्ध तरीका वही है और कि हम इस रास्ते को बदलें।

उत्तर प्रदेश के बारे में कह कर खत्म करूंगा। उत्तर प्रदेश के तीन पिछड़े क्षेत्र हैं-पूर्वांचल पर्वतीय और बुन्देलखंड, इन के द्रुत विकास का प्रयास आज तक नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के लिए एक पटेल कमीशन नेहरू जी के जमाने में बना था। वह भी सड़-सड़ा गया। उस को फिर से संशोधित कर के उत्तर महगाई को ही आप लीजिए। अब इस पर आंकड़ों में तो हमारे भाई बोल चुके हैं, बहुत लोग बोलें हैं; हमेशा बोलते हैं, तो आंकड़ों में मत जाइए। लेकिन यह सत्य है न कि हर चीज की महंगाई थोक और फुटकर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, रुकने का तो नाम ही नहीं है। कम होने की बात तो छोड़ दीजिए। क्या यह सत्य नहीं है कि हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी ने इन्हीं दो बातों का नारा दिया था कि हम स्टेबिलिटी लाएंगे, स्थिर सरकार बनाएंगे और महंगाई को कट्रोल करेंगें ? जनता पार्टी की असफलताओं से लोग थोड़े घबड़ाए हुए थे। उन को विश्वास प्राप्त हुआ, वह सत्ता में आई। ठीक हैं, प्रजातन्त्र का मतलब ही यही है। लेकिन वह इन दोनों बातों में बिल्कुल फेल हो गई। किसानों के उचित मूल्य को लीजिए। क्या सचमुच यह सत्य नहीं है कि जो भी जीतता है वह किसानों के वोट से ही जीतता है, शासन में आता है तो किसानों के वोट से ही आता है; किसानों की दो ही तो राष्ट्रीय मांगें है। एक तो यह कि एक बार उन का सारा जो किसानी कर्जा है, व्यापार या दूसरे कामों के कर्जे को छोड़िए जो किसानी से सम्बन्धित काम के लिए ऋण है वह सारे देश में राइट आफ कर दिया जाये। वह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं हैं और दूसरी बात यह है कि उन को उचित मूल्य मिले गन्ने का, कपास का, तिलहन का मूंगफली का और गेहूं का। हर चीज जो वह पैदा करते हैं उसका उचित मूल्य उन को मिले। ये दो ही तो उन की राष्ट्रीय मांगें हैं। लेकिन दोनों की तरफ माननीय वित्त मंत्री जी बजट में कोई ऐसा कदम नहीं उठा पा रहे हैं कि जिस से उन को समाधान हो कि अब इस के बाद हमें उचित मूल्य मिलेगा। यह तो एक तरह से असफलता मान लेना है।

गन्ने का मामला लीजिए, उत्तर प्रदेश और बिहार की तो मुख्य नगदी फसल गन्ना है। बिहार में 35 रुपये क्विंटल की बात आ गई। हमारे उत्तर प्रदेश में और जगहों में तो 30 रुपये

क्विंटल हो है। तो 30 रुपये क्विंटल की बात तो मान लीजिए, 35 की बात छोड़ दीजिए ताकि किसान अपनी पैदा वार का उचित मूल्य पा सके। गन्ने के पूंजीपति तो भंयकर लूट करते हैं। इन के ऐसी लूट का रेट तो सिवाय गल्ले के व्यापार के हिन्दुस्तान में प्रदेश के 13 जिलों पर लागू कीजिए। भूमि सुधार को तो लगता है सरकार ने छोड़ ही दिया। उस को छोड़ा न जाय। काला धन कितना है कितना नहीं है, आंकड़ों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन है और अकूत धन है, इस को निकालने के लिए सरकार ने और वित्त मंत्री ने क्या प्रयास किए हैं, उन में कितनी सफलता मिली है, यह देश जानना चाहता है।

श्री के० आर० गणेश ने एक बार कोशिश की थी। लेकिन वह विभाग उनसे छिन गया। बाद को उन्हें सरकार से निकाल दिया गया। बुनकरों के बारे में बहुत कहा जा चुका है। एक बात मैं बीमार कारखानों के बारे में कहना चाहता हूं और वह यह कि किसी भी बीमार कारखानें को अगर आप अपने हाथ में लेते हैं मैंनेजमेंट की अक्षपता या नालायकी की वजह से तो उसको किसी भी हालत में दुबारा मालिक के हाथ वापस न कीजिये। जैसे आपने डालमिया का सीमेंट कारखाना लिया है। तो जिसको लेते हैं उसको ठीक कर के फिर मालिक को वापस कर देते हैं, यह धधा बन्द कर दीजिये। और देश में जल परिवहन पर अधिक जोर दिया जाये क्योंकि यह बहुत सस्ता पड़ता है।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं अपने मन के भाव प्रकट कर सकूं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, एक जमाना था, मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूं...

सभापति महोदय : आप लड़कपन में थे या जवानी में थे ?

श्री मूल चन्द्र डागा : 1921 में बजट पेश हुआ तो 129 करोड़ का था। लेकिन जो आपने ऐक्सेसिव डिमान्ड्स पेश की, तो मैं पहले आपका ध्यान पी० ए० सी० की 57 वीं रिपोर्ट की तरफ दिलाता हूं जिसमें लिखा है:

['इस संबध में समिति को मजबूर हो कर यह भी कहना पड़ रहा है कि संसद द्वारा स्वीकृत 21,831.33 करोड़ रु० के कुल अनुदानों की तुलना में विनियोग लेखों से 1910.49 करोड़ रु० की बचत अर्थात स्वीकृत उपबन्धों के 8.8 प्रतिशत का पता चलता है। विनियोग लेखें (सिविल) से 12,534.79 करोड़ रु० को स्वीकृत राशि में से 1,479.96 करोड़ रु० अर्थात 11.8 प्रतिशत की बचत का पता चलता है तथा 31,628.43 करोड़ रु० की प्रभारित राशि में से 1711.16 करोड़ रु० अर्थात 5.4 प्रतिशत की बचत होती है। अत: 44,163.22 करोड़ रु० की कुल स्वीकृत और प्रभारित राशि में से कुल 3,192.12 करोड़ रु० की बचत हुई जो 7.2 प्रतिशत है। अर्थव्यवस्था के कृषि मत्स्यपालन ग्रामीण विकास सिचाई, संचार विद्युत, विकास,

[श्री मूलचन्द डागा]

चिकित्सा और जन स्वास्थ्य उद्योग ग्राम और लघु उद्योग, वस्त्र-हथकरघा और हस्त शिल्प, पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन उद्योग, रसायन और उर्वरक उद्योग, सड़केपतन, दीप घर (लाइट-हाउस) और नौहवहन, लोक निर्माण, आवास और नगर के विकास आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूंजीगत अनुभाग में भारी मात्रा में बचत होने का पता चला है।]

इतने बड़े-बड़े महकमों में रु० खर्च नहीं हुआ। यह आपके प्रशासन की योग्यता का एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा कि जो कुछ रुपया दिया गया वह खर्च नहीं हुआ। और उन्होंने बताया है:

"विनियोग लेखों (सिविल) से कुल 41,163 करोड़ रुपये के स्वीकृत और प्रभारित राशि की तुलना में लगभग 3191 करोड़ रु० की बचत का पता चलता है। इस प्रकार की बड़े पैमाने की बचतें न केवल बुरे बजट का ही अपितु लोगों की उन्नति के लिए उपलब्ध कराए गए स्रोतों का पूर्ण रूप से उपयोग न कर पाने की सम्बद्ध विभाग की असफलता का भी द्योतक है।" तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन विभागों ने जिनका मैंने जिक्र किया सारी रकम खर्च नहीं कर सके। अब आप इतने रु० की ऐक्सेस ग्रान्ड की डिमान्ड ले कर आये हैं। जब कि रुपया खर्च नहीं कर सके जैसे ऐग्रीकल्चर, इरीगेशन, रूरल डेवलपमेंट आदि विभाग।

रिपोर्ट को देखने से मुझे आश्चर्य हुआ कि जो रुपया इन कामों के लिए देते है डिपार्टमेंट उसको खर्च नहीं कर पाता है और इसकी डिटेल में रिपोर्ट दी है।

आप 80 करोड़ रु० की मदद दे रहे है, उस आदमी को जो इम्पोर्ट करता है और बाहर एक्सपोर्ट करता है। उसके लिए आपकी तरफ से जो रुपए दिए जाते हैं, उसके बारे में मैं फैक्ट्स रखना चाहता हूं। आप जो रुपया देने जा रहे हैं, क्या उसके बारे में आपने सोचा है कि उसका क्या होता है? आडिड रिपोर्ट को देखने के बाद 1,446 केसेज ऐसे हैं, जिसके अन्दर अभी तक मालूम नहीं है कि यदि एक करोड़ का माल तो एक्सपोर्ट किया और करने के बाद 15 लाख रुपया गवर्नमेंट से ले लिया, लेकिन फॉरन एक्सचेंज रिलीज किया या नहीं किया, यह मालूम नहीं है।

मैं आपको एक रिपोर्ट का हवाला देना चाहता हूं।

भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक की 1979-81 वर्ष की अग्रिम रिपोर्ट।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : इसी लिए लेखा परीक्षा रोक दी गई है। केवल शून्य प्रतिशत लेखा परीक्षा की गई है।

श्री मूल चन्द डागा : मैं सभी अवसरों को उद्धृत नहीं कर रहा हूं, परन्तु मैं केवल एक ही मामला उद्धृत कर रहा हूँ और वह है फर्म-बी को 2.04 लाख रुपये का अधिक भुगतान। इस्पात ट्यूबों और पाइपों के निर्यात पर दी जाने वाली नकद प्रति पूर्ति सहायता 9 जनवरी, 1974 से बन्द कर दी गयी थी। फिर भी लेखा परीक्षा के दौरान इस बात का पता लगा कि 22 दिसम्बर, 1973, 28 दिसम्बर, 1973 और 8 जनवरी 1974 के शिपिंग बिलों की 'भेट' रसीदों की तारीखों को मिटाया गया था और उन्हें दुबारा लिखा गया था। लेखा परीक्षा द्वारा इन अनियमितताओं को उठाए जाने पर जे.सी.सी.आई.ई. ने मामले को बम्बई सीमा शुल्क समाहर्ता के पास उठाया, जिन्होंने सूचित किया कि 'मेटस' रसीदों की वास्तविक तिथियां क्रमश: 20, 7, 20, 20, 15, 16, और 16 जनवरी, 1974 थीं। चूंकि 9 जनवरी 1974 को अथवा उसके बाद किए गए निर्यात पर किसी प्रकार की नकद प्रति पूर्ति सहायता ग्राह्य नहीं थी, तारीखों को मिटाए जाने और उन्हें पुन; लिखने के कारण 6 मामलों में नकद प्रति पूर्ति सहायता के रूप में 2.04 लाख रुपयों का अधिक भुगतान किया गया। फर्म-बी से 2.04 लाख रुपये की वसूली की गई, परन्तु तारीखों को मिटाने अथवा उन्हें दुबारा लिखने के लिए किसी प्रकार का उत्तरदायित्व निर्धारित नही किया गया और मामले को पुलिस के दर्ज नहीं कराया गया।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : ऐसा कुछ वर्ष पूर्व हुआ था।

श्री मूल चन्द डागा : अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप रिपोर्ट देखें।

मैं कहता हूं कि 1,031 मामलों में क्या हुआ है कुल राशि 3 करोड़ रुपये के आस पास बनती है। जो रुपया आप बाहर दे रहे हैं, वह किसको देते हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या कभी इसका इन्टरनल-आडिट होता है? मैं यह कहना चाहता हूं जो आप एक्सेज डिमांड्स या सप्लीमेन्ट्री डिमांड्स रखते हैं उसके लिये अब कोई नया प्रोसीजर होना चाहिये, उसमें इन्टरनल-आडिट की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आप के पास पी० ए० सी० की रिपोर्ट जाती होगी, कभी आप उस को पढ़ें, अगर आप उस को पढेंगे तो आप भी एग्री करेंगे कि जो हमारा सिस्टम है वह डिफेक्टिव है। हम पार्लियामेन्ट में जो बजट पेश करते हैं, उसके बाद जो प्रपोजल्ज होती हैं उनको देखने के लिए एक कमेटी मुकर्रिर होनी चाहिए। जो यह जांच करे कि जो रुपया जिस काम के लिए दिया गया वह किस प्रकार से खर्च किया गया, उसका क्या यूटिलाइजेशन हुआ, किस ढंग से यूटीलाइजेशन हो रहा है, सही हो रहा है। या गलत हो रहा है। इस वक्त इस तरह की कोई कमेटी नहीं है।

चेअरमैन साहब, आप हमें यह बतलाइये कि इसमें किसकी एकाउन्टेबिलिटी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है...

सभापति महोदय : आप मुझसे पूछ रहे हैं अथवा मंत्री महोदय से.....

श्री मूलचंद डागा : आप जो कहेंगे मैं उसको मान लूंगा । जो आप का निर्णय होगा वह ठीक है । आप जज रह चुके हैं, आप जजमेन्ट दीजिए । इस रिपोर्ट में जो दिया गया है वह पढ़ने लायक है कि कितना फारन-एक्सचेंज का रिअलाइजन नहीं हुआ, पुलिस केस भी हो गया लेकिन कभी किसी का चालान नहीं हुआ, वर्षा से एन्क्वायरी चल रही है...

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय, में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : सब पैसों की माया है ।

श्री मूल चंद डागा : आज कल हमारे वित्त मंत्री जी कई जगहों पर बड़ी शक्ति से भाषण देते हैं कि हम पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज में काफी सुधार लायेंगे—लेकिन आप देखिए—टेनरी फुट-वियर कारपोरेशन 1969 में बनी थी और शुरू से ही घाटे में चल रही है । बराबर घाटा ही घाटा है । 11 साल के बाद उसका घाटा 5 करोड़ 63 लाख रुपये तक पहुंच गया । लोगों के खून-पसीने की कमाई टैक्सों में लेकर हम किन लोगों को दे रहे हैं, उसका क्या यूटिलाईजेशन हो रहा है ?

हमारे यहां इन्जीनियरिंग प्राजेक्ट्स (इण्डिया) लि० को आप ने 12 करोड़ रुपया दिया । हमारे इंजीनियर्स बाहर जाते हैं, बड़ा अच्छा काम करते है, क्वैत में आप ने कुछ बनाया, लेकिन 12 करोड़ रुपये का घाटा हो गया । मुझे समझाइये इस तरह से हम पब्लिक अण्डर टेकिंग्ज को पैसा देते जांय और घाटा-ही-घाटा उठाती जांय तो इससे क्या फायदा है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने प्रबन्ध-कार्य में अक्षम लोगों को रखा हुआ है । यही कारण है कि उन्हें घाटा हो रहा है ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह अर्ज कर रहा हूं...

श्री सोमनाथ चटर्जी : एक प्वाइंट डागा साहिब का अच्छा था, लेकिन यह गड़बड़ वाला प्वाइन्ट उनको मिल गया है ।

सभापति महोदय : अब, डागा साहब, खत्म कीजिये, बहुत हो गया है ।

श्री टी० एस० नेगी (टिहरी गढ़वाल) : चेयरमैन साहब, वित्त मंत्री महोदय ने जब से सदन में मूल बजट पेश किया, तब से आज तक खाद्यान्नों की कीमतें करीब दुगनी हो गई हैं और बहुत सी वस्तुओं की कीमतें तो तीन गुनी और चार गुनी तक पहुंच गई हैं और इस के लिए जवाब हम को यह मिलता है कि सारी दुनिया में कीमतें बढ़ रही हैं । वित्त मंत्री महोदय हम को यह बताएं कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में मजदूरों को क्या मिलता है, पर डे उन की मजदूरी क्या है । उन की जो आमदनी है, वह कितनी बढ़ी है और हमारे मुल्क में कितनी बढ़ी है ।

हमारे मुल्क में आज भी 60 प्रतिशत से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं । क्या वित्त मंत्री महोदय ने यहां के मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई, क्या कारखाने और दफतरों में काम करने

वाले लोगों की तन्खवाहें बढ़ाई ? इस पर उन को ध्यान देना चाहिए । अगर महगाई रेशों में इन्कम भी बढ़ती और महंगाई हो जाती, तो कोई ज्यादा परेशानी की बात नही थी लेकिन आमदनी तो ज्यों की त्यों रही और कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं । नतीजा हो रहा है कि गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और अमीर लाखों, करोड़ों और अरबों रुपया जमा कर रहा है ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस नंगे और भूखे मुल्क की सरकार कर्जा लेती जा रही है । अगर हम पिछले कर्जे को देखें और उस का हिसाब लगाएं तो प्रत्येक व्यक्ति हिन्दुस्तान में अन्दर 200 रुपये का कर्जदार है और अब एक और नया कर्जा आई० एम०एफ० से लिया जा रहा है। इस से लोगों पर और कर्ज का भार बढ़ेगा । क्या इसी के लिए हम रुपयों की मंजूरी दे इसी के लिए बजट मजूर करें ? हम यह देखते हैं कि सप्लीमेंट्री बजट जितने जाते हैं, उन से लोगों को कोई फायदा नहीं होता हैं । मजदूरों पर टैक्स दिन व दिन बढ़ते जा रहे हैं गरीब होता जा रहा है । हमारा मांस तो सरकार ने नोच ही लिया है, अब यह हमारी हड्डियों पर भी दाँत चुसा रही है । जो इस बजट में रुपये की मंजूरी की बात है, तो क्या हम पुलिस की गोलियां खाने के लिए इस बजट की मंजूरी दें । मैं आप को बताऊं कि पुलिस की गोलियों से 9 व्यक्ति एटा जिले में मरें थे मैं वहां गया था । राजनारायण जी भी थे । मैं राजनारायण जी के साथ गया था । वहां पर जा कर मैंने देखा और वहां लोग यह कह रहे थे कि ऐसी पुलिस से तो डाकू ही अच्छे हैं यह पुलिस बदतर है । इस ने नादरशाही मचाई है । हर गांव में महिलाओं की इज्जत लूटी गई और वहां कोई भी गाव ऐसा नहीं होगा, जहां पर लूटपाट न हुई हो । कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर इन्काऊन्टर में लोग न मारे गये हों या उन से रुपया न वसूल किया गया हो। इसी तरह से मैं देवली भी गया था । वहां पर 24 हरिजन मारे गये थे । वहां पर जो सवर्ण लोग थे, वे उस गांव से भाग गये थे । वहां पुलिस की तो तीन कम्पनियां पड़ी हैं और उन तीनों पुलिस की कम्पनियों के वहां होते हुए गांवों म जो सवर्णों के मकान थे, वे लूटे गये 10-15 ऐसे मकान थे । वहां गल्ला बिखरा हुआ था और उन का सारा सामान लोग ले गये । पुलिस के वहां होते हुए, यह सारा काम वहां हुआ । तो क्या ऐसी पुलिस के लिए हम रुपया दें, पुलिस से गोलियां खाने के लिए रुपया दें, भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए पैसा दें ? आप देखेंगे कि जब मजदूर कहता है कि हमारी मजदूरी बढ़ाओ और हम उचित तन्खवाह दो, तो उन पर गोली । विद्यार्थी अपनी मांगों के लिए लड़े, तो उन पर गोली । अगर किसान अपने उत्पादन के लिए जायज कीमत मांगें, तो उन पर गोली । जहां देखों, वहां गोली का राज है । कर्मचारी लोग अगर अपनी जायज मांगों के लिए आन्दोलन करें, तो उन पर गोली । आज बिहार की क्या हालत है । शूट एट साइट का वहा आर्डर है । एक नादरशाही मची हुई है जैसे इस मुल्क में कोई राज है ही नहीं । जो कोई मांग करे, उसके लिए शूट एट साइट का आदेश है । अगर कल पुलिस वाले अपनी मांग रखेंगे, तो उन पर भी आप गोली चलवायेंगे । जब महंगाई इस ढग से बढ़ रही है, तो वे लोग अपनी मांगें तो रखेंगे ही । इस सब के लिए आप रुपये की मजूरी लेना चाहते हैं ।

सरकार डीजल के दाम बढ़ा रही है, रेलभाड़ा बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ा रही है ।

[श्री टी० एस० नेगी]

हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं और गरीबों का शोषण हो रहा है। दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि जब बजट पेश किया जाता है, तो उस समय रेडियो, से टेलीवीजन से यह बोला जाता है कि यह गरीबों के फायदें का बजट है। जब दाम बढ़ते हैं तो गरीब ही आपसे पूछते हैं कि यह बजट कहां गया।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में बाढ़ से करीब-करीब सौ करोड़ रुपये का हर साल नुकसान होता है। जमना और गगा जहां से निकलती है वहीं से सबसे ज्यादा बाढ़ आती है और नुकसान होता है। सरकार हवाई जहाजों से हेलिकोप्टरों से देख आती है और लगता है बड़ा काम हो रहा है। एक-दो महीने वह काम होता है फिर दस महीने खामोशी हो जाती है। दरअसल बात यह है कि बाढ़ के लिए सरकार जो थोड़ी-बहुत मदद देती है उससे कुछ तो प्रोटेक्शन वाल वगैरह: बन जाती है और कुछ कर्मचारी और नेता लोग खा जात हैं। उससे वास्तव में

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

कुछ नहीं होता है। अगर सही मायनों में बाढ़ को रोकना है तो इसके बारे में मेरे सुझाव हैं।

अगर सरकार बाढ़ नियंत्रण का काम वार फुटिंग पर करे तो बाढ़ रुक सकती है। बाढ़ आने का मेन कारण यह है कि बाढ़ वाले क्षेत्र में जो जंगल हैं, पेड़ हैं उनको लोग काट रहे हैं। वे काटते इसलिए हैं कि उन्हें ईन्धन के लिए, अपने मकान बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। उन्हें अपने पशुओं के लिए चारा चाहिए। ये जरूरी चीजें हैं जिनको कि लोगों को पूरा करना पड़ता है। आखिर लोग खुले आसमान के नीचे तो रह नहीं सकते, उन्हें रहने के लिए मकान चाहिए। खाने पकाने के लिए ईन्धन चाहिए। इन सबके लिए तो लकड़ी की जरूरत होती है।

हमारे उत्तरप्रदेश के जिस हिस्से से गंगा और जमना जाती हैं वहां 40 लाख की आबादी है। वहां काफी डेम बन रहे हैं। अगर वहां के लोगों को बिजली मुफ्त या बहुत नोमिनल रेट्स पर दे दें तो आपके जंगल कटने से बच सकते हैं। अगर आप उनको कुकिंग गैस, मिट्टी का तेल, कोयला, सीमेंट और लोहा सब्सीडाइज्ड रेट्स पर दे दें तो वे सब इन वस्तुओं से अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। फिर उन्हें मकान बनाने के लिए, ईन्धन के लिए, चारे के लिए लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप काफी पावर स्टेशन की बातें कर रहे हैं लेकिन जितना आप कर रहे हैं उतना ही लोग जंगल काट रहे हैं। आप एक करोड़ पेड़ लगाते हैं, दूसरे महीने सब खत्म। बहुत से उनमें सूख जाते हैं पानी के बगैर इसलिए मेरा निवेदन है कि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए आप वहां के लोगों को उनकी जरूरत की चीजें सब्सीडाइज्ड रेट्स पर दे दें। आपको एक सौ करोड़ रुपया बनाने के लिए सिर्फ 20-25 करोड़ रुपये की सब्सीडी प्रतिवर्ष देनी पड़ेगी। इसकी आपको अपने बजट में गुंजाइश रखनी चाहिए। इस बाढ़ को रोकने से देश को काफी फायदा भी होगा।

श्री के० टी० कोसलराम (तिरुचेंडूर) : सभापति महोदय, अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुए मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ।

मैं वित्त मंत्री की प्रतिभा और उनकी आर्थिक बुराइयों को हल करने की क्षमता के प्रति भारी सम्मान करता हूँ। लेकिन मूल्य वृद्धि उनकी पकड़ से बच निकलती दिखाई देती है।

शायद वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। पिछले दिनों ही माननीय रेल मंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से लाये गये बजट के जरिए 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक माल भाड़े में वृद्धि की है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : रेल मंत्री ने डीजल तेल के बढ़े हुए मूल्य के कारण माल भाड़े में वृद्धि की है।

श्री के० टी० कोसलराम : उन्होंने डीजल के मूल्य में वृद्धि नहीं की है। अतः यह अप्रत्यक्ष रूप से लाया गया बजट है। मेरे माननीय मित्र श्री सेठी ने 300 रुपये प्रति टन के उपकर के रूप में अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि की है। मेरे माननीय मित्र, उद्योग मंत्री श्री तिवारी ने बीड़ी पर उपकर लगाया है। अब कृषि मंत्री चीनी उपकर विधेयक को पुरःस्थपित कर रहे हैं। आप वित्त मंत्री को किस प्रकार दोष दे सकते हैं ? प्रत्येक केबिनेट मंत्री विधेयकों को ला रहे हैं जिन पर धनराशि का व्यय अन्तर्ग्रस्त है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अतः गृह मंत्री को कहा जाये कि वह लोगों को गोलियों से मरवा दें। स्पष्टतया बजट वित्त मंत्री के नियंत्रण से बाहर हो जाता है। उन्हें मूल्य वृद्धि पर नियंगण करना है। गत वर्ष श्री सेठी ने पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि की थी जिससे सरकार को 5,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। जब तेल के मूल्यों में वृद्धि होती है तो इससे अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि हमारी कराधान संबंधी नीतियों से सामान्य व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होता है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री के० टी० कोसलराम : हम प्रतिदिन समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं कि आयकर विभाग ने करोड़ों रुपये के काला धन का पता लगाने के लिये बहुत से छापे मारे हैं। लेकिन इसमें कुछ कमी है। यह मामले वर्षों तक लटकते रहते हैं और अन्त में यह निपटान आयुक्त के पास जाते हैं जो कुछ लाख रुपये का नाममात्र जुर्माना लगाता है और फाइलों के बंद कर देता है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि ऐसे मामलों में निर्णय तीन महीने के भीतर हो जाना चाहिये। जो कुछ भी जब्त किया गया है और कितनी राशि का जुर्माना लगाया गया है, यह भी समाचार-पत्रों में प्रकाशित होना चाहिये।

श्री वेंकटरामन एक योग्य मंत्री हैं। वह मद्रास में उद्योग मंत्री थे और उन्होंने तमिलनाडु में उद्योग के बारे में बहुत से सुधार किये थे। लेकिन 3000 करोड़ रुपये लागत की कल्लपकम परमाणु बिजली योजना नामक एक योजना है। यह पूरी हो चुकी है लेकिन भारी जल उपलब्ध नहीं

[श्री के० टी० कोसलराम]

है । रूस भारी जल देने के लिये तैयार है । क्योंकि पूरे देश में बिजली की कमी है, अत: हम रूस से भारी जल का आयात क्यों नहीं करते हैं ? इस समय हम सोडा एश, इंसुलेटर आदि जैसी सभी प्रकार की वस्तुओं का आयात कर रहे हैं जिन्हें स्वदेश में ही उत्पादित किया जा सकता है । हमें इन वस्तुओं के आयात को बंद कर देना चाहिए और दूसरी ओर भारी जल का आयात करना चाहिए । तूतीकोरिन में एक भारी जल योजना शुरू की गई थी । इसका विकास किया जाना चाहिये क्योंकि देश में बहुत से परमाणु बिजली संयंत्र लगाये जा रहे हैं । तमिलनाडु में होगेंकल बिजली परियोजना में विलम्ब हो रहा है । दुर्भाग्य से कर्नाटक इस योजना को रोक रहा है । भारत सरकार द्वारा कर्नाटक सरकार को निदेश दिया जाना चाहिये कि वह इस बिजली संयंत्र की स्थापना में सहयोग दे । यह एक बहुत बड़ा बिजली संयंत्र है । (व्यवधान)

भारत सरकार कर्नाटक सरकार को निदेश दे कि वे सहयोग दें । मेरे मित्र श्री वेंकट रामन तनजावोर जिले से हैं । यह कावेरी डेल्टा में है । कर्नाटक राज्य के साथ वर्ष 1924 का समझौता है लेकिन 1924 के इस समझौते को कार्यान्वित करने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : यह एक पुराना समझौता है । उन्होंने अधिक पानी ले लिया है । उन्होंने हमारा पानी ले लिया है क्योंकि यह नदी मेरे राज्य से बहती है । यह टिप्पणी अत्यन्त कठोर है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप श्री लकप्पा को एक उपयुक्त उत्तर दे सकते हैं ।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें । आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री के० टी० कोसलराम : यहां पर तटवर्ती अधिकार हैं । इन अधिकारों को संरक्षण दिया जाये । यदि 1924 के इस समझौते को कार्यान्वित नहीं किया जाता है तो तमिलनाडु की नियति क्या होगी ?

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चिन्नामुत्तम मत्स्य परियोजना के बारे में आपके मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है । लेकिन अनुपूरक मांगों में इसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है । मैं अनुरोध करता हूँ कि यह प्रावधान किया जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ । धन्यवाद ।

श्री डी० पी० यादव(मुंगेर): सभापति महोदय, देश में विकास के लिए और सरकार के रख-रखाव के लिए कितना पैसा खर्च कर रहा है, और यह पैसा कहां से आता है, आज इस पर नये सिरे से सोचने की आवश्यकता हो गई है । करीब 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपये सालाना हम रख-रखाव और सरकारी नौकरशाही पर खर्च कर रहे हैं । हम बहुत लम्बी-चौड़ी योजना बनाते हैं और कहते है कि 20 हज़ार करोड़ रुपये साल में खर्च करेंगे, लेकिन वास्तव में 6, 7 करोड़ रुपये भी खर्च नहीं कर पाते हैं । लगभग 7,8 हजार और अधिक से अधिक 10 हजार करोड़ रुपये की योजना बनती है जिससे देश का विकास होना है । उसके लिए नौकर कितने का है ?—30 हजार करोड़ रुपये का । 10 हजार करोड़ रुपये का मकान बनेगा और राज-मिस्त्री का खर्च होगा 20 हजार करोड़ रुपये का देश के सामने यह एक अहम सवाल खड़ा हो गया है कि इस खर्च को कैसे कम किया जाए ।

सभापति महोदय, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। एक गरीब प्रदेश का गरीब एम० पी० बोल रहा है।

सभापति महोदय, जब मैं सुबह सुबह उठ कर अखबार पढ़ता हूँ, तो सोचता हूँ कि अच्छा समाचार पढ़ने को मिलेगा। लेकिन क्या समाचार सामने आता है ? मेरे पास ये पांच दिन के अखबार हैं। पहले दिन का समाचार है :—

"राज्य में हत्या, लूट और चोरी की घटनाओं से नागरिक त्रस्त।"

दूसरे दिन यह पढ़ने को मिलता है :—

"मुंगेर जिले में हत्या, लूट और डाकेजनी का सिलसिला जारी।

तीसरे दिन :

"अल्मूनियम तार की चोरी से विद्युत बोर्ड को 3 करोड़ की क्षति।"

चौथे दिन :

"जहां-तहां हत्याएं और डाका।"

"एक ही रात 7 परिवारों में डाका।"

"बिना काम के 52 लाख रुपये की बन्दर-बांट का रहस्योद्घाटन।"

"चापाकल गाड़ने के नाम पर लाख रुपयों का घोटाला।"

पांचवें दिन :

"पथ-परिवहन—एक सफेद हाथी

पिछले 22 वर्षों में मूल पूंजी की लगभग आधी राशि स्वाहा।"

ऐसी ताजा खबरें रोज मिलती हैं। ये खबरें कहां की हैं, वह मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि शायद लोग नाराज हो जाएं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सब बिहार की हैं।

श्री डी० पी० यादव : इस बजट से हम क्या करते हैं, यही मैं बता रहा हूं। इस बजट से राहजनी, डाकेजनी और न जाने क्या-क्या हो रहा है। मैं श्री वेंकटरामन से निवेदन करूंगा कि अगर वह इस बजट को स्मगलिंग, राहजनी और डाकेजनी में न खर्च करें, तो इस देश का बहुत बड़ा कल्याण होगा। इतने अच्छे-अच्छे डाकुमेंट्स आते हैं, जिनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी होती है। सिक्स्थ-फाइव ईयर प्लान के बारे में एक-एक शब्द बहुत अच्छा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहा गया है :—

"डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन : जैसा पहले बताया गया है खण्ड स्तर पर सीधा सम्पर्क करने के लिए व्यवस्था करना आवश्यक है।"

पहले था वर्टिकल, अब होता है हौरीजेन्टल !

[श्री० डी० पी० यादव]

"जिला स्तर पर विकास कार्यक्रमों के लिए योजना और कार्यान्वयन का कार्य अधिक जटिलता प्राप्त करता जा रहा है ।

अतः यह आवश्यक होगा कि जिला विकास अधिकारियों को नियुक्त करके, जिन्हें विकास कार्य के बारे में पूरा प्राधिकार और दायित्व सौंपा जाना चाहिए और उन्हें जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर के रूप में समान पद और दर्जा मिलना चाहिए, जिला स्तर के प्रशासन को मजबूत किया जाये । कुछ राज्य सरकारें इस दिशा में कार्य कर चुकी हैं और इस पद्धति को पूरे देश में अपनाये जाने की आवश्यकता है । जिला प्रशासन अधिकारी को व्यावसायिक विशेषज्ञता होनी चाहिए और यदि वह प्रभावी और निष्ठावान पाया गया तो कम से कम एक योजनावधि के दौरान उसकी निरन्तरता को भंग नहीं किया जाना चाहिए ।"

वेंकटरामन जी चले गये । मगन भाई बरोट से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि जो प्लानिंग कमीशन ने लिखा है वह करवा दीजिये, नहीं तो यह सफेद हाथी है आपके पास और देश की जनता का जो हाल है वह हमारे प्रदेश में चलकर देख लीजिए कि क्या हाल हो रहा है ।

अब चले आइये रूरल डेवलपमेंट पर । देश का कानून भी बड़ा अजीब बना है उसके ऊपर भी आपको सोचना होगा । कहते हैं कि इन्सेन्टिव फार अरवन पोस्टिंग—किसी आफिसर की अगर बम्बई में पोस्टिंग हो, वह बम्बई में रहे तो उसको स्पेशल एलाउंस मिलेगा । लेकिन देहात में रहने जायेगा तो स्पेशल एलाउंस काट देंगे । तो मगन भाई जी से मैं कहूंगा कि एक नया कानून बनाइये कि बड़े शहर को छोड़ो और छोटे गांव में जाओ । इसके लिए इंसेंटिव दीजिये । बड़े शहर का जो इंसेंटिव है, बहुत सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउंस आप देते थे, अब रूरल डेवलपमेंट एलाउंस, रूरल पोस्टिंग एलाउंस कीजिये, तब जाकर आप देश का कल्याण कर पायेंगे ।···(व्यवधान)

एक निवेदन और करूंगा कि गरीबी मिटाना सब चाहते हैं । हम भी चाहते हैं । लेकिन यह फूड इम्पोर्ट क्यों कर रहे हैं ? अभी प्रधानमन्त्री जी ने क्या कहा विदेश यात्रा पर कि—

"दबाव डालने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय हथियार के रूप में अनाज का इस्तेमाल किया जायेगा ।"

थर्ड साइन्टिफिक एंड टेक्नोलाजिकल मेन पावर विश्व के अन्दर जहां हो और जहां पानी भी इफरात हो वहां फूड इम्पोर्ट करने की आवश्यकता क्यों हो गई ? यह एक बड़ी चुनौती है । इसके ऊपर जरा सा ध्यान दीजियेगा ।

कामर्स मिनिस्ट्री में एक टास्क फोर्स बैठता है और वह पालिसी डिटरमिन करता है कि क्या इम्पोर्ट करना चाहिये क्या नहीं करना चाहिये । मैं विनतीपूर्वक निवेदन कर दूं कि हर टास्क फोर्स के पीछे वेस्टेड इन्टरेस्ट दिल्ली में बैठा रहता है और कहता है कि अमुक चीज इम्पोर्ट करो और अमुक चीज बन्द करो । इस देश के गरीब सिल्क प्रोड्यूस करने वाले लोग सिल्क प्रोड्यूस करके सस्ते में बेचें और विदेश से आप सिल्क मंहगी मंगा रहे हैं ? यही आपकी प्लानिंग और पालिसी है ? टोटली ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे रखा है और इस देश का वह सत्यानाश कर रही है । इसलिए फूड का इम्पोर्ट बन्द कीजिये, और लग्जरी आइटम्स का भी बन्द कीजिये । इसके लिए राष्ट्रीय इरादे की आवश्यकता हो सकती है । जो राष्ट्रीय इरादे के साथ चलेगा उसको सफलता जरूर मिलेगी ।

इसी तरह से सिंचाई की योजनाओं को आप चलकर देखिये। जहां पर यह योजनायें हैं 65 परसेंट इन्जीनियर, ठेकेदार और ओवरसीयर के हाथ में पैसा जाता है और शेष 35 परसेंट डिलेड ऐक्शन और इनफ्लेटेड रेट्स के आधार पर काम होता है। जब तक आप सिंचाई सुविधा नहीं देंगे तब तक कोई तरक्की नहीं होगी।

इसी तरह से ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम जो हमने बनाया है मेरा निवेदन है कि दियारा एरिया जहां काफी अन्डर ग्राउन्ड वाटर पोटेंशियल है, उसको एरिया फ्लड प्रोन प्रोग्राम बनाइये जहां 40 लाख एकड़ अनलिमिटेड अन्डरग्राउन्ड वाटर है। गंगा बेसिन में पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश तक आप डीजल पम्प्स लगाइये और इस अन्डरग्राउन्ड वाटर को जोकि रीचार्जेबिल है उसके पोटेंशियल को ऐक्सप्लायट करके इस्तेमाल कीजिये तो देश का बड़ा कल्याण होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सभापति महोदय, मेरा विचार है कि अनुदानों की दूसरी अनुपूरक मांग घटिया बजट बनाने का एक स्पष्ट प्रमाण है। यदि हम इस बात की ओर ध्यान दें कि वित्त मन्त्री को सदन के सामने यह क्यों पेश करना पड़ा तो हमें पता चलेगा कि वित्त मन्त्री और अन्य कई विभाग बिना सोच विचार के काम कर रहे हैं और यह उसी का नतीजा है। तीन प्रकार की मांगें की गयी हैं; जिनमें से पहली, राज्यों के अन्तरण—41.00 करोड़; दूसरी, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये रिलीज—129.28 करोड़; और तीसरी, अन्य खर्च—163.14 करोड़ से सम्बन्धित हैं। यदि आप इनकी ओर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि इनमें 10 करोड़ रुपये का एक अनुदान जनता-कपड़े के उत्पादन के लिये राज-सहायता मुहैया कराने से सम्बन्धित है। आज यह बात सबसे अधिक घोटाले वाली बन गई है। जनता-कपड़ा आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा है। आम आदमी को मुहैया होने की बजाय यह कपड़ा कपड़े के व्यापारियों द्वारा खरीदा जाता है' मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में, एक बार जब मैं एक दुकान पर गया तो मुझे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि वहां कोई जनता-कपड़ा उपलब्ध नहीं था। मैंने उस सहकारी दुकान के प्रबन्धक से जब पूछताछ की, तो उसने बताया कि इस कपड़े के साथ राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा निर्मित ऐसा कुछ कपड़ा भी खरीदना अनिवार्य है जो बाजार-भाव से मंहगा है और इसलिए वह जनता-कपड़ा बिल्कुल भी नहीं लाता। उसने बताया कि यदि वह बेचने के लिये जनता-कपड़ा लाता है, तो उसे नुकसान ही होगा। इसका परिणाम यह है कि इस कपड़े को कोई दुकानदार नहीं ला रहा है और यह बात सब जानते हैं। ऐसे कुछ व्यापारी हैं, जो पूरे का पूरा जनता-कपड़ा खरीद लेते हैं और उसे काले बाजार में बेच देते है। यह कपड़ा आम आदमी और जरूरतमन्द आदमी तक नहीं पहुंचता।

मांगों की दूसरी श्रेणी में आप देखेंगे कि इसमें इस्पात संयन्त्रों और ताप-बिजलीघरों से सम्बद्ध बड़ी कोयला परियोजनाओं के विकास हेतु कोल इण्डिया लिमिटेड के लिए 89 करोड़ रुपये की धनराशि सम्मिलित है। क्या यह काम अनुपूरक अनुदान में से किया जाना है? क्या इसे पहले नहीं सोचा गया था? हम अनेक वर्षों से कोयला-परियोजनाओं के विकास की बात कर रहे हैं। इसे आम-बजट में क्यों नहीं शामिल किया गया था। मैं यह बात वित्त मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने इसे अनुदानों की अनुपूरक मांगों में क्यों सम्मिलित किया। इसे आम-बजट में क्यों नहीं शामिल किया गया था? यह बात वित्त मंत्री और अन्य कई मंत्रियों की अदूरदर्शिता प्रमाणित करती

[श्री चन्द्रजीत यादव]

है। यदि मैं अन्य उदाहरण दूं, तो मेरे समय का ही अपव्यय होगा। अतः मैं और अधिक उदाहरण नहीं दे रहा हूं।

मैं यह बताना चाहता हूं कि आज देश अनेक कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा है, जो मूल्य-वृद्धि, बेरोजगारी, लोगों के विभिन्न समुदायों में असमानता और पिछडेपन की शक्ल में हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इस सरकार की सम्पूर्ण योजना-नीति गलत है। और इसमें भारी परिवर्तन की आवश्यकता है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

योजना-प्राथमिकताओं, निवेश-नीति आदि में भारी परिवर्तन की गुन्जाइश है। लेकिन सरकार बुद्धिमानी की वह बात नहीं सुन रही है, जो उसके दिमाग में घुसाने की कोशिश की जा रही है। यह अपनी उन्हीं पुरानी नीतियों पर चल रही है, जो अब हमारे देश में आर्थिक तबाही के लिए जिम्मेदार हैं। उदाहरणार्थ, आज देश में 2 करोड़ पढ़े-लिखे लोग बेरोजगार हैं और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह संख्या बढ़ कर 3 करोड़ हो जाएगी। बेरोजगारी किसी भी देश के नैतिक मूल्यों को समाप्त कर देती है। विशेष रूप से भारत में, जहाँ प्रति-व्यक्ति आय बहुत कम है, यह युवकों की आत्मा और शरीर दोनों का नाश कर रही है तथा ये अनेक सामाजिक बुराइयों की जड़ है। अभी-अभी श्री डी० पी० यादव देश में कानून और व्यवस्था के उदाहरण दे रहे थे। चाहे यह कानून और व्यवस्था की बात हो, चाहे रेलगाड़ी में डकैती की बात हो और चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग-भेद सम्बन्धी तनाव हो, उनका मुख्य कारण यह है कि आम आदमी की वह अल्प आय बड़ी तेजी से घटती जा रही है, जो उसके खून-पसीने की कमाई होती है। इन सभी अपराधों और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति का मुख्य स्रोत देश में आम आदमी की तेजी से बिगड़ती हुई आर्थिक दशा है।

महोदय, वे 86 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था निर्यात-वर्धन हेतु नगद और क्षतिपूर्ति राशि के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि आज सरकार की निर्यात और आयात नीति अव्यवस्थित है और सरकार को अपनी निर्यात और आयात नीति का बारीकी से पुनरीक्षण करने की जरुरत है। इस सदन में यह बात ठीक कही गई है कि ऐसी-ऐसी वस्तुओं का आयात किया जा रहा है, जिनका इस देश में आयात करने की आवश्कता नहीं है। उन वस्तुओं का आयात समाज के विशिष्ट वर्ग की मांगों को पूरा करने के लिये किया जा रहा है। उस पर कोई नियन्त्रण नहीं है। सरकार ऐसी वस्तुओं का आयात क्यों कर रही है, जो विशिष्ट वर्ग द्वारा मांगी जाती हैं ? निर्यात एक गड़बड़ घोटाला बन गया है। निर्यात संवर्धन के नाम पर भारी धनराशि दी जा रही है और अवांछित तत्व इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। और इसका पूरे का पूरा दोष मैं सरकार पर डालता हूं क्योंकि यह अपनी निर्यात और आयात नीति में उपयुक्त नियमों और प्राथमिकताओं तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का निर्धारण करने में असफल रही है।

आज देश में ठेकेदारों और भ्रष्ट इन्जीनियरों के बीच एक भारी नापाक गठबंधन है। इस बात को सभी जानते हैं कि चाहे यह विद्युत क्षेत्र हो, चाहे यह केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग हो या फिर

आवास विभाग हो, हर जगह पूरे धन का 50 प्रतिशत से भी अधिक भाग ठेकेदारों और भ्रष्ट इन्जीनियरों की जेब में जाता है और 50 प्रतिशत से भी कम धनराशि का लोगों के हित के कामों प्रयोग किया जाता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस खतरे को रोकने के लिए, जो राष्ट्रीय हित की उपेक्षा करके पैदा किया जा रहा है, सरकार ने क्या किया है अथवा क्या करने का विचार कर रही है।

वित्त मन्त्री जी से मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो पूंजी निवेश सरकारी क्षेत्र में या गैर सरकारी क्षेत्र में किया जा चुका है, उसके अपर्याप्त प्रयोग को पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा है ? आप हमेशा नए करों का प्रस्ताव लेकर चले आते हैं, चाहे यह रेलवे से सम्बन्धित हों, चाहे राज्य सरकार से अथवा केन्द्रीय सरकार से। इस देश में कर-नीति आज आम आदमी के लिए मारक नीति बन गई है और आम जनता पर करों का वास्तविक बोझ बढ़ता जा रहा है। मैं यह जानना चाहूंगा : क्षमता का आज जो कम उपयोग किया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या करने का विचार है ? विद्युत क्षेत्र में 40 से 50 प्रतिशत तक ही क्षमता का उपयोग हो रहा है। कुछ राज्यों में तो यह 35 प्रतिशत ही है। कोयले में क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता 50 और इस्पात में 60 है। हजारों-करोड़ रुपये की पूंजी लगाई जा चुकी है, लेकिन क्षमता के इस कम उपयोग से क्या यह देश आगे बढ़ने में समर्थ हो सकेगा ? जब इस देश की वर्तमान क्षमता के 50% भाग का ही प्रयोग हो रहा है, तो क्या ऐसी स्थिति में देश समृद्ध हो सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं जानता हूं कि समय की कमी है, लेकिन मैं खास-खास मुद्दों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं यह अवश्य कहूंगा कि सरकार की वर्तमान नीतिके कारण मूल्यों के बढ़ने से सबसे अधिक नुकसान आम आदमी का हुआ है। वित्त मन्त्री बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। अन्ततः एक ईमानदार व्यक्ति की तरह उन्होंने इस बात को स्वयं माना है : "मैं मुद्रा-स्फीति को नियन्त्रित करने में तो सफल हुआ हूं, लेकिन इस नियन्त्रित मुद्रा-स्फीति का आम आदमी तक लाभ पहुंचाने में, मैं सफल नहीं हो पाया हूं।"

आम आदमी की आज क्या स्थिति है ? हर आदमी जानता है कि गत वर्ष यूरिया का भाव 58 रुपये थे, इस वर्ष यह 125 रुपये है। ई० डी० पी० की कीमत पिछले साल 125 रुपये थी, जो इस वर्ष बढ़कर 188 रुपये से 190 रुपये तक के बीच है। क्या ये भाव बढ़कर दुगने से भी अधिक नहीं हो गए हैं ? यह लाभ कहां जा रहा है ? गत वर्ष के मूल्यों की तुलना में गेहूं, कपड़ा, दवाई, सब्जियों, वनस्पति तेलों आदि जैसी सभी उन आवश्यक जिन्सों के भाव 200% से 400% तक बढ़ गए हैं। जो आम आदमी की रोजमर्रा की उपभोग की वस्तुएं हैं। इसका लाभ आम आदमी को क्यों नहीं मिला है ? इस सदन के माध्यम से यह देश जानना चाहता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं कि इनका लाभ आम आदमी तक पहुंचे।

आगामी आम बजट पेश करने के लिए हमारे समक्ष आने से पहले वित्त मन्त्री को इन बातों पर गम्भीरता से विचार करना होगा और योजना-प्राथमिकताओं तथा बजट बनाने के ढंग

[श्री चन्द्रजीत यादव]

में भारी परिवर्तन करने होंगे, ताकि आम जनता को लाभ मिल सके। अन्यथा आम आदमी का जिन्दगी, वास्तव में बहुत कठिन हो जाएगी। धन्यवाद।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : हम एक संक्षिप्त बजट वाद-विवाद कर चुके हैं। हमने अपना वाद-विवाद अनुदानों की अनुपूरक मांगों तक ही सीमित नहीं रखा अपितु बजट पर सामान्य वाद-विवाद के दौरान जिन बातो पर चर्चा होती है उन सभी पर व्यवहारतः चर्चा की थी।

मेरे पास जो संक्षिप्त समय है उसमें शायद सभी बातों पर उत्तर देना संभव न हो परन्तु मैं यह कोशिश करूंगा कि वाद-विवाद के दौरान उठाई गई कुछ महत्वपूर्ण बातों का उत्तर दे पाऊँ। 1979-80 में अतिरिक्त व्यय के अनुमोदन पर कोई रचनात्मक आपत्ति नहीं उठाई गई। वृत्तांत के लिए मैं केवल इतना ही बताऊंगा कि 1979-80 में अतिरिक्त व्यय लगभग 105.09 करोड़ रुपये का था जिसमें से 86.47 करोड़ रुपये रक्षा के लिए, और 9.37 करोड़ रुपये डाक तथा तार विभाग के लिये एवं 9.25 करोड़ रुपये नागरिक व्यय के लिये हैं। यदि आप इन आंकड़ों की जांच करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 1979-80 में अतिरिक्त व्यय कुल मंजूर शुदा व्यय का 0.21 प्रतिशत है और यह वस्तुतः एक ऐसी बात है जिस पर किसी को उद्वेलित या चिंतित होने की जरूरत नहीं है जैसा कि श्री डागा चिंतित लगते थे। यह सामान्य आंकड़ों से भी बहुत कम है।

रक्षा के मामले में भी कोई गलत या अपव्ययपूर्ण व्यय नहीं था। यह सामग्री और सामान के अधिग्रहण के लिए था। अतः मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को स्वीकार करने के लिये सभा का धन्यवाद करता हूं।

जहां तक अनुपूरक प्राक्कलन की मांगों का सम्बन्ध है, मैं यह बताना चाहता हूं कि जो राशि मांगी गई है कि वह 250 करोड़ रुपये है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : उसका किसी ने उल्लेख नहीं किया।

श्री आर० वेंकटरामन : जब यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा तो अनुपूरक मांगों के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ होगा। अतः मैं रिक्त स्थान की पूर्ति कर रहा हूं। यद्यपि सकल व्यय 333.42 करोड़ रुपये का है तथापि 83 करोड़ रुपये की राशि वसूलियों के रूप में होगी और इसलिए यह केवल 250 करोड़ रुपये होगी। सितम्बर, 1981 में पहले की अनुपूरक मांग 145.78 करोड़ रुपये की थी ताकि मैंने अनुपूरक प्राक्कलनों के रूप में चालू वर्ष के दौरान जो कुल राशि रखी है वह कवल 395 करोड़ रुपये है। सामान्यतया यह बहुत अधिक है। वस्तुतः गत वर्ष यह राशि 825 करोड़ रुपये थी। इस राशि में भी 41 करोड़ रुपये राज्यों को अन्तरण के लिये हैं, 25 करोड़ रुपये उर्वरकों और कृषि आदानों के लिये हैं तथा 10 करोड़ रुपये जनता हथकरघा कपड़े के उत्पादन में राज-सहायता देने के लिए हैं। इसके बारे में मेरे माननीय मित्र श्री चन्द्रजीत यादव ने कुछ कटु बातें कहीं। यदि हम जनता-कपड़ा न दें तो लोगों का बहुत बड़ा वर्ग इस कपड़े के बिना रह जायेगा जो उसकी पहुंच के भीतर रहे। वैसे हर योजना में कुछ दोष होते हैं परन्तु आपको दोषयुक्त व्यवस्था की तुलना व्यवस्था के बिलकुल ही न होने के साथ करनी चाहिये। दोष दूर करने की दृष्टि मात्र से यदि मैं योजना को रद्द कर दूं.....

श्री चन्द्रजीत यादव : मैंने यह नहीं कहा कि 'योजना को रद्द कर दीजिए। मैंने तो यह कहा था कि 'योजना में सुधार कीजिए।'

श्री आर० वेंकटरामन : यदि आप इसकी तुलना योजना रद्द करने से करें तो जो नुकसान लोगों को होगा वह कहीं बहुत अधिक होगा। लोगों का वह वर्ग, जिसे इस जनता हथकरघा कपड़े से लाभ मिल रहा है, इस समय बढ़ रहा है। 10 करोड़ रुपये की यह अतिरिक्त राशि पहले के नियतन, जो मैं पहले ही लगभग 37 करोड़ रुपये का कर चुका हूँ, के साथ है। अत: बढ़ी हुई राज-रहायता के माध्यम से यह और सुधार है। मूलत: यह राज-सहायता 1.25 रुपये प्रति मीटर थी। अब हमने इसे बढ़ाकर 1.50 रु० कर दिया है। जनता कपड़े की व्यवस्था करने में निश्चय ही सुधार की गुंजाइश है और हम इसके लिए भरसक कोशिश करेंगे। वितरण श्रेष्ठतर होना चाहिये। वस्तुत: यदि सह-कारिताओं के माध्यम से हमारी अच्छी वितरण प्रणाली होगी तो बहुत से दोष, जो हम इस समय नियंत्रित कपड़े की वितरण प्रणाली में देखते हैं, समाप्त हो जायेंगे। यह कपड़ा इतना उपयोगी है कि जो लोग इसे लेने के हकदार नहीं हैं वे भी किसी न किसी तरह इसे पा लेते हैं। इसीलिये इस प्रणाली की बहुत आलोचना की जाती है। यह कपड़ा खराब नहीं है। कोई भी व्यक्ति नियंत्रित कपड़े या राज-सहायता प्राप्त हथकरघा कपड़े के बारे में शिकायत नहीं करता है। परन्तु हर आदमी यह शिकायत करता है कि जो लोग इसे पाने के हकदार नहीं हैं वे किसी न किसी तरह इसे पा लेते है और इसके लिए हकदार लोगों को वंचित कर देते हैं। इस आलोचना का समाधान करना होगा। हम यह सुनिश्चित करने का निश्चय ही प्रयास करेंगे कि वितरण में सुधार हो। यदि राज्य सरकारें या तो उचित दर की दुकानें खोलने या सहकारी वितरण प्रणाली आरम्भ करने के लिये आगे आती हैं, तो इससे बहुत अधिक सहायता मिलेगी।

दूसरा मुद्दा, जो अधिक अनुपूरक मांग के बारे में है, सरकारी क्षेत्र के एककों के लिये दिये जाने के बारे में है। जिसमें से 89 करोड़ रुपये कोल इंडिया लिमिटेड के लिए है। श्री चन्द्रजीत यादव ने कहा कि इसका पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिये था। उनको मालूम नहीं है कि हमने इस्पात के लक्ष्य को पुनरीक्षित कर दिया तथा हमने मूल बजट में जो लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य से बढ़ा दिया। इसके परिणामस्वरूप हमको कोयला, डोलोमाइट, चूना-पत्थर आदि जैसे अन्य आदान देने पड़े। यदि हम लक्ष्य में वृद्धि न करते तो हमें यह मांग लेकर सभा के समक्ष न आना पड़ता।

श्री चन्द्रजीत यादव : इस्पात मन्त्रालय ने एक दीर्घावादी योजना, जो शताब्दी के अन्त तक है, बनाई है कि हमें कितने इस्पात की आवश्यकता होगी। अत: तदनुसार उसे सामान्य बजट में रखा जाना चाहिये था।

श्री आर० वेंकटरामन : वह अलग बात है। बजट में, हमने सोचा कि हम 'X' लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे परन्तु जैसे-जैसे हम आगे बढ़े तो हमने महसूस किया कि इस राशि से इस्पात मंत्रालय हमारे लक्ष्य से अधिक उत्पादन कर सकेगा। उसके आधार पर हमने इस्पात मंत्री के साथ बैठक की और हम सहमत हुए कि लक्ष्य बढ़ाया जाये। यदि आप लक्ष्य बढ़ायेंगे तो स्वाभाविक ही है कि आपको कोयले जैसी अन्य सहायक सामग्री के उत्पादन के लिये व्यवस्था करनी होगी। मैंने समझा कि उत्पादन बढ़ाने के लिये मुझे श्रेय मिलेगा। मैंने कोयले के लक्ष्यों में भी पुनरीक्षण करके उनको बढ़ा दिया है।

[श्री आर० वेंकटरामन]

इसे बढ़ाकर 124 मिलियन टन कर दिया गया है। उस मद में भी हम कुछ अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करने जा रहे हैं।

नकद प्रतिपूर्ति सहायता, जो एक प्रमुख मद है, पर व्यय के बारे में यह दुर्भाग्यवश सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में हमारी वस्तुओं को प्रतिस्पर्धा करने लायक बनाने के लिये या तो अन्य देशों की उन्नत प्रौद्योगिकी के आयात के लिये प्रतिपूर्ति करने हेतु या अधिक उत्पादन करने और विदेशों के मूल्यों की बराबरी करने हेतु अधिक सुविधाएं देनी होंगी। विकसित देशों के लिये प्रतियोगी मंडियों की उपयोगिता है। क्यों है इसका कारण यह है कि वे बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं और उनके मूल्य बदलते रहते हैं जब कि हम कम मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप ऊपरी खर्चों को लघुतर क्षेत्रों में वितरित करने को होगा और हमारे निर्यात के मूल्य बढ़ जाते हैं। इसीलिये हमें नकद प्रतिपूर्ति सहायता देनी होती है। यदि हम इसे वापस ले लेते हैं तो मुझे भय है कि हमारा निर्यात घाटे में रहेगा। हम सदैव यह हिसाब लगाते हैं कि क्या यह नकद प्रतिपूर्ति समर्थन हमारी निर्यात आय के अनुरूप है या नहीं। यदि यह अनुरूप होता है तब ही हम यह सहायता देते हैं। परन्तु मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे दूं कि यह कार्य हर बार किया जा रहा है और यह सुनिश्चत करने के लिये कि हमारी निर्यात आय निर्यात राज सहायता से अधिक महंगी न हो, यह कार्य किया जाता रहेगा।

मूल्यों के बारे में एक सामान्य शिकायत थी। मैंने बार-बार कहा है कि थोक मूल्य सूचकांक गत दो-तीन महीनों से कम हुआ है। यदि हम इसकी अंकों के आधार पर तुलना करें तो वृद्धि दर में काफी कमी हुई है। जिन विकसित देशों की मुद्रास्फीति की दर हमारी दर से अधिक है उन्होंने हमारी सराहना की है। ब्रिटेन में यह दर 11 से 12 प्रतिशत है। (**व्यवधान**) यदि पहली अप्रैल से लिया जाये तो यह 3.4 प्रतिशत है। यदि आप इसे 1 जनवरी से लेते हैं तो यह 6 प्रतिशत के आस-पास है। अतः यह कम होना शुरू हो गई है। औसत में तब ही अन्तर होगा जब उतार-चढ़ाव होंगे। परन्तु इस वर्ष लगातार कमी हो रही है। कोई उतार-चढ़ाव नहीं आया है। अतः आप देखेंगे कि किसी भी पद्धति के किसी भी हिसाब से यह कम ही होगी।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : परन्तु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ रहा है।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं इसके बारे में बोलूंगा। जल्दी मत कीजिए।

जहां तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सम्बन्ध है, इस पर परिवहन संकट, हड़तालों तथा ऐसी अनेक अन्य बातों जैसी बहुत-सी मामूली बातों का प्रभाव है। यदि किसी क्षेत्र में कोई बाढ़ आती है तो दिल्ली में सब्जियों का मूल्य बढ़ जाता है। यदि समाचार-पत्रों में समाचार आता है कि टिम्बकटू में प्याज 6 रुपये में बिकती है तो दिल्ली का व्यापारी भी इसे बढ़ाकर 6 रुपये कर देता है। यह कुछ विभिन्न कारण है कि इस देश जैसे नाजुक देश में खुदरा मूल्य सूचकांक उतना तेजी और प्रभावी ढंग से क्यों कम नहीं हो रहा है जितना थोक मूल्य सूचकांक हो रहा है अतः उसका एकमात्र उत्तर, जैसाकि मैं बार-बार कह रहा हूं, श्रेष्ठतर वितरण प्रणाली है। जिसके लिए राज्यों के बहुत अधिक समर्थन की आवश्यकता है। केन्द्र के लिए यह संभव नहीं है कि सभी राज्यों में उचित दर की दुकानें खोलें।

अनेक सदस्यों ने सुझाव दिया कि बैंकिंग सेवा में सुधार करना होगा। मैं पूरी तरह सहमत हूं। हम बैंकिंग सेवाओं में सुधार करने की भरसक कोशिश करेंगे। वस्तुत: 1969 की तुलना में वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। 1969 में 6,000 शाखाएं थी। आज हमारे पास 35,000 शाखाएं हैं। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कुल ऋण 35,000 करोड़ रुपये है। हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमारे जैसे विशाल देश में, जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, सुधार की गुंजाइश रहती है। हम बैंक सेवा में सुधार करने का प्रयास करेंगे ताकि यह सेवा प्रभावशाली बन सके।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मुझे खुशी है कि वित्त मन्त्री ने बैंक प्रणाली में सुधार की बात पर ध्यान दिया है, क्योंकि रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक बाधा बने हुए हैं। मुझे आशा है कि इस बात की ओर वित्त मन्त्री का ध्यान दिलाया गया होगा। क्या वे इस मामले की जांच करेंगे और इस विषय में कुछ बताएंगे ?

श्री आर० वेंकटरामन : हम रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। यदि सरकार जानकारी प्राप्त करने पर इस बात से सन्तुष्ट हो जाती है कि कोई एक विकास क्षम है तो बैंकों को सलाह दी जाएगी की इस एकक की सहायता करें। यदि जानकारी प्राप्त करने पर सरकार को किसी एकक के बारे में यह पता लगता है कि यह विकास क्षम नहीं है और इसे चलाया नहीं जा सकता तो इस एकक की धनराशि बर्बाद नहीं की जाएगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब सरकार किसी एकक को अपने हाथ में ले लेती है तो बैंक रुकावटें डालते हैं। इसे राज्य सरकार ने खरीदा है। मैं इण्डिया पेपर पल्प का उदाहरण देता हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं।

श्री आर० वेंकटरामन : आपके मुख्य मन्त्री ने मुझसे कहा था और मैं इसकी जांच कर रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बैंक द्वारा चलाए गए मुकदमें में मैं इस कम्पनी की पैरवी के लिये उच्चतम न्यायालय में गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके मुख्य मन्त्री उनसे बात कर चुके हैं और वे इस मामले की जांच कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उन्हें याद दिला रहा हूं क्योंकि यह मामला इनके द्वारा ही निपटाया जाना है।

श्री आर० वेंकटरामन : माननीय सदस्यों ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हो रहे निरन्तर घाटे की ओर ध्यान दिलाया है। 1980-81 की प्रथम छमाही में यह घाटा 299 करोड़ रुपये था। 139 उपक्रमों में से कुल 75 उपक्रमों में लाभ हो रहा है। पूंजी निवेश का 5.14 प्रतिशत सकल लाभ हो रहा है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1981-82 की तत्सम्बन्धी अवधि में सारे सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में 48.47 करोड़ रुपये का लाभ हुआ जबकि 1980-81 में 299 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों की संख्या 139 में से 75 से बढ़कर 170 में से 88 हो गई है और पूंजी निवेश पर सकल लाभ की प्रतिशत 5.14 से बढ़कर 9.31 हो गई

[श्री आर० वेंकटरामन]

है । और मुझे आशा है कि बजट प्रस्तुत करते समय, अगले वर्ष, मैं इससे भी अच्छी तस्वीर आपके सामने पेश करूंगा ।

जहां तक समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, हम इनमें तेजी लाने का प्रयास कर रहे हैं । वास्तव में एक बैठक हुई थी जिसमें मेरे प्रिय मित्र श्री मगन भाई बारोट ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी । उन्होंने राज्यों के मुख्य मन्त्रियों और बैंकों के चेयरमैनों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर कर दिया । मुझे आशा है कि इसके परिणामस्वरूप इन कार्यक्रमों में तेजी आएगी और भविष्य में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे । स्थानीय शिकायतों के बारे में बहुत-सी बातें बताई गई हैं । महोदय, इन शिकायतों को दूर करना मेरे लिए मुश्किल होगा । उदाहरणतया, राजस्थान पूर्ण सहायता चाहता है और राजस्थान का ओवरड्राफ्ट बहुत बड़ा है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) अकाल के बारे में क्या हुआ । आप क्या सहायता प्रदान कर रहे हैं ।

श्री आर० वेंकटरामन : जहां तक अकाल का सम्बन्ध है·····

चौधरी मुल्तान सिंह (जलेसर) : मैं एक बात पूछना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी से कि बैंक कानून दो क्यों हैं । गरीब किसानों की तो जमीन गिरवी रख ली जाती है, सामान गिरवी रख लिया जाता है, लेकिन उद्योगपति को 15 प्रतिशत दिखाने पर ही लोन दे दिया जाता है । इस तरह से यह दो तरह के कानून क्यों हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मुझे अपना वक्तव्य 5.30 बजे शाम तक समाप्त करना है, अतः अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं फिर कभी दूंगा । जो भी प्रश्न आपने उठाए हैं उनका उत्तर भी मैं बाद में दूंगा ।

जहां तक अकाल का संबन्ध है, जैसे ही समिति की रिपोर्ट प्राप्त होगी, इस पर निर्णय लिया जाएगा । परन्तु सूखा और अकाल सहायता देने की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का अनुसरण करना है ।

माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये विभिन्न सुझावों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं । मैंने उन सबको नोट कर लिए हैं और उन पर पूर्ण विचार किया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सामान्य बजट सम्बन्धी वर्ष 1979-80 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) को सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है –

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबन्धित अनुदानों से अतिरिक्त राशि को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं :—

मांग संख्या 16, 20, 22, 32, 38, 39 और 54"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सामान्य बजट सम्बन्धी वर्ष 1981-82 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :—

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व-लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए ।

मांग संख्या 6, 7, 8, 11, 12 13, 29, 30, 42, 43, 45, 58, 59, 62, 68, 70, 79, 81, 85, 100 और 108"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विनियोग (संख्या 6) विधेयक

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि मार्च, 1980 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन सभी रकमों को पूरा करने के लिए जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक है, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि—

"31 मार्च, 1980 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन सभी रकमों को पूरा करने के लिये जो उस वर्ष के लिये और उन सेवाओं के लिये अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गयी उन सभी रकमों को पूरा करने के लिये जो उस वर्ष के लिये और उन सेवाओं

[श्री आर० वेंकटरामन]

के लिये अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गयी उन सभी रकमों को पूरा करने के लिये जो उस वर्ष के लिये और उन सेवाओं के लिये अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे :—

प्रश्न यह है :—

"कि 2 और और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विनियोग (संख्यांक 7) विधेयक

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से

कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए भारत की संचित-निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री रामावतार शास्त्री, श्री सुधीर गिरि तथा श्री टी० आर० शमन्ना ने अनुदानों की अनुपूरक मांगों से सम्बन्धित विनियोग विधेयक पर बोलने की अपनी इच्छा के बारे सूचित किया है और उन्होंने उन विषयों के बारे में भी सूचना दी है जिन्हें वे उठाना चाहते हैं। उस बारे में मुझे सदस्यों का ध्यान नियम 218 के उप-नियम (6) की ओर आकर्षित करना है। मुझे पता चला है कि सदस्यों द्वारा जो विषय सूचित किये गये हैं वे सम्बन्धित अनुदान की पूरक मांगों की विषय-वस्तु से परे हैं। किन्तु, मैं आज इन सदस्यों को बोलने की अनुमति देता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपनी टिप्पणियां विद्यमान मांगों के अन्तर्गत आने वाले विषयों तक ही सीमित रखें।

श्री टी० आर शमन्ना मांगों पर पहले बोल चुके हैं। अतएव, श्री रामावतार शास्त्री बोलेंगे।

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं उन विषयों को नहीं उठाऊंगा। 2 मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं। आप उन विषयों के बारे में दुबारा नहीं बोल सकते।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, तीन चार बातों का मैं सिर्फ जिक्र कर देना चाहता हूं। पहली बात कि बिहार बहुत ही गरीब सूबा है। वहां बाढ़ भी बहुत आती है और इस साल वहां सुखाड़ भी है। इस बात को ध्यान में रखते हुये बिहार को अधिक से अधिक खाद्यान्न की आपूर्ति की जानी चाहिये। अभी 12 हजार या 14 हजार टन दिया जा रहा है जब कि जरूरत है 1 लाख टन महावार की। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वहां सार्वजजिक वितरण प्रणाली ठप्प हो जायेगी और लोगों को कठिनाइयां होंगी।

[श्री रामावतार शास्त्री]

हमारे यहां धनबाद में इण्डियन स्कूल आफ माइन्स है जहां माइन्स से सम्बन्धित शिक्षा दी जाती है। वहां बहुत गोलमाल है और आप एक करोड़ से ज्यादा रुपया उसको अपने यू० जी० सी० के मार्फत देते हैं। उसमें गड़बड़ होती है तो उसको देखना आप का काम है कि वह ठीक से खर्चा होता है या नहीं। अगर उसमें करप्शन है तो करप्शन दूर होना चाहिये।

इसी तरीके से रांची में बिरला इंस्टीच्यूट आफ टेकनालाजी है, उसको भी आप बहुत पैसा देते हैं। लेकिन वह स्वतंत्र है, रांची यूनिवर्सिटी के भी नियंत्रण में नहीं है। सरकार के भी नियंत्रण में नहीं हैं। क्योंकि बिरला जी का वह इंस्टीच्यूट है। वहां शिक्षकों को बेकायदे निकाला जा रहा है, कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, वर्षों काम करने वाले लोगों को निकाला जा रहा है। इसको ठीक कीजिए।

इस के बाद सिटीज को अपग्रेड करने की बात है। अभी आप ने सेंसस करवाया। एक दर्जन से ज्यादा सिटीज ऐसी हैं जिनका अपग्रेडेशन होना चाहिये। उस की तरफ आप का फौरन ध्यान जाना चाहिये। यह बहाना मत बनाइये कि आसाम में अभी जन-गणना नहीं हुई है।

पटना में स्टेट बैंक आफ इंडिया का रीजनल आफिस है। वहां प्रोमोशन में बहुत गोलमाल चल रहा है। अखबारों में बयान निकला है वह देखिये।

आल इण्डिया न्यूजपेपर्स एम्पलाईज फेडरेशन की मांग है कि आप का जो वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऐक्ट है उसको आप कर्मचारियों के लिये भी लागू कीजिये। यह ऐक्ट अभी केवल जर्नलिस्ट्स के लिये लागू हैं। नान-जर्नलिस्ट्स के लिए लागू नहीं है। सरकार को उस ऐक्ट को दोनों के लिये लागू करना चाहिये क्योंकि दोनों समाचार-पत्रों में काम करते हैं और दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी सदन को पहले ही यह आश्वासन दे चुके हैं कि वे हमारे देश की बैंकिंग प्रणाली के कार्यों की जांच करेंगे। लेकिन जहां तक रिजर्व बैंक के कार्यों का सम्बन्ध है, हमारे देश के पूर्वी क्षेत्र के सम्बन्ध में, यह पूर्णतया असन्तोषजनक है। यह नितांत रूप से असन्तोषजनक है।

भारतीय रिजर्व बैंक हमारा केन्द्रीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण है। यह बात हमारा केन्द्रीय बैंक है। इसके पास सभी क्षेत्रों के आर्थिक, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक विकास की पुनरीक्षा करने की काफी गुंजाइश है। लेकिन, जहां तक पूर्वी क्षेत्र का सम्बन्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक अपना कर्त्तव्य नहीं निभा रहा है, जैसाकि उसे निभाना चाहिए। इन सभी समस्याओं तथा ग्रामीण जनता को दी गयी ऋण सुविधाओं सम्बन्धी अड़चनों को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी बंगाल सरकार ने पश्चिमी बंगाल में अपना बैंक खोलने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने जनवरी, 1981 में केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन अथवा एक प्रस्ताव भेजा था। अप्रैल, 198 में उन्होंने एक स्मरण पत्र भेजा था। उसके बाद, भारतीय रिजर्व बैंक को चार स्मरण पत्र भेजे गये थे। उप वित्त मन्त्री ने सदन में यह कहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक इस मामले में राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श कर रहा है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने इस सम्बन्ध में अब तक कोई शुरुआत नहीं की है। इसलिए, मेरा माननीय वित्त मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ कदम उठाए जायें ताकि पश्चिमी बंगाल में उनका अपना एक बैंक स्थापित करने में शीघ्र कार्रवाई की जा सके।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, जहां तक बिहार की अनाज की आवश्यकता का सम्बन्ध है, यदि मुख्य मन्त्री जी इस बारे में हमें लिखें तो विभाग इसकी जांच करेगा। इस समय मेरे पास 1 लाख मी० टन अनाज मांगने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उन्होंने ऐसा अनुरोध किया है।

श्री आर० वेंकटरामन : जहां धनबाद स्थित स्कूल ऑफ माइंस में लोगों को प्रशिक्षण दिए जाने का सम्बन्ध है, मैं इस मामले को अपने साथी के पास भेज दूंगा जो इस कार्य को देखते हैं और मैं उनसे इसकी जांच करने के लिए कहूंगा।

जहां तक कार्यरत पत्रकारों की पदोन्नतियों में बरती जा रही अनियमितताओं का सम्बन्ध है, इस समय यह कानून के क्षेत्र से परे है और यदि वे लोग शामिल होने की मांग करते हैं तो इस सम्बन्ध में कोई विधान लाना पड़ सकता है।

जहां तक माननीय सदस्य, श्री सुधीर गिरि द्वारा उठाए गये अन्य मुद्दे का सम्बन्ध है, यदि प्रत्येक राज्य अपना एक बैंक खोलना चाहता है तो इससे एक अव्यवस्था पैदा हो जायेगी। अतएव, उस सिद्धांत को स्वीकार करना बहुत ही कठिन है। मैं नहीं समझता कि भारत सरकार इस सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए झुक जाती है कि प्रत्येक राज्य को उनका अपना बैंक खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खण्ड 2 तथा 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि अध्यक्ष को पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली के दिनांक 16 दिसम्बर, 1981 के निम्नलिखित आशय के सन्देश प्राप्त हुए हैं :—

(एक) मुझे आपको सादर सूचित करना है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने श्री विश्वनाथ शर्मा, लोकसभा सदस्य को, जिन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत लागू की गई निषेधाज्ञा का अपने दल के अन्य 8 कार्यकर्त्ताओं के साथ राजपथ, रफी मार्ग चौराहे पर लगभग 2 म० प० स्वेच्छापूर्वक उल्लंघन किया, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली के मामला प्रथम सूचना रपट संख्या 634 दिनांक 16-12-1981 के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये जाने का आदेश देना अपना कर्त्तव्य समझा। उन्हें क्षेत्रीय जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

(दो) कृपया इस कार्यालय का दिनांक 16-12-81 का पत्र देखें, जिसके द्वारा आपको सूचित किया गया था कि श्री विश्वनाथ शर्मा, लोक सभा सदस्य, को पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली मामला प्रथम सूचना रपट संख्या 634 दिनांक 16-12-81 के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था ।

"संसद सदस्य को अपने दल के अन्य कार्यकर्त्ताओं के साथ मैट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस, नई दिल्ली में 12.15 बजे पेश किया गया । न्यायालय ने लोकसभा सदस्य सहित उन्हें चेतावनी देकर रिहा कर दिया ।"

आधे घंटे की चर्चा

कोयला सम्बन्धी व्यवस्था की पुनरीक्षा

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगले विषय पर आधे घण्टे तक चर्चा करेंगे । श्री बी० वी० देसाई ।

श्री बी० वी० देसाई : उपाध्यक्ष महोदय, यह आधे घण्टे की चर्चा दिनांक 1-12-81 के तारांकित प्रश्न संख्या 125 से सम्बन्धित है।

इस संबंध में मैं उन विषयों को पढ़ना चाहता हूं जो मैंने पूछे थे और उनके उत्तर कितने असन्तोषजनक थे।

कोयला संबंधी व्यवस्था की पुनरीक्षा : (क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में कोयले संबंधी समूची व्यवस्था की पुनरीक्षण की जा रही है; और फजल समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ?

इसके लिये यह उत्तर दिया गया है :—

"(क) और (ख) जी हां।"

जबकि प्रश्न में यह पूछा गया है "फजल समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ?" और उसका उत्तर दिया है—"जी, हां।"

यह एक तारांकित प्रश्न है और यह सूची के अंत में था और शायद इसके बारे में यह सोचा गया होगा कि यह निकाल दिया जायेगा।

प्रश्न यह था—"क्या सरकार द्वारा फजल समिति की प्रमुख सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं और, यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशें अब तक किस हद तक क्रियान्वित कर दी गयी हैं।"

इसका उत्तर यह दिया गया था :—

"स्वीकृत सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कोल इण्डिया लि० को अभी हाल में अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।"

इसी प्रकार, उस दिन और भी एक अतारांकित प्रश्न रखा गया था।

"क्या योजना आयोग ने 1981-82 के लिये कोयला क्षेत्र के लिये आवंटन 470 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 570 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया है; यदि हां, तो क्या आयोग ने कोयला विभाग से चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा आवंटन में से खर्च की जाने वाली राशि के सम्बद्ध आंकड़े देने को कहा है; और क्या योजना आयोग कोयला विभाग द्वारा दी गयी रिपोर्ट से संतुष्ट है।"

"(क), (ख) और (ग)—1981-82 के दौरान कोयला क्षेत्र के लिये निधि आवंटन का मामला विचाराधीन है।"

28 अक्तूबर को योजना आयोग ने 1981-82 के लिए कोयला क्षेत्र के लिए आवंटन 470 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 570 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया था।

अक्तूबर के महीने में निर्णय लिया गया था। उत्तर में यह उल्लिखित किया है कि दिसम्बर में भी मामला विभाग के विचाराधीन था। वास्तव में हमारी अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से कोयला बहुत

[श्री बी० वी० देसाई]

महत्त्वपूर्ण वस्तु है । पिछले एक वर्ष से हमें किसी न किसी कारण से कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा है । कोयले की कमी से विद्युतजनन तथा इस्पात उत्पादन के कामकाज पर विपरीत असर पड़ा है । मैं गैर सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्योगों की बात भी नहीं कर रहा, कोयले की कमी के कारण जिन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है ।

एक माननीय सदस्य : रेलवे.....

श्री बी० वी० देसाई : जी, हाँ रेलवे को । वास्तव में मुझे दो बार गुंतारल से बंगलौर जाने का वास्ता पड़ा और दोनों बार कोयले की कमी के कारण गाड़ी रुकी रही । मुझे इस बात की खुशी है कि अब पहले से बेहतर स्थिति है । कुछ भी हो, हम इस बात को नहीं भूल सकते कि हमारी अर्थ व्यवस्था की दृष्टि से कोयला एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है । हम लोगों को इसके लिये भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिये । इन उद्देश्यों से जब हम कोई प्रश्न उठाते हैं, तो यह आश्चर्य है, कि इस प्रकार के उत्तर दिये जाते हैं, माननीय मंत्री जी ने कुछ अन्य प्रश्नों के साथ-साथ 'चालू वर्ष के लिये आबंटन बढ़ाया जा रहा है, के संबंध में बताने की कृपा की थी । मैं जानना चाहूंगा कि समूचे कोयला क्षेत्र के लिये, वास्तव में, योजना का स्वरूप क्या है । जब तक सरकार इस महत्त्वपूर्ण मामले की ओर ध्यान नहीं देगी, हम सभी के लिये और सरकार के लिये यह सुनिश्चित करना कठिन होगा कि देश के विभिन्न भागों को कोयले की सप्लाई मिलती है और उद्योग, यथोचित ढंग मे कुछ सामान्य रूप से चलाये चलाये जा सके । उदाहरणतः, कर्नाटक को, जो मेरा क्षेत्र है, कोयले की सप्लाई आमतौर पर नागपुर की तरफ से और आंध्र प्रदेश के सिंगरेनी क्षेत्र से की जाती है । पिछले एक वर्ष से लघु उद्योगों और मध्यम उद्योगों, जिनको कोयले की आवश्यकता नियमित रूप से पड़ती है, को कोयला पाना, व्यवहारिक रूप से असंभव हो गया है और इसके लिये अनेको बार अभ्यावेदन दिये गये हैं । किन्तु कोल इंडिया अथवा कोयला विभाग का कहना है कि उनके पास वैगन नहीं हैं और रेलवे प्राधिकारियों से यह बात उठायी जाती है तो वे कहते हैं कि कोयला नहीं है, उनके पास वैगन हैं, किन्तु वे भरे नहीं जाते ।इस समय की स्थिति यह है । इस समय, कोयला उत्पादन की स्थिति पहले से अच्छी है । फिर भी, कोयले का यातायात नहीं हो रहा है । और जब कोयला उपलब्ध होता है, तब उसकी ढुलाईलारियों से की जाती है जो बहुत ही सीमित हो पाती है । स्थिति यह है कि इससे न केवल सरकारी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं अपितु सीमेंट उद्योग और गैर सरकारी क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों पर भी इसका कुप्रभाव पड़ रहा है । इसलिये मैं यह जानना चाहूंगा कि सप्लाई का वर्ष 1981-82 के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, क्या उससे मांग की पूर्ति हो जायेगी । मांग से मेरा मंतव्य मंत्री जी के पास उपलब्ध आंकड़ों से नहीं, अपितु वास्तविक मांग से है । जब मांग के बारे में अनुमान लगाया जाता है तब यह अनुमान किस प्रकार लगाया जाता है—उस समय सरकारी क्षेत्र और सरकार-नियन्त्रित उद्योगों का ध्यान रखा जाता है और गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को छोड़ दिया जाता है । गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योग भी कोयले पर आश्रित हैं । यदि उनकी आवश्यकता के लिये कोयले का उत्पादन नहीं किया जाता है, तो अपने उद्योग चलाने के लिये उन्हें कोयला कहां से मिलेगा और ऋणों का तथा अन्य वस्तुओं का निपटारा किस प्रकार कर सकेंगे, जो वे राष्ट्रीयकृत बैंकों या अन्य सरकारी संस्थानों से लेते हैं - वह भी सार्वजनिक धन है, किन्तु इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है । इसीलिये मैं यह जानना चाहता हूँ कि 1981-82 के लिये कोयले की वास्तविक मांग क्या है और क्या मांग के अनुरूप सप्लाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं...

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपकी मदद करूँ ? आप राज्य-वार मांग और राज्य-वार सप्लाई के बारे में भी पूंछें।

श्री बी० वी देसाई :—कोयला एक महत्त्वपूर्ण वस्तु है, जो केवल देश के पूर्वी भाग में ही उपलब्ध है.....

उपाध्यक्ष महोदय :—मैं आपकी सहायता कर रहा हूं क्योंकि आपने केवल कर्नाटक के बारे में कहा था...

श्री बी० वी० देसाई :—सभी राज्यों के बारे में कहा था। चूंकि कोयले का उत्पादन अधिकांशतः देश के पूर्वी भाग में होता है, इसलिये देश के अन्य भाग उस पर आश्रित हैं, विशेषकर 'कोक' के लिये। केवल कुछ ही स्थान ऐसे हैं जहां पूर्वी क्षेत्र के अलावा भी सामन्य कोयला पाया जाता है। देश के अन्य सभी भाग उस पर आश्रित हैं। इस संबंध में सरकार को विशेष सावधानी बरतनी होगी। निजी उद्यम को इसमें से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके बारे में हम लोग पहले ही निर्णय ले चुके हैं।

मैं पूर्णतः सहमत हूँ। किन्तु कुछ राज्यों ने मांग की है कि छोटी कोयला खानों का भी दोहन किया जाना चाहिए जिससे कि उन्हें कोयला मिल सके। वे ऐसा राज्य सरकारों के अपने खर्चे पर कराना चाहते हैं। किंतु, मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने इस बात से इंकार कर दिया है। इसके पीछे क्या कारण हैं मेरी समझ में नहीं आया। वे स्वयं तो दोहन कर नहीं रहे किंतु वे इंकार भी कर रहे हैं। उदाहरण के लिये सम्भवतः गुजरात ने इसकी मांग की है, हो सकता है अन्य राज्यों ने भी यह मांग की हो, मुझे नहीं मालूम किंतु जब अन्य राज्य सरकारें—यह कोई गैर-सरकारी उद्योग नहीं है—इसकी मांग कर रही हैं, तो उन्हें इससे इंकार किए जाने का कोई कारण नहीं है। यह कोई बात नहीं है कि उनके लिए यह लाभप्रद नहीं है। राज्य सरकारों में वेतन परिलब्धियों आदि से केन्द्रीय सरकार में वेतन परिलब्धियों आदि से काफी कम है और इसलिए राज्य सरकारों का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। इस मामले पर पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता है।

पिछले वर्ष कोल इण्डिया को 33 करोड़ रु० का घाटा हुआ था। मैं ये नहीं मनता कि वे इस घाटे को पूरा भी कर पायेंगे अथवा उन्हें पुनः घाटा होगा। जब कोल इण्डिया द्वारा कोयले की सप्लाई की जाती है तो वे इसके लिए कमीशन की बड़ी राशि वसूल करते हैं। इतनी बड़ी क्षति का कोई कारण नहीं है। तब वे घाटा क्यों दिखाते हैं ? वे लाभ क्यों नहीं कमाते ?

छठी योजना में लगभग 470 करोड़ रु० आवंटित किए गए है और इस आवंटन में सम्भवतः और वृद्धि की जा रही है; गैर-सरकारी तौर पर मुझे ज्ञात हुआ है कि यह बढ़कर लगभग 100 करोड़ रु० तक पहुंच सकता है। क्या माननीय मंत्री जी इस माननीय सदन में इस विषय पर प्रकाश डालेंगे।

विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि छठी योजना अवधि में कोयले की मांग लगभग 184 मिलियन टन होगी और इसकी उपलब्धिता लगभग 165 मिलियन टन ही होगी। यह रिपोर्ट

[श्री बी० बी० देसाई]

सरकार को भेजी गई थी। माननीय मंत्री श्री गनी खां चौधरी ने इस रिपोर्ट को रद्द कर दिया है। हमारा देश एक विकासशील देश है और हम विश्वबैंक से ऋण नहीं लेते। जब वे कोई रिपोर्ट भेजते हैं तो उसे गम्भीरता से लेना चाहिए और हमें उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। इस रिपोर्ट में कहा गया है :—

"मंत्री महोदय ने विश्वबैंक के हाल के अध्ययन, जिसमें छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कोयले की उपलब्धिता और मांग के बीच बड़े अन्तर को दर्शाया गया है, रद्द कर दिया है।"

उनका कहना है कि हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। किन्तु भारत सरकार वहां जाती है और विश्वबैंक से ऋण की मांग करती है। हम जानना चाहते हैं कि इसमें दर्शाया गया अन्तर वास्तविक है अथवा नहीं। यदि यह अन्तर वास्तविक है, तो यदि कोयले की 165 मिलियन टन की उपलब्धिता की तुलना में इसकी मांग 184 मिलियन टन है, तो इसका क्या विकल्प है? क्या सरकार ने इसके बारे में कोई विचार किया है अथवा इसे यह कहकर छोड़ दिया है कि यह सही नहीं है?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : महोदय, श्री देसाई ने कोयला उद्योग के बारे में भारी चिन्ता व्यक्त की है और उन्होंने सरकार की नीति, कमियों आदि के बारे में अनेक मुद्दे उठाये हैं। अब मैं यह बताना चाहूंगा कि कोयले की सप्लाई में भारी सुधार हुआ है तथा मांग को पूरा करने हेतु अनेक उपाय किए गए हैं।

मैं इस तथ्य को प्रकट करने के लिए कि इस उद्योग में इसके प्रत्येक क्षेत्र में सुधार हुए हैं, कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। इसका पूरा श्रेय हमारी प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में कोयला उद्योग के श्रमिक तथा अधिकारीगण को जाता है।

महोदय, मैं इस बात की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब वर्ष 19 0 में वर्तमान सरकार ने सत्ता संम्भाली थी, तो कोयला उद्योग का कुल उत्पादन 104 मिलियन टन था। एक वर्ष के भीतर वर्ष 1981-8 . में ही उत्पादन में दस मिलियन टन की वृद्धि हुई, और अब वे योजना आयोग द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य से भी आगे बढ़ने जा रहे हैं। योजना आयोग का लक्ष्य 1 1 मिलियन टन था। हमने इस लक्ष्य को बदलकर 124 मिलियन कर दिया जो योजना आयोग के लक्ष्य से बहुत ज्यादा था। इससे सिद्ध होता है कि कोयला उद्योग में कितना सुधार हुआ है।

वर्ष 1977 और 1980 के बीच कोयले के उत्पादन में प्रतिवर्ष 102,103 और 104 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। दो वर्षों में हमने उत्पादन में 20 मिलियन टन की वृद्धि की है। यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जिसका पूरा श्रेय श्रमिकों को जाता है। महोदय, कोयले की कमी के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जहां तक कोयले की कमी का सम्बन्ध है, हमने इसमें सुधार किया है। हमने अच्छी किस्म के कोयले को छोड़कर अन्य किस्म के कोयले की बिक्री खुले बाजार में प्रारम्भ की है।

कोई भी आदमी खान में जाकर खुली बिक्री के कोयले को खरीद सकता है। उद्योगपति खान में जाकर इस आशय का हलफनामा दे सकते हैं कि वे उद्योग चला रहे हैं, उन्हें भी कोयला

मिल सकता है । हम इस बात की जांच करेंगे कि उन्हें कोयले की आवश्यकता है या नहीं । हाल के महीनों में कोयले की कमी के बारे में औद्योगिक क्षेत्र या लघु उद्योग के क्षेत्र से हमें कोई शिकायत नहीं मिली है । यह बात सच है कि दो तीन महीने पहले दक्षिण में कोयले की कमी थी, लेकिन ऐसा सिंगरेनी कोयला खान में हड़ताल के कारण हुआ था । अब सिंगरेनी कोयला क्षेत्र में लक्ष्य से अधिक उत्पादन हो रहा है । यदि माननीय सदस्य महोदय कोई ऐसा मामला मेरे सामने लाएं तो मैं अवश्य उस पर विचार करूंगा और देखूंगा कि मांग पूरी की जा रही है या नहीं ।

वास्तव में आजकल कोयले का अधिक उत्पादन हो रहा है, मैं आपके सामने आंकड़े पेश करना चाहता हूं । पिछले साल अप्रैल से नवम्बर 198" तक 67.75 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ; अप्रैल से नवम्बर 1981 तक हमने 75.26 मिलियन टन उत्पादन कर लिया है जो वास्तव में हमारे पिछले साल के उत्पादन से 7 मिलियन टन अधिक है । (व्यवधान) । मैंने इस बात का पहले भी उल्लेख किया है कि 14 से 15 मिलियन टन कोयला मुहानों पर पड़ा है । हम ऐसे उद्योगपतियों और जरूरतमन्द लोगों का स्वागत करेंगे जो खानों तक जाकर वहां से कोयला उठाने को तैयार हैं । यदि उनकी कोई समस्याएं हैं तो माननीय सदस्य मुझे बताएं । जहां तक घाटे का प्रश्न है, माननीय सदस्य महोदय को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस बारे में विशेष तौर पर वर्तमान सरकार को सफलता मिली है । वर्ष 1978-79 के दौरान देश में अनेक पार्टियों का शासन था । उस साल 241 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, लेकिन जब 1980 में हम लोग शासन में आये तो हमने इस घाटे को 241 करोड़ रुपये से घटाकर 33 करोड़ कर दिया । हम घाटे में कमी करके इसे 33 करोड़ पर ले आए । हमें उम्मीद है कि वर्ष 1981-82 में हमें सफलता मिलेगी और हमें लाभ भी होगा । तीन-चार कम्पनियों को लाभ हुआ है । ई० सी० एल० की एक कम्पनी को 91 करोड़ का घाटा हुआ है । कुछ कम्पनियों ने अनेक प्रयत्नों से लाभ अर्जित किया है । डी० सी० सी० एल० को 83 करोड़ का लाभ हुआ है । इसी कारण हमें इस साल लाभ नहीं हो सका । लेकिन मुझे उम्मीद है कि वर्ष 1981-82 में हमें सफलता मिलेगी और हम इस उद्योग को भी लाभ देने में सफल होंगे । महोदय, इसलिए जहां तक उत्पादन का प्रश्न है, हम इसे प्रोत्साहन देते हैं । हमें उम्मीद है कि छठी योजना में योजना आयोग के अनुसार हम 167 मिलियन टन कोयले का उत्पादन कर सकेंगे । मेरे विचार से हम इसमें सफल होंगे । हम इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि हम सप्ताह में 7 दिन काम करें या 4 शिफ्टों में काम करें । एक समिति इसका अध्ययन कर रही है मुझे उम्मीद है यदि इस विशेष सन्दर्भ में हम सफल हुए तो हमें एक और सफलता मिलेगी ।

महोदय, रेलवे को जिस कमी का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में एक प्रश्न पूछा गया है । मैं इस बारे में विशेष चर्चा नहीं करना चाहता । मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि रेलों में सुधार हुआ है । रेलवे ने कोयले के ढुलाई में 30% का सुधार किया है यह बहुत बड़ा सुधार है । वे बधाई के पात्र हैं और मुझे उम्मीद है कि वे आगे भी सुधार करेंगे । अधिकांश बिजलीघरों के पास कोयले की पर्याप्त मात्रा है और हम प्रति दिन इस बात की जांच करते हैं कि उनके पास कितना कोयला है जहां भी समस्या होती है हम वहां पर तत्काल आपात्कालीन कोयला तुरन्त भेजने का प्रयत्न करते हैं ।

[श्री विक्रम महाजन]

महोदय, जहां तक विश्वबैंक की रिपोर्ट का सवाल है, यह अभी भी विचाराधीन है, हमने इसे रद्द नहीं किया है हम इस रिपोर्ट पर विचार करेंगे और यदि इसमें हमें कुछ खामियां नजर आयीं तो हम उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि इससे हमारा सम्बन्ध उनसे अधिक नहीं तो उनके बराबर है ही।

जहां तक इस बात का प्रश्न है कि हमने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं या नहीं तो मैं पहले पूछे गए प्रश्नों और हमने उनके जो उत्तर दिए थे उनका उल्लेख करना चाहता हूं।

"(क) क्या केन्द्र सरकार देश के सारे कोयला संगठन पर पुनर्विचार कर रही है;

(ख) क्या फजल आयोग के सुझाओं में यह मुख्य सुझाव था;

(ग) यदि हां, तो क्या अब तक फजल आयोग के 80 प्रतिशत सुझावों को सरकार ने मान लिया है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक माने गये सुझावों को कहां तक लागू किया गया है ?

उत्तर में कहा गया था :

(क), (ख) और (ग) : हां, श्रीमान,

(घ) माने गये सुझावों को लागू करने के लिये कोल इण्डिया लिमिटेड को हाल में निदेश दिए गए हैं।

इसलिये महोदय, हमने प्रश्नों के सभी भागों को अपनी जानकारी के अनुसार उत्तर दे दिया है, यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि प्रत्येक सुझाव को कहां तक लागू किया गया है तो इस पर काफी समय लग जायेगा। लेकिन संक्षेप में मैं यह बता देता हूं कि फजल आयोग के मुख्य 31 सुझावों में से 23 सुझावों को मान लिया गया है। महोदय, इनमें से 21 सुझाव जो उत्पादन और उससे सम्बद्ध मामलों, प्रबंधकीय आर्थिक नियंत्रण और मूल कार्मिक प्रशासन और बाजार के बारे में है; उन्हें हमारे 19 अक्तूबर के पत्र से कोल इण्डिया को लागू करने के लिए भेज दिया गया हैं। अधिकांश सुझाव आर्थिक मामलों से सम्बद्ध नहीं हैं।

ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड और भारत कोल लिमिटेड में क्रेश कार्यक्रम के अन्तर्गत रक्षित विद्युत संयंत्र की क्षमता बढ़ाने और जनरेटरों को अधिष्ठापित करने के सुझावों के बारे में और तौलने की व्यवस्था परस्पर कापी शिफ्टों की शुरुआत, कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रशिक्षण और कोयले के डिपो खोलना जैसे सुझाव आर्थिक मामले से सम्बद्ध हैं और उनमें से अधिकांश को लागू करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। हमने कुछ जनरेटरों का पहले से ही आयात किया है। तोलने की मशीनों के लिए आडर दिए जा रहे हैं तथा कुछ कोल डिपो खोले हैं और कुछ कोल डिपो खोले जा रहे हैं, यदि माननीय सदस्य कोई और ब्यौरा चाहते हैं, तो मैं उसे भी पेश करूंगा।

महोदय, एक सुझाव 14% लौटाने के बारे में था। इस पर बहुत गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए क्योंकि इससे मुद्रा स्फीति बढ़ेगी। यदि हम मूल्य बढ़ाते हैं तो सारा ढांचा चरमरा

जाएगा। इसलिए हम धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं। महोदय, हम इस सुझाव को मानते हैं कि कोल विभाग के सचिव को महत्वपूर्ण प्रबन्धकीय गुणों का होना चाहिए।

पुलिस दल, कोल नियंत्रक के कार्यालय को बन्द करने, और मुख्य कोल सलाहकार की नियुक्ति करने के बारे में पूछे गए प्रश्नों का जहां तक सवाल है, हम इन सुझावों को नहीं मान रहे हैं। कोल इण्डिया का पुनर्गठन करने के बारे में भी कुछ प्रश्न उठाए गए हैं। सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है, हमें उम्मीद है कि इस बारे में बहुत जल्दी अन्तिम फैसला कर लेंगे। मेरे विचार से इस चर्चा में सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर ली है, यदि माननीय सदस्य कोई और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाएं, हम उस पर जांच करेंगे। जब वर्तमान सरकार द्वारा इस संगठन का निर्माण एक सबसे बड़ा कदम था जिसका निर्णय इस सरकार ने जब वह पहले सत्ता में थी, लिया था। इससे मजदूर वर्ग को लाभ हुआ है, इससे सारा देश लाभान्वित हुआ है। इससे उत्पादन बढ़ा है। जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है मेरे विचार से यह देश में एक उदाहरण होगा। मैंने सभी मुद्दों पर चर्चा कर ली हैं, इन शब्दों के साथ चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे जो अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपके सारे मुद्दों पर चर्चा कर ली है।

श्री वी० वी० देसाई : केवल एक बात और, यदि मैं भूला नहीं हूं तो माननीय मन्त्री महोदय ने कहा था कि मुहानों पर 16 या 17 मिलियन टन का भंडारण है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि इस स्टाक में तीन प्रकार का कोयला है, एक तो बिलकुल पत्थर है और दूसरा बिलकुल चूरा, और तीसरी किस्म का कोयला बैगनों में चढ़ाया जा सकता है। गैर सरकारी लोगों के लिए भी खुली बिक्री है इसकी घोषणा करने के लिए मन्त्री महोदय को मैं धन्यवाद देता हूं।

क्या मैं जान सकता हूं कि मन्त्री महोदय का मतलब दो ढेरों से है, दो पहाड़ियों के समान जो किसी भी उद्योगपति के लिए किसी उद्योग के योग्य नहीं हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आपके आंकड़ों में वे दो ढेर सम्मिलित हैं ? यदि ऐसा है तो आपके आंकड़ों से भगवान बचाये।

जहां तक रेल वैगनों की उपलब्धता की बात है, रेल मन्त्रालय कोयला मन्त्रालय को बधाई देता है। कोयला मन्त्रालय रेल मन्त्रालय को बधाई देता है; दोनों आपस में इकट्ठे हो रहे हैं। हम भर रहे हैं·····

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देसाई, खरीदार को अपना माल स्वयं चुनना होगा। सरकार आपकी सहायता किस प्रकार कर सकती है ? यदि वह वस्तु अच्छी है तो आप खरीदें अन्यथा न खरीदें।

श्री वी० वी० देसाई : यह सच है परन्तु वे देते नहीं। असलियत यह है। जहां तक आंकड़ों की बात है मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने उसी रूप में दिखाए हैं जैसा मैंने कहा है।

श्री विक्रम महाजन : यदि माननीय सदस्य हमें कोई दृष्टांत बता सकें तो हम जांच कर सकते है। हम उपभोक्ताओं की अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें करते हैं, कभी-कभी हम भी उन बैठकों में जाते हैं। हम उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। परन्तु यह कहना ज्यादती होगा

[श्री विक्रम महाजन]

कि उद्योगपतियों को उस प्रकार का कोयला नहीं मिलता जिस प्रकार का वे चाहते हैं। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, जब हमने शासन संभाला तो व्यक्तियों से तथा हर एक से अनेक शिकायतें थीं कि कोयले की किस्म अच्छी नहीं। अब शायद ही कोई शिकायत हो। कभी-कभार कोई बात हो सकती है। वास्तव में हम देख रहे हैं कि कोई शिकायत मिले जिससे यह देखा जाय कि क्या दिक्कत है। यदि माननीय सदस्य को कोई विशेष शिकायत है तो हम निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे और उसकी जांच कराएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देसाई अब वादी है।

श्री विक्रम महाजन : जो भी शिकायत वे हमारे ध्यान में लाना चाहें हम निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। कोल इण्डिया इन मामलों से पूरी तरह अवगत है और जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रधान मन्त्री के नेतृत्व के अधीन, हमें आशा है कि देश में सरकारी क्षेत्र के लिये यह आदर्श बन जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री। श्री देसाई सभी मुद्दों पर पहले ही बोल चुके हैं। उन्होंने आपका काम आसान बना दिया है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, किसी भी देश के लिए कोयला, इस्पात और तेल, ये तीनों चीजें अति-आवश्यक हैं। देश की अर्थ-व्यवस्था को ठीक करने के लिये ये रीढ़ का काम करती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ सवाल मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा।

इन्होंने फजल कमेटी की सिफारिशों की चर्चा की और यह बतलाया कि 80 प्रतिशत सिफारिशों को मान लिया गया है और कुछ का उन्होंने उल्लेख भी किया। 20 प्रतिशत सिफारिशें नहीं मानी गई हैं। मालूम नहीं, उन सिफारिशों में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं या नहीं और अगर हैं तो उनको मानने में सरकार को क्या कठिनाई है, यह इनको बताना चाहिए।

कोयले का उत्पादन खुद-ब-खुद नहीं हो जाएगा, प्लान बनाने से नहीं हो जाता। कोयले का उत्पादन श्रमिक करते हैं। उनके विषय में फजल कमेटी की रिपोर्ट में कुछ बातें कही गई हैं या नहीं ? यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

हमारे देश में कभी रेल की और खान की दुर्घटनाएं रोज होती रहती हैं। अभी हमने सुना कि शहडोल जिले में दुर्घटना हो गयी है और बीस या तीस आदमी मारे गये हैं। जान सबकी बराबर है। मैं जानना चाहता हूं कि फजल कमेटी ने दुर्घटनाओं को रोकने के बारे में भी क्या कोई सिफारिशें की हैं ?

हमारे देश में कोयले का उत्पादन बहुत बढ़ गया है। इसकी बहुत ही आशाजनक और सफलता की तस्वीर पेश की जाती है। जब कोयले की कमी नहीं है तो कोयले के दाम क्यों बढ़ते जाते हैं, उसकी कीमत कम क्यों नहीं की जाती है ? कोयले की कीमत को कम करने में क्या कठिनाई है ?

इन्होंने कहा है कि कोल इण्डिया को इन्होंने अस्सी प्रतिशत सिफारिशों को लागू करने की

हिदायत दे दी है । मैं जानना चाहता हूं कि यह आदेश कब दिया गया है ? फजल कमेटी की रिपोर्ट कब पेश हुई थी ? उन हिदायतों पर अमल का हाल क्या है ?

रेल मन्त्री कहते हैं कि कोयले की कमी है और आप कहते हैं कि रेल के डिब्बों की कमी है । देश की जनता जानना चाहती है कि वास्तविकता क्या है ? क्या सचमुच में कोयले की कमी है कि रेल के डिब्बों की कमी है ?

अभी आपको 89 करोड़ रुपया भी मिल गया है । मैं चाहता हूं कि सिफारिशों के सिलसिले में और जो सवाल मैंने उठाए हैं, उनके सिलसिले में आप स्पष्ट उत्तर दें ।

श्री रामाविलास पासवान (हाजीपुर) : कोल डिपार्टमैंट ने राष्ट्रीयकरण जैसे पवित्र शब्द को बदनाम कर दिया है । राष्ट्रीयकरण जैसे शब्द का जब जिक्र किया जाता है तो यह कहा जाता है कि कोल विभाग को देख लो । कोयले के महत्व के सम्बन्ध में शास्त्री जी ने प्रकाश डाला है । मन्त्री महोदय ने कहा है कि उत्पादन बढ़ रहा है । लेकिन मेरी जानकारी यह है कि टोटल कैपेसेटी जो खानों की है उसकी केवल 55 प्रतिशत ही युटिलाइज हो रही है । इसकी वजह से तीन-तीन स्टील प्लांट जो लगने वाले थे, नहीं लग पाए । सप्लीमैंटरी बजट में आपको 89 करोड़ रुपया मिला है । इस राशि को आप जनरल बजट के द्वारा भी ले सकते थे । खानों की सुरक्षा का मामला भी है । सुरक्षा व्यवस्था बहुत कुछ श्रमिकों और मशीनों के ऊपर निर्भर करती है मशीनों का आधुनिकीकरण होना था जो नहीं हो पाया है । अच्छी किस्म के कोयले का जो उत्पादन होना चाहिये था, नहीं हो पा रहा है । उसमें राख की मात्रा अधिक रहती है । इस्पात कारखानों को अच्छी क्वालिटी का कोयला मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल पाता है । वह उपलब्ध नहीं है । कोयले के मूल्यों में भी वृद्धि होती जाती है । जब मन में आता है मूल्य वृद्धि कर दी जाती है । सबसे बड़ा कारण यह है कि कोयले को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है । इसकी चर्चा सदन में बहुत बार हो चुकी है । बिहार में जो घटनाएं घट रही हैं उनको आप देखें । प्राइवेट कोलियरी वाले गुंडागर्दी और दादागीरी करके आज पब्लिक सैक्टर को अपने हित में युटिलाइज कर रहे हैं । इन सब बातों को देखकर आप कोई कदम नहीं उठाएंगे या योजना नहीं बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि जो समस्यायें हैं उनका निराकरण होने वाला नहीं है । डिब्बे ज्यादा बन रहे हैं । इस्पात का उत्पादन बढ़ रहा है, उसके मुताबिक आपको प्लान बनाना चाहिए । क्या खान विभाग ने कोई इस तरह की योजना बनाई जो उसके साथ-साथ चले ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि फजल कमेटी की वह कौन-कौन सी रिकमेण्डेशंज हैं जिनको आपने नहीं माना है ? आज आप कह रहे हैं कि गोबर को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिये तो मैं जानना चाहता हूं कि आप कंज्यूमर्स की सब्सिडाइज्ड रेट्स पर कोयला मिले इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ? इसके अतिरिक्त मशीनों के आधुनिकीकरण के लिये और अच्छा कोयला अधिक उपलब्ध हो तथा सेफ्टी वगैरह के बारे में आपकी क्या प्लानिंग है, उसका ब्यौरा आप देने की कृपा करें ।

श्री विक्रम चन्द महाजन : चेयरमैन साहब, माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाये हैं उनके

[श्री विक्रम महाजन]

बारे में मैं कुछ जवाब तो पहले दे चुका हूं, वे दोहराने पड़ेंगे। जहां तक फजल कमेटी की रिकमेण्डेशन्ज का सम्बन्ध है, जो हमने एक्सेप्ट नहीं की हैं, वे बेसीकली तीन हैं। उनमें एक रिकमेण्डेशन्ज यह थी कोल-पुलिस फोर्स होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में बुनियादी बात यह है कि ला-एण्ड आर्डर स्टेट सब्जैक्ट है और हमारे पास इण्डस्ट्रीयल सिक्योरिटी फोर्स भी है, फिर कोई नई फोर्स बनाने से लाभ नहीं होता। साथ-ही साथ चूंकि कोल इण्डस्ट्री की वैजेज बाकी पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग्ज से ज्यादा हैं इसलिये जो अन्य सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन पर इसका बुरा असर पड़ सकता था। इस बात को देखते हुए हमने यह सोचा कि जो आल इण्डिया सैन्ट्रल इण्डस्ट्रीयल सिक्योरिटी फोर्स है उसी का लाभ उठाया जाय, कोई अन्य फोर्स बनाने का लाभ कम होगा।

इसलिये हम ने इस सिफारिश को नहीं माना।

दूसरी रिकमेण्डेशन यह थी कि कोल कन्ट्रोलर का दफ्तर कलकत्ता का समाप्त किया जाये। लेकिन हमारा असेसमेंट यह है कि कोयले की जो ग्रेडिंग है, जो मानिटरिंग है, जो स्टेप्स हम कोयले के कन्जर्वेशन के लिए लेते हैं या जो स्टेटिस्टिक्स प्रिपेयर करते हैं उसके लिये एक आर्गेनाइगेशन की जरूरत है इसीलिये हम ने इस रिकमेण्डेशन को भी नहीं माना है।

फिर उन्होंने कहा था कि जो प्रिंसीपल कोल एडवाइजर की पोस्ट है उसको स्पेशल सैक्रेटरी के बराबर कर दिया जाये और उसे एक इन्जीनियर को देना चाहिये। लेकिन हमने आलरेडी एक पोस्ट क्रिएट की हुई है, अपने डिपार्टमेंट में, इस लिए कोई नई पोस्ट क्रिएट करने से लाभ नहीं होगा। यही तीनों बातें थीं जिन को नहीं माना गया।

जहां तक वर्कर्स की कण्डीशन का सवाल है—आपको जान कर खुशी होगी कि कोल इंडस्ट्री का जो वर्कर है उसको सारे देश में—हो सकता है एक-दो इंडस्ट्री को छोड़कर—प्रेक्टीकली सबसे अधिक वेतन दिया जाता है। इसके अलावा जहां तक पढ़ाई-लिखाई की बात है या मैडिकल फैसिलिटिज का सम्बन्ध है, उस पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। हो सकता है एक-दो जगह कोई कमी पायी गयी हो लेकिन बाकी जगहों पर ऐसा नहीं है। इसका सबूत यह है कि कोल इंडस्ट्री में पिछले एक-डेढ़ साल से बहुत कम स्ट्राइक्स हुई हैं और यह उस वक्त है जबकि हमने उनसे यह कहा है कि आज कल हम आपको छुट्टी नहीं दे सकते हैं क्योंकि मुल्क को कोयले की बहुत जरूरत है। इस सम्बन्ध में उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया है और यह इस बात का सुबूत है कि कहां तक कोल इण्डस्ट्री के वर्कर्स हमारे साथ हैं।

जहां तक प्राइस रिडक्शन का ताल्लुक है, उसमें चूंकि डी० ए० बढ़ता है, हम वर्कर्स को उनकी जो सहूलियतें हैं, वह देते हैं। हर चीजों का, जो इन-पुट्स हैं, डीजल है या बाकी चीजें हैं, औजार हैं, उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। साथ-ही-साथ जो कोयला हमारे गरीब भाइयों के शहरों का गांवों में काम आता है, जिसको साफ्ट कोल कहते हैं, जो चूल्हे के काम आता है, उसको हम सब्सीडाइज करते हैं, हम उसको लास पर देते हैं। इसको देखते हुए हमने देखा कि अगर हम प्राइस कम करेंगे तो जो हमें मुनाफा इस साल होने जा रहा है वह भी खत्म हो जाएगा और हम पुराने वक्त पर चले जायेंगे।

जैसे मैंने फिगर्स दीं कि 1977-78 में 241 करोड़ नुकसान कोल इंडस्ट्री को हुआ। वह नुकसान हम 1980-81 में 33 करोड़ पर लाये और अब 1981-82 में हम मुनाफा लेने जा रहे हैं। यह देखते हुए कि इससे मुल्क को नुकसान हो सकता है, हमने प्राइस रिडक्शन का मसौदा नहीं रखा।

जहां तक एक्सीडेंट्स का सवाल है, मैंने हाउस में भी कई बार कहा और दोहराना चाहता हूं कि रेट आफ एक्सीडेन्ट्स इस मुल्क में कम होता चला गया है। मैं इसके उदाहरण देना चाहता हूं। 1979 में एक मिलियन टन कोयला पैदा करते थे तो 1.44 रेट आफ एक्सीडेंट हुआ करते थे। 1980 में इसको कम करके 1.33 लाया गया, आज 1981 में 1.28 आ गया। आहिस्ता-आहिस्ता, जो हम मेजर्स ले रहे हैं, यह कम हो रहा है।

श्री राम विलास पासवान : यह एक्सीडेंट निल भी होगा या नहीं ?

श्री विक्रम महाजन : यह भी हो सकता है, लेकिन अगर आप सहयोग दें। टोटल मैकेनाइजेशन अंडर-ग्राउन्ड माइन्स का हम अगर कर जाएं, जिसमें कुछ को बेकार होना पड़ेगा, जो सरकार की नीति नहीं है कि किसी भी माइनर को हम निकालें। आहिस्ता-आहिस्ता मैकेनाइजेशन करना पड़ेगा और जैसे-जैसे मैकेनाइजेशन करते चले जाएंगे, वैसे-वैसे एक्सीडेंट्स का रेट कम होता चला जायेगा।

दूसरे देशों में अंडर-ग्राउन्ड माइन्स टोटली मैकेनाइज कर दी गयी हैं। वहां का रेट आफ एक्सीडेंट बहुत कम है, लेकिन मैंने आपसे पहले कहा कि अगर हम उस ढंग से करेंगे तो मुल्क में अन-एम्पलायमेंट की एक नयी प्राबलम खड़ी हो जायेगी। हमारी सरकार की यह पालिसी है कि अन-एम्पलायमेंट नहीं होने देनी, ज्यादा एम्पलायमेंट करनी है। इसलिए जो भी हम मैकेनाइजेशन करेंगे, साथ-ही-साथ उनके लिये जाब्स क्रिएट करनी पड़ेगी। यह हमारी नीति है। इसलिये मैकेनाइजेशन स्लोली करेंगे।

जहां तक शार्टेजेस का ताल्लुक है, मैंने पहले भी कह दिया और अब भी कह रहा हूं कि हमारे पास हर क्वालिटी का कोयला है और सरप्लस है, जहां तक सिर्फ स्टील की बात है, हमारे मुल्क में कोकिंग कोल की कमी है।

जहां तक स्टील प्लान का ताल्लुक है, उसके लिये हम दो तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो जो एग्जिस्टिंग माइन्स हैं, उनको डैवलप कर रहे हैं और दूसरे हम एक मिक्सचर करके जो भी सुपीरियर ग्रेड का कोयला है, उसमें इन्फीरियर मिक्स करके और भी एक्सपैरीमैंट शुरू कर रहे हैं, जिससे हम इस पर काबू पाएं। यह जारी है।

जहां तक पालिसी का ताल्लुक है, हमारे देश में कोयले की अभी तो कमी है नहीं, जो हमारे सदस्य कहते हैं उसे हमें दूर करना है और मुल्क में सरप्लस कोयला करना है। हमारे पास जो इन्फीरियर कोयला है उसे हम एक्सपोर्ट करने की भी सोच रहे हैं। क्योंकि हिन्दुतान में कोई इंडस्ट्री उसको लेने के लिए तैयार नहीं है।

[श्री विक्रम महाजन]

हमारी नीति है जैसा हमने पहले भी कहा, हमें कोयला इंडस्ट्री को हिन्दुस्तान में पब्लिक सैक्टर का माडल बनाना है और आपके, नेता के. भाइयों के और वर्कर के सहयोग से हम इसमें कामयाबी हासिल करेंगे ।

कार्य मन्त्रणा समिति

24 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं कार्य मन्त्रणा समिति का 24 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार 17 दिसम्बर 1981/26 अग्रहायण, 1903 (शक) को ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : आकाशदीप प्रिन्टर्स 20 दरिया गंज, दिल्ली-2